सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

विषय सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय	1—10
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप— एक सिंहावलोकन	11—14
3	कार्यकलापों की विशेषताएं	15—24
4	अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा	25—41
5	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	42—50
6	जनजातीय विकास कार्यनीति तथा कार्यक्रम	51—59
7	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	60—65
8	शिक्षा के संवर्धन हेतु कार्यक्रम	66—82
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	83—84
10	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	85—90
11	राश्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	91—94
12	जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता	95—99
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	100—102
14	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	103—110
15	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	111
16	जेंडर बजट	112—115
17	दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम	116—117
18	जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	118—119
19	विभागीय लेखा प्रणाली	120—121
20	नागरिक/ग्राहक चार्टर	122—131

अनुलग्नक

अनुलग्नक संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	संगठनात्मक चार्ट–जनजातीय कार्य मंत्रालय	135
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों की सूची	136
3क	वर्ष 2017–18 से 2018–19 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का योजना–वार बजट आवंटन / संशोधित आवंटन तथा व्यय	137
3ख	वर्ष 2019–20 के लिए स्कीम–वार बजट आवंटन तथा 31.12.2019 तक व्यय	138
4क	अनुसूचित जनजातियों की लिंग तथा निवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जनसंख्याः जनगणना 2011	139–141
4ख	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत / राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत / राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतता	142–143
4ग	भारत में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार लिंग अनुपात विवरण	144
4घ	सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनसंख्या 2011	145
4ङ	15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु अनुसूचित जनजातियों के लिए –स्नातक तथा इससे ऊपर का शैक्षिक स्तर	146
4च	जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एससी, पीएचसी एवं सीएचसी) की स्थिति	147
4छ	जनजातीय क्षेत्रों में उप–केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम	148
4ज	जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) एएनएम	149
4झ	जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	150
4ञ	जनजातीय क्षेत्रों में सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	151
4ट	जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर	152
4ठ	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा उनका प्रकाश का मुख्य स्रोत	153
4ड	मकान परिसर में शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की प्रतिशतता	154
4ढ	जनगणना के अनुसार अधिगृहीत मकानों की दशा के अनुरूप परिवार (% में)	155
4ण	पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार	156
4त	15 वर्ष तथा इससे अधिक के अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रतिशतता वितरण जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में ग्रामीण + शहरी क्षेत्रों में सामान्य सिद्धांत एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण (पीएस+एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं	157

अनुलग्नक संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
4थ	2016–2018 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरूद्ध अपराध / अत्याचार	158–159
4द	अनुसूचित जनजातियों के विरूध अपराध / अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान (अपराध शीर्ष–वार) – 2018	160–167
4ध	मानव तस्करी मामले (आईपीसी) –2018	168–169
4न	अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य /संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले	170–175
4प	अनुसूचित जनजाति के लिए प्राथमिकता वाले उप–जिलों की राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र तथा जिला–वार सूची	176–206
4फ	अनुसूचित जनजाति के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रमुख समुदाय : जनगणना 2011	207–216
5क	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन	217–219
5ख	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	220–232
5ग	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची	233–262
5घ	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति	263
5ङ	वर्ष 2014–15 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों का विवरण	264
6क	वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए मंत्रालय/विभाग–वार मांग, आंवटन और व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में)	265–268
6ख	वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक राज्य जनजातीय उप–योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा टीएसपी आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे	269–270
6ग	वर्ष 2011–12 से 2019–20 के दौरान जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्य को निर्मुक्त निधियां	271
6घ	वर्ष 2009–10 से 2019–20 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत निर्मुक्त निधि अनुदान	272
7	दिनांक 30.09.2019 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों और अधिकार पत्रों के वितरण का विवरण	273
8क	ब्लॉक / उप–जिले जहां 2022 तक ईएमआरएस (31.12.2019 तक) मंजूर करने का प्रस्ताव है	274–282
8ख	ईएमआरएस की सूची (31.12.2019 तक)	283–295
8ग	2019–20 के दौरान (31.12.2019 तक) ईएमआरएस के लिए राज्य–वार निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण	296
8घ	अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधि तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे	297

अनुलग्नक संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
8ङ	अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निमुक्त की गई निधि तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे	298
9क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	299–301
9ख	वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान विशेष रूप से 'कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)का विकास स्कीम' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि का सारांश	302
10क	"टीआरआई को सहायता" स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का निर्मुक्त निधि	303
10ख	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)	304
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थी (31.12. 2019 तक)	305
12	वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान 31.12.2019 तक एमएफपी के संचालनों के लिए "जनजातीय उत्पाद / उपज के विपणन तथा विकास हेतु संस्थागत समर्थन" की स्कीम जो पूर्व में "राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान" के नाम से जानी जाती थी, के तहत निर्मुक्त सहायता अनुदान के ब्यौरेद्य	306
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान एवं न्यायधिकार क्षेत्र	307
14क (i)	2017–18 से 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान' की योजना के तहत वित्तपोषित स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	308–326
14क (ii)	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत वर्ष 2017–18 से 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 50 लाख रुपये या उससे अधिक निर्मुक्त की गई राशि वाले गैर–सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों की राज्य–वार सूची	327–331
14ख (i)	"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के तहत 2017–18 से 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान वित्त पोषित संगठनों की राज्य वार सूची	332–335
14ख (ii)	'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' स्कीम के तहत 2017–18 से 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 50 से अधिक लाख या उससे अधिक की निर्मुक्त की गई राशि वाले स्वैच्छिक संगठनों/ गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची	336–338

अनुलग्नक संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
15	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि	339
16	वर्ष 2019–20 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियां	340–341
17	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	342–343
18	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में काम करने वाले अधिकारियों की सूची	344
19	लेखा–परीक्षा/पीएसी रिपोर्ट की स्थिति जिन पर कृत कार्रवाई टिप्पण लंबित है	345

शब्दावली

शब्द / छोटा रुप	अर्थ / पूरा रुप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना
एएनएम	सहायक नर्स प्रसाविका
बीआईटी	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
सीसीडी	संरक्षण–सह–विकास
सीएफटीआरआई	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्यागिकी अनुसंधान संस्थान
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सीओ	संवैधानिक आदेश
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत जन–शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
सीएसपीएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआर	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीएसएस	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम
सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीईएसए	जिला शिक्षा समर्थनकारी एजेंसी
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास एजेंसियां
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
एफटीएस	फाइल ट्रैकिंग प्रणाली
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईटीडीपी / आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना / एजेंसी
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एमएडीए	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमएएन	महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क
एमईएस	मॉडयूलर रोजगारक्षम कौशल
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु–उद्देशीय जनजातीय विकास परियोजना
एनएईबी	राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनडीसीएसपी	राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र शास्त्री पार्क
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीएफपी	गैर–इमारती लकड़ी वाले वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएफएमएस	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
एससी	उप–केन्द्र
टीएसएस को एससीए	जनजातीय उप– स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता
एससीएसवीई	स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसएचजी	स्व–सहायता समूह
एसपीएआरआरओडब्ल्यू	स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्व–शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय सलाहकार परिषद
टीटीएएडीसी	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
ट्राइफेड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि.
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उप–स्कीम
टीएसएस	जनजातीय उप–स्कीम
यूसी	उपयोग प्रमाण–पत्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएल	सम स्रोत निर्धारक
वीकेवाई	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
डब्लूएएन	विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क

अध्याय 1

जनजातीय कार्य मंत्रालय: एक परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि–विभाजन के उपरांत किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत वंचित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:–

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. सितम्बर, 1985 से मई, 1998 तक कल्याण मंत्रालय।
3. मई, 1998 से सितम्बर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

अधिदेश

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ' भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961' के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप किए हैं जो निम्नानुसार हैं:–

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा।
2. जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण;
3. जनजातीय कल्याण से संबद्ध स्वयंसेवी प्रयासों का संवर्धन एवं विकास;
4. अनुसूचित जनजातियों सहित ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति;
5. अनुसूचित जनजातियों का विकास

   5क. वन भूमियों पर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले।

6 (क) अनुसूचित क्षेत्र;

   (ख) राज्य के राज्यपालों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तैयार किये गये विनियम:

7 (क) आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देगा; तथा

   (ख) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देशों के मुद्दे।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;
9. अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध अपराधों के मामलों में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) का कार्यान्वयन।

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। हालाँकि, इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं, नीति, नियोजन, निगरानी, मूल्यांकन आदि के संबंध में भी उनके समन्वय के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों /

विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में नोडल मंत्रालय या विभाग है।

भूमिका

1.4 मंत्रालय के कार्यक्रम और स्कीमें अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय पोषण के माध्यम से आलम्बन प्रदान करने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में गम्भीर अंतर को पाटने हेतु अभिप्रेत हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई स्कीमों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक उपायों के जरिए उनके प्रयासों की संपूर्ति करता है। संस्थान निर्माण के माध्यम से आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास से संबंधित ये स्कीमें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय व्यापक रूप से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री के मार्गदर्शन में राज्य मंत्री की सहायता से कार्य करता है। मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख सचिव हैं जिनकी सहायता के लिए चार संयुक्त सचिव, एक उप महानिदेशक और एक आर्थिक सलाहकार हैं। वित्तीय सलाहकार आंतरिक वित्त और बजट मामलों में मंत्रालय की सहायता करते रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट / व्यय नियंत्रण में मदद करता है। मंत्रालय प्रभागों और अनुभागों के रूप में संगठित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास 100 कर्मचारियों के कार्य बल के साथ 148 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है। इसमें 48 समूह 'क' पद, 64 समूह 'ख' पद (राजपत्रित / गैर–राजपत्रित) तथा 36 समूह 'ग' पद हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–I** पर है।

प्रशासन

1.6 मंत्रालय की स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले, मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा निपटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम तथा इस मंत्रालय के संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि की स्थापना संबंधी मामले पर भी इसी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय का अवस्थापन तीन स्थानों पर फैला हुआ है। यह शास्त्री भवन (राजेंद्र प्रसाद रोड), निर्माण भवन (मौलाना आज़ाद रोड) और जीवन तारा बिल्डिंग (संसद मार्ग), नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)

1.8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं/गतिविधियाँ

मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के समन्वय में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं / गतिविधियां शुरू की गईं:

- प्रशिक्षण संबंधी ई–शासन परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- वेबसाइट का डिजाइन, विकास और होस्टिंग
- वेब पोर्टल और वेब आधारित अनुप्रयोगों का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन
- एनआईसी क्लाउड पर वेबसाइटों, वेब पोर्टलों और वेब आधारित अनुप्रयोगों को नियोजित किया गया है।
- साइबर सुरक्षा लेखा–परीक्षा अनुपालन
- स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) और इंटरनेट सेवाओं का रखरखाव
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- आईसीटी संबंधित परियोजनाओं / गतिविधियों में ट्राइफेड, एनसीएसटी और एनएसटीएफडीसी को सहायता।

1.9 परियोजनाओं / गतिविधियों का अवलोकन

- **डेटा एनालिटिक्स और डैशबोर्डः** मंत्रालय ने स्कीमों की कुशल योजना और निगरानी के लिए विभिन्न स्कीमों के डेटा एनालिटिक्स का संचालन करने के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक (एनआईसीएसआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए) को सीओई के रूप में रखा है। मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, एनजीओ अनुदान और वन अधिकार अधिनियम संबंधी दावों के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित विश्लेषण किया गया था। इस विश्लेषण का उपयोग मंत्रालय की सभी योजनाओं को कवर करने वाले प्रमुख आधारभूत प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) को उजागर करने वाले डायनामिक डैशबोर्ड को डिजाइन करने के लिए भी किया जाएगा।

  जनजातीय कार्य मंत्री और सचिव (जनजातीय कार्य) को डैशबोर्ड के प्रोटोटाइप की एक प्रस्तुति दी गई।

- इससे पहले मंत्रालय द्वारा सभी योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संसूचकों पर प्रकाश डालने के लिए एक स्टैटिक डैशबोर्ड भी विकसित किया गया था।

- **ई–एचआरएमएस का कार्यान्वयनः** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की मिशन मोड परियोजना – ई–एचआरएमएस मंत्रालय के लिए अनुकूलित और कार्यान्वित की गई थी। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संवर्ग अधिकारियों की सेवाओं से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करेगी। सुविधाओं में ई–सर्विस बुक का रख–रखाव, छुट्टी, दौरा, प्रशिक्षण, एलटीसी, कार्य प्रवाह का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रतिनियुक्ति शामिल है। सभी अधिकारियों की सेवा पुस्तकों को डिजिटल रूप दिया गया था जिसे संबंधित व्यक्ति और प्रशासन द्वारा प्रमाणित किया गया था। सॉफ्टवेयर को मंत्रालय के कार्य प्रवाह के लिए अनुकूलित किया गया था।

- **ई–ऑफिस के कार्यान्वयन को सहायता (https://mta.eofface.gov.in):** ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए निरंतर सहायता। नए अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बाहरी कार्यालय से भी ई–ऑफिस तक पहुंच बनाने के लिए वीपीएन खाते खोले गये। पीएफएमएस से वेतन पर्ची जारी करने का प्रावधान ई–ऑफिस में किया गया था। ई–ऑफिस को एनसीएसटी, ट्राइफेड, एनएसटीएफडीसी में भी सफलतापूर्वक लागू किया गया है, कार्य प्रवाह को परिभाषित किया गया और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- **मंत्रालय की वेब साइट (https://tribal.gov.in अन्य नाम https://tribal.nic.in) और एसटीक्यूसी प्रमाणनः** सामग्री प्रबंधन रूपरेखा (सीएमएफ) आधारित मंत्रालय की द्वि भाषी आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से बनाए रखा जा रहा है। वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का अनुपालन किया गया था; एसटीक्यूसी द्वारा आवश्यक ऑडिट के बाद फरवरी, 2019 में किया गया था। वेबसाइट मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अद्यतित सामग्री से समृद्ध थी। वेबसाइट को अपलोड करने के लिए प्रयोग स्तर और डेटाबेस स्तर पर परिष्कृत किया गया है ताकि स्वीकृति आदेशों को अपलोड किया जा सके (पीएफएमएस से स्कीम–वार तरीके से लाया जा सके)।

- **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) एमआईएस पोर्टल (https://dbttribal.gov.in):** डीबीटी–एमआईएस पोर्टल मंत्रालय की पाँच डीबीटी स्कीमों के लिए विकसित किया गया था ताकि सभी राज्यों के डीबीटी डेटा मंत्रालय को उपलब्ध कराने और उसे वेब सेवाओं के माध्यम से डीबीटी मिशन को रखने का प्रावधान किया जा सके। मिशन पोर्टल को एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया था और इसका शुभारंभ फरवरी 2019 में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री

द्वारा किया गया था। आवश्यक सत्यापन के बाद विभिन्न राज्यों के मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए लगभग 38 लाख छात्रों का छात्रवृत्ति डेटा एकत्र किया गया है। यह पोर्टल राज्यों और मंत्रालय के बीच संपर्क सुविधा जैसे लाभार्थी डेटा अपलोड करना यूसी, एसओई, प्रस्ताव, शिकायतों के साथ फीडबैक आदि भी प्रदान करता है।

- **राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति छात्रवृत्ति (एनएफएस) पोर्टल (https://tribal.nic.in/nfs):** राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति पोर्टल (एनएफएस) मंत्रालय द्वारा अजजा छात्रों से प्रत्येक वर्ष अध्येतावृत्ति आवेदन पत्र (एम.फिल / पीएचडी) आमंत्रित करने के लिए विकसित और कार्यान्वित किया गया है। मंत्रालय द्वारा पोर्टल को इस वर्ष डिजिटल लॉकर के साथ एकीकृत किया गया था। यह वेब सेवाओं का उपयोग करके सीधे डिजिटल लॉकर से छात्र के दस्तावेजों को लाने की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों को किए गए भुगतान पर नज़र रखने के लिए केनरा बैंक के साथ पोर्टल को भी एकीकृत किया गया है। पोर्टल छात्रों, विश्वविद्यालयों / संस्थानों, केनरा बैंक की शिकायतों को भी संभाल रहा है। पोर्टल में छात्रों के विवरण के सत्यापन के लिए विश्वविद्यालयों / संस्थानों के लिए एक अलग मॉड्यूल है। पोर्टल में एसएमएस के माध्यम से एलर्ट / नोटिफिकेशन का प्रावधान किया गया है।
- **राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) पोर्टल (https://tribal.nic.in/nos):** हर साल विदेश में अध्ययन के लिए मंत्रालय द्वारा एसटी छात्रों से अध्येतावृत्ति आवेदन स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनओएस) विकसित और कार्यान्वित किया गया है। पोर्टल को इस वर्ष डिजिटल लॉकर के साथ एकीकृत किया गया था। यह वेब सेवाओं का उपयोग करके सीधे डिजिटल लॉकर से छात्र के दस्तावेजों को लाने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल में एसएमएस के माध्यम से एलर्ट / नोटिफिकेशन का प्रावधान किया गया है।
- **आवंटित बजट में एसटी घटक की निगरानी के लिए एमआईएस (https://stcmis.gov.in):** निधि आवंटन की निगरानी, इसके उपयोग और 41 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रशासित जनजातीय उप योजना के तहत अभीष्ट लाभ तक पहुंचने के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू किया गया है। इन मंत्रालयों को पोर्टल में संबद्ध विवरण अपडेट करने के लिए सभी को लॉगिन आईडी प्रदान की गई है। एसटी घटक का डेटा पीएफएमएस सिस्टम से प्राप्त किया जा रहा है और उसी डेटा को इन मंत्रालयों को उनके लॉगिन आईडी के माध्यम से परिलक्षित किया जा रहा है। बजट के एसटी घटक के एक राष्ट्रीय स्तर के निगरानी ढांचे को विकसित करने के लिए सभी 41 मंत्रालयों से जानकारी और आवश्यकता को एकत्र करने के लिए एक वेब फॉर्म तैयार किया गया है।
- **एनजीओ अनुदान पोर्टल (https://ngograntsmota.gov.in) :** एनजीओ अनुदान पोर्टल को ऑन–लाइन ट्रैकिंग के माध्यम से अनुदान योजना के तहत गैर–सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रस्तावों को स्वीकार करने और संसाधित करने के लिए लागू किया गया है। वेब सेवाओं का उपयोग करके एनजीओ विवरण को नीति आयोग एनजीओ दर्पण द्वारा मान्य किया गया है। यह पोर्टल गैर–सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों को भेजे गए प्रस्तावों की जिलों से राज्यों और राज्यों से मंत्रालय तक और आंतरिक रूप से भी मंत्रालय में स्वीकृति पत्र तैयार होने तक आवाजाही के लिए आद्योपांत कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली उपलब्ध कराता है । अनुमोदन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक एलर्ट / अधिसूचनाएं प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुसार, एनजीओ/स्वैच्छिक संगठन के प्रस्तावों,

गैर–सरकारी संगठनों के लिए शिकायत मॉड्यूल, राज्यों / जिलों और केंद्र स्तर आदि के प्रसंस्करण के लिए केंद्र स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिए डबल विंडो स्क्रीन (ई–ऑफिस के समान) जैसे नए मॉड्यूल भी शामिल किए गए हैं। । एनजीओ / स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 2019–20 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 15.01.2019 से 16.08.2019 तक पोर्टल खोला गया था।

- **वन अधिकार अधिनियम निगरानी प्रणाली (https://forestrights.nic.in):** ग्राम सभा, उप–मंडल और जिलों जैसे भिन्न–भिन्न स्तरों पर वन अधिकार दावों को (व्यक्तिगत और समुदायिक, दोनों रूप से प्राप्त) संग्रह करने और संसाधित करने के लिए वेब आधारित प्रणाली के नवीनतम प्रावधानों पर विचार करके नया रूप दिया गया है। सिस्टम ने हाल ही में साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का अनुपालन किया है।
- **जनजातीय रिपोजिटरी / हेरिटेज पोर्टल (https://tribal.nic.in/repository):** तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज़ों के माध्यम से जनजातीय लोगों की संस्कृति और उनकी आजीविका को बनाए रखने के लिए पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया गया है। मंत्रालय ने राज्यों को इसे अपलोड करने के लिए अधिकृत किया है। मंत्रालय का नोडल अधिकारी राज्यों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को मंजूरी देता है।
- **जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के लिए पोर्टल:** मंत्रालय अनुसंधान और प्रलेखन, कला और कलाकृतियों के रखरखाव, संरक्षण और संरक्षण के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीआरआई को सहायता अनुदान प्रदान करता है। आदिवासी संग्रहालय, राज्य के अन्य हिस्सों में जनजातियों के लिए विनिमय यात्रा, आदिवासी त्योहारों का आयोजन तथा आदिवासी अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) से ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त करने के उद्देश्य से पोर्टल शुरू किया गया है और साथ–साथ इसमें अनुमोदन, प्रसंस्करण, धन की निगरानी और अनुमोदित प्रस्तावों की प्रत्येक परियोजनाओं / गतिविधियों के व्यय पर भी निगरानी होगी।
- **अन्य ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों / पोर्टलों सम्बंधी सहायता:** अन्य ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों जैसे मंत्रालय के अधिकारियों को निरंतर परिचालन सहायता:
- https://nsp.gov.in (अजजा छात्रों के उच्च श्रेणी की छात्रवृत्ति डेटा के लिए)
- http://bhavishya.gov.in (पेंशन, प्रतिबंध और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली)
- https://limbs.gov.in (कोर्ट मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब एप्लिकेशन)
- pgportal.gov.in (शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल),
- https://e-samiksha.gov.in
- ई–टेंडरिंग, ई–सेवा पुस्तक, स्पैरो, ई–विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम, जीएलआईएस, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस आदि।
- **इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (http://10.25.122.32:8080/inventory):** उपभोग्य वस्तुओं और स्टॉक के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम संबंधी निरंतर जारी सहायता।
- **ट्राइफेड को सहायता:** आदिवासी उपज तथा गौण वन उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए ई–मार्केट प्लेस, वन धन केंद्रों, प्रधान मंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) के तहत वन धन केंद्रों के सर्वेक्षण के लिए अपने मोबाइल ऐप के विकास के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता का विस्तार किया जा रहा है।

ई–ऑफिस, कोर्ट केस मॉनिटरिंग, ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग और ई–एचआरएमएस जैसी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी सहायता भी बढ़ाई जा रही है।

- **स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) और नेटवर्किंग सेवाएं:** दोनों परिसरों (शास्त्री भवन और जीवन तारा भवन) में उपयोगकर्ताओं को एलएएन और इंटरनेट की सेवाएं बहाल रखने के लिए सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। सम्मेलन हॉल सहित सचिव एवं अन्य उच्च अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न स्थानों पर उच्च गति वाईफाई और कनेक्टिविटी के पांच पहुंच बिंदु भी मंत्रालय में स्थापित किए गए हैं।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** विभिन्न स्कीमों की समीक्षा के लिए मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठकों में भाग लेने के लिए सचिव (जनजातीय कार्य) अपने कार्यालय से इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।
- **ई–मेल की सुविधा सहायता:** मंत्रालय, ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी के अधिकारियों से एनआईसी ई–मेल की सुविधा जारी रखी गई थी। मंत्रालय के अधिकारियों के ई–मेल आईडी नए इंटरफ़ेस https://email.gov.in पर अंतरित किए गए थे।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.10 हिन्दी के भारत संघ की राजभाषा होने के कारण जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से संलग्न है। मंत्रालय का हिन्दी अनुभाग, मंत्रालय के सभी अनुभागों से अंग्रेजी में प्राप्त सामग्री के हिन्दी अनुवाद का कार्य करने के साथ–साथ राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी कार्य भी देखता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी भी करता है। मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी के लिए नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए साधन तथा तरीके बताए जाते हैं जिससे राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के तहत यथा निर्धारित लक्ष्य शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किए जा सकें। मंत्रालय के अधिकांश अधिकारी तथा कार्मिक हिन्दी में प्रवीण हैं अथवा हिन्दी का कार्य–साधक ज्ञान रखते हैं ।

1.11 भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा निगरानी और अनुवाद में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त निदेशक (रा.भा.), एक सहायक निदेशक (रा.भा.), एक वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के दो पद अनुमोदित हैं ।

राजभाषा अधिनियम/नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.12 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं । हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में दिये गए हैं । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के साथ शत–प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करने के यथासंभव प्रयास किए गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करवाई गई हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। इस मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी काम काज हिन्दी में करने की हिचक को दूर करने के लिए, वर्ष के दौरान हिन्दी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय के अनुभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए राजभाषायी निरीक्षण भी किए गए हैं।

मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके तहत बने राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए जांच बिन्दु स्थापित किए

गए हैं तथा मंत्रालय के सभी अनुभागों द्वारा उनका प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जा रहा है।

हिन्दी माह

1.13 सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में 1 से 30 सितम्बर, 2019 के दौरान 'हिन्दी माह' का आयोजन किया गया था। इसके दौरान हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी स्वरचित कविता पाठ, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, हिन्दी में तत्काल भाषण (एक्सटेम्परी), हिन्दी टंकण, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिन्दी श्रुतलेखन, वाद–विवाद, अनुवाद और वर्ष भर हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता सहित 10 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं । मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया । इस संबंध में सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में शीघ्र ही पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें 67 पुरस्कार विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल 1,38,000/– रूपए के नकद पुरस्कारों तथा संबंधित प्रमाण–पत्र सहित सम्मानित किया जाएगा।

सतर्कता कार्यकलाप

1.14 मंत्रालय में, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय के सचिव को सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं तथा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशा.) के रूप में अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सतर्कता के कार्य देखते हैं। एक निदेशक तथा एक अवर सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी की उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं।

1.15 मंत्रालय ने 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' 28.10.2019 से 02.11.2019 तक मनाया। सचिव, जनजातीय कार्य और उप–महानिदेशक (सांख्यिकी), ने क्रमशः शास्त्री भवन और जीवन तारा भवन में 28.10.2019 को मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रोबिटी रिपोर्ट को नियमित आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा जा रहा है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.16 दिनांक 05.02.2019 से मंत्रालय में श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव को शिकायत निदेशक के तौर पर मनोनीत किया गया है। शिकायत निदेशक के ब्यौरे जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की ऑनलाइन (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय आदि के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान सीधे तौर पर ऑनलाइन किया जा रहा है।

नागरिक/ग्राहक चार्टर

1.17 जनजातीय कार्य मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 20 में दिए गए हैं।

1.18 इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सामाजिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और सार्वजनिक जागरूकता के उपयोग के माध्यम से प्रभावी एवं कुशल सार्वजनिक सेवा प्रदायगी प्रणाली सृजित की गई है।

गणतंत्र दिवस समारोह

1.19 वर्षों से चली आ रही प्रथा के अनुसार, मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड और समारोह का गवाह बनने के लिए भारत सरकार के आदिवासी मेहमानों के रूप में प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र से दो आदिवासी प्रतिनिधियों, एक पुरुष और एक महिला को आमंत्रित करता है। 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (32 पुरुष और 26 महिलाएं) के जनजातीय मेहमानों ने 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारियों के साथ भाग लिया। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्व युवा केंद्र, चाणक्य पुरी में मेहमानों का स्वागत किया। जनजातीय मेहमानों ने माननीय राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के साथ उनके निवास स्थान पर समारोह में भाग लेने के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड देखने,

29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और 28 जनवरी, 2020 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली में भाग लिया। रात के खाने के साथ आदिवासी मेहमानों और झांकी के कलाकारों के सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा आयोजित किया गया था।

गणतंत्र दिवस समारोह–2020 के दौरान जनजातीय कलाकारों के साथ माननीय जनजातीय कार्य मंत्री और सचिव, जनजातीय कार्य

संसदीय स्थायी समिति

1.20 श्रीमती रमादेवी की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और अधिकारिता सम्बंधी स्थायी समिति ने 06.11.2019 को वर्ष 2019–20 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों की जांच के संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिये।

परामर्शदात्री समिति की बैठक

1.21 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में "जनजातीय क्षेत्रों में आनुवांशिक स्वास्थ्य मुद्दा" पर चर्चा करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति की बैठक का दिनांक 22.01.2020 को विशेष रूप से आयोजन किया गया था।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

1.22 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम, ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

1.23 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338क का

अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के मुख्य कर्त्तव्य–अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यों का मूल्याकंन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षा उपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के सभी अधिकार निहित हैं।

जनजातीय विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग

1.24 जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दृष्टि से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के परामर्श से निम्नलिखित पहलों का अनुसरण किया जा रहा है :–

(क) जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्रों के विषयगत मानचित्र के संबंध में डेटाबेस तैयार करना;

(ख) खगोलीय आंकड़ों का प्रयोग करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेत में तालाबों/मछली के तालाबों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करना; और

(ग) विकासात्मक आयोजना के लिए जनजातीय जिलों के अंतर्गत नियमित जलाशयों की पहचान।

1.25 जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय मानचित्र तथा विषयगत मानचित्रण संगठन (एनएटीएमओ), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से "भारत–राज्यों/जनजातीय जनसंख्या वाले जिलों", के संबंध में मानचित्र बनाने की प्रक्रिया में भी है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र (एनआरएससी) द्वारा 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खगोलीय आंकड़ों के उपयोग संबंधी अपनी फीड बैक/सफलता गाथा आदि उपलब्ध कराने के लिए 17.10.2019 को एक पत्र भेजा गया है।

पंचायती राज संस्थान (पीआरआई)/पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)

1.26 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को अन्य बातों के अलावा संविधान के भाग IX तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को अधिदेशानुसार सुनिश्चित करता है, जैसा कि इसे अधिदेशित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से विकेन्द्रित तथा भागीदारी वाला स्थानीय स्व–शासन प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय तथा सेवाओं की कार्यकुशल उपलब्धता के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों का सशक्तिकरण, सामर्थ्य तथा जवाबदेही, पंचायती राज मंत्रालय का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243ड के अनुसार 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसे लागू करने हेतु पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को अधिनियमित किया।

1.27.1 संविधान की 5वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के साथ–साथ इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों से सरोकार रखती है। पेसा अधिनियम, 1996 का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अधिसूचित 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ संशोधनों तथा अपवादों के साथ संविधान के भाग IX तक किया जाता है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना में विद्यमान हैं।

1.27.2 इन क्षेत्रों में इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को लोगों की परंपराओं तथा रीति–रिवाजों और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद हल करने के प्रथागत तरीके की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए "सक्षम" माना जाता है। ग्राम सभाओं के

पास गांव की पंचायतों की योजनाओं को अनुमोदित करने, स्कीमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करने, निधियों के उपयोग प्रमाण–पत्र जारी करने, सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों तथा कार्यकरणों को नियंत्रित करने की अनिवार्य कार्यकारी शक्ति है तथा जनजातीय उप–योजना सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों के पास भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के मामलों में अनिवार्य रूप से परामर्श करने; लघु खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस, खनन पट्टे नियमित करने; भूमि के अन्य हस्तांतरण को रोकने तथा अन्य हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति; शराब की बिक्री/उपभोग को नियमित करने तथा अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने और लघु वन उत्पाद के स्वामित्व का अधिकार भी है।

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में शिकायत समिति

1.28 इस मंत्रालय में प्रत्येक कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के लिए यौन उत्पीड़न मुक्त, सुरक्षित और कार्यक्षम वातावरण उपलब्ध कराने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। सुश्री एम.आर. शेरिंग, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार समिति की अध्यक्ष हैं । वर्ष 2019–20 के दौरान समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई (31.12.2019 तक)।

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप– एक सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विकास के लिए व्यापक नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय जनसंख्या की समावेशी और सतत वृद्धि हासिल करने का प्रयास करता है। मंत्रालय के कार्यक्रम तथा योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करती हैं तथा उन्हें पूरा करती हैं और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील अंतरों को भरती हैं। यद्यपि अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक संवर्धन तथा सामाजिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई स्कीमों के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न विकासीय उपायों के रूप में उनके प्रयासों को पूरा करता है। ये स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास हेतु सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान तथा जनजातीय उप–योजना को केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें चलाता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची **अनुलग्नक–2** में दी गयी है।

2.3 मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है जबकि इनके ब्यौरे अनुवर्ती अध्यायों में दिये गये हैं।

2.4 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, इसलिए वर्ष के दौरान विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के प्रतिधारण को बढ़ाने तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस), उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी छात्रवृतियों के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुए उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालयों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस), व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करते हुए अवसंरचना के प्रावधान के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्कीमों को कार्यान्वित करते हुए शिक्षा के विकास के प्रयास किए गए थे।

2.5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को वर्ष 1997–98 में शुरू किये गये थे ताकि सुदूर क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को गुणवत्तापरक उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए व इनको शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच में समर्थ किया जाए व गैर–अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बराबर लाया जाए। शुरूआत में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, 'भारत के सविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' के तहत वित्तपोषित जो एक संवैधानिक बाध्यता है, को 2019–20 में एक अलग स्कीम का रूप दे दिया गया है।

2.6 कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना 01.07.2012 से आरंभ की गई थी। कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहायता करना इस

योजना का दोहरा उद्देश्य है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटनाओं को कम से कम किया जा सके तथा मैटिकपूर्व स्तर के कक्षा IX तथा X में अजजा के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार किया जा सके और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर सत्र के चरणों में उन्हें प्रगति करने का बेहतर मौका मिल सके।

2.7 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम को छात्रवृत्ति की दर, आयु सीमा तथा विषयों के समूहीकरण के कुछ आशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित किया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्धन हेतु यह केन्द्र द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी है।

2.8 यह मंत्रालय, विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्चतर अध्ययनों हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2.9 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति स्कीमों नामतः 'राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति' तथा 'उच्च श्रेणी शिक्षा' की निगरानी एवं कार्यान्वयन पर उचित नियंत्रण को सुसाध्य बनाने और इसके स्तरों, जिसमें समय ज्यादा लगता है, को समाप्त करने के लिए मंत्रालय ने इन दोनों स्कीमों को केन्द्रीय क्षेत्र की "अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति" नामक एकल स्कीम में मिला दिया है।

2.10 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम के तहत यह मंत्रालय अनुमोदित "संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजनाओं" के अनुसार पीवीटीजी के लिए प्राथमिकता वाले कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु पीवीटीजी जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां प्रदान करता है।

2.11 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत मंत्रालय ने आवासीय विद्यालयों, गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, इत्यादि को कवर करते हुए परियोजनाओं को निधिपोषित किया है।

2.12 कम सारक्षता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा को सुदृढ़ करने की, योजना एक लिंग–विशेष स्कीम है जिसे कम साक्षरता वाले स्थानों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए 1993–94 में शुरू किया गया था। स्कीम को 2008–09 में संशोधित किया गया है व यह 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई है।

2.13 जनजातीय लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत अनुदान अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और परियोजना आकलन समिति (पीएसी) में विचार किए जाने के आधार पर राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार–सह–आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को भरने के लिए राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

2.14 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर के उत्थान तथा जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए 27 राज्यों को अनुदान जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक गतिविधियों में अंतर भरने के लिए हैं। यह विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है तथा राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

आश्रम विद्यालयों, बालक और बालिका छात्रावासों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) से संबंधित कार्यों पर अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत टीएसएस को एससीए व अनुदान की स्कीमों के तहत विचार किया जाता है।

2.15 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक

विकास के लिए स्थापित एक शीर्ष संगठन है। निगम ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

2.16 अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी।

आयोग के मुख्य कर्त्तव्य अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है; और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं,

2.17 मंत्रालय, 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' स्कीम के द्वारा नए टीआरआई जहां ये स्थापित नहीं है, को स्थापित करने की योजना और विद्यमान टीआरआई के कार्यकरण को सुदृढ़ करने की स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ताकि वे अनुसंधान और प्रलेखन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय परंपरा इत्यादि के संवर्धन की मुख्य जिम्मेवारी को पूरा कर सकें।

2.18 "न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादों के विपणन के लिए तंत्र व लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" स्कीम वर्ष 2013–14 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, ताकि अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोगों और अन्य परम्परागत वन निवासियों, जिनकी आजीविका लघु वन उत्पादों के संग्रहण व बिक्री पर निर्भर करती है, उनके लिए बहु अपेक्षित सुरक्षा नेट और सहायता दी जा सके।

प्रारम्भ में, यह स्कीम संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों के राज्यों में कार्यान्वित की गई थी तथा इसमें दस एमएफपी मदों को शामिल किया गया था। अक्टूबर, 2016 में इस स्कीम के दिशा–निर्देशों को विभिन्न हितधारकों तथा ट्राइफेड के साथ परामर्श के पश्चात् संशोधित किया गया था एवं स्कीम के प्रारम्भ से ही एक भाग के रूप में उभरी 10 एमएफपी वस्तुओं की एमएसपी के संशोधन के दौरान, एमएफपी की 14 और वस्तुओं को शामिल किया गया था। तत्पश्चात एमएफपी सूची में और मदें शामिल की गयीं और मंत्रालय द्वारा एमएफपी मदों की एमएसपी में संशोधन किया गया। अतः अब इस स्कीम में 50 एमएफपी मदों का प्रबंधन किया जाता है।

2.19 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) एक बहु–राज्यीय सहकारी समिति है, जिसकी स्थापना बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी। यह देश में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करती है। क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के

कारीगरों तथा लघु वन उत्पाद (एमएफपी) एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

2.20 'जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा' नामक स्कीम के द्वारा समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक परंपरा, सूचना का प्रचार और जागरूकता सृजन पर ध्यान दिया जाता है जिसमें जनजातीय शिल्प व आहार उत्सव, खेल–कूद, संगीत, नृत्य और फोटो प्रतियोगिताएं, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शन, कार्यशालाएं, सेमिनार, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्त–चित्रों की प्रस्तुति, प्रकाशनों को प्रदर्शित करना, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण अध्ययनों पर विशेष बल दिया जाता है व जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं व नियमित अंतरालों पर अन्य विज्ञापनों के अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय व राज्य विभागों की उपलब्धियों का प्रलेख शामिल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययनों के अंतराल को भरने के लिए विख्यात एनजीओ, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों जहां विशेषज्ञता पायी जाती है व जिन्होंने पहले ही उत्कृष्ट केंद्र (सीओई) के रूप में जनजातीय संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करके अपनी छाप छोड़ी है, को मान्यता देता है। ऐसी परिकल्पना है कि सीओई को समर्पित संस्थानों को, पूरक के रूप में ज्ञान बैंक को निर्मित अर्थात सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों को बनाने के लिए राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए।

2.21 जनजातीय उप–योजना/अनुसूचित जनजाति संघटक की मॉनीटरिंग : जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीति आयोग द्वारा बनाए गए ढांचे और मैकेनिजम के आधार पर जनजातीय उप–योजना निधियों को मॉनीटर करने का अधिदेश दिया गया है। तदनुसार, वेब–पता http://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। ढांचे में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न स्कीमों के तहत जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) निधियों के आबंटन की तुलना में व्यय की मॉनीटरिंग का उल्लेख है।

2.22 मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य जनजातीय समुदायों को अनुसूचित/गैर–अनुसूचित करना है। संविधान, राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा व विकास की विशेष जिम्मेदारी सौंपता है। अनुसूचित जनजातियां संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों को अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों को उन वर्तमान प्रविधियों के अनुसार प्रसंस्कृत किया गया है, जिनकी अनुमति 15.06.1999 को दी गई थी एवं जिनको दिनांक 25.06.2002 को पुनः संशोधित किया गया था।

अध्याय 3

कार्यकलापों की विशेषताएं

योजना/स्कीम परिव्यय तथा इसके उपयोग

3.1 वर्ष 2019–20 के लिए (योजनाओं तथा गैर –योजनाओं के तहत) जनजातीय कार्य मंत्रालय का कुल बजटीय आवंटन 6894.96 करोड़ रूपये है। तथापि, वर्ष 2019–20 के दौरान (31.12.2019 तक) मंत्रालय द्वारा कुल 5556.73 करोड़ रूपये निर्मुक्त किए गए थे जो बजट अनुमान का 81.14% है।

3.2 वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान स्कीम–वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय **अनलुग्नक–3क** के अनुसार हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान बजट अनुमान तथा व्यय (31.12.2019 तक) के स्कीम–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–3ख** में दिए गए हैं।

परियोजना मूल्यांकन समिति

3.3 जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत जनजातीय आबादी वाले राज्यों में विकास और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं। ये निधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार–सह–आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को भरने के लिए, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के कार्यकारी समिति की संस्तुति और मंत्रालय द्वारा गठित परियोजना मूल्यांकन समिति के विधिवत अनुमोदन के पश्चात, राज्यों को प्रदान की जाती हैं। टीएसएस को एससीए के तहत शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय द्वारा टीएसएस को एससीए स्कीम के दिशानिर्देशों में 17.09.2019 में पुनः संशोधन किया गया है।

3.4 वर्ष 2019–20 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' की स्कीम के तहत राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 27 राज्यों के साथ परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकें आयोजित की गई थीं तथा उपर्युक्त स्कीम के तहत अतिरिक्त प्रस्तावों पर विभिन्न राज्यों के साथ बैठकें आयोजित की गईं थी।

3.5 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान अनुमोदित कुछ कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (आवर्ती तथा अनावर्ती लागत)।
- प्राथमिक / अपर प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उन्नयन / अतिरिक्त अवसंरचना।
- अजजा बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।
- सीएचसी/पीएचसी के लिए अस्पताल भवनों का निर्माण / वृद्धि / सुदृढ़ीकरण।
- न्यूनतम तीन वर्ष की जीवन अवधि के साथ स्वास्थ्य उपस्कर का प्रावधान।
- कौशल विकास।
- जनजातीय घरेलू आय को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक तथा परंपरागत फसलों को अपनाना तथा इसका विस्तार।
- कृषि पहलें / जैविक खेती का संवर्धन।
- पोलीहाउस, ग्रीनहाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों की नर्सरी स्थापित करना।
- मुर्गी पालन / डेयरी / सुअर पालन / मछली पालन / भेड़ / बकरी पालन आदि को आय सृजनकारी गतिविधि के रूप में बढ़ावा।

- भवन अवसंरचना तथा उपकरण सहित पशु पालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं।
- महिला लाभार्थियों के लिए प्रमुख स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित कार्यकलापों/परियोजनाओं पर ध्यान देना।
- जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का प्रावधान।
- साफ पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए निधियां प्रदान करते हुए स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा।

3.6 स्कीमों / कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति के आकलन हेतु सितम्बर 2019 में सभी राज्य सरकारों के साथ मध्यावधि समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं थीं। परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा स्वीकृत कार्य / गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए दिसम्बर, 2019 में राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं।

3.7 राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय ईएमआरएस सांस्कृतिक पर्व 28 से 30 नवम्बर, 2019 तक राजस्थान, सरकार के सहयोग से उदयपुर में आयोजित किया गया था। इस समारोह में समस्त देश के विभिन्न ईएमआरएस से 422 विद्यार्थियों ने नृत्य और गायन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की।

उदयपुर, राजस्थान में 28 से 30 नवम्बर, 2019 तक आयोजित
द्वितीय राष्ट्रीय ईएमआरएस सांस्कृतिक समारोह के दौरान झारखण्ड के विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक नृत्य

आंध्र प्रदेश से आए विद्यार्थी द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन

सिक्कम से आए विद्यार्थी द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन

3.8 राष्ट्रीय स्तर की द्वितीय ईएमआरएस खेल कूद प्रतियोगिता, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल, मध्य प्रदेश में 09 से 13 दिसम्बर, 2019 तक आयोजित की गई। इस समारोह में 20 राज्यों से ईएमआरएस के 4500 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न ईएमआरएस खेल कूद प्रतियोगिताः 2019–20 के विजेता प्रतियोगी।

राष्ट्रीय स्तर के ईएमआरएस खेल समारोह, 2019–20 में कबड्डी मैच की एक झलक

3.9 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी):

- सभी शामिल स्कीमों के संदर्भ में मासिक रिपोर्ट को डीबीटी भारत पोर्टल पर अद्यतन किया जा रहा है।
- इन स्कीमों के लाभार्थी–वार आंकड़े एकत्रित करने तथा मंत्रालय स्तर पर एमआईएस बनाने के लिए इस मंत्रालय के स्थानीय एनआईसी सर्वर पर डीबीटी ऐप इंस्टाल किया गया है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

3.10 आवेदन, जांच, अंतिम चयन तथा पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति सीधे वितरित करने के लिए एकल विंडो प्रदान करने हेतु अजजा के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की स्कीम के तहत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्राप्त किये गये हैं।

विदेश में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति :–

3.11 वर्ष 2017–18 से आगे अभ्यर्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु पोर्टल को विकसित किया गया तथा इस मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे पूर्ण रूप से कार्यशील किया गया। सत्यापन प्रक्रिया में सुधार के लिए दस्तावेज (सरकार द्वारा जारी/स्वतः अपलोड किए गए) मंगवाने के लिए डिजी–लॉकर का प्रयोग किया जाता है।

3.12 अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

- पोर्टल को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया तथा इसे इस मंत्रालय की वेबसाइट पर संचालित किया गया।
- लाभार्थियों को यथासमय भुगतान करने के लिए केनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया।
- प्रावधिक रूप से चयनित अध्येतावृत्ति के विद्यार्थियों के ब्यौरों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय सत्यापन मॉडयूल तैयार किया गया है।
- सभी हितधारकों के लिए शिकायत मॉडयूल तैयार किया गया।
- सत्यापन प्रक्रिया में सुधार के लिए दस्तावेज मंगवाने के लिए (सरकार द्वारा जारी/स्वतः अपलोड किए गए) डिजी–लॉकर का प्रयोग किया जाता है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

3.13 जनजातीय कार्य मंत्रालय मुख्यतः स्वास्थ्य और शिक्षा के अभावग्रस्त सेवा क्षेत्रों, एलडब्ल्यूएस क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में 300 परियोजनाओं के लिए 200 गैर–सरकारी संगठनों को वित्त प्रदान कर रहा है। इन गैर–सरकारी संगठनों को निधि निर्मुक्त करने में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए, आवेदन आमंत्रित करने, सत्यापन और निधि निर्मुक्त करने की प्रक्रिया केवल एनजीओ के लिए समर्पित एक पोर्टल (https://ngograntsmota.gov.in) के माध्यम से की जाती है। इस पोर्टल पर एनजीओ अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इस पोर्टल पर पूछताछ, दस्तावेज और 'संचार–मॉड्यूल' के माध्यम से शिकायत अपलोड की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनजीओ निधियों का उपयोग केवल निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए करते हैं, निधियों की 'ईएटी मॉड्यूल' के माध्यम से निगरानी की जाती है। अनेक क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गयी हैं।

इस स्कीम के तहत वर्ष 2019–20 के दौरान 18 राज्यों में 82 आवासीय विद्यालयों में 31,580 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला, 13 राज्यों में 37 गैर–आवासीय विद्यालय से 5,194 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला और 14 राज्यों में 48 सचल–औषधालयों को निधि–पोषित किया गया था जिससे 5,16,510 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिला। 07 राज्यों में 18 अस्पतालों को निधि–पोषित किया गया है जिससे 2,11,430 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिला।

3.14 इसके अतिरिक्त, कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के तहत 7 राज्यों में 4,596 अनुसूचित जनजाति (अजजा) की बालिका लाभार्थियों को कवर करने वाले 28 शैक्षिक परिसरों के लिए 3.49 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम

3.15 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम कार्यकलापों जैसे आवासन, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु पालन, संपर्क सड़कों का निर्माण, बिजली के लिए उर्जा के गैर– पारंपरिक स्रोतों की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य नवीन कार्यकलाप के लिए 18 राज्यों / अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के बीच 75 चिन्हित पीवीटीजी को कवर करती है। वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए 12 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड को निधियां निर्मुक्त की गई हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने दिनांक 17.09.2019 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है।

मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के चुने हुए प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण संबंधी कार्रवाई भी आरंभ कर दी है। इस संबंध में एक कार्यशाला दिल्ली में 23.12.2019 को आयोजित की गई। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्षमता निर्माण के लिए मॉड्यूल तैयार करने के लिए 10.01.2020 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हितधारकों के साथ एक परामर्शी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

3.16 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों का प्रोन्नयन करने के लिए अभिप्रेरक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष, 2019–20 के दौरान निगम ने 54,217 लाभार्थियों के लिए 184.88 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। दिनांक 31.12.2019 तक निगम

ने विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 125.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

3.17 दिनांक 30.09.2019 तक एफआरए के तहत कुल 42,40,134 दावे दर्ज किए गए, जिसमें से 87.81% दावों का निपटान किया जा चुका है तथा 19,69,461 अधिकार–पत्र जारी किए जा चुके हैं। ओडिशा राज्य को सबसे ज्यादा 4,36,776 अधिकार–पत्र जारी करने का गौरव प्राप्त है, जिसमें 4,30,212 व्यक्तिगत तथा 6564 सामुदायिक अधिकार–पत्र हैं।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता

3.18 सरकार ने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की कार्यपरकता के जीर्णोद्धार और उन्हें ज्ञान और अनुसंधान के निकाय के तौर पर विकसित करने और जनजातीय विकास के लिए ज्ञान–कोष तथा जनजातीय लोगों की वास्तुकला और संस्कृति के संरक्षण का निर्णय लिया है। 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' स्कीम के लिए वर्ष 2016–17 के 21.00 करोड़ रू के वार्षिक परिव्यय को बढ़ाकर वर्ष 2017–18 में 80.00 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2019–20 में 100.00 करोड़ रूपये कर दिया गया है। वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम में जहां जनजातीय अनुसंधान केन्द्र नहीं हैं, नये जनजातीय अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए निधियां जारी की गई हैं। वर्तमान में 24 राज्यों और अंडमान एवं निकोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर के संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान केन्द्र विद्यमान हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसंधान अध्ययन मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन, जनजातीय महोत्सवों का आयोजन मूलभूत सर्वेक्षण, प्रकाशन, वृत्त–चित्र/अभिलेख पारस्परिक आदान प्रदान दौरों आदि विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का जीर्णोद्धारः जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यपरक वास्तविक निष्पादनों के जीर्णोद्धार के लिए अनिवार्यता और कार्रवाई स्वरूप जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए आईआईपीए को एक परियोजना का कार्य सौंपा गया है।

नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की अवधारणाः यह मंत्रालय प्रत्येक टीआरआई को, एक विशिष्ठ विषय/मुद्दे पर सूचना का एक बहुत बड़े भंडार के रूप में नोडल टीआरआई बनाने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में वर्ष 2019–20 में, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, उत्तराखंड को विभिन्न उत्कृष्टता केन्द्रों और टीआरआई के द्वारा जनजातीय औषधियों के लिए आयोजित अनुसंधान कार्यों के समन्वयन के लिए नोडल टीआरआई बनाया गया है।

जनजातीय कोष (रिपॉजिटरी): समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और दूसरों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, **http://tribal.nic.in/repository** के वेब पते के साथ एक डिजिटल रिपॉजिटरी विकसित की गई है जिसमें उनके विकास, मूल उत्पत्ति, जीवन शैली, पाक–कला, वास्तु कला, शिक्षा स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्य और अन्य मानवशास्त्रीय दस्तावेजों से संबंधित उनके विकास के बारे में विवरण संग्रहीत हैं। वर्तमान में इस संग्रहालय (रिपॉजिटरी) में 10,000 चित्र, वीडियो और प्रकाशन संग्रहीत हैं जिन्हें ज्यादातर टीआरआई द्वारा संग्रहीत किया गया है।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयः जनजातीय लोगों की वीरता और देशभक्ति के कामों को मान्यता देने के लिए, सरकार ने उन राज्यों में एक अत्याधुनिक जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है जहाँ जनजाति के लोग रहते थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था और झुकने से इनकार कर दिया था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि बलिदान देने में हमारे जनजातीय लोग कितने आगे थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2019–20 के दौरान मणिपुर और मिज़ोरम सहित निम्नलिखित राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालयों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय के लिए स्थान	जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रतिबद्धता	निर्मुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	लाम्बासिंगी	15.00	7.50
2	छत्तीसगढ़	रायपुर	15.00	4.65
3	गुजरात	राजपिपला	50.00	50.00
4	झारखंड	रांची	25.00	25.00
5	केरल	कोझिकोड	15.00	7.50
6	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	15.00	6.93
7	मिज़ोरम	केलसिह	15.00	1.00
8	तेलंगाना	हैदराबाद	15.00	1.00
9	मणिपुर	सेनापति	15.00	1.00
कुल			**180.00**	**104.58**

राष्ट्रीय स्तर के जनजातीय अनुसंधान संस्थानः देश भर के सभी जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के कामकाज में तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और जनजातियों से संबद्ध मुद्दों के लिए टीआरआई को एक विशेषज्ञ समूह तथा ज्ञान भंडार के रूप में विकसित करने के सरकार के संकल्प को साकार करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में अलग–अलग अत्याधुनिक भवन अवसंरचना के साथ एक स्वायत्त इकाई के रूप में एक भारत अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

जनजातीय उत्सव, अनुसंधान–सूचना और जन शिक्षा

3.19 उत्कृष्टता केन्द्रः वर्ष 2019–20 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता केन्द्र के तौर पर मान्यता प्रदान की हैः–

1. विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभियान, लद्दाख (एसईसीएमओएल),
2. पतंजलि अनुसंधान संस्थान
3. हिमोत्थान सोसाइटी, उत्तराखंड,
4. एआईआईएमएस–जोधपुर,
5. परवारा चिकित्सा विज्ञान संस्थान
6. अखित भारतीय लोक और जनजातीय कला परिषद, बंगलौर,
7. बी ए आई एफ विकास अनुसंधान संस्थान, पुणे
8. भारतीय ग्रामीण आजीविका संस्थान (बीआरएलएफ)

3.20 जनजातियों के राष्ट्रीय उत्सवः मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष पूरे देश में जनजातियों के लोक नृत्यों, गीतों, खान–पान, चित्रकला और कारीगरी में पारंपरिक कौशल के प्रदर्शन और चिकित्सा पद्यतियों आदि के विभिन्न विशिष्ट रूपों के माध्यम से समृद्ध विरासत की झलक दर्शाने के लिए राष्ट्रीय उत्सव और कार्निवल आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2015 से अबतक किए गए आयोजनों का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	विषय	अवधि	स्थान
2015	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव – वनज	13 – 18 फरवरी, 2015	इंदिरा गांधी आर्ट एंड कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली
2016	राष्ट्रीय जनजाति कार्निवल – 2016	25 – 28 अक्तूबर, 2016	इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम और प्रगति मैदान, नई दिल्ली
2017	राष्ट्रीय जनजाति कार्निवल (आदि महोत्सव)	16 –30 नवम्बर, 2017	दिल्ली हॉट, आईएनए, सेंट्रल पार्क, आदि नई दिल्ली
2018	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव (आदि महोत्सव)	16 – 30 नवम्बर, 2018	दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली
2019	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव (आदि महोत्सव)	16 –30 नवम्बर, 2019	दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के सहयोग से 16 से 30 नवम्बर, 2019 तक दिल्ली हॉट, नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया। 15 दिन तक के इस महोत्सव में जनजातीय कला, दस्तकारी, जनजातीय चिकित्सा/औषधियों, जनजातीय शिल्प, पाक–कला और सांयकाल जनजातीय लोक–कलाओं का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न राज्यों के 500 से अधिक कारीगरों और कलाकारों ने इस उत्सव में सहभागिता की और 25.11. 2019 तक रू. 3.00 करोड़ से अधिक राशि के समतुल्य सीधे–सीधे बिक्री की। मंत्रालय के सहयोग से ट्राइफेड, इसी प्रकार के अन्य समारोह देश के अन्य स्थानों पर भी करता रहता है। वर्तमान वर्ष में ट्राइफेड को देश में 21 स्थानों पर राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आयोजित करने के लिए निधियां जारी की गई हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा ऐसा प्रथम उत्सव, वर्ष 2017–18 के दौरान नवम्बर, 2017 में आयोजित किया गया था। सभी ओर से प्रोत्साहन भरी प्रतिक्रिया मिलने के पश्चात वर्ष 2017–18 में 5 (पांच) और वर्ष 2018–19 के दौरान देश के 11 अन्य स्थानों पर आदि महोत्सवों का आयोजन किया गया। वर्ष 2018 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित उत्सवों में 15 दिन चले आयोजन में रू. 16.00 करोड़ का कारोबार सम्पन्न हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में 400% अधिक था। इस में कारीगरों द्वारा रू. 3.05 करोड़ का सीधा विक्रय और रू. 12.75 करोड़ के क्रय आदेश शामिल हैं जो आगामी 12 माह के लिए ट्राइफेड सहित उनके संगठनों द्वारा दिए गए जिसमें से 2 करोड़ रूपये का सामान आखिरी दिन बिका था।

3.21 जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 41 मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न स्कीमों के तहत निर्धारित अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी) निधियों को मॉनीटर करने वाला नोडल मंत्रालय है। इन मंत्रालयों के द्वारा टीएसपी निधियों के निर्धारण और उपयोग को मॉनीटर करने के लिए, पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली (stcmis.gov.in) तैयार की गई है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ सचिव, (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में जून, नवम्बर और दिसम्बर 2019 के महीनों में बैठकें आयोजित की गईं थीं ताकि अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधियों की समीक्षा की जा सके। एसटीसी निधि की कुल राशि रू. 51,283.53 करोड़ में से 31.12.2019 तक 32,129.69 करोड़ रूपये (अर्थात 62.65%) व्यय हुए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न स्कीमों के तहत अनुसूचित जनाजति घटक (एसटीसी) निधियों के कार्यान्वयन के अध्ययन के लिए प्राइस वॉटरहाऊस कूपर (पीडब्ल्यूसी) को मूल्यांकन और अनुसंधान परियोजना का कार्य सौंपा है।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, का राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव में स्वागत करते हुए।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

3.22 ट्राइफेड पूरे देश में अपनी खुदरा दुकानों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के विपणन का कार्य करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ट्राइफेड ने 31.12.2019 तक 30.28 करोड़ रूपये (अनन्तिम) का व्यापार किया है।

3.23 विपणन विकास गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

- ट्राइफेड ने 71 स्वयं की 'ट्राइब्स इंडिया' दुकानों तथा 33 परेषण आधारित दुकानों और 15 फ्रैंचाइजी दुकानों की श्रृंखला स्थापित की है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा ट्राइफेड ने ऊटी, शिमला, लद्दाख, विशाखापत्तनम, नोएडा, पुणे, इंदौर, भुवनेश्वर, दिल्ली, पुद्दुचेरी और जयपुर में "आदि महोत्सव" के नाम से 14 राष्ट्रीय जनजातीय उत्सवों का आयोजन भी किया।
- ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा इसकी बिक्री के लिए हमारे देश के विभिन्न स्थानों में लगभग 500 प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।
- 33.23 करोड़ रूपये के जनजातीय उत्पादों की खरीद की गई है।
- ट्राइफेड ने 1205 जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादनकर्ताओं को पैनल में शामिल किया है, जिसमें विभिन्न हस्तशिल्पों तथा हथकरघा उत्पादों की आपूर्ति के लिए जनजातीय कलाकारों के साथ कार्यरत व्यक्तिगत जनजातीय कारीगर, जनजातीय एसएचजी, संगठन/एजेंसियां/एनजीओ शामिल हैं।

राज्य स्तरीय पक्षपोषण कार्यशाला

3.24 राज्यों के नोडल विभाग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों को एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम के संबंध में अवगत कराने तथा उन्हें स्कीम के तहत भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय पक्षपोषण कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि स्कीम को लाभार्थियों की बड़ी संख्या को कवर करने के लिए विस्तृत किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ट्राइफेड द्वारा "लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की योजना को अगले स्तर पर ले जाने" के विषय पर राज्य स्तरीय पक्षपोषण कार्याशालाएं आयोजित की गई थीं।

3.25 वर्ष के दौरान 19 राज्य सरकारों ने स्कीम के तहत भाग लेने के लिए ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके साथ स्कीम के तहत भाग लेने वाले राज्यों की संख्या 7 से बढ़कर 26 हो गई है।

अध्याय 4

अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा

जनसंख्या

4.1 जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की जनसंख्या 5.25 करोड़ तथा अजजा महिलाओं की जनसंख्या 5.20 करोड़ है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो **ग्राफ 4.1** में दर्शाई गई है स्पष्ट करती है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या की वृद्धि दर (25%) अनुसूचित जनजाति पुरूष जनसंख्या की वृद्धि दर (23%) से उच्चतर है।

ग्राफ 4.1 अनुसूचित जन–जातियों की जनसंख्या में दशाब्दीय वृद्धि: 2001–2011

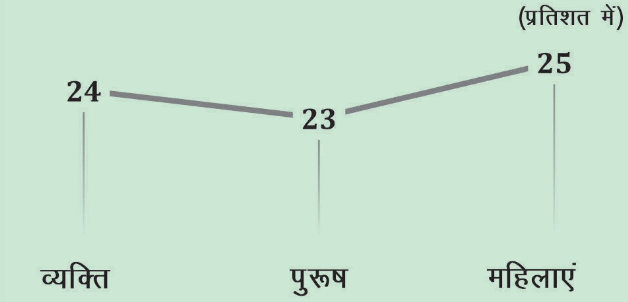

लिंग और आवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का विवरण **अनुलग्नक–4क** में दिया गया है। भारत में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में संपूर्ण जनसंख्या की तुलना में राज्य/राज्यक्षेत्र–वार प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या राज्य में कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता और कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या से राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता का विवरण **अनुलग्नक–4ख** में दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में राज्यों/राज्यक्षेत्रों का क्रम **तालिका–4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: अनुसूचित जनजातियों के अनुपात द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का क्रम: जनगणना 2011

शीर्ष 5 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र		नीचे के 5 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	
लक्षद्वीप	94.8%	उत्तर प्रदेश	0.6%
मिजोरम	94.4%	तमिलनाडु	1.1%
नागालैण्ड	86.5%	बिहार	1.3%
मेघालय	86.1%	केरल	1.5%
लद्दाख	79.5%	उत्तराखंड	2.9%

लिंग अनुपात

4.2 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लिंग अनुपात 990 है जो 943 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात भी वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 हो गया है। गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि ने अनुसूचित जनजाति का उच्च लिंग अनुपात दर्शाया है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2011 में 924 महिलाओं पर अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात निम्नतम दर्शाया है। वर्ष 2001 और 2011 में आवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात **अनुलग्नक–4ग** में दिया गया है।

बाल लिंग अनुपात

4.3 0–6 वर्ष आयु समूह के संबंध में बाल लिंग अनुपात 2001 में 972 से 2011 में 957 तक कम हुआ है। तथापि, अनुसूचित जनजाति का बाल लिंग अनुपात सामान्य जनसंख्या के बाल लिंग अनुपात जो 1000 लड़कों के प्रति 914 लड़कियां हैं, की तुलना में अधिक है।

साक्षरता दर

4.4 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 47.1% से 2011 में 59% तक सुधार हुआ है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.2% से 68.5% तक बढ़ी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34.8% से 49.4% तक बढ़ी है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में 73% तक की बढ़ोतरी हुई है। अखिल भारतीय साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 14 प्रतिशत का अंतर है। वर्ष 1991, 2001 तथा 2011 के लिए व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं के संबंध में साक्षरता दरों में अंतर जैसा **ग्राफ–4.2** में दर्शाया गया है, प्रगति सूचक गिरावट दर्शाता है। वर्ष 1961 के बाद की जनगणना के आधार पर साक्षरता दरें निम्नलिखित **तालिका 4.2** में दी गई हैं।

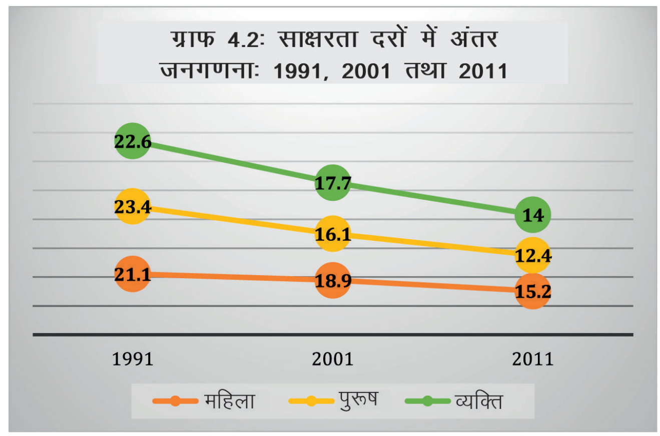

तालिका 4.2: अनुसूचित जनजाति और सभी की साक्षरता दरें

वर्ष	सभी			अनुसूचित जनजातियां		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1961	28.30	40.40	15.35	8.53	13.83	3.16
1971	34.45	45.96	21.97	11.30	17.63	4.85
1981	43.57	56.38	29.76	16.35	24.52	8.04
1991	52.21	64.13	39.29	29.60	40.65	18.19
2001	64.84	75.26	53.67	47.10	59.17	34.76
2011	73.00	80.90	64.60	59.00	68.50	49.40

स्रोत : जनगणना, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

4.5 वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशतता बिन्दुओं से अधिक अंतर दर्शाया है। तथापि, सभी राज्यों ने वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में गिरावट दर्ज की है। संपूर्ण जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर और अंतरों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक– 4घ** में दिए गए हैं।

4.6 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा "सामाजिक उपभोग: शिक्षा" पर कराए गए 71वें सर्वेक्षण (जनवरी–जून, 2014) के आधार पर अनुसूचित जनजातियों हेतु साक्षरता दर 67% है तथा सभी श्रेणियों के लिए अनुरूपी आंकडा 76% है।

इसके अलावा, 'सामाजिक उपभोग : शिक्षा' पर एनएसएस के 75वें सर्वेक्षण (जुलाई, 2017 से जून 2018) में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 71.4 प्रतिशत है और तत्संबंधी सभी वर्गों का आंकड़ा 77.7 प्रतिशत है।

4.7 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा उससे ऊपर 15 वर्षों तथा उससे अधिक आयु के शिक्षा स्तर के अखिल भारतीय तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक– 4ङ.** में दिए गए हैं। भारत के लिए वर्गीकृत, लिंग–वार अलग–अलग श्रेणियों (सभी आयु वर्ग 10–14 वर्ष, 15–19 वर्ष, 20–24 वर्ष के बीच आयु) किशोर (10–19 वर्ष) तथा युवा (15–24 वर्ष) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर जो वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है, निम्नलिखित **तालिका 4.3** में दी गई है:

तालिका 4.3: साक्षरता दर–जनगणना 2011

सभी श्रेणियां (आयु समूह)	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10–14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15–19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20–24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर (10–19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15–24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

युवा साक्षरता दर

4.8 जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011 के अनुसार सभी तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए अखिल भारत स्तर पर युवा साक्षरता दर **ग्राफ 4.3** में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं में साक्षरता दर वर्ष 2001 में 59.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 75 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति की युवा पुरुष साक्षरता दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला युवा साक्षरता दर ने महत्वपूर्ण 20 प्रतिशतता बिन्दुओं का उछाल दर्शाया है। तथापि, सारी जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की युवा साक्षरता दर के बीच अभी भी अंतर विद्यमान है।

ग्राफ 4.3: युवा साक्षरता दर (15–24 वर्ष) – अखिल भारत जनगणना 2001 तथा 2011

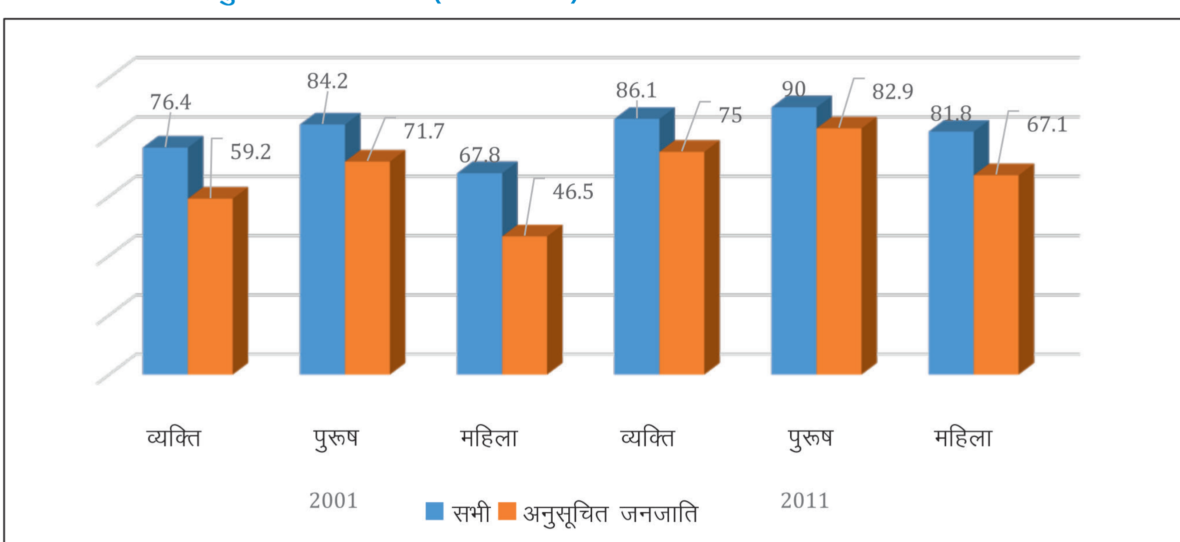

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

4.9 वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के लिए प्राथमिक, अपर प्राथमिक तथा प्रारंभिक स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के ब्यौरे **तालिका 4.4** में दिए गए हैं। माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात **तालिका 4.5** में दिया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में प्राथमिक (I-V), प्रारम्भिक (I-VIII), माध्यमिक (IX-X) तथा वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) स्तरों पर जीईआर में कमी आई है। अजजा बालिकाओं के लिए जीईआर अपर प्राथमिक (VI-VIII) स्तर पर वर्ष 2014–15 में 93.2% से 2016–17 में 97% तक, माध्यमिक (IX-X) स्तर पर 2014–15 में 71.7% से 2016–17 में 74.4% तक और वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) स्तर पर वर्ष 2014–15 में 37.6% से 2016–17 में 42.6% तक बढ़ा है। तथापि, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर नामांकन अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ा है। उच्चतर शिक्षा के संबंध में अजजा जीईआर में भी सुधार हुआ है।

तालिका 4.4: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

स्तर/वर्ष	प्राथमिक (I-V) 6–10 वर्ष			उच्च प्राथमिक (VI-VIII) 11–13 वर्ष			प्रारंभिक (I-VIII) 6–13 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2014–15	110.3	107.7	109.0	92.0	93.2	92.6	103.8	102.6	103.2
2015–16	107.5	105.2	106.3	94.3	96.1	95.2	102.8	102.0	102.4
2016–17	102.6	100.6	101.6	94.6	97.0	95.7	99.8	99.4	99.6

तालिका 4.5: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सम्पूर्ण दाखिला अनुपात

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (IX-X) 14–15 वर्ष			वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) 16–17 वर्ष			उच्चतर शिक्षा 18–23 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2014–15	71.1	71.7	71.4	39.4	37.6	38.5	15.2	12.3	13.7
2015–16	73.0	74.4	73.7	43.4	42.2	42.8	15.6	12.9	14.2
2016–17	72.7	74.4	73.5	42.7	42.6	42.7	16.7	14.2	15.4
2017–18	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	17.0	14.9	15.9
2018–19	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	17.9	16.5	17.2

आंकड़ों के स्रोतः

विद्यालय शिक्षा के लिएः शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू–डीआईएसई), एनयूईपीए

उच्चतर शिक्षा के लिएः उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)

टिप्पणः विद्यालय शिक्षा संबंधी आंकडे अनंतिम हैं।

उप. नहींः उपलब्ध नहीं

प्राथमिक स्तर के लिए जीईआर की परिभाषाः आयु के असंगत प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड I-V) में कुल नामांकन जो दिए गए विद्यालय वर्ष में पात्र आधिकारिक प्राथमिक विद्यालय आयु (6–10 + वर्ष) की जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त की जाती है।

लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई)

4.10 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) ने माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा स्तर पर सुधार दर्शाया है। तथापि, यह माध्यमिक स्तर पर स्थिर है। आंकड़े नीचे **तालिका 4.6** में दिए गए हैं:

तालिका 4.6: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंगीय समानता सूचकांक (जीपीआई)

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (IX-X)	वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII)	उच्चतर शिक्षा
2015–16	1.02	0.97	0.83
2016–17	1.02	1.00	0.85
2017–18	उप.नहीं	उप.नहीं	0.87
2018–19	उप. नहीं	उप. नहीं	0.92

आंकड़ों के स्रोत:

विद्यालय शिक्षा के लिए: शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू–डीआईएसई), एनयूईपीए

उच्चतर शिक्षा के लिए: उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्टें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)

टिप्पण: विद्यालय शिक्षा संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं।

उप. नहीं: उपलब्ध नहीं

स्कूली शिक्षा में ड्रॉप–आउट दरें

4.11 अनुसूचित जनजाति के छात्रों से संबंधित स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले छात्रों की दर का विवरण **तालिका 4.7** में दिया गया है।

तालिका 4.7: अनुसूचित जनजाति के छात्रों से संबंधित स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले छात्रों की दर

वर्ष/कक्षा	प्राथमिक		उच्च–प्राथमिक		प्रारम्भिक		माध्यमिक		कक्षा XI से XII	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
2014–15	7.97	7.98	8.03	8.85	7.99	8.25	27.42	26.96	3.09	2.77
2015–16	7.02	6.84	8.48	8.71	7.48	7.44	24.94	24.40	–	–
2016–17	8.57	8.51	9.46	9.70	8.86	8.90	27.41	26.51	8.94	7.87

टिप्पण: ऋणात्मक दर सूचित नहीं की गई है

स्रोत : 2016–17 के आंकड़ों की झलक एकीकृत– शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (यू–डीआईएसई)

परीक्षा परिणाम

4.12 वर्ष 2016 के दौरान 65.0% तथा 68.2% अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने मुक्त (ओपन) बोर्ड सहित विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय परीक्षा बोर्डों के माध्यम से क्रमशः कक्षा X तथा XII उत्तीर्ण की है।

सभी श्रेणियां और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी क्रमशः **तालिका 4.8** तथा **तालिका 4.9** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.8: वर्ष 2011–2016 के दौरान माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की प्रतिशतता

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजातियां		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011 (अ)	73.3	76.7	74.8	62.4	61.7	62.1
2012 (अ)	74.4	78.0	76.0	61.5	61.2	61.4
2013 (अ)	75.8	80.1	77.8	64.2	64.8	64.5
2014 (अ)	77.6	81.0	79.2	65.1	63.8	64.5
2015 (अ)	77.5	80.6	78.9	65.0	63.2	64.1
2016 (अ)	77.7	79.8	78.7	65.2	64.9	65.0

तालिका 4.9: वर्ष 2011–2016 के दौरान उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजाति		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011(अ)	70.8	81.0	75.3	63.9	68.4	65.8
2012 (अ)	75.2	82.8	78.5	66.6	72.0	68.9
2013 (अ)	75.0	83.0	78.5	66.7	72.0	69.0
2014 (अ)	75.8	84.1	79.5	67.9	73.7	70.6
2015 (अ)	75.2	84.1	79.2	65.8	72.2	68.9
2016 (अ)	74.3	82.2	77.9	65.5	71.4	68.2

स्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अ– अनंतिम

स्वास्थ्य सूचकांक

4.13 वर्ष 2015–16 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–4 के अनुसार, सभी श्रेणियों के साथ–साथ अनुसूचित जनजातियों हेतु शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) तथा महिलाओं में खून की कमी की स्थिति **ग्राफ 4.4** में दर्शाई गई है।

ग्राफ 4.4: स्वस्थ्य सूचकांक : एनएफएचएस–4 (2015–16)

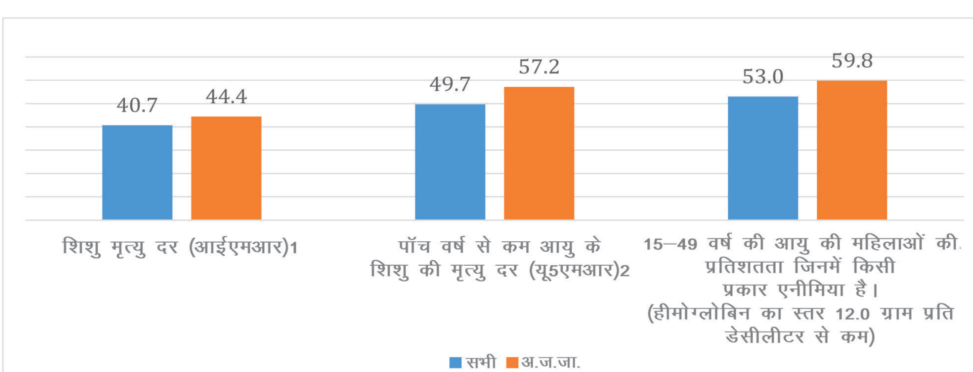

ग्राफ 4.5 दर्शाता है कि सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिशु मृत्यु दर तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और महिलाओं तथा बच्चों में एनीमिया में वर्ष 2005–06 (एनएफएचएस–3) से 2015–16 (एनएफएचएस–4) तक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है

ग्राफ 4.5: स्वास्थ्य संकेतकों की तुलना

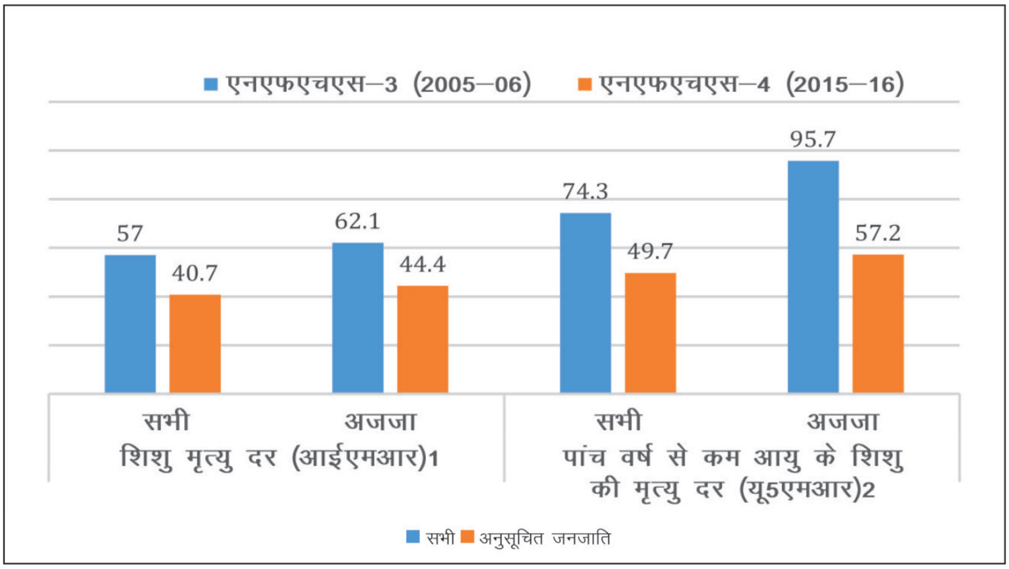

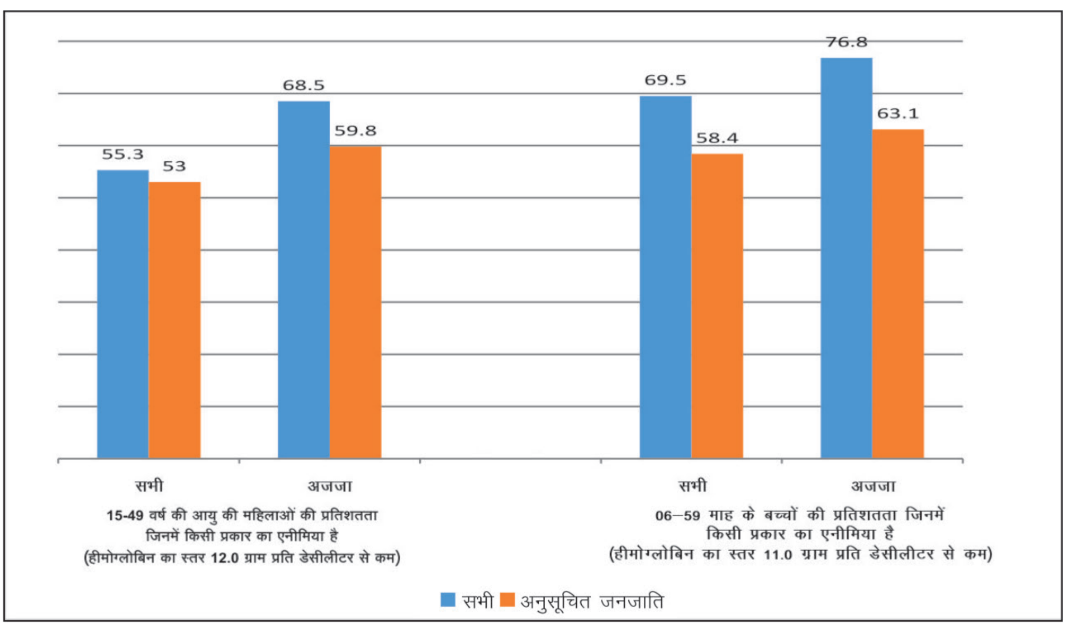

आंकडों के स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

1आईएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्म के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या है।

2 यू5एमआर इस आयु समूह में वर्ष के दौरान प्रति 1000 बच्चों पर, आयु 0–4 वर्ष के बीच बच्चों की मृत्यु की संख्या है।

5 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पोषण स्थिति

4.14 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित क्रमशः 2005–06 और 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–3 और 4 के आंकड़ों पर आधारित, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रतिशत पोषण की स्थितिः रूकी हुई वृद्धि (आयु के अनुसार कद), कमजोर (कद के अनुसार वजन) और कम वजन (आयु के लिए वजन) के अनुसार कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित **ग्राफ 4.6** में दिए गए हैं।

आंकड़ों से पता चलता हैं कि इन वर्षो में अनु.ज.जा. के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है तथापि अभी काफी अंतर है।

ग्राफ 4.6: पोषण स्थिति की प्रसार की तुलना

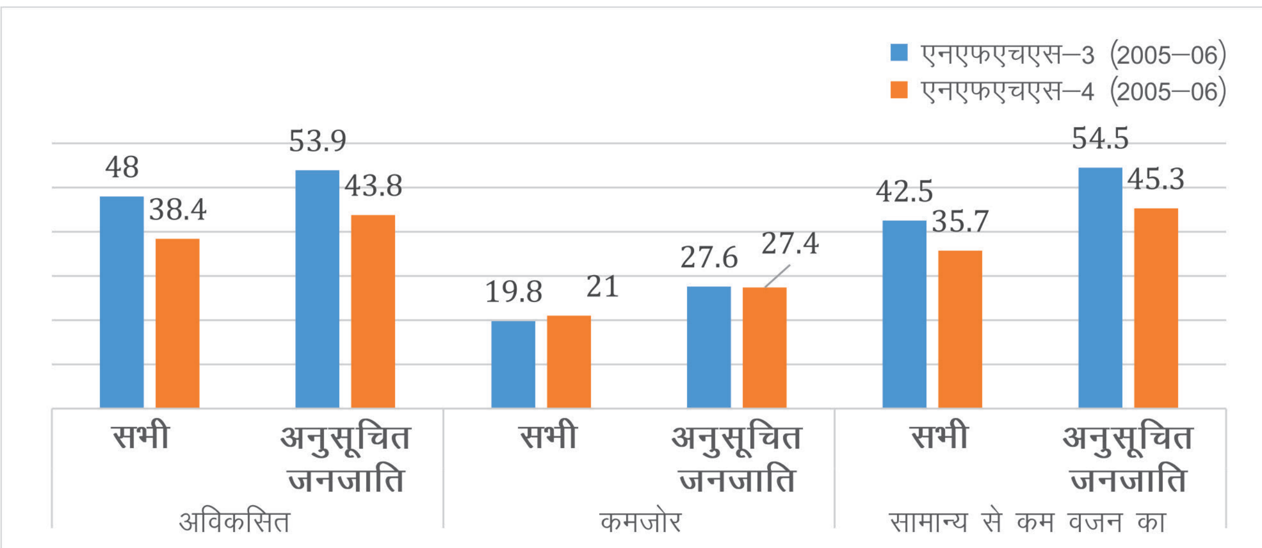

बच्चों का टीकाकरण कवरेज

4.15 12–23 माह के अनुसूचित जनजाति के बच्चे जिन्हें पूरा प्रतिरक्षण प्राप्त हुआ है तथा जिनका कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, की स्थिति **तालिका 4.10** में नीचे दी गई है। बच्चों का टीकाकरण तब पूरा हुआ माना जाता है जब उन्हें तपेदिक (बीसीजी), डिप्थीरिया की तीन, काली खांसी (परटूसिस) तथा टिटनेस (डीपीटी) के टीके, पोलियोमाइलिटिस (पोलियो) की तीन खुराक (जन्म के समय पोलियो के टीके को छोड़कर); और 12 माह की आयु तक खसरा की 1 खुराक दे दी जाती है।

तालिका 4.10: 12–23 माह आयु के अजजा तथा सभी श्रेणियों के बच्चों की प्रतिशतता जिनका सम्पूर्ण टीकाकरण हुआ है / कोई प्रतिरक्षण नहीं हुआ है

स्रोत	संपूर्ण प्रतिरक्षण		कोई टीकाकरण नहीं	
	सभी	अजजा	सभी	अजजा
एनएफएचएस–3 (2005–06)	43.5	31.3	5.1	11.5
एनएफएचएस–4 (2015–16)	62.0	55.8	6.0	9.2

स्रोतः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

संस्थागत प्रसूति

4.16 ग्राफ 4.7 में दिए गए आंकडे दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसूति की प्रतिशतता वर्ष 2005–06 में 17.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 68 प्रतिशत हो गई है। वहीं सभी श्रेणियों के लिए कुशल स्वास्थ्य कार्मिक द्वारा कराई गई प्रसूतियां वर्ष 2005–06 से 2015–16 की अवधि के दौरान 25.4 प्रतिशत से 71.5 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। दोनों मामलों में सभी महिलाओं की तुलना में, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए लगभग 10 प्रतिशत का अंतर है।

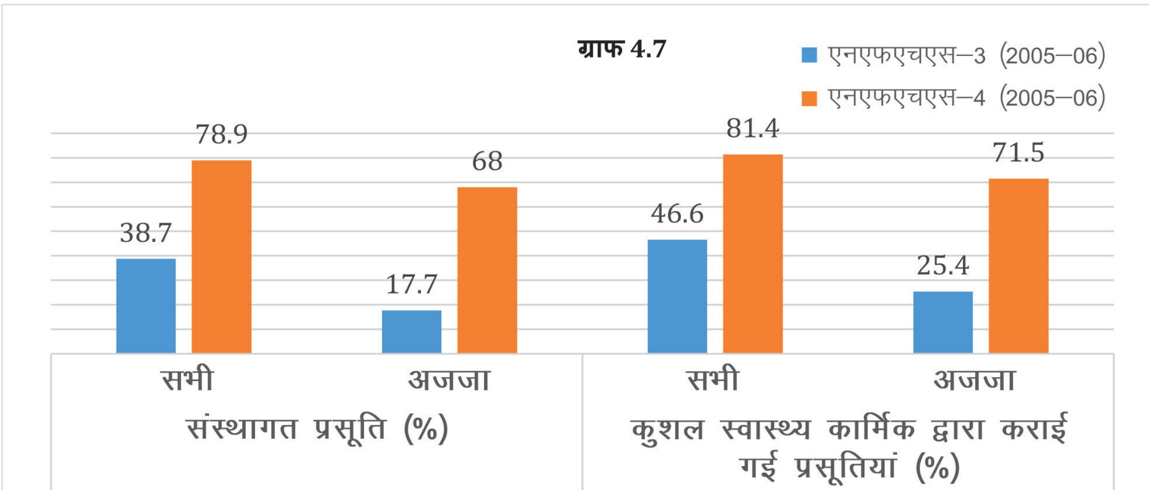

टिप्पण: कुशल स्वास्थ्य कार्मिकों में डॉक्टर, एनएनएम, नर्स, एलएचवी/दाई शामिल हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4.17 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित आंकडों के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक 28682 उपकेन्द्र (एससी), 4211 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) तथा 1022 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) कार्यरत हैं। वर्ष 2018 से 2019 तक विद्यमान उपकेन्द्रों की संख्या में 591 की वृद्धि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 240 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5 की वृद्धि हुई है। आवश्यकता की तुलना में 31 मार्च, 2019 तक जनजातीय क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर 7054 उपकेन्द्रों, 1204 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 326 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश (2067), राजस्थान (1653) और कर्नाटक (833) में उप–केंद्रों की संख्या में बहुत कमी आई है। मध्य प्रदेश में 463 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है, इसके पश्चात राजस्थान में 251 तथा झारखण्ड में 247 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मामले में मध्य प्रदेश सर्वाधिक (101) की कमी दर्शाता है, इसके पश्चात राजस्थान (54) तथा महाराष्ट्र (50) का स्थान है। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के लिए निर्धारित मानकों का उपयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की जाती है, जो निम्नलिखित **तालिका 4.11** में दी गई है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4च** में दिए गए हैं।

तालिका 4.11

केन्द्र	जनसंख्या मानक	
	समतल क्षेत्र	पहाड़ी / जनजातीय / मुश्किल क्षेत्र
उपकेन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

4.18 अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/ सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के स्वीकृत पदों के 10.33 प्रतिशत पद 31.03.2019 तक रिक्त हैं। गुजरात में उपकेन्द्रों में 666 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला)/एएनएम की कमी है। इसके पश्चात त्रिपुरा (295) तथा कर्नाटका (79) का स्थान आता है। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 230 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला)/एएनएम की कमी है। इसके पश्चात आन्ध्रप्रदेश (153) तथा तेलंगाना (93) का स्थान आता है। ब्यौरे **अनुलग्नक–4छ तथा 4ज** में दिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों की कमी की स्थिति छत्तीसगढ़ (219) में सबसे अधिक है इसके बाद ओडिशा (120) तथा मध्य प्रदेश (49) का स्थान है। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2019 तक जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत पदों का 18.8 प्रतिशत और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों का 27.2 प्रतिशत रिक्त है। महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 177 नर्सिंग कार्मिकों की कमी उच्चतम है, इसके बाद मध्यप्रदेश (173) तथा झारखण्ड (171) का स्थान है। उड़ीसा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 326 नर्सिंग कार्मिकों की कमी उच्चतम है, इसके बाद झारखण्ड (306) तथा महाराष्ट्र (163) का स्थान है। ब्यौरे **अनुलग्नक–4झ, 4ञ तथा 4ट** में दिए गए हैं।

गरीबी अनुमान

4.19 पूर्व के योजना आयोग ने उन वर्षों के गरीबी अनुपात के लिए तेंदुलकर पद्धति पर आधारित अनुमान उपलब्ध कराए हैं जिनके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद नमूना सर्वेक्षण दिए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में संपूर्ण जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 13.7 प्रतिशत लोगों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 45.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 24.1 प्रतिशत था। वर्ष 2009–10 और 2011–12 के लिए राज्य–वार ब्यौरे नीचे **तालिका 4.12** में दिए गए हैं :

तालिका 4.12: वर्ष 2009–10 तथा 2011–12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता (तेंदुलकर पद्धति)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009–10	2011–12	2009–10	2011–12
1	आंध्र प्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखंड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्य प्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तर प्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखंड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	अखिल भारत	**47.4**	**45.3**	**30.4**	**24.1**

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता और उनकी प्रकाश की व्यवस्था के स्रोत–अनुसूचित जनजाति एवं सभी सामाजिक समूहों की एक तुलनात्मक तस्वीर

4.20 जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण भारत की तस्वीर दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा सभी परिवारों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। इसके पश्चात मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। लक्षदीप में 99.7% परिवारों के लिए प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात दमन व दीव (96.6%), हिमाचल प्रदेश (94.5%), अंडमान और निकोबार द्वीप (94%) तथा गोवा (93.8%) का स्थान है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। सिक्किम का स्थान (91.5%) है, इसके पश्चात मिजोरम (84.3%) तथा नागालैंड (81.2%) का स्थान है। बिहार तथा ओडिशा एक विकृत तस्वीर दर्शाते हैं, जहां बिहार में कुल परिवारों के 16.4% की तुलना में अनुसूचित जनजाति के केवल 11.5% परिवार (न्यूनतम) तथा ओडिशा में कुल परिवार के 43% की तुलना में अनुसूचित जनजाति के 15.6% परिवार बिजली का उपयोग करते हैं। बिहार तथा ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के अधिकतम परिवार मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं (विस्तृत तालिका **अनुलग्नक–4ठ** में देखें)

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों में शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है– अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

4.21 जनगणना, 2011 के आंकडों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ही सभी परिवारों में से 46.9% के पास जिसमें से 22.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार हैं, जिनके परिसर में शौचालय की सुविधा है। पूरे परिवारों के 0.3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 0.1 प्रतिशत परिवार अभी भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग करते हैं। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 49.8 प्रतिशत खुले में शौच के लिए जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 74.7 प्रतिशत अभी भी खुले में शौच जाते हैं। राज्य स्तर पर लक्षद्वीप सबसे ऊपर है क्योंकि उसके (98.3%) परिवारों के पास परिसर में ही शौचालय की सुविधा है कुछ अन्य राज्य जिनमें अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं जिनके पास यह सुविधा है और इस क्रम में सबसे ऊपर मिजोरम (91.9%), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (88.2%), सिक्किम (85.9%), मणिपुर (78.4%), नागालैंड (74.8%) तथा केरल (71.4%) हैं। ओडिशा अनुसूचित जनजाति परिवारों के केवल 7.1% के साथ निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है जबकि सभी परिवार जिनके परिसर में शौचालय की व्यवस्था है वे 22% है। जम्मू और कश्मीर में सभी परिवारों के 8.9 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 5.2 प्रतिशत मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कई अन्य राज्य जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर और दादर व नगर हवेली में इस रीति का उपयोग किया जा रहा है। ब्यौरे **अनुलग्नक–4 ड** में दिए गए हैं।

जनगणना की स्थितियों के अनुसार अनुसूचित जनजातीय परिवारों का प्रतिशत जिनके पास घर हैं – अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

4.22 जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 53 प्रतिशत की तुलना में 40.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों को अच्छे घरों में रहते देखा गया है। अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अच्छे मकान हैं (87 प्रतिशत) उनकी अधिकतम संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखी गई है। इस श्रेणी में सबसे नीचे ओडिशा 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों के साथ है जिनके पास अच्छे मकान हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल 28 प्रतिशत बिहार और राजस्थान प्रत्येक 31 प्रतिशत और असम 32 प्रतिशत है। अखिल भारतीय स्तर पर समस्त परिवार जिनके परिसर के भीतर अलग से रसोई है उनके 61.3 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवार 53.7 प्रतिशत पर इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति परिवार जो अधिकतम संख्या में हैं वे अंडमान व निकोबार में (97.9 प्रतिशत) देखे गए हैं इसके बाद नागालैंड (96.8 प्रतिशत), लक्षद्वीप (96.6 प्रतिशत), सिक्किम (91.7 प्रतिशत), मेघालय (91.2 प्रतिशत) और गोवा (90.2 प्रतिशत) पर आता है। घर के भीतर रसोई रखने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में सात राज्य अखिल भारतीय प्रतिशत से नीचे हैं, निम्नतम प्रतिशत राजस्थान में है (22.1%) इसके बाद बिहार (34.4 प्रतिशत) झारखंड (34.5%),

मध्य प्रदेश (36.6 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (37.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (43.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (48.2 प्रतिशत) का स्थान आता है। राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4ढ** में दिए गए हैं।

अनुसूचित जनजाति के परिवार जो पेयजल के मुख्य स्रोतों के पास हैं, की प्रतिशतता

4.23 जनगणना 2011 के अनुसार, यह देखा गया है कि देश के सभी परिवारों में अधिकांश 47 प्रतिशत के पास उनके परिसर के भीतर पेयजल सुविधा है वहीं 20 प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजातीय परिवार इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। अनुसूचित जनजातीय परिवारों के एक तिहाई से अधिक लोगों को दूर स्थित स्रोतों से पेयजल भरके लाने में अपना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सभी परिवारों में केवल 18 प्रतिशत को ऐसा श्रम करना पड़ता है। राज्य–वार/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4ण** में दिए गए हैं। वर्ष 2001 और 2011 के दौरान पेयजल उपलब्धता के विभिन्न स्रोत दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है।

तालिका 4.13 : अ.ज.जा. परिवारों के लिए पेयजल के स्रोत

(संख्या % में)

जनगणना	पेयजल स्रोत का स्थान	शोधित स्रोत से टेप नल द्वारा जलापूर्ति	हैंडपम्प	ट्यूबवेल / बोरवेल	कुआं	तालाब / पोखर / झील	नदी / नहर	सोता	अन्य स्रोत
2001	कुल	20.0	35.8	5.9	28.4	1.4	3.2	3.9	1.5
	परिसर के अंदर	52.4	18.2	4.2	24.3	0.7	0.0	0.0	0.4
	परिसर के नजदीक	17.1	44.1	5.9	26.3	1.0	2.2	2.6	0.8
	दूर	8.5	28.7	6.7	34.9	2.5	6.9	8.5	3.4
2011	कुल	24.5	39.1	7.8	21.0	1.1	2.0	3.1	1.3
	परिसर के अंदर	54.1	20.9	8.8	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	परिसर के नजदीक	22.5	46.8	7.5	18.0	1.1	1.3	2.0	0.9
	दूर	9.8	39.1	7.7	28.2	1.9	4.2	6.5	2.6

स्रोतः जनगणना 2001 तथा 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

भूमि जोत

4.24 जनवरी से दिसम्बर 2013 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें चक्र में किए गए भूमि एवं पशुधन सर्वेक्षण के आधार पर एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571 से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में परिवारों द्वारा स्वामित्व का अनुमानित कुल क्षेत्र, प्रति स्वामित्व वाले 0.592 हेक्टेयर भूमि के आकार के औसत के साथ 92.369 मिलियन हेक्टेयर था। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा ग्रामीण भारत में स्वामित्व वाली भूमि का हिस्सा अनुसूचित जनजातियों के लिए 13.06 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 9.23 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45.68 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 32.03 प्रतिशत था। प्रति परिवार द्वारा स्वामित्व प्राप्त भूमि का औसत क्षेत्र अनूसूचित जनजातियों के लिए 0.650 हेक्टेयर, अनुसुचित जातियों के लिए 0.272 हेक्टेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0.603 हेक्टेयर और अन्यों के लिए 0.816 हेक्टेयर था। प्रत्येक परिवार सामाजिक समूह के लिए जोत भूमि श्रेणी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों के आबंटन का ब्यौरा नीचे **तालिका 4.14** में दिया गया है।

तालिका 4.14: प्रत्येक सामाजिक समूह के परिवार के लिए भूमि जोत के आकार श्रेणी द्वारा परिवारों के आबंटन की प्रतिशतता

जोत की श्रेणी (भूमि आकार वर्ग हेक्टेयर में)	परिवार सामाजिक समूह				
	अजजा	अजा	अपिव	अन्य	सभी (संसूचित नहीं सहित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भूमिहीन (≤ 0.002)	9.41	7.18	6.98	7.40	7.41
अत्यल्प (0.002–1.000)	68.83	85.70	75.25	70.22	75.42
लघु (1.000–2.000)	14.64	4.77	10.43	11.31	10.00
अर्ध–मध्यम (2.00–4.00)	5.74	1.84	5.12	7.18	5.01
मध्यम (4.000–10.000)	1.36	0.48	1.99	3.34	1.93
वृहत (>10.000)	0.03	0.03	0.23	0.55	0.24
सभी आकार	100	100	100	100	100
स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 571: भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत					

4.25 परिवारों का सर्वोच्च अनुपात (75.42%) निम्न जोत वाली श्रेणी से संबंधित है और परिवारों का सबसे कम अनुपात दीर्घ जोत (0.24%) से संबंधित है। इस पैटर्न को सभी परिवार सामाजिक समूहों में देखा गया है।

4.26 तालिका 4.15 में दिए गए आंकड़े ये दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मामले में परिवारों का सर्वोच्च प्रतिशत (50.95 प्रतिशत) कृषि में स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। इसके पश्चात मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार (32.90 प्रतिशत) की श्रेणी से संबंधित है, जबकि परिवारों का सबसे कम प्रतिशत (0.75 प्रतिशत) में स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। यह पैटर्न अनुसूचित जाति के अलावा सभी सामाजिक समूहों में देखा गया है।

तालिका 4.15 विभिन्न सामाजिक समूहों में परिवार वर्गीकरण द्वारा परिवारों के संवितरण की प्रतिशतता

सामाजिक समूह	परिवार वर्गीकरण द्वारा परिवारों के संवितरण की प्रतिशतता						कुल
	निम्नलिखित में स्वरोजगार प्राप्त				मजदूरी / वेतनभोगी रोजगार	अन्य	
	कृषि	पशुपालन	अन्य कृषि कार्यकलाप	गैर–कृषि उद्यम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अजजा	50.95	0.75	3.70	5.54	32.90	6.17	100.00
अजा	30.88	1.50	4.79	11.41	43.22	8.19	100.00
अपिव	42.58	2.17	2.81	13.44	31.23	7.77	100.00
अन्य	49.90	1.67	3.49	11.27	24.82	8.85	100.00
सभी	**42.92**	**1.75**	**3.47**	**11.59**	**32.36**	**7.91**	**100.00**

स्रोतः एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571ः भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

4.27 तालिका 4.16 में दी गई अखिल भारतीय स्तर पर परिवार सामाजिक समूह द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त भूमि के संवितरण की प्रतिशतता यह संकेत करती है कि अनुमानित परिवारों की प्रतिशतता अनुसूचित जनजाति (11.89%) के लिए सबसे कम है और स्वामित्व प्राप्त भूमि की क्षेत्र प्रतिशतता अनुसूचित जाति (9.23%) के लिए सबसे कम है। अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त औसत क्षेत्र (0.650 हेक्टेयर) अनुसूचित जाति (0.272 हेक्टेयर) के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (0.603 हेक्टेयर) की तुलना में उच्चतर है।

तालिका 4.16 सामाजिक समूह द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त भूमि का संवितरण

संकेतक	अजजा	अजा	अ.पि.व.	अन्य	सभी*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिवारों की प्रतिशतता	11.89	20.06	44.82	23.23	100.00
स्वामित्व प्राप्त भूमि का अनुमानित कुल क्षेत्र (एमएचए)	12.062	8.528	42.190	29.588	92.369
स्वामित्व प्राप्त भूमि के क्षेत्र की प्रतिशतता	13.06	9.23	45.68	32.03	100.00
प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त औसत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0.650	0.272	0.603	0.816	0.592

* सामाजिक समूह में गैर–अभिलेखित मामले शामिल, एमएचएः मिलियन हेक्टेयर

स्रोतः एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571ः भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

रोजगार

श्रमिक जनसंख्या का अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

4.28 श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा कराए गए पांचवें वार्षिक रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) पहलू तथा सामान्य प्रमुख एवं अनुषंगी स्थिति (यूपीएसएस) पहलू पर आधारित अलग–अलग सामाजिक समूहों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) **तालिका 4.17** में दिए गए हैं।

तालिका 4.17

अखिल भारत (प्रतिशत में)

पहुंच	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अपिव	अन्य
यूपीएस	50.6	54.2	47.8	44.0
यूपीएसएस	53.7	60.0	50.4	45.5

अखिल भारतीय स्तर पर, सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) दृष्टिकोण पर आधारित डब्ल्यूपीआर सबसे अधिक 54.2% के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग था उसके बाद 50.6% के साथ अनुसूचित जाति, 47.8% के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 44.0% अन्य समुदाय के तहत थे।

अल्प रोजगार

4.29 अल्प रोजगार एक ऐसी स्थिति है जहां काम के लिए लोग उपलब्ध हैं तथा उन्हें काम मिल भी जाता है, परन्तु आंशिक रूप से मिलता है। 15 वर्ष तथा ऊपर की आयु वाले कामगारों का संवितरण जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में वे सामान्य प्रमुख एवं अनुषंगी स्थिति दृष्टिकोण (पीएस+एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं, **ग्राफ 4.8** में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि अखिल भारत स्तर पर सभी श्रेणियों के 60.6% जो संदर्भित अवधि के दौरान 12 माह के लिए काम करते हैं की तुलना में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति लगभग 46% है। अखिल भारत स्तर पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अल्प रोजगार सभी श्रेणियों के 35.5% की तुलना में लगभग 51.3% है।

ग्राफ 4.8: वर्ष 2015–16 के लिए 15 वर्ष तथा ऊपर की आयु के कामगारों का संवितरण जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में उन्होंने सामान्य प्रमुख एवं अनुषंगी स्थिति दृष्टिकोण (पीएसएसएस) के अनुसार कार्य किया।

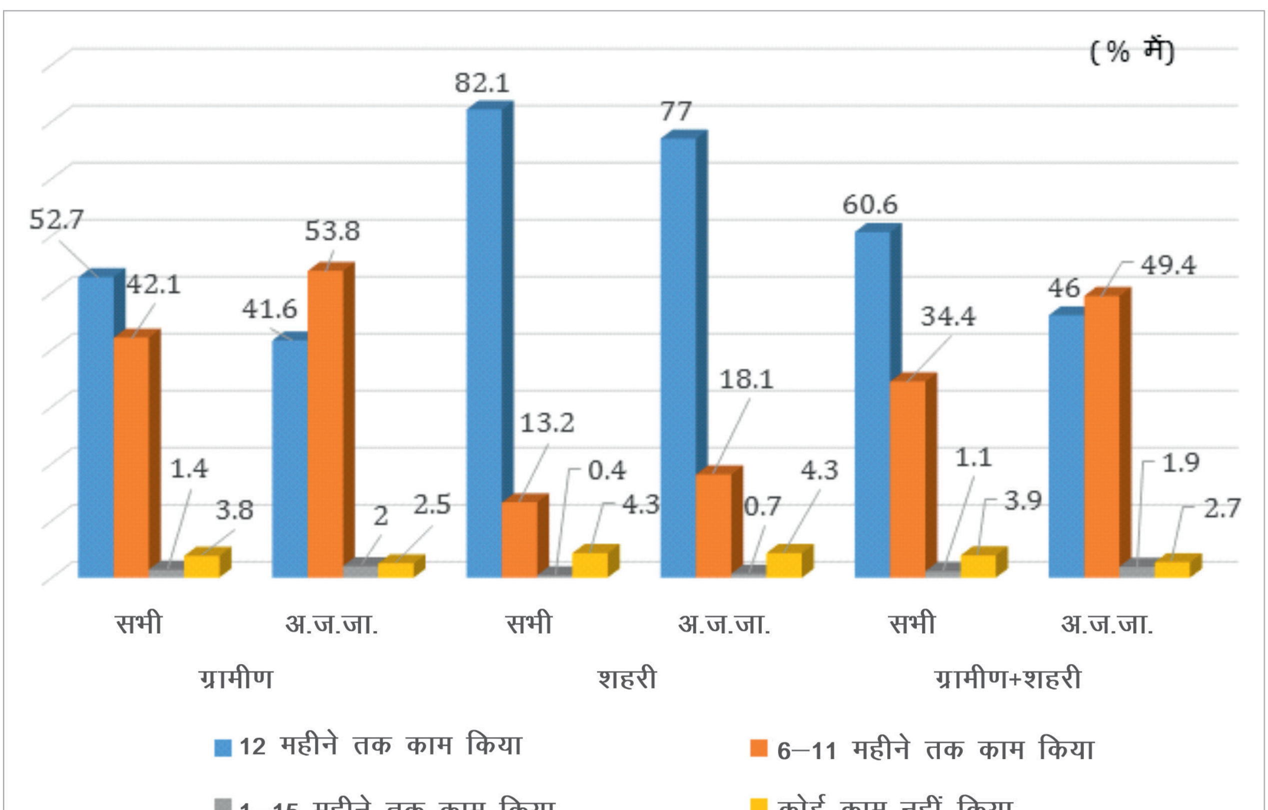

ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के 15 वर्ष तथा ऊपर के कामगार जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में जो सामान्य प्रधान एवं अनुषंगी स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं, उनका राज्यक्षेत्र–वार संवितरण **अनुलग्नक–4त** में दिया गया है।

बेरोजगारी दर

4.30 बेरोजगारी दर का तात्पर्य उन व्यक्तियों का अनुपात है जो काम के लिए उपलब्ध हैं परन्तु संदर्भित अवधि के दौरान जिन्हें काम नहीं मिलता है। सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) दृष्टिकोण के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए अखिल भारत स्तर पर बेरोजगारी दर 5.2% थी जो सभी चार सामाजिक समूहों में उच्चतम थी। अनुसूचित जाति तथा अन्य श्रेणी प्रत्येक के मामले में बेरोजगारी 5.0% अनुमानित की गई थी। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत न्यूनतम बेरोजगारी दर 4.4% रिकार्ड की गई थी।

सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) की परिभाषाः यूपीएस पहलू सर्वेक्षण की तिथि पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान व्यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति से संबंधित है। कार्यकलाप की स्थिति जिस पर व्यक्ति ने अवधि के दौरान सापेक्षिक रूप से लम्बा समय (183 दिन अथवा अधिक) बिताया है, को उस व्यक्ति की सामान्य प्रमुख कार्यकलाप स्थिति माना जाता है।

सामान्य प्रमुख तथा अनुषंगी स्थिति (यूपीएसएस): सामान्य प्रमुख तथा अनुषंगी स्थिति पहलू प्रमुख स्थिति का विस्तार है। यदि एक व्यक्ति पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान 30 दिनों या अधिक की अवधि के लिए किसी आर्थिक कार्यकलाप में लगा है तो वह व्यक्ति इस पहलू के तहत कार्यरत माना जाता है।

भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरुद्ध किए गए अपराध

4.31 वर्ष 2018 के दौरान राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश ने अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की उच्चतम संख्या (1868 मामले) रिपोर्ट की है जो 28.6% है इसके पश्चात 16.8% (1095 मामलों) के साथ राजस्थान तथा 8.5% (557 मामलों) के साथ ओडिशा का स्थान है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4थ** में दिए गए हैं। **2017 से 2018 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े निम्न तालिका 4.18 में दिए गए हैं।**

तालिका 4.18: अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध / अत्याचार

अपराध शीर्ष	अपराध घटना		अपराध दर	
	2017	2018	2017	2018
अजजा के खिलाफ अत्याचार	7125	6528	6.8	6.3

अपराध शीर्ष–वार मामले दर्शाते हैं कि वर्ष 2018 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के प्रति अपराधों/अत्याचारों के मामलों की रिपोर्ट की गई उच्चतम संख्या 'मामूली चोट के' (1429 मामले) है जो 21.9% है इसके पश्चात 15.4% (1008 मामलों) के साथ 'महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की भावना के साथ उन पर हमला' तथा 13.1% (857 मामलों) के साथ 'अपहरण' है। अपराध शीर्ष–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4द** में दिए गए हैं।

4.32 मानव तस्करी मामलों (आईपीसी) संबंधी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 के दौरान पश्चिम बंगाल ने मानव तस्करी से संबंधित मामलों की उच्चतम संख्या (373) रिपोर्ट की है इसके पश्चात महाराष्ट्र (311) तथा असम (262) हैं। झारखंड ने मानव तस्करी की राष्ट्रीय औसत दर 0.2% की तुलना में उच्चतम दर (15.1%) रिपोर्ट की है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मानव तस्करी से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले **अनुलग्नक–4ध** में दिए गए हैं।

केन्द्रीकृत हस्तक्षेपों के लिए चिह्नित जिले, उप–जिले तथा समुदाय

प्राथमिकता वाले जिले

4.33 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण एवं विकास के लिए केन्द्रीकृत रूप में हस्तक्षेप योजना बनाने के लिए 177 प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है तथा उन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

- **प्राथमिकता 1**: वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 14 जिलों सहित 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 94 जिले।
- **प्राथमिकता 2**: वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 7 जिलों सहित 25% या इससे अधिक किंतु 50% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 69 जिले।
- **प्राथमिकता 3**: 25% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले शेष 14 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले।

58% अनुसूचित जनजातियां (6.10 / 10.45 करोड़) प्राथमिकता 1 और 2 वाले जिलों में रहती है अर्थात 163 (94+69) जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है। 177 प्राथमिकता वाले जिलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक– 4न** में दिए गए हैं।

672 – उप–जिले

4.34 जनगणना, 2011 के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार 672 उप–जिलों को चिह्नित किया गया है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% तथा 10 हजार से अधिक है। 672 उप–जिलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4प** में दिये गए हैं।

प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय

4.35 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदाय देश के अलग–अलग राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में फैले हुए हैं। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अंदर कुछ अनुसूचित जनजाति के समुदाय प्रत्येक राज्य में 5% जनसंख्या से अधिक संख्या में है। इन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार चिह्नित तथा समेकित किया गया है। 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदायों में से 111 समुदाय प्रत्येक में (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का) 5% से अधिक की संख्या में है । ये 111 समुदाय अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 803.25 लाख अर्थात् 76.8% जोड़े जाते हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक – 4फ** में दिए गए हैं।

अध्याय 5

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

5.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रूप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।

5.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विशेष है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया हो तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय को अनुसूचित जाति माना जाए।

5.3 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्रों में, विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु हालातों में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों तक में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कहा जाता था), जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं :—

(क) कृषि—पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर।

प्रमुख जनजातियां

5.4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 700 से अधिक जनजातियां अधिसूचित हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की सबसे अधिक संख्या अर्थात् 62 उड़ीसा राज्य में है।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं अनुसूची से हटाया जानाः

5.5 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है" या अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.6 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

5.7 अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या हटाने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

5.8 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुलग्नक–5 क** में दी गई है। राष्ट्रपति का आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया गया है।

5.9 किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं–

- आदिम लक्षणों के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- समुदाय के साथ स्वछंद सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

5.10 इन मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर)1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबंधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातिसंबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, चंदा समिति, 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

5.11 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची **अनुलग्नक 5–ख** में दी गई है। हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति स्थिति का पता लगाना

5.12 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह सत्यापित किया जाना चाहिए:–

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता–पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं;

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) कि वह या उसके माता–पिता/दादा–दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए;

(v) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

5.13 वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा लागू आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से दूर होता है अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण तो उसके मामले में उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति/समुदाय को उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य में जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थाई निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता है।

5.14 राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता–पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र

की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

5.15 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाता रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं जिसमें वह बस गया है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

5.16 इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी करना

5.17 अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी किए जा सकते हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप–कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतन भोगी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप–मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (जो प्रथम श्रेणी के वेतन भोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों)

(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों।

(iv) उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है, का उप–मण्डलीय अधिकारी।

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह)।

बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

5.18 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

5.19 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके माताधपिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके माता/पिता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने पर उस

परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है जो किसी अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाण–पत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिससे वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के विनिर्दिष्ट आदेशों में समावेश, उससे अपवर्जन तथा अन्य संशोधनों हेतु दावों के निर्धारण के लिए प्रविधियां

5.20 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन और आय अपवर्जन करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रविधियों को अनुमोदित किया जिन्हें 25.6.2002 को पुनः संशोधित किया गया। इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (जो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है) की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने अथवा उस से अपवर्जन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो प्रविधियों के अनुसार मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यकतानुसार संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए शामिल करने/या उस से अपवर्जन के मामले जिसका राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र अथवा आरजीआई, अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करते, निरस्त कर दिए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र

5.21 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत समीपवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनूसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

पांचवीं अनुसूची

5.22 संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग–ग की धारा 6 में प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"अनुसूचित क्षेत्र– (1) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा –

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा।

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा;

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर या नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा;

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिभाषित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा;

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे, जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप–पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा के लिए मानक

5.23 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं–

(i) जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,

(ii) सघनता तथा क्षेत्र का औचित्यपूर्ण आकार,

(iii) व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला ,ब्लाक या तालुका हो, तथा

(iv) निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए उपर्युक्त मानक संविधान में इस रूप में तैयार नहीं किए गए हैं, परंतु ये सुस्थापित हो गए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों की कवरेज

5.24 वर्तमान में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–5 ग** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून

5.25 संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के प्रावधान, जो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल से संबंधित है निम्नानुसार दिए गए हैं:

"(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और इस उप–पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए नियम बना सकेगा, जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है।

विशिष्टतया और उसके पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम –

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का निषेध या प्रतिबंधित कर सकेंगे;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगे;

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप–पैरा (2) में निर्दिष्ट हैं, राज्यपाल, संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियमन का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र

में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियमन तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने जनजातीय सलाहकार परिषद वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद से परामर्श नहीं कर लिया हो।"

राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट

5.26 संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग क, पैरा 3 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रत्येक राज्य के राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।

5.27 संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना को वार्षिक रूप से राज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्ष 2013–14 के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक – 5 घ** में दिया गया है।

जनजातीय सलाहकार परिषद

5.28 5वीं अनुसूची के भाग ख, पैरा 4 के प्रावधान के अनुसार, ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) स्थापित की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से यथासंभव निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे , जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

5.29 जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) सभी अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में गठित कर ली गई हैं। यद्यपि तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, तो भी उन्होंने जनजातीय सलाहकार परिषदें गठित की हैं। वर्ष 2014–15 के बाद से राज्यों द्वारा आयोजित टीएसी की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–5 ड.** में दिया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए अधिसूचना

5.30 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं:

क्रम सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.01.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
3	मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 (सी.ओ.30)	02.06.1951	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.50)	09.09.1955	आंध्र प्रदेश
5	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
6	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ.109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
7	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सी.ओ.114)	12.02.1981	राजस्थान
8	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ.123)	02.12.1885	महाराष्ट्र
9	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ.192)	20.02.2003	छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश
10	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ.229)	11.04.2007	झारखंड
11	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सी.ओ. 270)	19.05.2018	राजस्थान

5.31 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमशः मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्रफल मूल बिहार राज्य से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ.109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में दिनांक 11.04.2007 को अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) द्वारा पुनः परिभाषित किया गया है। राजस्थान राज्य के संबंध में अनूसूचित क्षेत्र 12 फरवरी, 1981 के सं.आ. 114 को रद्द करते हुए दिनांक 19 मई, 2018 के अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सं.आ. 270) के माध्यम से नए संवैधानिक आदेश को लागू करते हुए घोषित किए गए थे।

छठी अनुसूची

5.32 संविधान के अनुच्छेद 244 (2) तथा 275 (1) के तहत छठीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। इसमें ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त

क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान है। छठीं अनुसूची से संबंधित विषयगत मामले गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं।

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) , संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट्स तथा क्लस्टर्स

5.33 जनजातीय विकास की रणनीति जनजातीय उप–योजना के माध्यम से प्रशासनिक समर्थन तथा विकास प्रयासों के संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों के हितों की सुरक्षा के उपागम पर आधारित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने जनजातीय सघनता वाले क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक उपायों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) की शुरूआत की। छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल 10,000 जनजातीय जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले छोटे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) अपनाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद के दौरान न्यूनतम लगभग 5,000 की कुल जनजातीय सघनता वाली आबादी वाले छोटे क्षेत्रों तथा जहां अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सघनता 50 प्रतिशत या अधिक है, को शामिल करने के लिए क्लस्टर चिह्नित किए गए थे। भारत सरकार ने 18 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव में 193 आईटीडीपी ६ आईटीडीए घोषित किए हैं।

5.34 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) एक अथवा अधिक विकास ब्लॉकों के आकार का क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऐसे ब्लॉकों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक है। संपूर्ण विकास ब्लॉक/पंचायत समिति आईटीडीपी की न्यूनतम संघटन इकाई है। जिले में एक अथवा अधिक आईटीडीपी हो सकते हैं। आईटीडीपी का क्षेत्र एक से अधिक जिलों के ब्लॉकों से भी बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में आईटीडीपी का नाम सामान्यतः इसके मुख्यालय के स्थान अथवा जिला जहां इसका मुख्यालय स्थित है, के नाम पर किया जाएगा।

5.35 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) जो जनजातीय विकास परियोजनाओं के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र वाला संबंधित प्राधिकरण है को आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा तेलंगाना राज्यों में ऐतिहासिक रूप से इस नाम से जाना जाता है। अतः आईटीडीए (अर्थात एजेंसी अथवा प्राधिकरण) के पास आईटीडीपी (सम्पूर्ण ब्लॉक/पंचायत अथवा प्राधिकरण) माडा तथा क्लस्टर पॉकेट पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। जिले की फैली हुई जनजातीय आबादी को भी संबंधित जिले के आईटीडीए के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है।

5.36 संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट 10,000 या अधिक की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। माडा पॉकेट की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगी तथा माडा क्षेत्रों में एक से अधिक राजस्व गांवों को शामिल करते हुए गांवों में सबसे अधिक जनसंख्या के प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति के नाम पर गांव का नाम रखा जाना चाहिए।

5.37 क्लस्टर 5,000 की कुल जनसंख्या के अंदर जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। क्लस्टर की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगा तथा क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सर्वोच्च प्रतिशत वाले गांव के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा।

5.38 आटीडीपी/आईटीडीए, माडा पॉकेट्स, क्लस्टर्स की राज्य–वार सूची निम्नानुसार दी गई है:

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या		
		आईटीडीपी/आईटीडीए	माडा पॉकेट्स.	क्लस्टर
1	आंध्र प्रदेश	5	41	17
2	असम	19	–	–
3	बिहार	–	7	–
4	छत्तीसगढ़#	19	9	2
5	गुजरात#	9	1	–
6	हिमाचल प्रदेश#	5	2	–
7	जम्मू–कश्मीर	–	–	–
8	झारखंड#	14	34	7
9	कर्नाटक	5	–	–
10	केरल	7	–	–
11	मध्य प्रदेश	31	30	6
12	महाराष्ट्र#	16	44	24
13	मणिपुर	5	–	–
14	ओडिशा#	22	46	14
15	राजस्थान#	5	44	11
16	सिक्किम	4	–	–
17	तमिलनाडु$	9	–	–
18	तेलंगाना	3		–
19	त्रिपुरा*	–	–	–
20	उत्तर प्रदेश	1	1	–
21	उत्तराखंड	–	–	–
22	पश्चिम बंगाल$	12	–	1
	संघ राज्यक्षेत्र			
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	–	––
24	दमन और दीव	1	–	–
	कुल	193	259	82

*त्रिपुरा में कोई आईटीडीपी नहीं है। वहां त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषदें (टीटीएएडीसी) हैं। छठीं अनुसूची के प्रावधान संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से त्रिपुरा को दिए गए थे, जैसा 2006 में त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

#अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले राज्य।

$ केवल जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले राज्य।

अध्याय 6

जनजातीय विकास कार्यनीति तथा कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

6.1 जनगणना 2011 के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियां देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग हैं। आजादी के बाद से जनजातीय विकास, सरकार का केन्द्र बिन्दु रहा है। जनजातीय लोगों के बीच विकास की वांछित गति प्राप्त करने में चुनौतियां रही हैं। ऐसा मुख्यतः उनकी परम्परागत जीवनशैलियों, अधिवासों की सुदूरता, बिखरी हुई जनसंख्या तथा विस्थापन की वजह से है। जनजातिय लोगों के त्वरित विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974–75) में जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) (अब अनुसूचित जनजाति घटक के रूप में ज्ञात) रणनीति अपनाई गई थी। यह अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विकास के सभी क्षेत्रों में परिव्यय तथा लाभों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने की परिकल्पना करती है। टीएसपी निधियां जनजातीय विकास के लिए निधियों का समर्पित स्रोत हैं। 41 केन्द्रीय मंत्रालयों को प्रतिवर्ष जनजातीय विकास की कुल स्कीम आवंटन का 4.3 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत तक जनजातीय उप–योजना निधि अधिदेशित की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अंतराल को भरकर इन पहलों में अपना योगदान देता है। टीएसपी/एसटीसी कार्यनीति के माध्यम से किये गये प्रयासों से साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका आदि संबंधी विभिन्न जनजातीय पहलुओं में कुछ सुधार आया है। हालांकि, जनजातीय तथा अन्य सामाजिक वर्गों के बीच मानव विकास के क्षेत्र में अंतराल अभी भी कायम है।

6.2 बजट 2019–20 के अनुसार, 40 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में 'जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)' निधियां हैं जो 300 अलग–अलग स्कीमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जनजातीय विकास का प्रबंध करती हैं, जैसा बजट की व्यय रूपरेखा के विवरण 10ख में प्रतिबिम्बित है। सभी मंत्रालयों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 24,005.00 करोड़ रुपए से वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31,920.00 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2018–19 में 37803.26 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2019–20 में 51283.53 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)/जनजातीय उप–स्कीम की निगरानी

6.4 जनवरी, 2017 में कार्य आवंटन नियमावली (एबीआर) को संशोधित किया गया है जिसके द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीति आयोग द्वारा तैयार रुपरेखा तथा तंत्र पर आधारित केन्द्रीय मंत्रालयों की एसटीसी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेश दिया गया है। जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) की निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा http://stcmis.gov.in वेब पते के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लगाई गई है द्य यह रूपरेखा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे ही आंकड़े प्राप्त करती है और आवंटनों की तुलना में व्यय के माध्यम देखने के लिए हमें निविष्टियां प्रदान करती है। वास्तविक निष्पादन की निगरानी तथा पहलों के परिणाम भी इस प्रणाली में शुरू किए गए हैं। चालू परियोजनाओं के स्थान तथा लाभार्थियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए एमआईएस में अनुकूलित प्रपत्र विकसित किया गया है। इसके अलावा, समन्वय एवं निगरानी के लिए लाइन मंत्रालयोंधविभागों में नोडल अधिकारी पदनामित किए गये हैं। उत्पादन एवं परिणाम के संबंध में आंकड़े अपलोड करने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ आवश्यक प्रत्यय–पत्रों की साझेदारी की गई है।

6.5 31.12.2019 तक, कुल आवंटित एसटीसी राशि का 62.65% शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के खिलाफ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किया गया है।

6.6 पूर्व की जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) (अब एसटीसी के रूप में ज्ञात) के तहत निधियों का चिह्न

पूर्व के योजना आयोग द्वारा डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में गठित कार्यदल, 2010 द्वारा संस्तुत मानदण्डों के अनुसार जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) की वृहद रणनीतियों के अंतर्गत उनके योजना आवंटन के प्रति संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया था। कार्यदल ने अलग–अलग चिह्न के लिए सिफारिश की थी अर्थात कुल 28 मंत्रालयों/विभागों द्वारा केवल उनकी योजना परिव्यय के प्रति विभिन्न दरों पर चिह्न करना। योजना तथा गैर–योजना के समन्वय के पश्चात वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर, 2016 माह में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एसटीसी निधियों के चिह्न हेतु प्रतिशतता संशोधित की थी तथा दो नए केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात कौशल विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्रालय को शामिल किया था। निधियों के चिह्न के मामले पर नीति आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पुनः विचार–विमर्श किया गया है तथा अलग–अलग मंत्रालयों/विभागों के लिए आवंटन प्रतिशतताओं पर पुनर्विचार किया गया है और कुछ नए मंत्रालयधविभाग अर्थात पशुपालन विभाग, डेयरी और मछली पालन विभाग, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उर्वरक विभाग, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, औषध विभाग तथा शहरी मामले मंत्रालय इस एसटीसी परीधि में शामिल किए गए हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

तालिका 6.1 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संघीय बजट 2019–20 में यथा प्रदर्शित जनजाति कल्याण हेतु किए पृथक आवंटन का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	नीति आयोग द्वरा निर्धारित प्रतिशतता	कुल स्कीम आवंटन (सीएस सीएसएस)	बजट अनुमान 2019–2020	निर्धारण प्रतिशतता
1	कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग	8.6	129860.55	11168.01	8.6
2	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	4.3	2699.00	114.81	4.3
3	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयूष)	4.3	798.32	35.00	4.4
4	कोयला मंत्रालय	8.6	1097.00	94.35	8.6
5	वाणिज्य मंत्रालय'	4.3	700.00	25.01	3.6
6	दूरसंचार विभाग	4.3	13400.49	800.57	6.0
7	उपभोक्ता मामले विभाग '	4.3	62.00	2.66	4.3
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय '	4.3	42.65	2.00	4.7
9	संस्कृति मंत्रालय	4.3	778.23	35.10	4.5
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	8.6	2978.10	810.50	27.2
11	इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.7	3750.76	251.32	6.7
12	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.6	1894.80	102.50	5.4
13	मत्स्य विभाग :	8.6	560.00	53.83	9.6

14	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	8.6	2740.00	235.73	8.6
15	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.3	1101.00	47.34	4.3
16	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.6	47001.00	4042.09	8.6
17	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	4.3	46437.80	324.71	0.7
18	विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	10.7	48038.60	5831.51	12.1
19	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.6	9537.86	1605.00	16.8
20	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय	8.6	7360.95	272.20	3.7
21	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10	19994.66	1999.47	10.0
22	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.6	10713.00	929.06	8.7
23	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उध्यम मंत्रालय	8.6	6957.76	560.39	8.1
24	खान मंत्रालय	4.3	804.07	25.55	3.2
25	नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.6	5131.45	441.00	8.6
26	पंचायती राज मंत्रालय	8.6	840.04	62.82	7.5
27	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ’	4.3	35020.00	1570.21	4.5
28	विद्युत मंत्रालय	8.6	11969.21	803.79	6.7
29	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4.3	82861.39	2610.00	3.1
30	ग्रामीण विकास विभाग’	17.5	38499.62	5984.12	15.5
31	भूमि संसाधन विभाग	10	2216.00	221.60	10.0
32	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4.3	2692.55	115.78	4.3
33	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय	8.6	2676.65	214.59	8.0
34	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	8.6	813.00	88.22	10.9
35	कपड़ा मंत्रालय	8.6	4748.96	216.99	4.6
36	पर्यटन मंत्रालय	4.3	2075.12	90.00	4.3
37	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100	6847.89	6847.89	100.0

38	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.6	28914.37	2486.64	8.6
39	खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय	8.6	1310.00	161.17	12.3
	कुल योग		**585924.85**	**51283.50**	**8.75**

* एसटीसी निधियों को तय करने के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों द्वारा अजजा या सामान्य सहित यूनिवर्सल कवरेज की प्रकृति के व्यय को शामिल नहीं किया गया है:

(i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(ii) उपभोक्ता मामले विभाग

(iii) ग्रामीण विकास विभाग

(iv) वाणिज्य विभाग

(v) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मंत्रालयों की सूची जिन्होंने अजजा के लिए पृथक आवंटन नहीं किया है

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	निर्धारित प्रतिशत नीति आयोग द्वारा निर्धारित	कुल स्कीम आवंटन (सीएस. सीएसएस)	बजट अनुमान 2019–2020	निर्धारण प्रतिशतता
1	उर्वरक विभाग	4.3	79996.00	0.00	0.0
2	औषध विभाग	4.3	204.30	0.00	0.0

6.7 वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक टीएसपी निधियों के मंत्रालय। विभाग–वार आवंटन के ब्यौरे **अनुलग्नक–6क** में दिए गए हैं।

6.8 केन्द्रीय टीएसपी के लिए दिशा–निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, अंतरों का आंकलन करना तथा अन्तरों को भरने के लिए स्कीमों को उन्मुख करना है;
- टीएसपी के तहत तैयार की गयी स्कीमों को अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/परिवारों/अधिवासों को प्रत्यक्ष तथा मात्रात्मक लाभ देना चाहिए;
- दर्शायी गयी आवंटन प्रतिशतता को केवल न्यूनतम तथा निम्न प्रतिशतता के रुप में माना जाए;
- टीएसपी के तहत 8.2 प्रतिशत से अधिक चिन्हित करने की बाध्यता वाले मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी इकाई के मुखिया के रुप में पूर्ण कालिक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है द्य
- नोडल इकाइयों जिनकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आयोजना) अथवा आर्थिक सलाहकार द्वारा की जानी है, सभी मंत्रालयों/विभागों में स्थापित किए जायें जो आवश्यक पूर्णकालिक समर्थनकारी स्टाफ के साथ एससीएसपी तथा टीएसपी के तहत चिन्हित करने के लिए बाध्य हैं।

6.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा नीति आयोग एसटीसी निधियों वाले केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ

आवधिक बैठकें आयोजित करता रहा है। दिनांक 13.04.2018 तथा 25.06.2018 को बैठकें आयोजित की गई थीं जिसके पश्चात 12–13.07.2018 तथा 29–30.11.2018 को सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें हुई थीं। उक्त बैठकों में मंत्रालयों/विभागों के लिए यह दोहराया गया है कि एसटीसी निधियां प्रचलित निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार होनी चाहिए। यह दोहराया गया था कि डीईए द्वारा निर्धारित आवंटन प्रतिशतता का पालन किया जाए। परियोजनाओं के स्थान तथा लाभार्थियों के ब्यौरों सहित एसटीसी निधियों से स्वीकृत कार्य की वास्तविक प्रगति की साझेदारी के लिए भी कहा गया था।

राज्य टीएसपी

6.10 पूर्व के योजना आयोग ने 18 जून, 2014 को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देशों को संशोधित किया है। दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ टीएसपी के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया है जो कुल योजना परिव्यय में से राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के अनुपात से कम नहीं है। दिशा–निर्देश, जनजातीय क्षेत्रों के लिए निधियों का अन्यत्र उपयोग नहीं किए जाने तथा व्यवस्था, सेवा सुपुर्दगी के परिणामों के साथ–साथ मानकों को शामिल करते हुए सुपरिभाषित संकेतों के मसौदे की सम्पूर्ण निगरानी को पुनरू अनुबद्ध करते हैं। टीएसपी दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार टीएसपी के लिए चिह्नित / आवंटित की जाने वाली निधियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:

i. टीएसपी के तहत व्यय, सामान्य प्रावधानों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास की कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जो महत्पूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं में अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होनी चाहिए;

ii. टीएसपी के तहत निधियां, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अनुपात से अधिक तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी की समस्याओं के अनुसार कुल योजना परिव्ययों से चिह्नित की गई हैं (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं–ईएपी तथा किसी अन्य योजना के तहत निवेशों को बिना छोड़े);

iii. निधियां वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले, कम से कम छः माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिए। अतः टीएसपी निधियों के आकार की सूचना प्रत्येक विभाग के लिए टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए सभी विभागों को दी जाएगी;

iv. जिनके पास सीधे अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने के लिए योजनाएं नही हैं, उन्हें कोई भी सांकेतिक आवंटन नहीं होगा;

v. अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को अधिक निधियां आंवटित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा;

vi. भौतिक सुदूरता तथा दुर्गम घाटियों में जनजातीय अधिवासों के कारण, सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में वित्तीय मानक बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझौता न हो;

vii. प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कौशल मूल्यांकन शुरू करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां आवंटित करेंगे तथा गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे;

viii. संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का तालमेल अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण/अभिसरण सुनिश्चित है;

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में समानता को प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे।

x. अन्यत्र उपयोग की रोक सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के तहत निधियां क्रियाशील मुख्य शीर्ष/उप–मुख्य शीर्षों के तहत एक पृथक लघु शीर्ष के अंतर्गत चिन्हित की जाएंगी।

6.11 गत तीन वर्षों अर्थात 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20 के लिए राज्यों द्वारा टीएसपी निधियों का आवंटन एवं व्यय **अनुलग्नक–6ख** पर दिया गया है। ब्लॉक वर्ष 2010–13 (जब कुल 165691.00 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे) से 2014–17 (जब कुल 327574.00 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे) के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय के कठोर अनुनय का परिणाम राज्यों द्वारा राज्य जनजातीय उप–योजना निधियों के व्यय में महत्वपूर्ण 98% की वृद्धि थी।

एसटीसी / टीएसपी निधि का आकलन

तालिकाः 6.2 : केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी/टीएसएस आवंटन

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा एसटीसी/ टीएसएस का आबंटन	आवंटन	व्यय	टीएसएस/एसटीसी आवंटन के संदर्भ में व्यय का %	मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी के आवंटन की योजना/ स्कीम के संदर्भ में एसटीसी आवंटन का प्रतिशत
2014–15 (वास्तविक)	236508.72	19961.29	19436.85	97.37	8.4
2015–16 (वास्तविक)	275174.59	20177.62	20024.66	99.24	7.3
2016–17 (वास्तविक	380035.71	24671.58	20956.40	84.94	6.5
2017–18 (सं.अ.)	443406.47	31292.20	30020.25	95.94	7.1
2018–19 (ब.अ.)	511402.18	37803.26	32792.54	86.75	7.4
2019–20	585924.85*	51283.50	32129.69रु	62.65ः	8.75

* एसटीसी निधियों को तय करने के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों द्वारा अजजा या सामान्य सहित यूनिवर्सल कवरेज की प्रकृति के व्यय को शामिल नहीं किया गया हैरू

(i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(ii) उपभोक्ता मामले विभाग

(iii) ग्रामीण विकास विभाग

(iv) वाणिज्य विभाग

(v) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

तालिका: 6.3 राज्य सरकार द्वारा टीएसपी आवंटन

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल राज्य योजना / योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन का %	टीएसपी व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय के व्यय का %	टीएसपी आवंटन के व्यय का %
2014–15	804040.04	86075.89	10.70	62866.61	7.82	73.04
2015–16	920960.84	100558.73	10.91	74051.09	8.04	73.64
2016–17	1040788.12	111295.75	10.69	89157.11	8.57	80.11
2017–18	1568917.59	139710.47	8.90	120052.85	7.65	85.93
2018–19*	1813538.24	157531.67	8.69	98805.81	5.45	62.72

* अनंतिम आंकड़े

जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)

6.12 जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत भारत सरकार से (वर्ष 1977–78 से अब तक), 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ है। यह भारत की समेकित निधि पर प्रभारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान के अलावा जो एक मतदान मद) तथा जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए एक योगदान है। यह अनुदान आईटीडीपी, आईटीडीए, माडा, क्लस्टर, पीवीटीजी और फैली हुई जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है।

6.13 टीएसएस को एससीए के उद्देश्य हैः

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहुंच को बढ़ाते हुए मानव संसाधन विकास।
- आवास सहित जनजातीय क्षेत्रों / स्थानों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर जीवन गुणवत्ता (प्रधानमंत्री आवास योजना/राज्य योजनाओं के तहत ज्यादातर कवर की जाएगी)।
- गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, उत्पादनशील परिसंपत्ति और आय सृजनकारी अवसरों का निर्माण।
- अन्य क्षेत्रों के समान अवसरों को हासिल करने, अधिकार और अधिकार–पत्र प्राप्त करने और बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए क्षमता की वृद्धि, और
- शोषण और दमन के विरुद्ध सुरक्षा।

6.14 मुख्यतया गैर–आवर्ती प्रकृति के क्रियाकलापों (कम–से–कम 3 वर्ष की जीवन अवधि वाले अवसंरचना और उपकरणों सहित) को इन स्कीमों के तहत सहायता दी जाती है। ऐसे कार्यक्रमों/स्कीमों के आवर्ती घटक राज्य निधियों/टीएसपी आवंटन द्वारा वहन किए जाते हैं। समान आजीविका पद्धति/परंपरागत व्यवसाय वाले अ.ज.जा. समुदाय (अर्थात जनजातीय पारिवारिक अर्थ–व्यवस्था के लिए समान आय स्रोत) को टीएसएस को एससीए के तहत आयोजना के उद्देश्य से एक साथ मिला देना चाहिए। सड़क संपर्क, बिजली, पेय–जल, मुख्य सिंचाई परियोजना, आवास जैसे प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को इन कार्यक्रमों में राज्य योजना निधियों के मुख्य भाग में दिए जाने के कारण टीएसएस को एससीए के तहत निधियन के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, पोल्ट्री, कौशल विकास, खेल और खेल को बढ़ावा देने और अन्य आय सृजन गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को वित्त पोषण के लिए योजना के तहत माना जाता है।

6.15 वर्ष 2019–20 के लिए 1350 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान), की तुलना में 31.12.2019 तक टीएसएस को एससीए के तहत 954.51 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2011–12 से 2019–20 तक निधियों का वर्ष–वार आवंटन और निर्मुक्ति **अनुलग्नक–6ग** में दी गई है।

6.16 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार से 27 राज्यों को 100 प्रतिशत वार्षिक अनुदान है। इसका भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है (पूर्वोत्तर राज्यों, श्रेणी निर्धारित मद के लिए अनुदानों को छोड़कर) और जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों एवं प्रयासों के लिए योगदान है।

तालिका 6.4 : वर्ष 2019–20 के लिए बजट

(करोड़ रुपए में)

स्कीम	बजट अनुमान 2019–20	संशोधित अनुमान 2019–20	निर्मुक्त (31.12.2019 तक)
संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	2662.55	2662.55	1988.32*

* प्रशासनिक व्यय सहित

वर्ष 2009–10 से 2019–20 के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान–सहायता के तहत राज्य–वार निर्मुक्त राशि दिखाने वाला विवरण (प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) **अनुलग्नक–6घ** पर दिया गया है और अनुच्छेद 275 (1) के तहत 2009–10 से 2019–20 के दौरान निधि का वर्षवार आवंटन **ग्राफ 6.1** पर है।

ग्राफ 6.1 अनुच्छेद 275 (1) के तहत आवंटन (ब.अ.) तथा निधियों की निर्मुक्ति का विवरण (31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

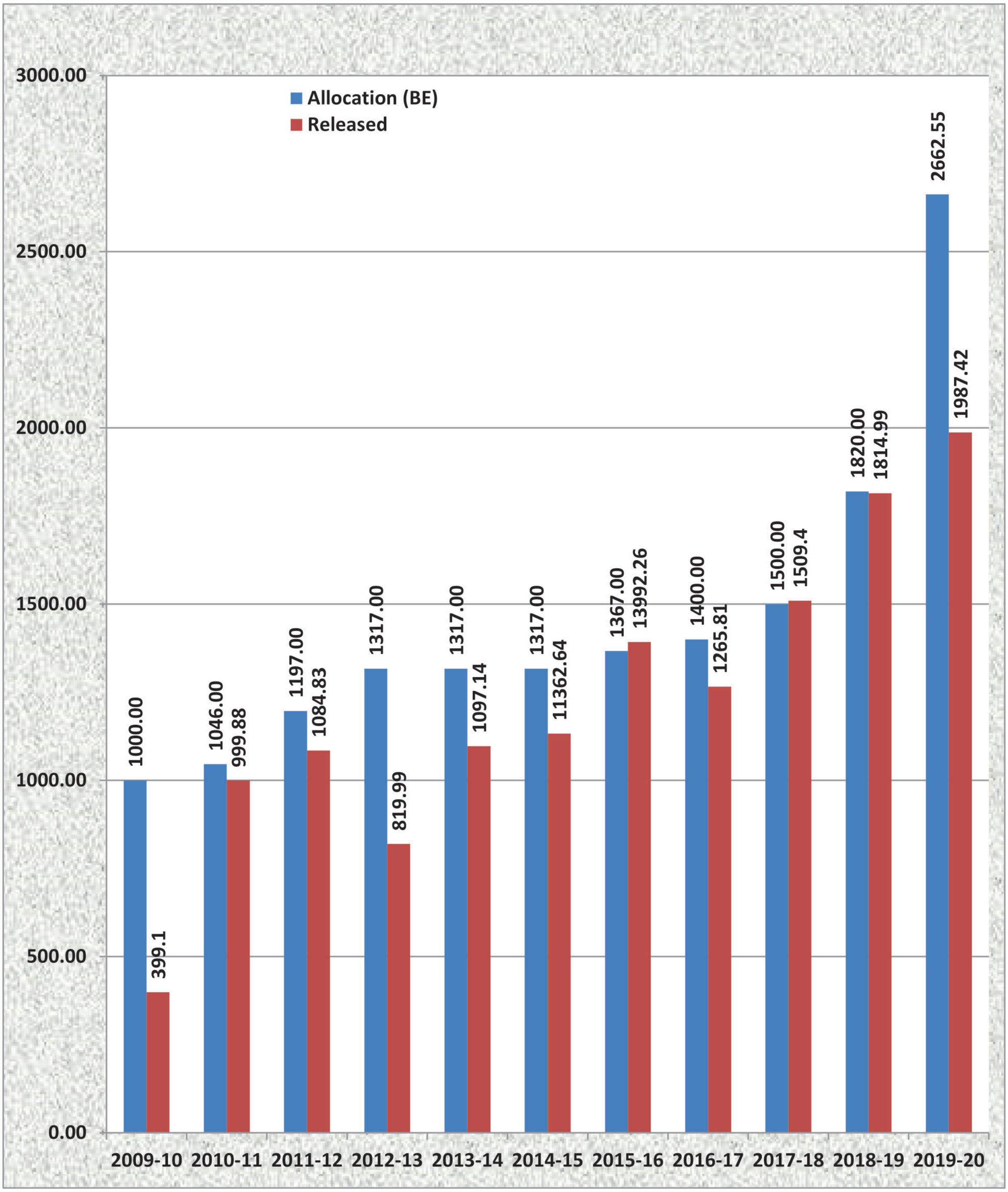

अध्याय 7

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

पृष्ठभूमि

7.1 पीढ़ियों से वनों में रह रही वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन भूमि के अधिभोक्ता रहे थे। वन उनके लिए आजीविका, पहचान, रीति–रिवाज तथा परंपरा के स्रोत हैं। तथापि, वन की पारिस्थितिकी पद्धति की उत्तरजीविता एवं स्थिरता के बावजूद उनके पूर्वजों की भूमि तथा उनके आवास पर उनके अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई थी। भूतकाल में, राज्य वनों के समेकन के दौरान दोषपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधिकारों एवं हितों को न तो मान्यता दी गई थी और न ही इन्हें दर्ज किया गया था।

7.2 वन निवासी जनजातीय लोग तथा वन अविभाज्य हैं, तथ्य यह है कि जनजातीय लोगों के बहुत से लोकाचार से पारिस्थितिकी स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वन निर्माण के लिए संरक्षण प्रक्रिया तथा वानिकी उत्पादन हेतु वनक्षेत्र में, जहां जनजातीय समुदाय प्रमुख रूप से रह रहे हैं, वैधानिक ढांचे से जनजातीय समुदाय की वास्तविक रुचि को किसी तरह नजर–अंदाज कर दिया गया है। जनजातियों की सादगी तथा उनकी आधुनिक नियामक ढांचे की सामान्य अज्ञानता, जिन क्षेत्रों से वे संबंधित हैं तथा जिन पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधानों के वास्तविक दावे पर जोर नहीं देने देती। आधुनिक संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण भी एकीकरण के बजाय अपवर्जन की वकालत करता है। यह बहुत बाद में हुआ कि वन प्रबंधन तंत्र ने वन निवासियों के कब्जे तथा अन्य अधिकारों को मान्यता देने के लिए कार्रवाई शुरु की और इन्हें प्रबंधन के स्वरुप में शामिल किया। भूमि जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे तथा सम्पन्न थे, वहां से निष्कासन का डर व अवधि की असुरक्षा ही जनजातीय समुदायों के भावनात्मक रूप के साथ–साथ वास्तविक रूप से वनों और वन भूमि से विस्थापित होने का शायद सबसे बड़ा कारण था। इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता थी और इसलिए, सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जिसे सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रुप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम के प्रावधान प्रचालन में आये।

7.3 अधिनियम, वन अधिकारों की 'मान्यता' देने की व्यवस्था से भी आगे जाता है और वन अधिकार धारकों, ग्राम सभाओं, स्थानीय संस्थाओं को किसी भी समुदायिक वन स्रोतों, की रक्षा, पुनः सृजन, संरक्षण तथा प्रबंधन का अधिकार देता है। संसाधन प्रशासन में अपने आप यह एक निर्णायक उपाय है। जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों के आंदोलनों के इतिहास में सही अर्थों में मील का पत्थर होने के साथ यह अधिनियम, सतत उपयोग तथा संरक्षण के लिए वनों को प्रशासित करने के लिए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सरल बनाने की व्यवस्था है। ठीक इन्हीं कारणों से, प्रतिमान में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विशेष रुप से राज्य सरकारों द्वारा कड़े सकारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया है।

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं

7.4 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:—

(1) अधिनियम की धारा 3 उन अधिकारों को सूचीबद्ध करती है, जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार होंगे। ये वन अधिकार निम्नवत हैं:

(क) वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व—कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकार;

(ख) सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, जिस भी नाम से जाना जाता हो, सहित भूतपूर्व रियासतों, जमींदारी व्यवस्था या ऐसे मध्यवर्ती राज्यों में प्रयुक्त होने वाला अधिकार।

(ग) लघु वन उत्पाद के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार जिसे गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया गया है।

(घ) सामुदायिक अधिकार जैसे मछली तथा जल निकायों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतू या चरवाहा समुदायों की परंपरागत मौसमी संसाधन तक पहुंच।

(ड.) आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

(च) विवादित दावों वाले किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमि पर अधिकार।

(छ) अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों के परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार।

(ज) सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान, गैर—सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के निपटान तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो।

(झ) किसी समुदाय वन संसाधन की सुरक्षा, पुनः उत्पन्न करने या संरक्षण या प्रबंध करने का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं।

(ञ) अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हों या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या रूढ़िगत विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हों।

(ट) जैव—विविधता तक पहुंच का अधिकार एवं बौद्धिक संपदा तथा जैव—विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार।

(ठ) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से प्राप्त कोई अन्य परम्परागत अधिकार जैसा भी मामला हो, जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें जंगली जानवर की किसी भी प्रजाति का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के हिस्से को निकालने के परम्परागत अधिकार को छोड़कर।

(ड) वैकल्पिक भूमि, जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को अवैध रुप से बेदखल किया गया है या 13 दिसंबर, 2005 से पहले उनके पुनर्वास की कानूनी हकदारी प्राप्त किए बिना वन भूमि से विस्थापित किया गया है, के मामले सहित स्वस्थाने पुनर्वास का अधिकार।

(2) इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर

75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ऐसी विकास परियोजना की क्लीयरेंस की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा दिया जाना शामिल है।

(3) इस अधिनियम की धारा 4(1) किसी समय लागू किए जाने हेतु किसी अन्य कानून में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देती है तथा इन्हें प्रदान करती है।

(4) अधिनियम की धारा 4(2) में वन्य जीव संरक्षण हेतु अक्षत क्षेत्र सृजित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों में वन अधिकारों के संशोधन या पुनःस्थापन हेतु प्रावधान है, जिसमें विचारार्थ सभी क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, जैसा शर्तों के अधीन है, यह सुस्थापित है कि वर्तमान अधिकार धारकों की गतिविधियां या प्रभाव वन्य जीवों तथा उनके आवास को अपरिवर्तनीय हानि तथा उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगे, संबंधित ग्राम सभाओं की मुक्त एवं संसूचित स्वीकृति प्राप्त की गई है, पुनः स्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिए गए हैं तथा भेज दिए गए हैं जो प्रभावित व्यक्यिों तथा समुदायों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं तथा ऐसे प्रभावित परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो संगत कानूनों और केन्द्र सरकार की नीतियों में दी गई हैं तथा पुनः स्थापन स्थल पर सुविधाओं और भूमि आबंटन के पूरा हो जाने के उपरांत ही पुनः स्थापन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भी किया गया है कि महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों जहां से अधिकार धारकों को पुनः स्थापित किया गया है, को किसी अन्य उपयोग करने वालों के लिए बाद में पुनः बदला नहीं जाएगा।

(5) अधिनियम की धारा 4(3) इस शर्त के साथ वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने का उद्देश्य करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा किया था, धारा 4(4) में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु अन्य को हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

(6) धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों को एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी भी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

(7) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

(8) इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकते हैं कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर इस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

(9) अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्रामसभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षाय (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती अपवाह–क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील

पारिस्थितिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा होगी (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों, जंगल और जैव–विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, की रोक का पालन करने के लिए सशक्त करती है।

10. इस अधिनियम की धारा 6 (अध्याय–IV) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधिकरण है। उप–मण्डल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से अपकृत कोई व्यक्ति उप–मण्डल स्तरीय समिति को याचिका प्रस्तुत कर सकता है और उप–मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा अपकृत कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति है।

11. अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी प्राधिकरण या अधिकारी को सजा देने का प्रावधान है।

12. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

13. धारा 12 इस अधिनियम के अध्याय–IV में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

14. अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

7.5 वन अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 30.09.2019 तक दायर दावों की कुल संख्या 42,40,134 (40,91,308 व्यैक्तिक और 1,48,826 सामुदायिक) और 19,69,461 (18,93,299 व्यैक्तिक और 76,162 सामुदायिक) अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। कुल 37,23,058 अर्थात् 87.81% दावे निपटा दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत 30.09.2019 तक निपटाए गए दावों तथा वितरित अधिकार पत्रों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–7** में दिया गया है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

7.6 मंत्रालय सभी राज्यों में अधिकारों की मान्यता और अधिकार–पत्र प्रदान करने की नियमित रूप से प्रगति की निगरानी कर रहा है। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) के रूप में सभी राज्यों से एक नियमित अपडेट मांगा जाता है जो मंत्रालय की वेबसाइट पर हर महीने प्रकाशित की जाती है। एमपीआर अन्य बातों के साथ–साथ उच्च ६ निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों और उपायों की आवश्यकता को चिह्नित करने में मदद करता है। इस वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

- दिनांक 13.02.2019 को रिट याचिका (सी) नंबर 109/2008, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट बनाम भारत संघ पर सर्वोच्च न्यायालय ने 21 राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे एक हलफनामे के माध्यम से बताए कि दावों की अस्वीकृति के बाद, जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, के लिए बेदखली आदेश पारित नहीं किए गए हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 26.02.2019 को उपरोक्त आदेश के संशोधन के लिए एक अर्जी दायर की, जिसमें दिनांक 13.02.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित, आदेश को संशोधित करने और साथ–साथ राज्यों को

अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत करने और तब तक जनजातियों की बेदखली रोकने का अनुरोध किया गया था।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.02.2019 के अपने आदेश के माध्यम से एफआरए के तहत अस्वीकृत दावों के निष्कासन के संबंध में दिनांक 13.02.2019 के अपने आदेश पर रोक लगायी और राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों को विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में उक्त आदेश में निर्देश दिया है, जिसमें दावों और उनके निपटान की जांच करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अस्वीकृति के मुख्य आधार, चाहे दावों की अस्वीकृति के संबंध में तर्कपूर्ण आदेश पारित किए गए हों और यदि संबंधित दावेदारों को अस्वीकृति के आदेश भी दिए गए हों, शामिल है। माननीय न्यायालय ने अधिनियम और इसमें निहित नियमों के तहत निगरानी तंत्र के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिवों को उपरोक्त सभी सूचनाओं को शामिल करते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 28.02.2019 के आदेश के अनुपालन में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 18.06.2019 को सभी राज्य सरकारों के साथ बैठकें बुलाई। मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की निगरानी के लिए मंत्रालय के सभी नोडल अधिकारियों को 08.05.2019 से 18.06.2019 के बीच संबंधित राज्य सरकार का दौरा करने के लिए कहा। इसके बाद, मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को इस संबंध में दिनांक 11.04.2019, 26.06.2019, 14.08.2019, 30.08.2019 और 04.09.2019 को अनेक पत्र लिखे।
- माननीय मंत्री और सचिव, जनजातीय कार्य ने 26 अगस्त 2019 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एलडब्ल्यूई क्षेत्रों की समीक्षा बैठक में भाग लिया। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने दिनांक 19.09.2019 के पत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को एसएलएमसी बैठकों के संचालन में नियमितता सुनिश्चित करने के लिए लिखा। इसके अलावा, संबंधित राज्य

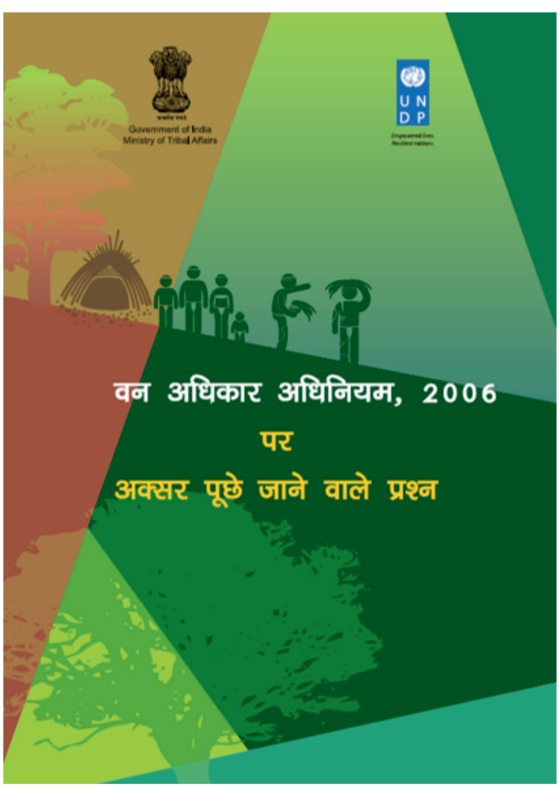

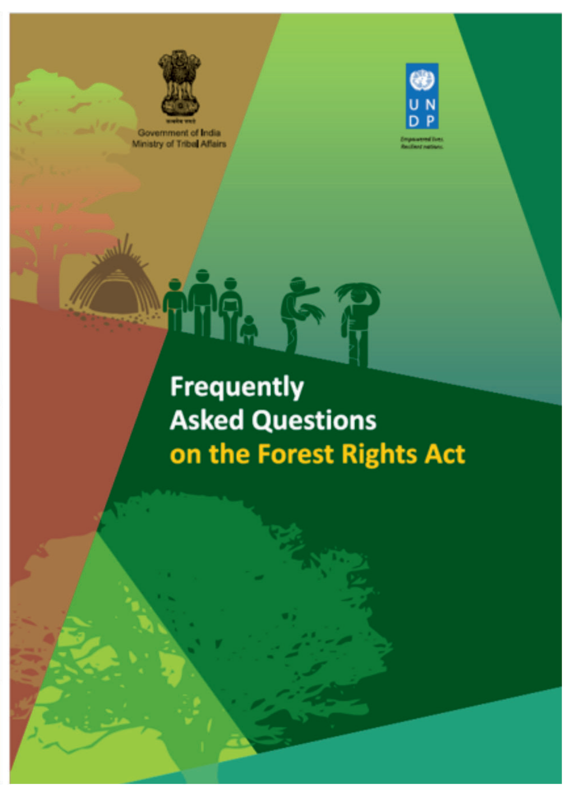

सरकारों से भी अनुरोध किया गया कि वे बैठक के दौरान चर्चा की गई समस्याओं पर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

- जन जागरूकता कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए, मंत्रालय ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के हिंदी संस्करण और वन अधिकार अधिनियम पर पूछे जाने वाले प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण के तीसरे संस्करण को प्रकाशित किया है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र को मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.09.2019 के माध्यम से इसकी प्रतियां साझा की गईं।
- मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने 21 से 23 अक्टूबर 2019 को कोलंबिया के पोंटिस्पिया यूनिवर्सिटेड जेवरियाना, बोगोटा में आयोजित टेन्योर फैसिलिटी लर्निंग एक्सचेंज सम्मेलन में भाग लिया, उन्होंने समुदाय के नेतृत्व वाले वन प्रशासन पर विचार–विमर्श किया और वनवासियों के सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देने के वैश्विक अनुभवों को साझा किया।
- माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने दिनांक 1.10. 2019 के पत्र के माध्यम से कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वे एमओईएफसीसी के दिनांक 03. 2.2009 के आदेश का अनुपालन के साथ–साथ। गैर–वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन से पहले एफआरए का सख्ती से अनुपालन और परिवर्तन के लिए ग्राम सभा के न्यूनतम 50% कोरम की सहमति सुनिश्चित करें।
- सचिव, जनजातीय कार्य ने उन क्षेत्रों में सार्वजनिक जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए अक्टूबर, 2019 में सभी राज्यों के प्रधान सचिव को पत्र लिखा कि जहां अधिनियम का कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ है उन क्षेत्रों में जन जागरूकता सृजन कार्यक्रम चलाए जाएं और सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों पर सरकारी अधिकारियों और पीआरआई सदस्य की क्षमताओं के निर्माण के लिए केंद्रित प्रयास किए जाएं।

आगे की राह

7.7 वन अधिकार अधिनियम में करोड़ों जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की क्षमता है। इस मंत्रालय तथा सभी प्रतिभागियों के नियमित समर्थन और ग्राम सभाओं एवं कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सभी स्तरों पर दिशा–निर्देश द्वारा निरंतर प्रयासों से वन अधिकार अधिनियम की पूरी क्षमता प्राप्त की जा सकती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय एफआरए के तहत लाभार्थियों को व्यापक प्रचार और सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंत्रालय का उद्देश्य एफआरए 2006 के कार्यान्वयन में तेजी लाना है, आने वाले वर्षों में विशेष रूप से सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, पीवीटीजी के पर्यावास अधिकार और घुमंतू और देहाती समुदायों के मौसमी संसाधन उपयोग के अधिकार और कार्यान्वयन सभी राज्यों में गति प्राप्त करने की उम्मीद है। राज्य सरकारें, जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्थन के साथ, इस ऐतिहासिक अधिनियम के उद्देश्य को तन और मन से जमीनी स्तर पर असल में कार्यान्वित करने के लिए उच्च गति से अधिनियम के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएंगी।

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन हेतु कार्यक्रम

8.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा के संवर्धन हेतु कई योजनाएं तथा कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं । ये नीचे दिये गये हैं:

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

8.2 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), प्रत्येक स्कूल में 480 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। ईएमआरएस का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों को न केवल उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठाने तथा सरकारी एवं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने में सक्षम बनाना बल्कि गैर–अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के समतुल्य शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच भी प्रदान करने के लिए उन्हें गुणवत्तापरक मिडिल और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है । यह अब 2019–20 से केन्द्रीय क्षेत्र की एक अलग स्कीम है।

8.3 ईएमआरएस की स्थापना के लिए न्यूनतम 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और अकादमिक शिक्षा के साथ–साथ पाठ्येत्तर गतिविधियों की आवश्यकता के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं होना अनिवार्य है। ईएमआरएस में विद्यार्थियों को उनकी रूची के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसरों का उपयोग करने हेतु परिवेश को अनुकूल बनाने के उद्देश्य के साथ स्कूल भवन के अलावा, खेल के मैदान, विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर लैब, शिक्षक संसाधन कक्ष आदि के प्रावधान की सुविधा भी प्रदान की गई है। स्थापित मानदंडों के अनुसार, कक्षा VI से कक्षा X तक केवल 60 विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के साथ केवल दो वर्गों में तथा कक्षा XI और कक्षा XII में विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी की विधाओं में 90 विद्यार्थियों को प्रत्येक में 30 विद्यार्थियों के साथ केवल तीन वर्गों में विभाजन मान्य है। यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारें शैक्षिक और पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के चयन में उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करें और इसे बनाए रखें।

8.4 छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत 20.00 करोड़ रुपये निर्धारित की गई, जो पर्वतीय क्षेत्रों और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में 24.00 करोड़ रूपये तक जाने के प्रावधान के साथ है। वर्ष 2019–20 के दौरान आवर्ती लागत को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी 61,500/– रूपये से बढ़ाकर प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी 1,09,000/– रूपये कर दिया गया है।

8.5 ईएमआरएस के महत्व को देखते हुए सरकार ने 2018–19 के संघ बजट में घोषणा की कि सरकार जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में सर्वोत्तम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन को पूरा करने के लिए 50% से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समतुल्य होंगे और इसमें खेल एवं कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति ने उपर्युक्त बजट घोषणा के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ ईएमआरएस स्कीम के पुनः उद्धार को अनुमोदित किया।

8.6 देश भर में, जनगणना 2011 के अनुसार, 564 उप–जिले हैं, अर्थात 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति

जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले ब्लॉक / तालुका / तहसील हैं। इन उप–जिलों में से, वर्तमान में 252 उप–जिलों में ईएमआरएस हैं और शेष 312 उप–जिलों में 2022 तक ईएमआरएस होगी। ऐसे ब्लॉकों की सूची **अनुलग्नक–8क** में प्रस्तुत है।

8.7 संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं:

i. ईएमआरएस की एक अलग योजना बनाई गई। (अब तक इस स्कीम के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत "भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान" के अन्तर्गत वित्त–पोषण प्रदान किया जाता था।)

ii. कक्षा छठी से बारहवीं तक के छात्रों के लिए प्रत्येक 480 छात्रों की क्षमता वाले स्कूल स्थापित किए जाते हैं।

iii. 90% या अधिक अजजा आबादी वाले और 20,000 या अधिक जनजातीय व्यक्तियों के साथ उप–जिलों में एकलव्य आदर्श दिवा छात्रावास विद्यालय (ईएमडीबीएस) की स्थापना का प्रावधान।

iv. शैक्षणिक शिक्षा की आवश्यकता के साथ–साथ अतिरिक्त कार्यकलापों को पूरा करने व बेहतर बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ईएमआरएस के मामले में 15 एकड़ और ईएमडीबीएस के मामले में 5 एकड़ की न्यूनतम भूमि।

v. 20.00 करोड़ रूपये प्रति विद्यालय का निर्माण अनुदान । उत्तर पूर्व, पहाड़ी क्षेत्रों, कठिन क्षेत्रों और वाम विंग अतिवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों के लिए अतिरिक्त 20% के साथ।

vi. ईएमआरएस के मामले में प्रति छात्र प्रति वर्ष 1.09 लाख रूपये का आवर्ती अनुदान और ईएमडीबीएस के मामले में 0.85 लाख रूपये ।

vii. जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्वायत सोसाइटी के रूप में स्थापित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ताकि स्कूलों की स्थापना, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन सुनिश्चित हों व ऐसे कार्य किए जा सकें जो ऐसे विद्यालयों के प्रोत्साहन में सहायक व आवश्यक हों।

viii. जनजातीय बाहुल्य जिलों में सभी संबंधित अवसंरचना (भवन, उपकरण आदि) के साथ खेलकूद के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जिसमें दो चिन्हित खेलों (एक समूह के खेल और एक व्यक्तिगत खेल सहित) के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाएँ शामिल हैं, जो एक राज्य के लिए सामान्य होंगी।

ix. गैर–अजजा छात्रों द्वारा 10% सीटों तक का उपयोग। ईएमआरएस स्टाफ के बच्चों जो बच्चे अपने माता–पिता को वामपंथी उग्रवाद और विद्रोहों, में खो चुके हैं। विधवाओं के बच्चों, दिव्यांग माता–पिता आदि के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

x. खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुपात्र अजजा छात्रों के लिए खेल कोटा के तहत 20% सीटों का आरक्षण।

8.8 दिनांक 31.12.19 तक की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में मंत्रालय द्वारा 438 ईएमआरएस/ ईएमबीडीएस स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से, 284 ईएमआरएस पूरी तरह कार्यात्मक हैं और शेष ईएमआरएस कार्यात्मक बनने के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक स्वीकृत (ब्लॉक–वार) ईएमआरएस की सूची **अनुलग्नक–8ख** में है। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विद्यालयों की राज्य–वार सूची उनकी कार्यात्मक स्थिति सहित **तालिका 8.1** में दी गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकारों को ईएमआरएस के लिए आवर्ती और गैर–आवर्ती निधियों की निर्मुक्ति संबंधी विवरण **अनुलग्नक–8ग** में है।

तालिका 8.1 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) (31.12.19 तक) के तहत अब तक स्वीकृत ईएमआरएस / ईएमडीबीएस की संख्या और कार्य

क्र.सं.	राज्य का नाम	ईएमआरएस		ईएमडीबीएस	
		स्वीकृत	कार्यशील	स्वीकृत	कार्यशील
1	आंध्र प्रदेश	19	19		
2	अरूणाचल प्रदेश	8	2		
3	असम	5	0		
4	बिहार	2	0		
5	छत्तीसगढ़	42	42		
6	गुजरात	34	34	1	1
7	हिमाचल प्रदेश	4	4		
8	जम्मू एवं कश्मीर	8	0		
9	झारखण्ड	46	13		
10	कर्नाटक	12	10		
11	केरल	4	2		
12	मध्य प्रदेश	45	45		
13	महाराष्ट्र	24	24	1	
14	मणिपुर	10	3		
15	मेघालय	15	0		
16	मिज़ोरम	11	2		
17	नागालैंड	12	3		
18	ओडिशा	57	19		
19	राजस्थान	21	17	1	1
20	सिक्किम	4	4		
21	तमिलनाडु	8	8		
22	तेलंगाना	16	16		
23	त्रिपुरा	12	4	1	1
24	उत्तर प्रदेश	4	2		
25	उत्तराखण्ड	3	1		
26	पश्चिम बंगाल	8	7		
	कुल योग	**434**	**281**	**4**	**3**

वर्ष 2019–20 की मुख्य विशेषताएं

8.9 ईएमआरएस में नामांकित विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान ईएमआरएस के पुनर्रूत्थान के लिए कई कदम उठाए गए थे। 100 नए ईएमआरएस / ईएमडीबी को चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत किया गया। विद्यालयों के लिए अनुच्छेद 275 (1) के तहत वर्ष 2019–20 के दौरान स्वीकृत निधियों को दर्शाने वाला विवरण **तालिका 8.2** में निम्नानुसार दिया गया है:

तालिका 8.2 वर्ष 2019–20 के दौरान स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय / दिवा बोर्डिंग विद्यालय (ईएमआरएस / ईएमबीडीएस)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत ईएमआरएस / ईएमडीबीएस की संख्या	स्वीकृत निधियां (करोड़ रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	3	68.00
2.	छत्तीसगढ़	14	304.00
3.	गुजरात	4	80.00
4.	झारखण्ड	21	476.00
5.	मध्य प्रदेश	10	100.00
6.	महाराष्ट्र	4	84.00
7.	मणिपुर	2	48.00
8.	मेघालय	2	48.00
9.	मिज़ोरम	2	48.00
10.	नागालैंड	1	24.00
11.	ओडिशा	28	572.00
12.	राजस्थान	2	40.00
13.	तेलंगाना	3	64.00
14.	त्रिपुरा	4	96.00
	कुल	**100**	**2052.00**

8.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी को स्वायत्त सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। आयुक्त और अपर आयुक्त की नियुक्ति के साथ सोसायटी संचालित हो गई है। 14 और पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

8.11 राज्यों के साथ कठोर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के कारण, 66 विद्यालयों को वर्ष के दौरान कार्यात्मक बनाया गया।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में 462 नए ईएमआरएस को स्थापित करने के कार्यक्रम को 12 सितंबर, 2019 को रांची, झारखंड में शुरू किया गया।

8.12 नए विद्यालयों के निर्माण के लिए कार्य–प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया गया। सीपीडब्ल्यूडी को 44 विद्यालयों के निर्माण का काम सौंपा गया।

8.13 केंद्रीय निर्माण एजेंसियों को शामिल करने के लिए निमंत्रण प्रक्रिया की गई और एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है।

8.14 मंत्रालय द्वारा किए गए सकारात्मक भूमिका के कारण 58 विद्यालयों को सीबीएसई के साथ संबद्ध किया गया है और इस प्रकार सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों की संख्या 143 हो गई हैं। अन्य 30 विद्यालयों के लिए आवेदन–प्रक्रिया प्रगति पर है।

8.15 ईएमआरएस की निगरानी बड़े पैमाने पर की गई है। ईएमआरएस के कामकाज में सुधार लाने, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधान लाने, इमारतों को पूरा करने आदि के लिए दिनांक 23.08.19, 16.10.19 और 26.11.19 को राज्य सरकार और ईएमआरएस सोसायटी के अधिकारियों के साथ तीन वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं थीं। इसके अलावा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, पीएसी बैठकों और मध्यावधि समीक्षा बैठक के दौरान चर्चाओं में ईएमआरएस ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है।

8.16 राज्यों तथा ईएमआरएस के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों का शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर हुआ है। कई विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है।

8.17 खेल और सह–पाठयक्रम गतिविधियों की ओर भी बल दिया गया है। कई ईएमआरएस विद्यार्थियों ने विभिन्न जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर और जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

8.18 बच्चों और किशोरों के लिए पौष्टिक परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से, सभी ईएमआरएस में सितंबर, 2019 के महीने में पोषण माह (राष्ट्रीय पोषण माह) मनाया गया। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रभात फेरी, पोषण मेला, पोषण रैलियां और पैदल यात्राएं, नुक्कड़ नाटक, स्कूल आधारित कार्यक्रम, पाक विधि प्रदर्शन, सिकल सेल की जांच, पोषाहार समृद्ध वृक्षों जैसे मोरिंगा वृक्ष का रोपण आदि गतिविधियां आरंभ की गईं।

8.19 ईएमआरएस ने स्वच्छ भारत सेवा (एसएचएस) 2019 अभियान में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए जन आन्दोलन को तेज करना है, आगे इसे सुनिश्चित करना कि 'स्वच्छता बनाये रखना सभी का कार्य है'। स्वच्छता व्यवहार के संबंध में परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए घर–घर तक अभियान जैसी गतिविधियां; 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2019 तक पखवाड़े के दौरान स्वच्छता संबंधी नुक्कड़ नाटक, मोहल्ला नाटक, लोक गीत, नृत्य प्रदर्शन; ग्राम स्तर की रैलियाँ; सामुदायिक स्तर का श्रमदान; विद्यालय परिसर की साफ सफाई में विद्यार्थियों की भारी भागीदारी के साथ आयोजित की गई।

दूसरी राष्ट्रीय स्तरीय ईएमआरएस संगीत प्रतियोगिता

ईएमआरएस छात्रों की सांस्कृतिक प्रतिभा को पोषित करने के लिए, मंत्रालय ने पहली बार 2018–19 के दौरान पहली राष्ट्रीय स्तर की ईएमआरएस संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता ने छात्रों को अपनी कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच दिया। प्रतियोगिता स्कूल स्तर पर आयोजित की गई और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर और अंत में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ समापन हुआ जो जमशेदपुर में आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर, उत्तराखंड में देहरादून की ईएमआरएस कलसी की विजेता टीम को 9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देना और प्राकृतिक प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य के साथ सभी सह–पाठयक्रम गतिविधियों में ईएमआरएस में छात्रों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वार्षिक रूप में ईएमआरएस सांस्कृतिक मिलन (कल्चरल फेस्ट) का आयोजन करने का निर्णय लिया है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन में ईएमआरएस कलसी, उत्तराखंड के छात्र

राष्ट्रीय ईएमआरएस सांस्कृतिक उत्सव 2019–20 का दूसरा संस्करण 28 से 30 नवंबर, 2019 तक उदयपुर, राजस्थान में आयोजित किया गया था। स्कूल स्तर व बाद में राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभागियों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) किया गया। इस वर्ष छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए व्यापक विकल्प देने के लिए घटनाओं की श्रेणी का विस्तार किया गया। पिछले साल यह प्रतियोगिता केवल समूह गीत श्रेणी के लिए आयोजित की गई थी, जबकि इस वर्ष 4 कार्यक्रम हुए अर्थात संगीत – शास्त्रीय / लोक स्वर और वाद्य (सोलो और समूह) और नृत्य – शास्त्रीय या लोक (सोलो और समूह)।

वर्ग	विजेता
समूह नृत्य	ईएमआरएस निखर, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
सोलो डांस	पूजा बाल मीणा, ईएमआरएस मल्लन, अलवर, राजस्थान
समूह गान	ईएमआरएस तोरसिंदरी, झारखंड
सोलो गीत (सॉन्ग)	मनीषा मीणा, ईएमआरएस निवाई, राजस्थान
स्टेट चैंपियन	राजस्थान

28.11.2019 को उद्घाटन समारोह में श्री सौरभ जैन, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ अनिल कुमार एडेपल्ली, निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार, श्रीमती अंजलि राजोरिया, अपर आयुक्त और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल थे ।

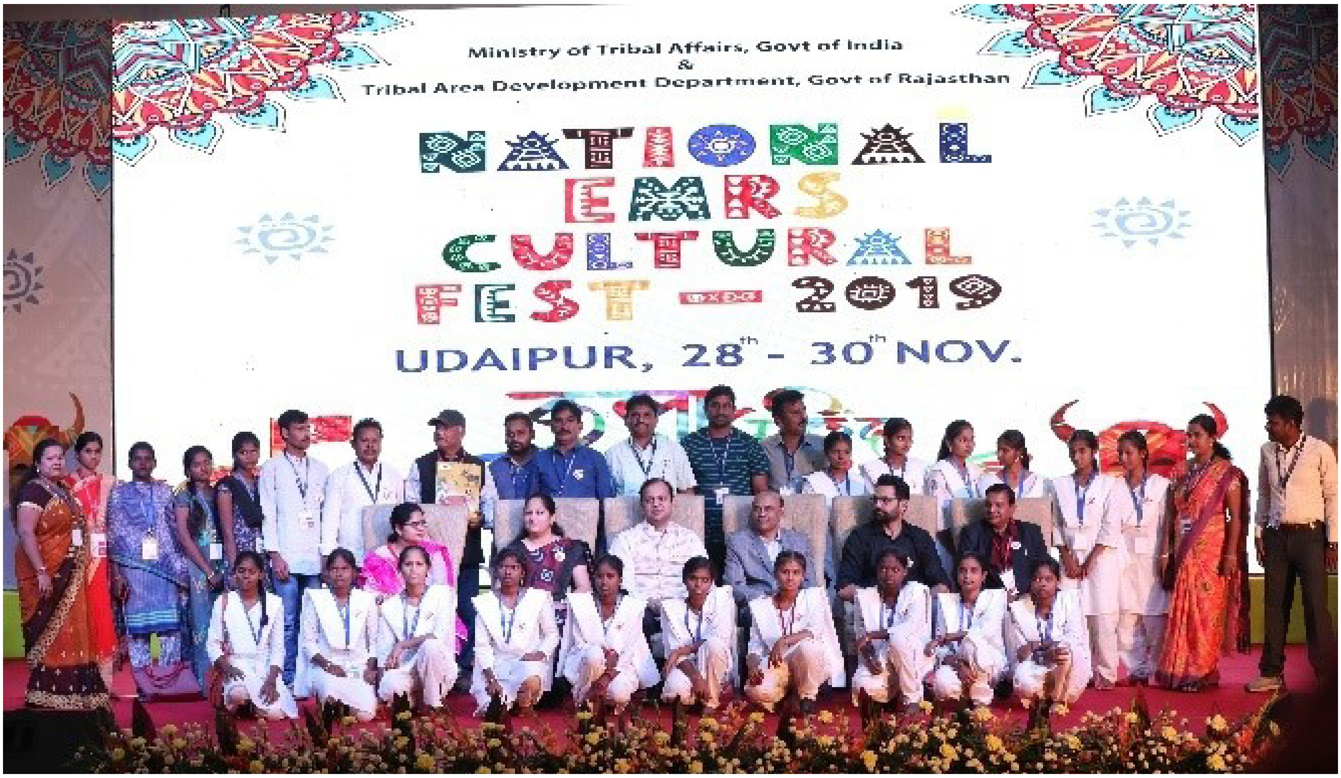

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार; श्री दीपक खांडेकर, सचिव (जनजातीय कार्य), भारत सरकार; सुश्री एम.आर शेरिंग, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार; श्रीमती अंजलि राजोरिया, अपर आयुक्त और राज्य सरकार के अधिकारी 30.11.2019 को समापन समारोह में उपस्थित थे।

दूसरा राष्ट्रीय स्तरीय ईएमआरएस खेल–कूद सभा (स्पोर्ट्स मीट)

खेल प्रतिभाओं की शीघ्र पहचान और पहचान की गई प्रतिभा के पोषण के साथ–साथ उन्हें खेल के बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने पहली बार 2018–19 के दौरान हैदराबाद में नेशनल ईएमआरएस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया। इसे एक वार्षिक विशेषता बनाने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय स्तरीय ईएमआरएस स्पोर्ट्स मीट का दूसरा संस्करण 9 से 13 दिसंबर, 2019 को भोपाल, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस बैठक में 20 राज्यों के लगभग 4500 छात्रों ने भाग लिया।

8.20 जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की स्कीम के तहत, शिक्षा क्षेत्र जैसे विद्यमान बिल्डिंग अवसंरचना, सह–शिक्षा आवासीय विद्यालयों के निर्माण, बालिकाओं और बालक छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालयों के निर्माण, आवासीय विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आईटी आधारित शिक्षा सुविधाएं / उपकरणों आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए अन्य बातों के साथ–साथ निधियां प्रदान की जाती हैं। आश्रम विद्यालयों, बालक और बालिकाओं छात्रावास और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) से संबंधित उपायों को अब टीएसएस को एससीए की स्कीम और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानों के अन्तर्गत देखा जाता है।

छात्रवृत्ति स्कीमें:

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की 5 छात्रवृत्तियां हैं, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति योजनाएं हैं। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय समुद्रपारीय केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं, जबकि मैट्रिकपूर्व और मौट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं।

कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरुरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

8.21 उद्देश्य:– स्कीम के उद्देश्य हैं –(i) कक्षा ix तथा x में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के माता–पिता की सहायता करना ताकि विशेष रुप से शिक्षा

के प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में जाने तथा माध्यमिक स्तर के दौरान, स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटना को कम किया जा सके, तथा (ii) कक्षा ix तथा x के पूर्व मैट्रिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहभागिता को सुधारना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें बेहतर प्रगति करने के मौके प्राप्त हो सकें।

8.22 मुख्य विशेषताएं :

- यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केन्द्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है। बिना विधानमण्डल के संघ राज्य–क्षेत्रों के लिए शेयरिंग पैटर्न 100% केन्द्रीय अंश है।
- छात्रवृत्तियां केवल भारत में अध्ययनों के लिए ही उपलबध हैं।
- राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और समय पर इन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है।

8.23 पात्रता:

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उसके माता–पिता /अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि पोषित किसी अन्य मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त न कर रहा हो।
- वह सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या केन्द्रीय /राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।

8.24 लाभ:

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा विद्यार्थियों के लिए 225/– रूपये प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 525/– रूपये प्रतिमाह की दर से किया जाता है। (01.12.2019 से संशोधित)
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्रों के लिए 750/– रूपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/– रूपये वार्षिक की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी दिव्यांगता के आधार पर 160/– रूपये से 240/– रूपये के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं।
- छात्रवृत्तियों का भुगतान एक अकादमिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।
- प्रदत्त छात्रवृत्तियां अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। कक्षा IX में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा X के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

8.25 कार्य निष्पादन: 340 करोड़ रूपये की राशि स्कीम के तहत वर्ष 2019–20 के लिए आवंटित की गई थी जिसमें से 328.25 करोड़ रूपये 31.12.2019 तक खर्च किए गए। वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान राज्य–वार शामिल लाभार्थी और जारी की गई केंद्रीय सहायता (31.12.2019 तक) **अनुलग्नक–8घ** पर दी गई है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम (पीएमएस)

8.26 उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र: इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए समर्थ

बनाया जा सके। यह योजना कुछ संसाधनों के साथ 01.07.2010 से संशोधित की गई है। यह योजना उन सभी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए खुली है जिनके माता–पिता की वार्षिक आय दिनांक 01.04.2013 से 2.50 लाख रुपये या इससे कम है तथा छात्रवृत्ति का वितरण उस राज्य /संघ राज्यक्षेत्र सरकार के माध्यम से किया जाता है जहां वे अधिवासित है।

8.27 मुख्य विशेषताएं:

i. इस योजना में राज्य फीस नियामक बोर्ड द्वारा नियत की गई ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। छात्रों को पाठ्यक्रम के आधार पर अनुरक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 230/– रूपये प्रतिमाह से 1200/– रूपये प्रतिमाह है जैसाकि निम्नलिखित है।

(राशि रूपये में)

समूह	पाठ्यक्रम	अनुरक्षण भत्ता की दर (रुपये प्रति माह)	
		छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह I	एम.फिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च (मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सीए आदि) सहित डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम।	1200	550
समूह II	ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र जैसे क्षेत्रों में फार्मेसी (बी फार्मा), नर्सिंग (बी नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरा–मेडिकल शाखाएं (एमए, एम.एससी, एम.कॉम, एम.फार्मा, एम.एड आदि)	820	530
समूह III	स्नातक डिग्री के लिए अन्य सभी पाठ्यक्रम समूह I और II के तहत कवर नहीं किया गया बीए/बीएससी/बी.कॉम आदि।	570	300
समूह IV	सभी मैट्रिकोत्तर, गैर–डिग्री स्तर (व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि)	380	230
	उपरोक्त के अलावा, अजजा दिव्यांग छात्रों के लिए प्रावधान	160 रूपये से लेकर 240 रूपये	

ii. दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ते का प्रावधान है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

iii. छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह विद्यार्थियों के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

iv. राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और समय पर इन्हें छात्रवृत्तियों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

8.28 निधियन पद्धति: स्कीम राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केंद्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है। बिना विधानमण्डल के संघ राज्यक्षेत्रों के लिए शेयरिंग पैटर्न 100% केन्द्रीय अंश है।

8.29 कार्यनिष्पादन: 1613.50 करोड़ रुपये की राशि (31.12.2019 तक) (अंब्रेला स्कीम के सामान्य घटक) के बजट आवंटन की तुलना में 1611.10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2017–18 से 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान राज्य–वार लाभार्थियों की कवरेज तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता **अनुलग्नक–8ङ** में दी गई है।

8.30 डीबीटी पोर्टल: ई–पहलें

जैसा कि डीबीटी मिशन– कैबिनेट सचिवालय द्वारा अधिदेश दिया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय डीबीटी – पोर्टल विकसित करने वाला पहला मंत्रालय है जो

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई प्री और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थी डेटा एकत्र करने और उससे मिलान के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) है। इसमें 3 मुख्य मॉड्यूल हैं जैसे डेटा मॉड्यूल, संचार और निगरानी मॉड्यूल। "डेटा मॉड्यूल 'में राज्यों को वेब सेवाओं, एक्सेल / सीएसवी फ़ाइल के माध्यम से या राज्य की आईटी क्षमता के आधार पर डेटा की मैन्युअल प्रविष्टि के माध्यम से ऑनलाइन लाभार्थी डेटा साझा करने की सुविधा दी गई है। जैसा कि पोर्टल जून 2019 में शुरू किया गया था, वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए 45 लाख लाभार्थियों के बारे में डेटा को राज्यों द्वारा अपलोड किया गया है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्लेटफार्मों पर पोर्टल हैं, विभिन्न डेटाबेस और विभिन्न प्रारूप का उपयोग करते हुए, राज्यों द्वारा डेटा साझा करने के लिए एक 31 क्षेत्रीय सामान्य प्रारूप को डिजाइन किया गया है। राज्यों को पूरे और सही डाटा को अपलोड करने के लिए निरंतर आग्रह और प्रयासों की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान 9 राज्य / संघ शासित प्रदेश जो छात्रवृत्ति अनुप्रयोगों को मैन्युअल रूप से संसाधित कर रहे थे, उन्हें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर लाया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, गोवा आदि हैं। एनआईसी के तहत सेंटर फॉर डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए) को डेटा का विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है। '' राज्यवार डेटा विश्लेषण सहित (स्टेट वाइज डेटा एनालिसिस रिपोर्ट)'' राज्यों के साथ साझा की जाती है। नियमित वीसी के माध्यम से राज्यों के साथ ऑनलाइन और नियमित बैठकें की जाती हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्य का दौरा और इसके विपरीत दौरे होते हैं। डेटा का मानकीकरण, और शुद्ध और सही डेटा प्राप्त करना एक विशाल प्रक्रिया है, जिसे समर्पित टीम द्वारा राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ निरंतर अनुसरण की आवश्यकता होती है।

राज्य डीबीटी पोर्टल के "संचार मॉड्यूल" में प्रश्न, दस्तावेज उपयोग प्रमाणपत्र, तेजी से पत्राचार पर व्यय का विवरण अपलोड कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण नोटिस और पत्राचार पोर्टल के माध्यम से भेजे जाते हैं और इसमें थोक में (बल्क) संदेश भेजने की सुविधा होती है। मॉनिटरिंग के लिए "मॉनिटरिंग मॉड्यूल" में राज्य वार, संस्थान वार, लिंग वार, विषय (स्ट्रीम) वार रिपोर्ट जैसे विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की सुविधा है। ई–पहल के परिणामस्वरूप मैनुअल यूसी आधारित मोड से डेटा आधारित ऑनलाइन मोड के प्रतिमान में बदलाव हुआ है। डेटा संग्रह प्रक्रिया का मानकीकरण है और निधियां जारी करने के लिए डेटा साझाकरण अनिवार्य है। जारी निधियों की मैपिंग और उनके उपयोग का प्रावधान है। इसने राज्यों के साथ संचार में सुधार किया है और बजट रिलीज प्रक्रिया में तेजी लाई है। जिन राज्यों ने जीएफआर और डेटा आवश्यकता का अनुपालन किया है उन्हें 2018–19 तक बकाया राशि जारी की गई है और शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए अधिकांश राज्यों को 25% –50% निधियां जारी की गई है। मंत्रालय का प्रयास प्रवेश (शैक्षणिक वर्ष) की तारीख और छात्रवृत्ति जारी करने के बीच के समय के अंतराल को डीबीटी मोड के माध्यम से कम करना है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

8.31 उद्देश्य : इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2005–06 से शुरु की गई है।

8.32 कवरेज: यह स्कीम निम्नानुसार भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों को कवर करती है:–

i. यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) / 2(8) / 1 12(ख) के तहत शामिल विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय

ii. यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शामिल माने गए विश्वविद्यालयों पर विचार किया जायेगा तथा वे यूजीसी से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

iii. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा निधि पोषित विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय

iv. राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान

अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:–

क.	एम.फिल का नामांकन	2 वर्ष
ख.	विशेषत: पीएचडी	5 वर्ष
ग.	एम.फिल पूरी होने के पश्चात पीएचडी में नामांकन	2 वर्ष (एम.फिल) तथा 3 वर्ष (पीएचडी)

8.33 निधियन पद्धति: यह एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है और केन्द्र सरकार द्वारा समस्त वित्त पोषण किया जाता है। अध्येतावृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:

कोर्स	राशि (रु.)	आकस्मिकता	एचआरए	एस्कॉर्ट्स / रीडर सहायता
एम.फिल	प्रतिमाह 25000/– रूपये की दर से	i. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 10,000/– रूपये ii. विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष 12,000/– रूपये	विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय के नियमों के अनुसार	सभी विषयों के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामले में प्रतिमाह 2000/– रूपये
पीएचडी	प्रतिमाह 28000/– रूपये की दर से	i. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 20,500/– रूपये ii. विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष 25,000/– रूपये		

निधियों को सीधे ही स्कॉलर के एकाउन्ट में यूजीसी द्वारा 2011 से नामित अधिकृत केनरा बैंक के माध्यम से अन्तरित किया जाता है। छात्रों को छात्रवृत्ति राशि जारी होने के लिए तिमाही जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

8.34 मुख्य विशेषताएं :

- इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 750 अध्येतावृत्तियां दी जाती हैं।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस स्कीम में आय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय 4794 शोध छात्रों को जिन्होंने 2011 से 2018 में 331 विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया, निधियां जारी कर रहा है। 2019–20 एकेडमिक वर्ष के लिए चयन प्रक्रिया जारी है।

8.35 कार्यनिष्पादन: वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 100.00 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में 77.24 करोड़ रूपये की राशि निर्मुक्त की गई थी (उच्च स्तर शिक्षा स्कीम सहित)।

8.36 ई–पहलें: चयन प्रक्रिया पारदर्शी मेरिट आधारित है; और समर्पित पोर्टल https://tribal.nic.in/nfs.aspx (फैलोशिप पोर्टल) के माध्यम से प्रबंधित होती है। सितंबर में विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद

आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्रवृत्ति के चयन और संवितरण की प्रक्रिया उसी शैक्षणिक वर्ष में पूरी हो। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2019–20) के दौरान, पोर्टल 30/11/2019 को बंद कर दिया गया था और 2815 छात्रों ने आवेदन किया है और अंतिम चयन प्रगति पर है।

8.37 डिजी–लॉकर के साथ एकीकरण: आवेदन पत्र में, छात्रों को आधार, आय, जाति, जन्म और अंक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है, जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय और संस्थानों द्वारा जहां उन्होंने प्रवेश लिया है सत्यापित किया जाना आवश्यक है। अधिकांश राज्य और सरकारी एजेंसियां मीटी वाई द्वारा विकसित डिजी–लॉकर पर ऐसे दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं। ऐसे दस्तावेज़ प्रामाणिक हैं और आगे सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। वर्ष के दौरान, अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) और समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (ओवरसीज स्कॉलरशिप) पोर्टल्स दोनों को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। छात्र उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ डिजी–लॉकर और छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण करता है। डिजी–लॉकर पर उपलब्ध सभी दस्तावेज स्वचालित रूप से प्राप्त होते हैं और आवेदन पत्र पर दिखाई देते हैं। डिजी–लॉकर पर कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, छात्र के पास इसे आवेदन पत्र में मैन्युअल रूप से अपलोड करने का विकल्प होता है। इसने नकली और फर्जी दस्तावेजों को अपलोड करने से रोका है और सत्यापन प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

8.38 फैलोशिप पोर्टल के साथ विश्वविद्यालयों का एकीकरण: सभी विश्वविद्यालय जहां 4794 छात्र (स्कॉलर) अध्येतावृत्ति कार्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं, को फैलोशिप पोर्टल के साथ "सत्यापन मॉड्यूल" के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के पंजीकृत नोडल अधिकारी डिजी–लॉकर पर उपलब्ध दस्तावेजों और स्कॉलर द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को देख सकते हैं और आवेदन को डिजिटल रूप से अनुमोदित या अस्वीकार कर सकते हैं। इसका परिणाम समय की बचत और धोखाधड़ी सत्यापन की जांच और इसे रोकना हुआ है। विश्वविद्यालयों के पास लंबित आवेदनों को मॉनीटर करने की सुविधा भी है और सत्यापन में तेजी लाने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

8.39 शिकायत निवारण और संचार तंत्र: तेजी से संचार और शिकायत निवारण के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स, अर्थात्, छात्र, विश्वविद्यालय, कैनरा बैंक (संवितरण के लिए अधिकृत बैंक) और डिजी लॉकर को फेलोशिप पोर्टल के "संचार मॉड्यूल" के साथ पंजीकृत किया गया है। यह न केवल त्वरित शिकायत निवारण में मदद करता है, बल्कि सभी हितधारकों से बल्क संदेशों और मेल के माध्यम से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इन ई–पहलों ने प्रसंस्करण समय और मैनुअल हस्तक्षेप को कम कर दिया है। पदानुक्रम में सभी अधिकारी प्रश्नों / शिकायत की लंबित स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी प्रश्नों को 24 घंटे में हल किया जाए। प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को सिलसिलेवार प्रश्न (थ्रेड–आधारित क्वेरी) के आधार पर अपडेट किए जाते हैं। छात्रों को उपयोगकर्ता मैनुअल, वीडियो क्लिपिंग, फोन हेल्पलाइन, ईमेल, हेल्प डेस्क द्वारा रिमोट एक्सेस के माध्यम से निरंतर सहायता (हैंडहोल्डिंग) भी प्रदान की जाती है।

8.40 आदिवासी प्रतिभा पूल (ट्राइबल टैलेंट पूल): जनजातीय कार्य मंत्रालय फेलोशिप स्कीम में एमफिल और पीएचडी करने के लिए 4794 शोध छात्रों (रिसर्च स्कॉलर्स) को फंडिंग कर रहा है, जिसमें पूरे भारत के आदिवासी स्कॉलर चुनिंदा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। जनजातीय प्रतिभाओं से जुड़ने के लिए, उनके हित के क्षेत्रों को समझने और उद्यमियों, शोधकर्ताओं के रूप में विकसित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उनके कल्याण के लिए भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के साथ एक अनूठी पहल की शुरुआत की। शोधकर्ता के लिए पहला पारस्परिक (इंटरैक्टिव) 3–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 3 से 5 दिसंबर, 2019 तक दिल्ली में किया गया था, जहां जेएनयू, डीयू, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जामिया मिलिया जैसे 7 विश्वविद्यालयों के 57 छात्रों ने

भाग लिया था। कार्यशाला में सचिव और छात्रवृत्ति प्रभाग के अधिकारियों के साथ इंटरैक्टिव सत्र था और छात्रों को योजना में सुधार के लिए अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा करने के लिए कहा गया था। कंप्यूटर–असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) सॉफ्टवेयर के उपयोग व शोध कौशल में सुधार और प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध संकाय द्वारा तकनीकी सत्र किए गए थे। जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को जानने के लिए गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट के साथ एक अतः क्रिया (इंटरैक्टिव) सत्र भी आयोजित किया गया था। समूह चर्चा और प्रस्तुतियों के माध्यम से उनके संचार और प्रस्तुति कौशल का विश्लेषण किया गया। इसके बाद हरियाणा में रेवाड़ी (डिजिटल गांव) के एक क्षेत्र का दौरा किया गया, जहां उन्हें सीएपीआई के अनुभव को बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों द्वारा किए गए अनुसंधान परियोजनाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, उनके शोध कौशल में सुधार करना, छात्रों से संबंधित मुद्दों को समझना, उनकी रुचि और आकांक्षाओं और क्षमता निर्माण के क्षेत्र को जानना है; पूरे भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में आने वाले महीनों में इस तरह के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है जहां ऐसे विद्वान छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के आधार पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना उन 500 जनजातीय विद्वानों को चुनने की है जिन्हें अगले 6 महीनों में कार्यक्रम पूरा होने के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में आमंत्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी) स्कीम (स्नातक स्तर):

8.41 उद्देश्य : इस स्कीम का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 246 संस्थानों की चुनिंदा सूची में डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनकी, पैतृक आय 6.00 लाख रूपये से कम है। यह स्कीम 2007–08 में शुरु की गई है। प्रत्येक वर्ष नई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या वित्तीय वर्ष 2015–16 से 1000 है।

8.42 मुख्य विशेषताएं:

(i) सभी स्रोतों से अजजा विद्यार्थियों की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सरकार / सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के संबंध में पूर्ण ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय योग्य देयताओं को कवर करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हालांकि, निजी संस्थानों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये की सीमा होगी।

(iii) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% आधार पर वित्त–पोषित है तथा निधियां संबंधित लाभार्थी / संस्थान के बैंक खाते में सीधे निर्मुक्त की जाती है।

(iv) (उच्च श्रेणी) छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय सहायता।

संघटक	विवरण
ट्यूशन फीस	सरकार / सरकारी निधि–पोषित संस्थानों के संबंध में पूरी ट्यूशन फीस और अन्य अप्रतिपूर्ति देय
पुस्तकें और स्टेशनरी	रू. 3000 /– की दर से
निर्वाह खर्च	रू. 26400 /– प्रति वर्ष
कंप्यूटर और अनुषंगी उपकरण	रू. 45000 /– कार्यकाल के दौरान एक बार सहायता)

8.43 कार्य निष्पादन: वर्ष 2019–20 के दौरान 100.00 करोड़ रूपए के बजट आबंटन की तुलना में 9.55 करोड़ रूपए का व्यय 31.12.2019 तक किया गया था (अध्येतावृत्ति योजना सहित)।

8.44 ई–पहलें: चयन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल https://scholarships.gov.in के माध्यम से प्रबंधित की जाती है, जिस पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए, पोर्टल 15.11.2019 को बंद कर दिया गया था और 1929 नए उम्मीदवारों और

1660 छात्रों ने आवेदन किया था। नए उम्मीदवारों के ऑनलाइन सत्यापन के बाद, अंतिम मेरिट सूची सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा बनाई जाएगी, जो चयन के मानदंडों को भी तय करती है। 2018–19 में, इंजीनियरिंग से 79%, मानविकी से 8%, विज्ञान से 6% और प्रबंधन से 7% छात्र चुने गए। धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्र आधार लिंक्ड बैंक खाते और संस्थान खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। विश्वविद्यालयों और छात्रों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए राज्यवार, संस्थान वार, लिंग वार, विषय (स्ट्रीम) वार रिपोर्ट जैसी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों के लिए सुविधा है।

8.45 सकारात्मक कार्रवाईः 2018–19 में, क्योंकि इस योजना में केवल 1000 स्लॉट थे और इस योजना में कुल आवेदन 2400 थे। पीएमओ की पहल पर, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और डीआईसीसीआई के साथ बैठक की गई और उन छात्रों की मदद करने के लिए जो 1000 स्लॉट में चयनित नहीं हो सके की सहायता के लिए आगे आने को कहा गया। फिक्की कुछ कॉरपोरेट्स से जनजातीय कार्य मंत्रालय को जोड़ सकता है, जिन्होंने मेडिकल कोर्स करने वाले 25 छात्रों की मदद करने की पेशकश की है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) स्कीमः

8.46 उद्देश्य : इस स्कीम का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पी.एच. डी. तथा डॉक्टोरत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

8.47 कार्यक्षेत्रः विदेश में पढ़ने वाले स्नातकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्क्रमों के लिए अनुसूचित जनजाति के 17 अभ्यर्थियों तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित 3 अभ्यर्थियों को वार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है।

8.48 मुख्य विशेषताएं :

i. यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता–पिता /अभिभावकों की कुल आय 6 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

ii. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली संगत स्नातक डिग्री वांछनीय है तथा कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। एम.फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/ एम. फिल डिग्री वांछनीय अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के पास डॉक्टोरल डिग्री सहित 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन/अनुसंधान/व्यावसायिक अनुभव हो।

iii. उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय / संस्थान में चयन की तारीख से 2 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

8.49 छात्रवृत्ति और अन्य भत्तों की दरेंः –

घटक	यूके डॉलर / यूके पाउंड में राशि
i). ट्यूशन फीस	
ii). वार्षिक रखरखाव भत्ता	$15,400 (यूके को छोड़कर यूएसए और अन्य देश) $9,900 (यूके के लिए)
iii). वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता	$1532 (यूके को छोड़कर यूएसए और अन्य देश) $1116 (यूके के लिए)
iv). पोल टैक्स, वीजा फीस, प्रसांगिक यात्रा व्यय, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, हवाई मार्ग की लागत, स्थानीय यात्रा, वीजा शुल्क	वास्तविक, जहाँ कहीं लागू हो

8.50 इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूहों के उम्मीदवारों को चार वार्षिक 'यात्रा अनुदान' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्व–विद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती है, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इस योजना में इकोनॉमी क्लास द्वारा भारत से/में आने–जाने के लिए अनुदान उपलब्ध है।

8.51 निधियन प्रतिमानः चयनित अभ्यार्थियों को विदेश में भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सीधे अनुदान दिए जाते हैं।

8.52 कार्यनिष्पादनः वर्ष 2019–20 के दौरान 20 विद्यार्थियों का चयन वर्ष 2018–19 के लिए किया गया है तथा वर्ष 2019–20 के लिए भी विद्यार्थियों का चयन किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 के लिए 2.00 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2019 तक 1.78 करोड़ रूपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

8.53 ई–पहलें: चयन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल https://tribal.nic.in/nos.aspx के माध्यम से प्रबंधित की जाती है, जिस पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के दौरान, पोर्टल 30/11/2019 को बंद कर दिया गया था और 162 आवेदन पंजीकृत हुए हैं। यह पोर्टल डिजी लॉकर के साथ भी एकीकृत है। पात्र छात्रों के आवेदनों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा ऑनलाइन जांच की जाती है और 20 उम्मीदवारों को विशेषज्ञ समिति द्वारा चुना जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरिंग, मेडिकल व प्रबंधन और कला संकाय के 10 विशेषज्ञ शामिल होते हैं। वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्रालय 6 देशों में 41 छात्रों को वित्त पोषण प्रदान कर रहा है, जिनमें से 14 यूके में, 10 यूएसए और 6 ऑस्ट्रेलिया में हैं। प्रश्नों और शिकायतों को हल करने के लिए, छात्रों को संचार मॉड्यूल पर पंजीकृत किया गया है और पोर्टल के माध्यम से प्रश्नों को ऑनलाइन हल किया जाता है। ऐसे सभी छात्रों और शिकायतों के डेटा बेस की निगरानी ऑनलाइन की जाती है, जो शिकायत के निवारण और ऑनलाइन संचार में तेजी लाने में मदद करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इन छात्रों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए इन देशों में भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय करता है।

अध्याय 9

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना

9.1 अनुसूचित जनजातियों में कुछ जनजातीय समूह ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का स्तर निम्न और प्रौद्योगिकी कृषि–पूर्व स्तर की है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यतः घटिया अवसंरचना एवं कम प्रशासनिक सहायता वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है तथा उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–9** क में दी गई है।

पीवीटीजी के विकास की योजना

9.2 उनके अत्यधिक पिछड़ेपन तथा कमजोर होने के कारण उनके संरक्षण तथा विकास, एवं उनकी घटती आबादी की प्रवृत्ति की रोकथाम को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। अतः पीवीटीजी के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित तथा 'राज्य योजना' स्कीमों से पर्याप्त निधियां आवंटित करने की आवश्यकता है। वर्ष 1998–99 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय क्षेत्र की एक अलग योजना आरंभ की गई थी। योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्राप्त जानकारी और अनुभव के आधार पर दिनांक 17.09.2019 से संशोधित किया गया है।

कार्यक्षेत्र

9.3 इस योजना में केवल 75 चिह्नित 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाती है जिन्हें वे अपने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की विकास गतिविधि जैसे कि आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषीय वृद्धि, मवेशी विकास, संपर्क, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों की संस्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की उत्तरजीविता, सुरक्षा और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों और जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशा–निर्देशों द्वारा विशेष रूप से प्रबंध नहीं किया जाता है। निधियों और कार्यकरणों के तालमेल का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

योजना का कार्यान्वयन

9.4 संरक्षण–सह–विकास योजनाएं (सीसीडी) राज्य सरकारों और संघ शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा, उनके द्वारा किए गए आधारभूत (बेसलाइन) या अन्य सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अधिवास विकास दृष्टिकोण अपनाकर पांच वर्षों के लिए तैयार की जाती है और मंत्रालय की परियोजना आकलन समिति द्वारा इन्हें अनुमोदित किया जाएगा। राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि वे अपने राज्य में पाए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन

प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। नवीन योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से प्रदायगी (संवितरण) तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी)/ वार्षिक योजनाओं की जांच और अनुमोदन

9.5 सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में मंत्रालय की एक परियोजना आकलन समिति (पीएसी) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) / वार्षिक योजनाओं के प्रस्ताव की जांच करती है और उनके तहत संगत क्रियाकलापों के लिए निधि का अनुमोदन करती है।

9.6 वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान परियोजना आकलन समिति (पीएसी) द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर 14 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल को निधियां जारी की गई हैं।

9.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरा होने की समय–सीमा प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति की निगरानी (मॉनीटरिंग) कुशलता से की जा सके। उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था की जाती है और संरक्षण–सह–विकास/ वार्षिक योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्यार्थ गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाता है।

कार्यान्यवनकारी अभिकरण (एजेंसी)

9.8 इस योजना को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा तैयार संरक्षण–सह–विकास/ वार्षिक योजनाओं के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है।

निधियन पद्धति

9.9 यह 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सामान्यतः सीसीडी योजना में विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप राज्यों को एक किस्त में निर्मुक्त की जाती हैं।

अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग)

9.10 योजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा/अथवा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। किसी भी समय प्रगति की निगरानी में सुधार के लिए प्रपत्र अथवा दिशा–निर्देश निर्धारित करने का अधिकार मंत्रालय के पास सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में रहने वाली पीवीटीजी जनसंख्या का आंकलन करने हेतु उन्हें बेसलाइन सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है।

आवंटन और व्यय

9.11 गत तीन वर्षों के दौरान पीवीटीजी के विकास की स्कीम के तहत किया गया आवंटन तथा निर्मुक्ति/व्यय तालिका 9.1 में दिया गया है:–

तालिका 9.1 : वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के दौरान आवंटन एवं निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय/निर्मुक्ति
2017–18	270.00	240.00	239.46
2018–19	260.00	250.00	250.00
2019–20 (31.12. 2019 तक)	250.00	250.00	175.43

वर्ष 2019–20 के दौरान (31.12.2019 तक) 12 राज्यों को 175.43 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2019–20 तथा विगत दो वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत निर्मुक्त निधियों का राज्य / संघ राज्य–वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–9ख** में दिया गया है।

अध्याय 10

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन

10.1 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित व प्रशासनिक तौर पर समर्थित हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने संशोधित वित्तीय मानकों और चिह्नित उपायों के साथ "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को समर्थन" स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस स्कीम का आधारभूत उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान तथा प्रलेखन कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ करना है। यह परिकल्पना की जाती है कि टीआरआई को साक्ष्य आधारित आयोजना तथा उपयुक्त विधानों, जनजातीय लोगों तथा जनजातीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों/संस्थानों की क्षमता निर्माण, सूचना के प्रसार व जागरूकता निर्माण, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु विशेषज्ञ दल के रूप में कम या अधिक ज्ञान तथा अनुसंधान निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

10.2 योजना की कवरेज :

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टीआरआई कार्य करते हैं।

10.3 दिसंबर, 2017 में मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार "टीआरआई को समर्थन" की स्कीम के तहत किए जाने वाले कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:–

10.3.1 अवसंरचना निर्माण

क. टीआरआई/राष्ट्रीय टीआरआई के लिए आधुनिक भवन।

ख. दैनिक रख–रखाव जैसे, गृह–व्यवस्था, दिन–प्रतिदिन का रख–रखाव, उपयोगिता बिल आदि को छोड़कर विद्यमान टीआरआई भवन की मरम्मत/विस्तार/उन्नयन।

ग. वास्तविक संग्रहालयों सहित जनजातीय संग्रहालय/स्मारक स्थापित करने के लिए समर्थन।

घ. डिजिटल कोष (रिपोजिटरी) सहित पुस्तकालय स्थापित करने के लिए समर्थन।

ङ. टीआरआई भवन में सम्मेलन कक्ष, प्रशिक्षण/संसाधन केन्द्र, प्रशिक्षण छात्रावास।

च. टीआरआईध्संग्रहालय परिसर में अथवा राज्य में अन्य स्थानों पर जनजातीय खाद्य कैफे, कारीगर, कॉर्नर, जनजातीय कला तथा कारीगरी की प्रदर्शनी–सह–बिक्री केन्द्र, स्मारक इत्यादि स्थापित करना।

10.3.2 अनुसंधान तथा प्रलेखन (श्रव्य/दृश्य/आभासी वास्तविक (वीआर)/ विस्तृत वास्तविकता (एआर) तथा नई प्रौद्योगिकी सहित)

(क) जनजातीय कल्याण उपाय

(ख) सफलता की कहानियां

(ग) जनजातीय प्रोफाइल

(घ) जनजातीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, कला तथा कारीगिरी, परम्परागत चिकित्सा प्रक्रियाएं, जनजातीय कथाएं तथा कहानियां, जनजातीय पाक कला तथा अन्य विशेष लक्षण

(ङ) विभिन्न सरकारी उपायों की निगरानी तथा मूल्यांकन

(च) स्थानीय जनजातीय भाषाओं में प्रवेशिकाओं का विकास तथा मुद्रण।

(छ) जनजातीय कला, परम्परा तथा संस्कृति से संबंधित कोई अन्य पहलू।

10.3.3 प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण :

(क) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 सहित अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातीय अधिकारों के संबंध में कानून/संवैधानिक प्रावधान, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा), अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम आदि अधिनियमित किए हैं।

(ख) सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी कार्यकरणों तथा जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण।

(ग) कारीगरों की क्षमता का निर्माण–कला तथा शिल्प, धातु शिल्प, चित्रकारी, नृत्य/नाटक, वस्त्र, हस्तशिल्प के साथ–साथ कला, शिल्प तथा डिजाइन आदि के लिए मूल्यवर्धन। इसमें किट और उपकरण इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

(घ) विभिन्न जनजातीय संबंधित मुद्दों पर संगोष्ठियां, सम्मेलन तथा कार्यशालाएं कराना।

(ड.) विशेषज्ञ दल (थिंक टैंक) संबंधी कार्यकलाप।

10.3.4 राज्यों में कई जनजातीय उत्सव/यात्राएं आदि मनाई जाती हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए प्रचार किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत अनुपूरक समर्थन प्राप्त करने के लिए टीआरआई ऐसे उत्सवों/त्यौहारों को प्रस्तावित कर सकता है।

10.3.5 "जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान–प्रदान" आयोजित करनाः जनजातीय अनुसंधान संस्थान राज्य/देश के अन्य भागों के लिए यात्राओं के आदान–प्रदान का प्रबंध करेगा। यात्रा करने वाले समूहों में विभिन्न जनजातियों के लोग शामिल हो सकते हैं जिनमें महिलाओं तथा अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इसके उद्देश्य में संस्कृति तथा परम्पराओं का वृहत् परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना, अन्य क्षेत्रों के सामाजिक– आर्थिक विकास/सर्वोत्तम प्रक्रिया के बारे में जानना तथा यह देखना कि टीआरआई का और अधिक दक्षता के साथ कैसे प्रबंध किया जा सकता है तथा यह देखना कि मूल संस्कृति आदि खोए बिना कैसे सामाजिक–आर्थिक विकास किया जा सकता है, शामिल होना चाहिए।

10.3.6. नवीन परियोजनाएं/पहलें/कार्यकलाप जो जनजातीय लोगों तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों की सहायता कर सकते हैं।

10.4. "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को समर्थन" स्कीम के तहत निधियन

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में आवश्यकताओं की कोई एकरूपता नहीं है। कुछ टीआरआई के अपने स्वयं के भवन हैं, कुछ अन्य किराए के भवनों में चल रहे हैं। इसी प्रकार कुछ टीआरआई में पुस्तकालय, संग्रहालय आदि हैं, दूसरी तरफ कुछ अन्य में ये नहीं हैं। अतः राज्यों को निधियों के आवंटन हेतु कठोर मानक निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, इस योजना के तहत निधियन सर्वोच्च समिति के अनुमोदन के साथ आवश्यकता आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता होगी। टीआरआई बजटीय आवश्यकता के साथ वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा विस्तृत कार्य योजना तैयार करने तथा राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से इसे मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" की स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी निधियों की स्थिति **अनुलग्नक– 10क** पर दी गई है। टीआरआई का ब्यौरा **अनुलग्नक– 10ख** में दिया गया है।

10.5 सर्वोच्च स्तरीय समिति :

सर्वोच्च स्तरीय समिति टीआरआई द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत वार्षिक योजना का अनुमोदन करेगी तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। सर्वोच्च समिति

द्वारा अनुमोदित कार्यकलापों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी। सर्वोच्च समिति का गठन निम्नानुसार है :

1.	सचिव (जनजातीय कार्य)	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (टीआरआई), जनजातीय कार्य मंत्रालय टीआरआई मामलों के प्रभारी	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति घटक के प्रभारी	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, कौशल विकास मंत्रालय	सदस्य
8.	सलाहकार, नीति आयोग	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/ सचिव/ आयुक्त (प्रभारी), संबंधित राज्य/ संघ राज्य–क्षेत्र के जनजातीय विकास विभाग	सदस्य
10.	निदेशक, राज्य टीआरआई	सदस्य
11.	निदेशक/उप–सचिव/अवर सचिव (टीआरआई), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य सचिव

10.6 उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) को सहायता अनुदान

अनुसंधान संस्थान और संगठन देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहे हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालीन और नीति आधारित व कार्रवाई अनुसंधान अध्ययनों के लिए 'उत्कृष्ट केन्द्रों' के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके :

मंत्रालय द्वारा 31.12.2019 तक मान्य किए गए उत्कृष्टता केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	उत्कृष्टता केन्द्र का नाम
1	भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केन्द्र, गुजरात
2	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
3	बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे, महाराष्ट्र
4	विश्व भारती शांतिनिकेतन
5	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला
6	अमृत विश्व विद्यापीठम, कोयम्बतूर
7	अमृत विश्व विद्यापीठम, केरल
8	इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी–एरिड ट्रॉपिक्स (आईसीआरआईएसएटी), तेलंगाना
9	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक
10	वनजीवन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली
11	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली
12	मानव विकास संस्थान, दिल्ली
13	काउंसिल ऑफ एनालिटिक्ल ट्राइबल स्टडीज (सीओएटीएस), ओडिशा
14	अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस, भोपाल
15	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर (एसपीए), भोपाल
16	इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेस्ट जेनेटिक्स एण्ड ट्री ब्रीडिंग (आईएफजीटीबी), तमिलनाडु
17	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फारमेसीयूटिक्लस एजूकेशन एण्ड रिसर्च (एनआईपीईआर), गुवाहाटी
18	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो–सोशल रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट (आईबीआरएडी), कोलकाता

19	उर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली
20	फिक्की सामाजिक आर्थिक एवं विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
21	सीईडीए, एनआईसीसीएसआई, नई दिल्ली
22	एसईसीएमओएल – लद्दाख
23	पतंजली अनुसंधान संस्थान, देहरादून
24.	हिम्मोथन सोसाइटी, उत्तराखण्ड
25	एआईआईएमएस – जोधपुर
26	पर्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, महाराष्ट्र
27	भारत ग्रामीण आजीविका प्रतिष्ठान (बीआरएलएफ), नई दिल्ली

10.6.1 जनजातीय समुदायों पर गुणवत्तापरक, कार्योन्मुखी और नीति आधारित अनुसंधान करने की संस्थानिक संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करने तथा इन्हें सुदृढ़ करने के लिए इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10.7 अखिल भारतीय या अंतर राज्य प्रकृति की सहायक परियोजनाएं

इस घटक के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन,
ii. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों में सहायक कार्यशालाओं/संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों में संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार–प्रसार, एवं
iii. जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

10.8 अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 100% वित्तीय सहायता अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थानों/गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। परियोजनाओं/प्रस्तावों की छंटनी की जाती है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में स्थापित अनुसंधान परामर्शदात्री समिति (आरएसी)/सीओई पर समिति द्वारा चयन किया जाता है। अनुसंधान परामर्शदात्री समिति का संयोजन निम्नानुसार है:

1.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
3.	निदेशक/उप सचिव (एकीकृत वित्त प्रभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
4.	निदेशक/उप सचिव (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5.	निदेशक/उप सचिव (जनजातीय अनुसंधान संस्थान), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य संयोजक

10.9 कार्यशाला/सेमिनार के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/गैर–सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पद्धति पर अनुदान दिए जाते हैं:

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि (रुपए में)
एक दिन के लिए	50,000/–
दो दिनों के लिए	75,000/–
तीन दिनों के लिए (विशेष मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरा आवश्यक है)	1,00,000/–

10.10 अलिखित जनजातीय लोक कथाओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं/विद्वानों को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय अधिमानतः उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000/– रुपए की सहायता दी जाती है।.

उत्सव, प्रचार और विज्ञापन

10.11 जनजातीय कार्य मंत्रालय, मंत्रालय के अन्य विज्ञापन संबंधी व्यय के वहन के अलावा, अनुसूचित जनजातियों के

लाभ के लिए कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों पर सूचना का प्रसार भी करता है।

10.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के सहयोग से 16 से 30 नवम्बर, 2019 तक दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली में "आदि महोत्सव" नामक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आयोजित किया। 15 दिनों तक चले उत्सव में जनजाति कला और शिल्प, जनजाति मेडिसन, का क्रय व जनजाति शिल्प प्रदर्शन व जनजाति पाक कला और शाम के समय जनजाति लोक नृत्यों का प्रदर्शन शामिल था। विभिन्न राज्यों से 500 से भी अधिक जनजाति शिल्पकारों और कलाकारों ने उत्सव में भाग लिया व 25.11.2019 तक 3.00 करोड़ रूपये (अनन्तिम) की प्रत्यक्ष बिक्री की। ट्राइफेड द्वारा ऐसे ही उत्सव जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से देश के अन्य स्थानों पर भी आयोजित किए जाते हैं ।

10.12.1 देश के 21 स्थानों पर राष्ट्रीय जनजाति उत्सव को करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान ट्राइफेड को निधियां जारी की गई हैं।

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा आदि महोत्सव, दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली में दीप प्रदीपन

माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ श्रीमती अनुसुइया उके ने श्रीमती रेणुका सिंह, राज्यमंत्री (जनजातीय कार्य) और सुश्री रुमा देवी के साथ आदि महोत्सव, दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली का दौरा किया।

अध्याय 11
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

संगठन के बारे में

11.1 संगठनः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनन्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के साथ निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।

मिशन

11.2 सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास।

उद्देश्य

11.3 एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं–

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व–रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और रोजगार के दौरान प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त उनके कौशल और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एससीए) और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्यीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- इनके एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कार्यान्वयन की निगरानी करना।

कार्य

11.4 एनएसटीएफडीसी के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:–

- अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- कौशल विकास और लाभार्थियों तथा राज्यीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता करना।
- एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।

अंश पूंजी

11.5 निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 750 करोड़ रुपये है और दिनांक 31.12.2019 तक प्रदत्त पूंजी 750 करोड़ रुपये थी।

पात्रता मानदण्ड

11.6 एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड हैं: –

क. व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह

- सभी आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए।
- आवेदनकर्ताओं की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुने (डीपीएल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपए प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष है जोकि पूर्व योजना आयोग (अब नीति आयोग) के मानकों के आधार पर है।

ख. सहकारी समितियां: कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिएं तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

गरीबी रेखा से दुगनी (डीपीएल) से अधिक तथा 6.00 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाली अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के लिए ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंक दरों से 2 प्रतिशत कम है।

स्कीमें

11.7 निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा विपणन समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की स्कीमों के विवरण इस प्रकार हैं:–

क. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत प्रमुख स्कीमें:

- **मियादी ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 50.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता स्कीम की लागत के 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/उपान्त धनराशि के रूप में पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह स्कीम केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए है। इस स्कीम के तहत एनएसटीएफडीसी 2 लाख रुपए तक की लागत वाली स्कीम के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।
- **लघु ऋण योजना:** यह स्कीम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजना के तहत निगम प्रति सदस्य 50,000/–रु. और प्रति स्व–सहायता समूह 5.00 लाख रु. प्रदान करता है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना:** यह शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार इस स्कीम के लिए ब्याज–सब्सिडी प्रदान करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि

के दौरान तथा नौकरी प्राप्त होने के एक वर्ष या छह माह के पश्चात, जैसा भी मामला हो, विद्यार्थी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है।

- **जनजातीय वन निवासी सशक्तीकरण स्कीमः** इस स्कीम का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, में जागरुकता पैदा करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, बाजार के साथ संपर्क इत्यादि में सहायता देना है। इस स्कीम के तहत एनएसटीएफडीसी, लाभार्थियों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।

ख. विपणन समर्थन सहायता

निगम लघु वन उत्पाद (एमएफपी) और अन्य जनजातीय उत्पादों की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएसटीएफडीसी की उपर्युक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के मानदण्ड सरसरी तौर पर इस प्रकार हैंः

क्रम सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	लाभार्थियों द्वारा
1.	सावधि ऋण योजना	50.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक)	
				7%	10%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से ऊपर)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई)	2 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.,	लघु ऋण योजना	प्रति सदस्य 50,000 रुपए तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)	10 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना	1 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%

ग. अनुदान के रूप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

- कौशल तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए:

  स्वरोजगार/रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

11.8 निगम का निष्पादन

क. संस्वीकृतियां: निगम ने दिनांक 31.12.2019 तक 54,217 लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान के लिए आय सृजनकारी कार्यकलापों के तहत 117 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसमें इसकी हिस्सेदारी 184.88 करोड़ रुपए है।

ख. संवितरण: निगम ने 84,369 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 31.12.2019 तक 125.48 करोड़ रुपए निर्मुक्त किये हैं। इसमें मियादी ऋण के तहत 82.87 करोड़ रूपए और लघु ऋण योजना के तहत 39.54 करोड़ रूपए का संवितरण शामिल है। वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–11** में दर्शायी गई है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

11.9 निगम ने दिनांक 10.05.2019 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ वर्ष 2019–20 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिसमें विभिन्न कार्यकलापों के लिए लक्ष्य/मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं।

अध्याय 12

जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृखंला का विकास

12.1 "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृखंला का विकास" वर्ष 2013–14 में प्रारंभ की गई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो उन एमएफपी संग्रहकर्ताओं के सामाजिक सुरक्षोपाय के रूप में आरंभ की गई जो अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक सदस्य हैं।

12.2 यह स्कीम एकत्रीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि में उनके (अजजा के) प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करती है। यह लागत में कमी के साथ बिक्री प्रक्रियाओं में से उन्हें राजस्व का हिस्सा दिलाने की भी व्यवस्था करती है। इसका लक्ष्य प्रक्रिया की निरन्तरता के लिए अन्य मुद्दों का भी समाधान करना है।

12.3 इस स्कीम में, चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। विशिष्ट एम एफ पी मद का प्रचलित बाजार भाव निर्धारित एम एस पी से नीचे गिरने की स्थिति में सरकार एजेंसियों द्वारा प्रापण और विपणन संचालन कार्य पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) पर किया जाएगा। इसके साथ–साथ ही अन्य मध्यम व दीर्घकालिक मुद्दों जैसे निरंतर संग्रह, मूल्य वृद्धि, अवसंरचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार आसूचना विकास तथा ग्राम सभा/पंचायत के मोल–भाव की ताकत को सुदृढ़ करने का समाधान भी करेगा।

12.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्कीम के तहत आदिवासियों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए, दिनांक 26/12/2018 की अधिसूचना के अंतर्गत 24 पूर्व अधिसूचित एमएफपी मदों की एमएसपी में संशोधन किया। इसके अलावा, इस स्कीम के तहत एमओटीए की अधिसूचना दिनांक 11/01/2019 के तहत अखिल भारतीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमएफपी मदों में 26 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल कर लिया है। इस प्रकार वर्तमान में स्कीम में 50 मदें शामिल हैं।

योजना का कार्यान्वयन

12.5 प्रारंभ में, इस स्कीम के तहत 9 पेसा राज्यों की 10 एमएफपी शामिल थीं। बाद में इसे सभी राज्यों में और 24 एमएफपी तक विस्तारित किया गया। यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एसएलए के लिए एक परिक्रामी निधि प्रदान करता है। नुकसान, यदि कोई हो, तो उसे केंद्र और राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है। वर्तमान में, इस स्कीम में 50 एमएफपी मदें शामिल हैं और 11.01.2019 से सभी राज्यों के लिए लागू है।

राज्य स्तरीय समर्थन कार्यशाला

12.6 राज्यों के नोडल विभाग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां और अन्य हितधारकों को एमएफपी स्कीम और वन धन विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करने और उन्हें इस योजना के तहत भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय समर्थन/सहायता कार्यशालाएँ आयोजित की गईं ताकि स्कीम के दायरे का लाभार्थियों तक अधिक से अधिक विस्तार किया जा सके। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शंस (एमएफपी) स्कीम के लिए ''न्यूनतम

समर्थन मूल्य (एमएसपी) – अगले आयाम तक'' के मुद्दे पर ट्राइफेड द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य स्तरीय समर्थन/सहायता कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

12.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 11/01/2019 की अधिसूचना के माध्यम से सभी राज्यों में लागू 50 एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 12.1** में दिया गया है।

तालिका 12.1 : वस्तु–वार न्यूनतम समर्थन मूल्य

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	एमएसपी (₹ प्र.कि)
1.	इमली (बीज सहित) टैमारिंडस इंडिका	31
2.	जंगली शहद (वाइल्ड हनी)	195
3.	गोंद कराया स्टेरकुल्या यूरेंस	98
4.	करंज के बीज पोंगामिया पिन्नाटा	19
5.	साल के बीज शोरिया रोबुस्टा	20
6.	महुआ के बीज मधुकलोंगीफोलिया	25
7.	साल के पत्ते शोरिया रोबुस्टा	30
8.	बीज सहित चिरौंजी की फली बुचानानियालांजन	109
9.	हरीतिका टरमिनालिया चेबुला	15
10. (क)	रंगिनी लाख	130
10. (ख)	कुसुमी लाख	203
11.	कुसुम के बीज (शैलिककेरा ओलियोसा)	20
12.	नीम के बीज (आजादीरस्टा इंडिका)	23
13.	पुआद के बीज (कासिया टोरा)	14
14.	बहेड़ा (टरमिनालिया बेल्लिरिका)	17
15.	पहाड़ी झाड़ू घांस (थायसानोलेना मैक्सिमा)	30
16.	सूखी शिकाकायी की फली (अकैसिया कॉनसिन्ना)	43
17.	बायल गूदा (सुखा) (ऐगले मार्मेलोस)	27
18.	नागरमोथा (सायपरस रोटुंडस)	27
19.	शतावरी की जड़ (सुखा) (ऐसपेरेगस रेसमोसुस)	92
20.	गुडमर/मधुनाशिनी (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे)	35
21.	कालमेघ (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा)	33
22.	इमली (बीज रहित) (टैमारिंडस इंडिका)	54
23.	गुग्गुल (स्टेरकुल्यारेंस)	700
24.	महुआ के फूल (सूखे) (मधुकलोंगी फोलिया)	17
25.	तेजपत्ता (सूखा) (सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी)	33
26.	जामुन के सूखे बीज (साइजियमकुमिनि)	36
27.	आमले का सूखा गूदा (बीज रहित) (फायलांथस एमबिलिका)	45
28.	भिलावां (सेमीकार्पस एनाकार्डियम)	8
29.	रीठा (सूखा) (सैपिंडस एमार्जिनाटस)	12
30.	भाव बीज (अमलतास) (कासिया फिसुला)	11
31.	अर्जुन छाल (टर्मिनालिया अर्जुना)	18

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	एमएसपी (₹ प्र.कि)
32.	कोकम (सूखा) (गारसिनिया इंडिका)	25
33.	गिलोय (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया)	21
34.	कौंच के बीज (मकुना प्रुरेंस)	18
35.	चिरायता (स्वेरशिया चीराटा)	29
36.	वेयबिडिंग/वावडिंग (सूखा बीज) (एमबिलिया रिब्स)	81
37.	धवाईफूल सूखा फूल (वुडफोर्डीया फ्लोरिबंडा)	32
38.	नक्स वोमिका (स्ट्राइक्नोस नक्स वोमिका)	36
39.	बन तुलसी के पत्ते (सूखे) (ओसीम्म टेनुइफ्लोरम)	19
40.	शीरनी (हेमीडेसमस इंडिकस)	30
41.	बकुल (सूखी छाल) (मीमुसोपस इलेंगी)	40

क्र.सं.	एमएफपी का नाम	एमएसपी (₹ प्र.कि)
42.	कुटज (सूखी छाल) (होलरहेना पुबेसिन्स/एच.एनीडायसेन्टेरिका)	27
43.	नोनी/आल (सूखे फल) (मोरिंडा सिट्रीफोलिया)	15
44.	सोनापाठा/स्योनाक की फलियां (ओरोक्सीलम इंडिकम)	18
45.	चनोथी के बीज (अबरूस प्रिकाटोरियस)	39
46.	कालिहारी (सूखे कंद) (ग्लोरियोसा सुपरबा)	27
47.	मकोय (सूखे फल) (सोलानम निग्रम)	21
48.	अपंग पौधा (ऐकिरांथिस असपेरा)	24
49.	सुगंधमंत्री जड़ें/कंद (होमालोमिना एरोमैटिक)	33

12.8 स्कीम के तहत खरीद राज्य स्तरीय नामोद्दिष्ट संगठनों द्वारा स्वसहायता समूहों को साथ लेते हुए की जाएगी।

12.9 इस स्कीम में जनजातियों की आजीविका–आय को संवर्धित करने पर बल दिया गया है। एमएफपी संग्रहकर्ता अपने उत्पादों के विक्रय से पहले, पर्यवेक्षण में स्वच्छता, सुखाने और घरेलू स्तर पर प्रसंस्करण जैसे प्राथमिक मूल्य संवर्धन का कार्य कर सकते हैं क्योंकि इससे इनकी आय बढ़ती है।

12.10 एमएफपी के लिए एमएसपी की स्कीम के दिशा–निर्देशों में फरवरी 2019 में संशोधन किया गया है ताकि **वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके)** को प्रोत्साहित किया जा सके।

12.11 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, विपणन और ब्रांडिंग गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से अब वन धन विकास कार्यकम के रूप में संशोधित किया गया है। यह पहल जनजातीय परिवारों को नियमित आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान करेगी।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान वन धन कर्यक्रम के शुभारंभ के माध्यम से एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला घटक का विकास किया जा रहा है। इससे देश भर में वन धन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, यह पूरी तरह से राज्य सरकार के मूल्यांकन की आवश्यकता पर निर्भर होगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल के दोहन और वन धन केंद्रों की सहायता और मार्गदर्शन के साथ जनजातीय समुदाय आधारित उद्यमों के निर्माण और संचालन के माध्यम से जनजातीय ज्ञान को अधिक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में शामिल करना है। ये केंद्र जनजातीय प्राकृतिक वास और आसपास उपलब्ध विभिन्न वन उपज के मूल्य–संवर्धन और बेहतर विपणन के प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक जानकारी, उपकरण और अन्य सहायता प्रदान करेंगे। वीडीवीके का उद्देश्य एक ऐसे जनजातीय उद्यम का निर्माण करना है, जिसमें जनजाति के संग्रहकर्ताओं / उद्यमियों का समावेश हो, जो सामूहिक रूप से मूल्य–वर्धित उत्पादों के संग्रह, मूल्य–संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन से संबंधित सभी कार्य करेंगे। इन केंद्रों में मूल्य संवर्धन कार्य और

उत्पादों के भंडारण, परिवहन की व्यवस्था, मूल्य वर्धित उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और खुदरा विपणन के लिए स्थान की व्यवस्था भी होगी। वे एमआईएस के माध्यम से अपने सदस्यों को विपणन से संबंधित सभी जानकारी भी प्रदान करेंगे।

31.12.2019 तक, ट्राइफेड, जिसे कार्यक्रम के तहत उपयुक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, ने 18 राज्यों के 148 जिलों में 676 वन धन विकास केंद्रों के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं, इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। कार्यान्वयन कार्य राज्य सरकारों द्वारा नामित जिला कार्यान्वयन इकाइयों/राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि यह परिकल्पना की गई है कि जनजातीय उद्यमियों के उत्पादन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिससे हमारे देश के जनजातीय समुदाय की समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इन 676 केंद्रों की स्थापना के लिए 99.83 करोड़ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। 18 राज्यों में अनुमोदित/स्वीकृत वन धन विकास केंद्रों का विवरण **तालिका 12.2** में दिया गया है

तालिका : 12.2 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की राज्यवार स्थिति

राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	निधि स्वीकृत/स्वीकृत (लाख में रु।)	हस्तांतरित निधि (लाख में रु।)	लाभार्थियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	30	450	450	9000
असम	16	240	240	4974
बिहार	8	81.5	0	1630
छत्तीसगढ़	139	2085	2085	41700
गोवा	1	15	0	300
गुजरात	17	254.45	0	5087
झारखंड	39	569.7	569.7	11601
कर्नाटक	19	285	285	5700
केरल	13	195	0	3900
मध्य प्रदेश	20	300	0	6000
महाराष्ट्र	64	960	960	19350
मणिपुर	77	1155	1155	23259
नगालैंड	31	465	465	9300
ओडिशा	156	2269.25	2269.25	45578
राजस्थान	25	372.2	372.2	7580
तमिलनाडु	7	105	105	2100
त्रिपुरा	9	121.90	121.90	2443
उत्तर प्रदेश	5	59.55	59.55	1238
कुल	**676**	**9983.55**	**9137.60**	**200740**

12.12 वर्ष 2016–17 से 2019–2020 के दौरान 31.12. 2019 तक "न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएसपी) के 'विपणन के लिए तंत्र और मूल्य श्रृंखला का विकास स्कीम' के तहत जारी अनुदान सहायता का विवरण **अनुलग्नक –12** में दिया गया हैं।

जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन:

12.13 वित्तीय वर्ष 2014–15 से "जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन" की स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम का दायरा इस प्रकार है:–

(i) विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को उत्पादन, उत्पाद विकास की सम्पूर्ण श्रृंखला, पारम्परिक विरासत के संरक्षण, जनजातीय लोगों के वन और कृषि दोनों उत्पाद हेतु सहायता, उपर्युक्त क्रियाकलाप करने के लिए संस्थानों को सहायता, बेहतर अवसंरचना के प्रावधान, डिजाइन के विकास, जो एजेंसियां उत्पाद खरीद रही हैं उनके और मूल्यों के बारे में सूचना का प्रसार, निरंतर विपणन एवं इसके द्वारा औचित्यपूर्ण मूल्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को सहयोग के लिए व्यापक समर्थन देना।

(ii) ग्राम पंचायतों और ग्रामसभा के साथ सूचना साझा करना, तथा

(iii) बाजार मूल्य में संवर्धन के लिए कौशल उन्नयन, उपयोगी उत्पादों का विकास।

12.14 स्कीम का उद्देश्य विपणन समर्थन और क्रियाकलापों का विकास जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थान बनाना है। इनको विशिष्ट उपायों द्वारा प्राप्त किया जाना है जैसे (i) बाजार–उपाय, (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन, (iii) अनुसंधान एवं विकास/बौद्धिक संपदा अधिकार क्रियाकलाप एवं (iv) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का विकास। स्कीम के तहत वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान (31.12.2019 तक) जारी की गई राशि के राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–12** में दिए गए हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटिड (ट्राइफेड),

12.15 प्रस्तावनाः

i. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) एक बहु राज्यीय सहकारी समिति है, जिसे बहु राज्यीय सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1984 (अब बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002) के तहत 1987 में स्थापित किया गया था।

ii. ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदाता और बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। क्षमता निर्माता के रूप में यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों एवं लघु वन उत्पाद (एमएफपी) एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण देता है।

iii. ट्राइफेड की प्राधिकृत इक्विटी/शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। 31.03.2019 को ट्राइफेड की भुगतान की गई शेयर पूंजी 100.56 करोड़ रुपये थी। 31.12.2019 को ट्राइफेड के 31 सदस्य (शेयर धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और वह ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयर धारक है।

12.16 ट्राइफेड निम्नलिखित स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यकलाप करता है:–

1. मंत्रालय ने "जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास एवं विपणन हेतु संस्थागत समर्थन" इस स्कीम के तहत ट्राइफेड को अनुदान सहायता प्रदान की है।
2. मंत्रालय ट्राइफेड को "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" स्कीम के तहत सहायता अनुदान भी प्रदान करता है।

62.50 करोड़ रु. का सहायता अनुदान वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत किया गया था और वर्ष 2019–20 के लिए बजट आबंटन ट्राइफेड के लिए ''जनजातीय उत्पाद/उत्पादन के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन'' स्कीम के तहत 73.00 करोड़ रु. (बी.ई.) है। 31.47 करोड़ रु. की सहायता अनुदान वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत की गई और "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) और एम एफ पी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास के द्वारा लघु वन उत्पाद (एम एफ पी) के विपणन के लिए तंत्र" स्कीम के तहत वर्ष 2019–20 के लिए बजट आबंटन 90.00 करोड़ रु (बी.ई.) है।

अध्याय 13
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के बारे में

13.1 अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी।

13.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं।

कार्यालय की अवधि

13.3 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

कार्य एवं कर्तव्य

13.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5) तथा (8) में दी गई हैं। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं :

(क) उपाय जो वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार दिए जाने के लिए आवश्यक हैं;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास और अधिक व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों के लिए किए जाने वाले उपाय;

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ङ.) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य अन्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने एवं अधिकतम सहयोग प्रदान करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे–धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करना जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

13.5 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थात्;

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेजकर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की माँग करना;

(ङ.) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

13.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान

13.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार **अनुलग्नक–13** में दिए गए हैं।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

13.8 संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5(घ) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय करने संबंधी रिपोर्टें राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से और आयोग जब भी उचित समझे, अन्य समय पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अनुसार इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखना अपेक्षित है और इसके साथ केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी किन्ही सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। एनसीएसटी द्वारा इसके सृजन से लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई **तालिका 13** मे दी गयी है :–

तालिका 13

रिपोर्ट	वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख	संसद में रखने की तारीख
पहली	2004–05 तथा 2005–06	08.08.2006	30.08.2012 तथा 31.08.2012
दूसरी	2006–07	03.09.2008	26.04.2013 तथा 02.05.2013
तीसरी	2007–08	29.03.2010	08.08.2016 तथा 10.08.2016
चौथी	2008–09	27.08.2010	08.08.2016 तथा 10.08.2016
पांचवी	2009–10	13.07.2011	08.08.2016 तथा 10.08.2016
विशेष	2012	18.06.2012	12.12.2013 तथा 13.12.2013
छठवीं	2010–11	25.10.2013	29.3.2017. तथा 10.4.2017
सातवीं	2011–12	20.02.2015	29.3.2017 तथा 10.4.2017
आठवीं	2012–13	16.11.2015	29.3.2017 तथा 10.4.2017
नवीं	2013–14	24.05.2016	31.12.2018 तथा 03.01.2019
दसवीं	2014–15	31.05.2016	11.02.2019 तथा 07.02.2019
ग्यारहवीं	2015–16	28.10.2016	25.11.2019 तथा 28.11.2019

अध्याय 14
स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

14.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता है। स्वैच्छिक अथवा गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के स्थानीय आधार और उनकी सेवा भावना के कारण उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। वे यह सुनिश्चित करने में सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचें। कुछ मामलों में, स्वैच्छिक संगठन (वीओ) सरकारी योजनाओं को ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

14.2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। तथापि, वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर– सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठन ही सरकार के भागीदार के रूप में विकासात्मक क्रियाकलाप करें।

14.3 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का चयन, पारदर्शी तरीके से, राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों की भागीदारी से किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005–06 में गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008–09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन द्वारा प्रणाली को और सुदृढ़ किया है। इस प्रक्रिया के अनुसार, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों ने राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य सरकारी और गैर–सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन देने के लिए राज्य समिति" का गठन किया है। यह बहु–विषयक राज्य स्तरीय समिति गैर–सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों के साथ–साथ चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है। इसके अलावा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से केवल उन गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान जारी किये जा रहे हैं जो नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल एनजीओ दर्पण की विशिष्ट पहचान' (आईडी) पर 03 पदधारितों के अद्यतन पैन/आधार ब्यौरों के साथ पंजीकृत हैं।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन

14.4 प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य समाज कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहु–विषयक राज्य समिति का गठन करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

ii. सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

ii. सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

iv. अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर–सरकारी संगठन;

v. आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान: सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका

14.5 राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका निम्नानुसार है:

i. राज्य समिति की बैठकों, का प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार आयोजन किया जाना चाहिए।

ii. मंत्रालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित दिशा–निर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुसार तथा क्षेत्रीय कार्यकरणों द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्टों तथा निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच।

iii. प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी:

- संस्तुत परियोजनाएं सही ढंग से संचालित की जा रहीं हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर रही हैं;
- प्रभाव का आकलन करने के बाद चालू परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य सहायक आंकड़ों सहित दिया जाता है;
- जब तक परियोजना जारी रहेगी या निधियों की आवश्यकता होगी, की संभावित अवधि
- आम तौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पतालों वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों जैसी परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है;
- कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए;
- जहाँ कहीं भी संभव हो, अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित करना।
- प्रत्येक वर्ष, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसी परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं, जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाओं को भी, जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;
- ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;
- नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होना चाहिए या उसे एकत्रित किया जाना चाहिए।
- राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षण करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ईवीए)

14.6 मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्वरूप के उन स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को चिन्हित करने का प्रयास भी किया गया था जो समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में अपनी निःस्वार्थ सेवा और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं तथा उनकी परियोजनाओं की स्वीकृति और वार्षिक अनुदानों की निर्मुक्ति से संबंधित कुछ निबंधन और शर्तों में ढील देने के लिए उन्हें अलग श्रेणी में रखने का प्रस्ताव किया गया है। तद्नुसार, मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों को "प्रतिष्ठित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। ये संगठन निम्नानुसार हैं:

1. रामकृष्ण मिशन और इससे संबद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन।

5. सेवा भारती और इससे सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. प्रबंध समिति, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की स्कीमें

14.7 वर्तमान में मंत्रालय की तीन स्कीमें चल रही हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये स्कीमें निम्नलिखित हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
2. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

14.8 "अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" स्कीम 1953–54 में आरंभ की गई थी तथा तबसे यह स्कीम जारी है। संशोधित स्कीम 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। आवेदन प्रपत्रों इत्यादि सहित स्कीम के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

उद्देश्य

14.9 इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि–बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना और सरकार की कल्याणकारी स्कीमों की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास अथवा आजीविका–सृजन पर सीधा प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर भी स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

प्रक्रिया एवं वित्तपोषण

14.10 यह स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है। संशोधित स्कीम में निर्धारित परियोजनाओं की श्रेणियों के लिए पात्र गैर–सरकारी संगठनों/स्वायत्त सोसाइटियों को अुनदान प्रदान किए जाते हैं जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहु–विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विधिवत सिफारिश पर (निर्धारित प्रपत्र में) आवेदन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। स्कीम में निर्धारित समय–अनुसूची के अनुसार आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होते हैं। आमतौर पर सरकार द्वारा 90% तक निधि प्रदान की जाती है। शेष 10% स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की आशा की जाती है। तथापि, इस स्कीम के तहत उन परियोजनाओं के लिए सहायता की सीमा 100 प्रतिशत है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन को अनुदान सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग की परियोजना के लिए निर्धारित तथा समय–समय पर संशोधित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित है। अनुदानों की संस्वीकृति समय–समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017, के नियम 230 से 234 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है तथा अनुदान स्कीम के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 से स्कीम के तहत वित्तीय मानकों में मौजूदा वित्तीय मानकों का 1.5 गुणा संवर्धन कर दिया गया है।

14.11 गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के लेखे अलग रखने चाहिएं और सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा उन लेखों का निरीक्षण किया जा सकता है। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सहायता अनुदान के लेखाओं की सनदी लेखाकार से वार्षिक लेखा–परीक्षा भी कराने की आवश्यकता होती है और सा. वि.नि. 2017 के तहत निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर 12–सी)

में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ खातों की लेखा–परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होती है।

14.12 सामान्यतया, जिला समाहर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन अनुदान प्रतिवर्ष निर्मुक्त किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रति वर्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसे जिला कलेक्टर द्वारा तारीख सहित प्रति–हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

14.13 गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

स्कीम का निष्पादन

14.14 वर्ष 2019–20 के दौरान स्कीम के तहत मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवंटन एवं किये गये व्यय तथा विगत 2 वर्षों में किए गए आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे **तालिका 14.1** में दिये गये हैं:

तालिका 14.1: वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट आवंटन*		व्यय
	ब.अ.	सं.अ.	
2017–18	120.00	120.00	119.94
2018–19	130.00	120.00	114
2019–20	110.00	110.00	45.53 (31.12.2019 तक)

* बजट में निम्नलिखित स्कीमों के लिए वित्तपोषण शामिल हैं:–

i. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

ii. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।

14.15 वर्तमान स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की कई श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित है:

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर–आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाले अस्पताल
6. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कोई नवनीत परियोजना।

परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के ब्यौरे

आवासीय विद्यालय

14.16 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने आस–पास स्कूल न होने की वजह से और अपने घर से दूर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाने के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल नहीं हैं तथा जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने और खाने की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी, पुस्तकों, लेखन सामग्री, चिकित्सा सहायता और अन्य प्रासंगिक प्रभार की लागत भी स्कीम से वहन की जाती है। अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान से किया जाता है। 'आवासीय विद्यालय' परियोजना कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को निजी या किराए के भवन में चला सकते हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा शौचालय/स्नानघर की सुविधाएं हों। रख–रखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति

के लड़कों और बालिकाओं की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

14.17 वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 18 राज्यों में 82 आवासीय विद्यालयों को निधि–पोषित किया गया जिनसे अनुसूचित जनजाति के 31,580 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

गैर–आवासीय विद्यालय

14.18 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय श्रेणी की परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकों, लेखन सामग्री, चिकित्सीय सहायता और अन्य आनुषंगिक खर्चों को भी स्कीम से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। "गैर–आवासीय विद्यालय" परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इसका संचालन अपने स्वयं के भवन या किराए के भवन में कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे और शौचालय सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

14.19 वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 8 राज्यों में संचालित 16 गैर–आवासीय विद्यालयों को वित्तपोषित किया गया है जिससे अनुसूचित जनजाति के 13,941 विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

छात्रावास

14.20 इस परियोजना का लक्ष्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राथमिक या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की है लेकिन अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं न होने और शहरों में रहन–सहन की उच्च लागत के कारण अपनी शिक्षा आगे जारी नहीं रख सकते। छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

14.21 वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 13 राज्यों में 37 छात्रावासों को वित्त–पोषित किया गया है जिससे अनुसूचित जनजाति के 5,194 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है।

सचल औषधालय

14.22 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग–थलग गांवों/कस्बों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु संगठन को इस परियोजना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वैन/जीप और उपकरणों की खरीद की लागत को वहन करने के अलावा डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए स्कीम के तहत वार्षिक रूप से सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

14.23 वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 14 राज्यों में 48 सचल औषधालयों को निधियां प्रदान की गयी थीं जिससे अनुसूचित जनजाति के 5,16,510 लाभार्थियों को फायदा हुआ है।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

14.24 इस परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां, अब तक सरकार की ऐसी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने में सहायता करना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन वहां अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी विद्यमान हैं। फर्नीचर, मेज–कुर्सी आदि, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर–सेट की खरीद तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की खरीद, भवन किराया प्रभार इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

14.25 वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 7 राज्यों में 18 अस्पतालों को वित्त–पोषित किया गया है, जिससे अनुसूचित जनजाति के 2,11,430 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

14.26 पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अलग–अलग परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक–14क (i)** में दी गई है। इसके अलावा पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रू. 50 लाख अथवा इससे अधिक की अनुदान सहायता जिन संगठनों को प्रदान की गई है उनका विवरण **अनुलग्नक 14क (ii)** में दिया गया है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की स्कीमः

14.27 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु लिंग–विशिष्ट स्कीम की शुरूआत वर्ष 1993–94 में की गई थी। इस स्कीम में वर्ष 2008–09 में संशोधन किया गया था जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुआ। आवेदन–प्रपत्र सहित इस स्कीम के दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस स्कीम को अब अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत विलय किया जा रहा है।

उद्देश्य

14.28 इस स्कीम का लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए आवश्यक परिवेश पैदा करके विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) द्वारा आबाद क्षेत्रों में चिह्नित जिलों अथवा ब्लॉकों में सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता अन्तर को भरना है। यह स्कीम नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए अ.ज.जा. की बालिकाओं को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां भी 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास दोनों की सुविधा प्रदान की जाती है। सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने हेतु समर्थ बनाने तथा लाभ प्राप्त करने के लिए जनजातीय बालिकाओं की साक्षरता दर में सुधार लाना अति आवश्यक है।

व्याप्ति (कवरेज)

14.29: स्कीम की व्याप्ति (कवरेज) निम्नानुसार है–

क) यह स्कीम, संशोधित स्कीम में यथा निर्दिष्ट 54 चिह्नित जिलों को कवर करती है जहां 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

ख) उपर्युक्त 54 चिह्नित जिलों के अलावा, जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जहां 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है को भी शामिल किया गया है।

ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना मे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (उदाहरणार्थ ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) रहते हैं।

घ) उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

कार्यान्वयनकारी एजेंसी

14.30 इस स्कीम का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों (वीओ)/गैर–सरकरी संगठनों (एनजीओ) और स्वायत्तशासी सोसाइटियों/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा गठित बहु–विषयक "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन हेतु राज्य समिति (एससीएसवीई)" भी इस योजना के तहत गैर–सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की पहचान तथा संवीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।

प्रक्रिया एवं निधियन प्रतिमान

14.31 स्कीम के तहत प्रक्रिया एवं प्रतिमान निम्नानुसार हैं:

क) यह केन्द्रीय क्षेत्र की लिंग विशिष्ट स्कीम है तथा मंत्रालय इसके लिए 100 प्रतिशत निधि प्रदान

करता है जो अनुदान संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर (निर्धारित प्रपत्र में) आवेदन करने वाले पात्र गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। संशोधित स्कीम में निर्धारित समय–अनुसूची के अनुसार आवेदन–पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान, योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित हैं। ये अनुदान सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 230 से 234 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किये जाते हैं। अनुदान स्कीम से संबद्ध निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निर्मुक्त किए जाते हैं।

ख) गैर–सरकारी संगठनों को उन्हें निर्मुक्त अनुदानों के संबंधित खाते अलग रखने की जरूरत होती है और ये खाते सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सहायता अनुदान के लेखाओं (खातों) की चार्टर्ड एकाउंटेंट से वार्षिक लेखा–परीक्षा कराना आवश्यक है और सा.वि.नि. 2017 के तहत निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर–12–ग) में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ खातों के लेखा–परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ग) सामान्यतया जिला समाहर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर अनुदान प्रतिवर्ष निर्मुक्त किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रति वर्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसे जिला कलेक्टर द्वारा तारीख सहित प्रति–हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

घ) गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

मुख्य विशेषताएं

14.32 जनजातीय बालिकाओं में साक्षरता को सुधारने हेतु संकेंद्रित ढंग से प्रयास करने के लिए निम्नलिखित उपाय/कार्रवाइयां की गई हैं:

(क) ब्लॉक स्तर परमिडिल/माध्यमिक स्कूलों में तथा पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्कूलों में नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए जनजातीय लड़कियों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना।

(ख) यदि आवश्यक हो तो, 100 बालिकाओं वाले प्राथमिक स्कूल के लिए तथा 150 बालिकाओं वाले मिडिल एवं उच्च विद्यालय के लिए चरणबद्ध ढंग से क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर केवल छात्रावास सुविधाएं, न कि स्कूल की स्थापना की जा सकती है। अप्रतिरोध्य परिस्थितियों में, शामिल की जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, विद्यालय से इनकी दूरी पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा मैदानी भू–भाग में 2 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) अपवादिक मामलों में, जहां सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं है, वहां छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) परिचालन में हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

(ड.) संशोधन पूर्व, स्कीम के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के 54 नव–चिह्नित कम साक्षरता वाले जिलों में आते हैं या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं एवं जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित

मानदण्डों को पूरा करते हैं उन्हें निर्बाध रूप में जारी रखा गया है।

(च) प्राथमिक स्तर की छात्राओं को कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए 100/— रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर की छात्राओं को 200/— रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) छात्रों की दिन—प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर पर (कक्षा V तक) 100/— रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों पर (कक्षा VI से XII तक) 200/— रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

स्कीम का कार्य निष्पादन

14.33 वर्ष 2015—16 से इस स्कीम के तहत बजट आवंटन को,"अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" शीर्ष के तहत मिला दिया गया है।

14.34 वर्ष 2019—20 के दौरान, 28 शैक्षिक परिसरों के लिए 03.49 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं, जिसमें 07 राज्यों की 4596 अनुसूचित जनजाति की बालिका लाभार्थियों को शामिल किया गया है। स्वैच्छिक संगठनों/ गैर—सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तशासी सोसाइटियों की सूची, जिन्हें इस योजना के तहत वर्ष 2017—18 से 2019—20 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई। **अनुलग्नक—14ख (i)** में दी गई है। इसके अलावा पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रू. 50 लाख अथवा इससे अधिक की अनुदान सहायता जिन संगठनों को प्रदान की गई है उनका विवरण **अनुलग्नक 14ख(ii)** में दिया गया है।

एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन और ट्रेकिंग प्रणाली

14.35. एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन और ट्रेकिंग प्रणाली के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया गया है जिसके माध्यम से गैर—सरकारी संगठन सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए एनजीओ प्रभाग की स्कीमों के तहत अपने आवेदन जमा करते हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव की सिफारिश करते हैं। वर्ष 2017—18 और उसके बाद से केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं तथा दस्तावेजी लिखित प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

ऑनलाइन प्रक्रिया का सारांश इस प्रकार है:

क) एनजीओ, जनजातीय कार्य मंत्रालय के वैध 'एनजीओ दर्पण यूनिक आईडी' पोर्टल पर रजिस्टर है।

ख) गैर सरकारी संगठनों को परियोजनाओं हेतु आवेदन करने के लिए उपयुक्त समय दिया जाता है।

ग) परियोजनाओं का जिला प्राधिकारियों द्वारा व्यवहारिक रूप से निरीक्षण किया जाता है और स्वीकृत आवेदन राज्य सचिवालय को भेजे जाते हैं।

घ) राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) परियोजनाओं पर विचार करती है और अनुशंसित परियोजनाएं मंत्रालय को अग्रेषित की जाती हैं।

ङ) मंत्रालय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुदान सहायता पर विचार करता है और स्वीकृतियां/ भुगतान बिल पोर्टल पर सृजित किए जाते हैं।

इस पोर्टल की कार्यान्वयन योजना प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है क्योंकि गैर—सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन अपने आवेदनों की स्थिति (जिला/राज्य/केंद्रीय स्तर पर) की जांच पोर्टल पर कर सकते हैं।

एनजीओ/वीओ से आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी मांगे जाते हैं।

गैर सरकारी संगठनों, जिला/राज्य/मंत्रालय के अधिकारियों के लिए संचार मॉड्यूल को अधिक पारदर्शिता और उपयोगकर्ता—मित्रता लाने के उद्देश्य से पोर्टल में जोड़ा गया है।

आवेदन पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट और निधि प्रसंस्करण मॉड्यूल को भी सरल बनाया गया है।

अध्याय 15

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

15.1 तत्कालीन योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए अपने बजट आबंटन का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करना आवश्यक है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए निधियां आवंटित कर रहा है। सामान्यतया, कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक की धनराशि प्रदान की जाती है।

15.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण'', के लिए सीधे अनुदान निर्मुक्त करता है। 'जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता" के रूप में तथा 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत' राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को छोड़कर सभी स्कीमों के तहत अनुदान, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्मुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और 'जनजातीय उप–स्कीम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता', संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना आकलन समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात जारी की जाती है। मंत्रालय ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करने पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है और मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इन स्कीमों के लिए बजट आबंटन का कम से कम 10% प्रवाह सुनिश्चित किया है।

15.3 वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को जारी निधियों के स्कीम–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–15** में दिये गये हैं।

अध्याय 16

जेंडर बजट

संवैधानिक तथा कानूनी ढांचा

16.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गयी है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद–भाव के उपाय अपनाने के लिए भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी पात्रताओं के सुरक्षोपाय के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान करता है।

मंत्रालय की पहलें

16.2 किसी भी देश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसीलिए, सामान्यतः महिलाओं का और विशेष रुप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से अनिवार्य है अपितु रणनीतिक दृष्टि से भी आवश्यक है।

16.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिंतित है जो एक समूह के रुप में अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन व सापेक्षिक अलगाव के कारण वंचित समूह के रुप में पीड़ित हैं। तदनुसार, मंत्रालय की प्रमुख नीतियां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं व पुरुषों दोनों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हैं। तथापि, अनुसूचित जनजातियों में महिलाएं और अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों से पीड़ित हैं। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाएं सामान्य योजनाओं से समान रुप से लाभ प्राप्त करें, उसके पास कुछ विशेष योजनाएं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बालिकाओं के लाभ के लिए हैं।

16.4 मंत्रालय में अगस्त, 2017 में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ पुनर्गठित किया गया है जो विभिन्न जेंडर उत्तरदायी बजट कार्यों के कार्यान्वयन की तुलना में मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार से देखता है कि वह जेंडर असंतलुन का समाधान कर सके, जेंडर समानता और विकास को बढ़ावा दे और यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालय के बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधन तदनुसार आवंटित किये जाएं और उनका प्रबंध किया जाए।

16.5 जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए अतिरिक्त योगदान है। यह 'लिंग तटस्थ कार्यक्रम' है और महिला तथा पुरुष दोनों लाभार्थियों के लिए लाभकारी है। टीएसपी को एससीए के उद्देश्य निम्नानुसार हैंः

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाकर मानव संसाधन का विकास।
- आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना/राज्य योजनाओं के तहत अधिकांशतः शामिल) सहित जनजातीय क्षेत्रों/बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं

उपलब्ध कराकर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।

- गरीबी और बेरोजगारी में महत्वपूर्ण कमी, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन और आय सृजन के सुअवसर।
- सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए क्षमता में वृद्धि, अधिकारों और पात्रताओं की प्राप्ति तथा अन्य क्षेत्रों के समान सुधरी हुई सुविधाएं, तथा
- शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा।

जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के प्रस्तावों के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षित लाभार्थी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि समग्र रूप से कम से कम 33% लाभार्थी महिलाएं हों।

16.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए है। निधियां, जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष हिस्सों के समान बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं। दिशानिर्देशों में विशेष रुप से यह परिकल्पना की गई है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाली चिंताएं/मुद्दे को महिलाओं की भागीदारी सहित, परियोजनाओं / स्कीमों को तैयार करने में आयोजना से कार्यान्वयन के स्तर तक, मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए। परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान भी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि कुल लाभार्थियों में से कम–से–कम एक–तिहाई लाभार्थी महिलाएं/बालिकाएं होनी चाहिए।

16.7 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्कीम के तहत वर्ष 2019–20 के दौरान 72,839 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया था जिनमें से 36,291 (49.82%) बालिकाएं थीं।

16.8 कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरुरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा मंत्रालय से 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा–छात्र के लिए 225/– रूपये प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 525/– रूपये प्रतिमाह की दर से किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा–छात्र के लिए 750/– रुपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/– रुपये वार्षिक की दर से किया जाता है। छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उन पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये है।

16.9 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जा रहे माध्यमिकोत्तर/मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (i) वार्षिक आय सीमा; (ii) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधन; तथा (iii) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर में परिवर्तन के साथ 01.07.2010 से संशोधित किया गया है।

16.10 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति' की योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए अध्येतावृत्तियों के रुप में उच्चतर शिक्षा अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों /संस्थानों को कवर करती है। कुल 750 स्लॉट्स में से अन्य बातों के साथ–साथ 30% स्लॉट्स महिला अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित हैं। चयनित अभ्यार्थियों को एमफिल के लिए प्रति माह 25,000/– रुपये तथा पीएचडी के लिए प्रतिमाह 28,000/– रुपये की दर से अध्येतावृत्ति राशि तथा अन्य स्वीकार्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

16.11 राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर की पढ़ाई करने के लिए चयनित अभ्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले कुल 20 छात्रवृत्तयों में से 6 छात्रवृत्तियां (30%) बालिकाओं के लिए चिह्नित हैं। तथापि, चिह्नित स्लॉट्स खाली रह जाने के मामले में ये स्लॉट्स बालकों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। माता–पिता / परिवार की सभी स्रोतों से आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित अभ्यार्थी जिन्होंने विदेश के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, उन्हें वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता भत्ता तथा अन्य भत्ते, विदेश में स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं।

16.12 अनुसूचित जनजातियों के बीच महिला साक्षरता कम होना, एक विशेष चिंता का विषय होने के कारण 1993–94 में 'जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना' की लिंग विशिष्ट योजना की शुरुआत की गई। जिसे वर्ष 2008–09 में संशोधित किया गया था तथा इसका नया नाम 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' रखा गया था। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन न्यूनतम साक्षरता वाले 54 चिन्हित जिलों में किया जा रहा है जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है। 54 चिन्हित जिलों के अलावा जिले में कोई अन्य ब्लॉक जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है, को भी शामिल किया गया है। विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है, ऐसा चिन्हित जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा कमजोर जनजातीय समूहों द्वारा आबाद क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों के 100% दाखिले को सुसाध्य बनाकर तथा प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के लिए अपेक्षित माहौल बनाकर बीच में पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप–आउट) वालों की संख्या में कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसाइटी / सस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है। यह योजना विद्यालयों में नियमित रुप से उपस्थित रहने के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जाएगा। संशोधित योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, योजनाओं का तालमेल करने की परिकल्पना करती है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ–साथ मिडिल / माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। संशोधित योजना औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन करने पर भी ध्यान देती है।

16.13 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम', अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना' (एएमएसवाई) शीर्षक के तहत विशेष योजना प्रारम्भ की है। योजना के तहत, निगम 2,00,000 रुपये तक की इकाई लागत तक वाली योजनाओं के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष 4% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है। एएमएसवाई के तहत, वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने 31.12.2019 तक 862 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 6.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की हैद्य निगम, अन्य आय सृजनकारी स्कीमों के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

16.14 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' नामक स्कीम के तहत देश के अलग–अलग भागों में जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान–प्रदान आयोजित करने के लिए सहायता दी जाती है द्य मुलाकाती दल में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

16.15 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को {धारा 2(छ)} इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ''ग्राम सभा जिसमें गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे और ऐसे राज्यों के मामले में जहां कोई पंचायत, पाड़ा, टोला तथा अन्य परम्परागत ग्राम संस्थान और चयनित ग्राम समितियां जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अबाधित भागीदारी नहीं है''। इसके अतिरिक्त/ धारा 4(4) उपबंधित करती है कि उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार पैतृक होंगे, किन्तु अन्य हस्तान्तरणीय नहीं होंगे और विवाहित लोगों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रुप से पंजीकृत होंगे और एक मुखिया वाले परिवार के मामले में एकल प्रमुख के नाम में पंजीकृत होंगे और सीधे वारिस न होने की स्थिति में पैतृक अधिकार अगले सगे संबंधी को हस्तांतरित हो जाएंगे। "धारा 6(8) के अनुसार भी ''उप मण्डल स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति में राज्य सरकारों के राजस्व, वन तथा जनजातीय कार्य विभागों के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज्य संस्थान के तीन सदस्य जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें से दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा कि विहित किया गया है''। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 में प्रावधान है कि (नियम 3(1) के तहत) ग्राम संभाएं ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाएंगी और इनकी प्रथम बैठक में इनके सदस्यों से ही वन अधिकार समिति के सदस्यों के रुप में कम से कम दस व्यक्ति और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्तें कि ऐसे सदस्यों से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं हों। यह आगे भी उपबंधित करता है कि जहां कोई भी अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वहां कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

16.16 प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से प्रत्येक वर्ष दो जनजातीय लोगों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से इस समारोह में एक महिला तथा एक पुरूष अतिथि भेजे जाएं।

16.17 वर्ष 2018–19 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुलग्नक –16** में दिया गया है।

अध्याय 17

दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

17.1 अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किए गए स्कीम–वार प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम

17.2 इस स्कीम के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ता;

(ख) शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए यातायात भत्ते का प्रावधान;

(ग) निचले अंगों की गंभीर दिव्यांगता वाले दिवा विद्यार्थी (डे–स्कॉलर) के लिए अनुरक्षक भत्ता;

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि–दिव्यांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक, छात्रावास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन;

(ड) मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को अतिरिक्त अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक–17** में दिया गया है।

कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

17.3 मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा' (आईईडीएसएस) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकारी स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग छात्रों के लिए "छात्र–उन्मुख घटक" के तहत रुपये 3,000/– प्रति वर्ष की दर से सहायता पहले ही दी जा रही है। तथापि, गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अतः निजी गैर–सहायता प्राप्त परंतु मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के दिव्यांग विद्यार्थी इस योजना के तहत अतिरिक्त भत्तों के पात्र होंगे:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता,

(ख) ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जो शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहते हैं, उनके लिए मासिक यातायात भत्ते का प्रावधान;

(ग) निचले अंगों की गंभीर, दिव्यांगता (80 प्रतिशत या अधिक की दिव्यांगता) वाले अनावासी छात्रा/विद्यार्थी के लिए मासिक अनुरक्षक भत्ता,

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि–दिव्यांग विद्यार्थी को

सहायता देने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को देय मासिक सहायक–भत्ता।

(ड.) मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को मासिक अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों के ब्यौरे **अनुलग्नक–17** में दिये गये हैं।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

17.4 शारीरिक रूप से दिव्यांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में रुपए 2000/– प्रतिमाह की दर से अनुरक्षक/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम तथा जनजातीय उप–स्कीम वाले क्षेत्रों में 'आश्रम विद्यालयों' की स्थापना संबंधी स्कीम

17.5 राज्यों में पीएसी की बैठकों के दौरान, इन स्कीमों के प्रावधानों में इस बिंदु पर बल दिया जाता है कि अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त निर्मित किए जाएं तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं।

गैर–सरकारी संगठन की स्कीमें

17.6 राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सहायता अनुदान की योजना तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक/गैर–सरकारी संगठनों को सलाह दें कि वे 'दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006' के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्र जैसे भवनों आदि में "अवरोध मुक्त वातावरण" जैसी सुविधाएं प्रदान करायें।

अध्याय 18

जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन जन शिकायत

जन शिकायतें

18.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) में 10 जून, 2016 से ही एक स्वतंत्र जन शिकायत प्रभाग कार्य कर रहा है। दिनांक 05.02.2019 से मंत्रालय में शिकायत निदेशक के रूप में श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव को नियुक्त किया गया है। निदेशक, शिकायत का संपर्क पता मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

18.2 प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग ने नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक पीजी पोर्टल विकसित किया है ताकि कहीं से और किसी भी समय ऑनलाइन शिकायतें/आपत्तियां दर्ज की जा सके और सरकारी विभाग निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायत निवारण के लिए कार्रवाई करने में भी सक्षम हों। इसके दो इंटरफेस हैंः– (क) नागरिकों के लिए जन शिकायत दर्ज करना और निगरानी प्रणाली, तथा (ख) मंत्रालयों, विभागों/संगठनों के लिए केन्द्रीकृत जन शिकायत और निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)। सीपीजीआरएएमएस वेब आधारित एकल खिड़की प्रणाली है जोः (i) नागरिकों को अपनी शिकायत करने के लिए, और (ii) निवारण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकारी विभागों में नोडल जन शिकायत अधिकारी तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराती है।

18.3 यह मंत्रालय अभ्यावेदन/शिकायतें डाक के साथ ही साथ व्यक्ति द्वारा एवं सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त करता है। अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर उनसे संबद्ध वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और उनका उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाता है। अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित की जाती हैं। याचिकाकर्ताओं को उनकी शिकायतों पर की गई कृत कार्रवाई के विषय में सूचित किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान अर्थात् 01.04.2019 से 07.01.2020 तक 74 शिकायतें अग्रेषित की गईं और 733 शिकायतों सहित कुल 807 शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 710 शिकायतों अर्थात् 87.98 प्रतिशत का निपटान किया गया। शिकायत निदेशक द्वारा और सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में शिकायतों के निपटान की स्थिति की नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

18.4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को निर्दिष्ट कर दिया गया है। संबंधित अनुदेशों को भी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मंत्रालय में संसद एवं समन्वय अनुभाग को मंत्रालयों से संबंधित आवेदकों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए अनुरोधों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त शुल्क सहित रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करने के पश्चात मंत्रालय में संबंधित सीपीआईओ को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

18.5 मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक–18 में दिए गए हैं। श्री मनोज बापना, निदेशक को मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। अधिसूचनाएं

(संशोधनानुसार) मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दी गई हैं।

18.6 इस प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड); (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भी प्रकाशित की हैं और उन्हें अपनी–अपनी संबंधित वेबसाइटों पर डाल दिया है तथा उनसे संबंधित लिंक मंत्रालय की वेबसाइट में भी दिया गया है।

18.7 सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 के दौरान प्राप्त आवेदनों और उनके दिए गए उत्तरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

01.04.2019 से 31.12.2019 के दौरान आरटीआई की स्थिति

	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
ऑनलाइन	690	634	56
ऑफलाइन	217	200	17
कुल	**907**	**834**	**73**

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलें

18.8 संबंधित निदेशक/उप–सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे संबंधित विषयों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनयम, 2005 के तहत दिनांक 26.03.2019 से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। प्राप्त सभी अपीलों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है और अधिनियम के तहत निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटान किया जाता है।

अध्याय 19

विभागीय लेखा प्रणाली

संगठन :

19.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), लेखाओं के समेकन, आवंटित बजट के संबंध में व्यय की निगरानी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि के अलावा सहायता अनुदान सहित विभिन्न प्रकार के बिलों की पूर्व जांच का कार्य निष्पादित करता है। प्रधान लेखा–अधिकारी कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखाओं, लेखाओं के विनियोजन, केन्द्रीय लेन–देन के विवरण, संघ वित्त लेखाओं, अन्य संबंधित कार्यों यथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन आदि का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय स्टेट बैंक, शास्त्री भवन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अधिकृत बैंक है।

निर्मुक्ति तथा व्यय की निगरानी

19.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान जारी करने एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखे, प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

लेखाओं और भुगतान कार्य का कम्प्यूटरीकरण

19.3 पूर्व में वेतन तथा लेखा कार्यालय पूर्व–जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन जैसे कॉम्पैक्ट के सभी मॉड्यूल उपयोग करता था। 01 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी गैर–योजना भुगतान के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के आरंभ के साथ, पूर्व में उपयोग किए जाने वाले कॉम्पैक्ट के अधिकतर मॉड्यूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यम से ई–भुगतान का तंत्र भी परिवर्तित कर दिया गया है तथा सभी भुगतान (योजना तथा गैर–योजना) पीएफएमएस की साइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट के माध्यम से पास किए गए बिलों को वेब फाइल निर्मित करते हुए पीएफएमएस पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकृत बैंक ई–परामर्श डाउनलोड करते हैं तथा आरटीजीएस/एनईएफटी आदि के द्वारा प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान करते हैं।

ई–लेखा

19.4 दैनिक आधार पर ई–लेखा में कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएफएमएस स्वतः ही आंकड़े अद्यतन कर देता है तथा मंत्रालय एवं अन्य हितधारकों (स्टेकहोल्डर) को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की निगरानी में सक्षम बनाने के लिए एवं पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ई–लेखा में आंकड़े भर देता है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

19.5 पूर्व में केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के रूप में ज्ञात सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से आरंभ किया गया है। तदनुसार,

इस उद्देश्य के लिए विकसित विशिष्ट सॉफ्टवेयर अर्थात सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इस मंत्रालय की सभी योजना स्कीमों का नियोजन किया गया है। इस संबंध में विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग–अलग संगठनों/निकायों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को देखा जा सकता है। इसे विभाग द्वारा भी अत्यंत उपयोगी पाया गया है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों को देखने के लिए इस प्रणाली में नई उपयोगिता प्रदान की गई है।

19.6 विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में निधियों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में अतिरिक्त कार्य–रीति प्रदान की गयी है।

19.7 राज्यों को निर्मुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंतःसरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजन के लिए नई कार्य–रीति प्रदान की गयी है तथा इसे ऑनलाइन भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाता है जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल क्रेडिट को सुनिश्चित करता है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस):

19.8 नई पेंशन योजना की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस स्कीमों के तहत वेतन (ग्रेड वेतऩ मंहगाई भत्ते) का 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास उसके ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

उपयोग प्रमाण–पत्रः

19.9 मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समुचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे डालने के लिए है। द्वितीय स्तर वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हें स्वीकार करता है। यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें सृजित करता है, जो मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

19.10 प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा–परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा–परीक्षा करती है, अलग–अलग योजनाओं के आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन में भी शामिल है। अब आंतरिक लेखा–परीक्षा निम्नलिखित पर ध्यान देती हैः

- सामान्यतः आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता एवं प्रभाव का आकलन तथा विशेषतः वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता; जोखिम कारकों की पहचान तथा निगरानी (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित);
- धन का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता तथा सेवा सुपुर्दगी तंत्र की प्रभावोत्पादकता का महत्वपूर्ण आंकलनः और
- कार्य प्रणाली सुधार को सुसाध्य बनाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना।

19.11 रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएडंएजी) पैराओं की संख्या निम्नांकित सारणी में दी गई हैः

1	01 .04.2019 तक बकाया पैराओं की संख्या	1
2	वर्ष 2019–20 के दौरान परिवर्धन	0
3	वर्ष 2019–20 के दौरान निपटाए गए	1
4	31.12.2019 तक बकाया पैराओं की संख्या	0

पीएसी पैराओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन)/ कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)

19.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित लोक लेखा समिति (पीएसी) के पैरा पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) की स्थिति **अनुलग्नक–19** में दी गई है।

अध्याय 20

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पता गेट नं.5, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली——110001

वेबसाइट www.tribal.nic.in

परिदृश्यः

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करना और समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

मिशनः

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैः

1. वैधानिक एवं कार्यकारी उपायों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. लक्षित क्षेत्र एवं जनसंख्या उपागमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. सामाजिक–आर्थिक एवं आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी।

सेवाएं/कार्य संपादन

क्र. सं	सेवाएं/कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	माध्यम	राशि
1.	जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्य सरकारों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान, और पीवीटीजी–विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास। क) लक्षित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास ख) अनुसूचित जनजाति की लक्षित जनसंख्या का कौशल विकास, आय सृजन ग) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।	30	श्री मुकेश कुमार, उप–सचिव श्री वैभव गोयल, उप–सचिव श्री मुकेश कुमार उप–सचिव (पीवीटीजी)	kr.mukesh87@nic.in vibhavgoyal.ofb@ofb.gov.in kr.mukesh87@nic.in	011–23383303 011–23340470 011–23383303	i) राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करके ii) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति iii) पीएसी की बैठकों का आयोजन iv) मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन। v) प्रथम और दूसरी किश्त की संस्वीकृति/ निर्मुक्ति (जैसी भी स्थिति हो) जारी करना।	लागू नहीं i) आवंटित राशि के अधीन तथा योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों से प्रस्ताव लागू नहीं i) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र, ii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, iii) भूमि की उपलब्धता, यथापेक्षित।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं	सेवाएं/कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	माध्यम	राशि
2.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां।	20	श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक	rajenderkumar.ofb@gov.in	011–23383965		i) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र, ii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को, जनजातीय उत्सवों सहित जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता	10	श्री रूपक चौधरी, निदेशक	r.chaudhuri@nic.in	011–23367333	(i) प्रस्ताव आमंत्रित करना ii) राज्य सरकारों से वार्षिक कार्य योजना आमंत्रित करना। iii) राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति iv) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और अनुमोदन v) अनुसूची के अनुसार पहली और दूसरी किस्त की संस्वीकृति / निर्मुक्ति जारी करना (जैसा लागू हो)।	i)निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव। ii)राज्य सरकार की संस्तुति। iii)लेखा का लेखा–परीक्षित विवरण (ii तथा अंतिम किश्त के लिए)। iv) निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र। v) प्रबंधन समिति की सूची vi) कर्मचारियों की सूची, vii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र viii) अग्रिम जमानत बांड, ix) नियम एवं शर्तों की स्वीकृति। x) बैंक का प्राधिकार–पत्र,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं	सेवाएं / कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	माध्यम	राशि
4	i) निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता। ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	5	श्री रूप चौधरी, निदेशक	r.chaudhuri @ nic.in	011. 23367333	i) संबंधित एसटीडीसीसी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के साथ (जहां देय हो) के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति ii)मंत्रालय और आईएफडी में सक्षम प्राधिकारी की संवीक्षा व अनुमोदन। iii) पहली और दूसरी किस्त की संस्वीकृतिः निर्मुक्ति जारी करना (जैसा लागू हो)	क. ट्राइफेड i) प्रस्ताव ii) वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन रिपोर्ट। iii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र ख. एसटीडीसीसी (i) योजना दिशा– निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकारों के प्रस्ताव/सिफारिश, (ii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र, (iii) विगत वर्ष के अनुदान की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं	सेवाएं/कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	माध्यम	राशि
5.	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए नीतिगत दस्तावेजों/मामलों, विधिक प्रस्तावों कैबिनेट नोट और विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों विभागों के ईएफसी मेमोरेंडम पर, जानकारी और टिप्पणियां प्रदान करना।	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।	r.chaudhuri @ nic.in	011–23367333	i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणी, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति। ii) गहन अध्ययन, प्रासंगिक साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण जनजातियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने मत का निरुपण । iii) संबंधित मंत्रालय/विभाग तक जनजातीय कार्य मंत्रालय के विचार संप्रेषित करना।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्य–बलों तथा शासी–परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।.			i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्य– बलों, शासी–परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति। ii) गहन अध्ययन, प्रासंगिक साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण और अपने मतों का निरूपण iii) बैठकों में अपने विचार व्यक्त करना				

क्र. सं	सेवाएं / कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	माध्यम	राशि
7.	मंत्रालय के कर्मचारियों / सेवा प्रदाताओं की शिकायतों / पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान।	10	श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव	Singh. ak2862@nic.in	011–23340468	i) शिकायत प्राप्ति ii) जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई iii) आवेदक को उत्तर	लागू नहीं समर्थनकारी दस्तावेज / आदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	आवासीय / गैर–आवासीय / स्वास्थ्य / व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों / एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना।	5	श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक	rajenderkumar. ofb@gov.in	011–23383965	i) राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ii)प्रस्तावों की छटनी तथा पात्र मामलों में अनुदानों की निर्मुक्ति।	i) आवेदन पत्र ii) राज्य सरकार की संस्तुति iii) जिलाधीश द्वारा प्रमाणित निरीक्षण रिपोर्ट iv)बजट अनुमान अ) लेखाओं का लेखा–परीक्षित विवरण। vi) निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण–पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं	सेवाएं/कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	माध्यम	राशि
							vii) प्रबंधन समिति की सूची viii) कर्मचारियों की सूची ix) लाभार्थियों की सूची x) वार्षिक रिपोर्ट xi) पंजीकरण प्रमाण–पत्र, नियम एवं उप–नियम (नवीनीकरण प्रस्ताव के मामले में जमा करने की आवश्यकता नहीं) xii) अद्यतन किराया करार/ किराया आकलन प्रमाण–पत्र xiii) अग्रिम जमानत बंध पत्र vix) निबंधन एवं शर्तों की स्वीकार्यता xv) प्राधिकार पत्र xvi) परियोजना के लिए बैंक में लेन–देन संबंधी पास–बुक।			

नागरिक/ग्राहक चार्टर

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/ कार्य संपादन	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	डाटा स्रोत
1	राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास, ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कौशल विकास, आय सृजन। ग) अजजा बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।	20.0	समय	40	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
2	राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां।	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
3	अनुसूचित जनजातियों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता की निमुर्क्ति,	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
4	राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निमुर्क्तिः– क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय उत्सव,	10.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निमुर्क्तिः– भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/विभागों की नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर सूचना/टिप्पणी प्रस्तुत करना।	10.0	समय	25	दिन	मंत्रालय रिकार्ड

7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।	10.0	समय	लागू नहीं	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा आपूर्तिकर्ताओं की शिकायतों/पीड़ाओं का समाधान व निपटान	10.0	समय	30	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
9	आवासीय/ गैर–आवासीय/स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परियोजना आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा गैर–स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता जारी करना।	5.0	समय	90	दिन	मंत्रालय रिकार्ड

शिकायत निर्वारण तंत्र **यूआरएल वेबसाइट http://pgportal.gov.in/ को शुरू करने के लिए**

क्र. सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन नं.	ई–मेल
1	श्री ए.के.सिंह, संयुक्त सचिव	011–23340468	singh.ak2862@nic.in
2	श्रीमती संगीता महेंद्रा– कार्यकारी निदेशक, (आईसी), ट्राइफेड	011–26560117	smahendra.trifed@gmail.com
3	श्री अनिल कुमार जुयाल, मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011–26712562	gmfin.nstfdc@gmail.com

हितधारकों/ग्राहकों की सूची

क्र.सं.	हितधारक/ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/राज्य मंत्रालय/विभाग
2	केन्दीय/राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/शैक्षिक संस्थान)
4	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)
5	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
6	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी)
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	एनजीओ
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन	दूरभाष संख्या	ई–मेल पता	पता
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011–26569064, 26968247	trifed@rediffmail.com	एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरा तल, 3–इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011–26712519, 26712562, 26712583	nstfdc@bol.net.in	एनबीसी टावर, 5वां तल, हाल नं 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली–110066.

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं

क्र.सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टिकोण से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का पहले व समय पर प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/योजनात्मक उपाय के गुण–दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ ध्यान देना।

अनुलग्नक

अनुलग्नक–1

संगठनात्मक चार्ट
जनजातीय कार्य मंत्रालय

एसटीडब्ल्यूजीः अजजा कल्याण अनुदान
प्रशा०: प्रशासन
बी एंड सीः बजट एवं रोकड़
पीसीः संसद एवं समन्वय
टीएसपीः जनजातीय उप–योजना
लिवः जीविकोपार्जन
एनजीओः गैर–सरकारी संगठन
एससीएचः छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
सीएलएमः संवैधानिक एवं विधायी मामले
वित्तः वित्त
सा.प्र.: सामान्य प्रशासन
एफआरएः वन अधिकार अधिनियम
रा.भा. : राजभाषा
सां० : सांख्यिकी
एनआईसीः राष्ट्रीय सूचना केंद्र
पीजीः लोक शिकायत
पीएः नीति विश्लेषण
एनसीएसटीः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
टीआरआईः जनजातीय अनुसंधान संस्थान

एएस एंड जेएसः अपर सचिव और संयुक्त सचिव
सं.स. एवं वि.स. : संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
सीवीओ : मुख्य सतर्कता अधिकारी
उ.म.निदे. : उप–महा निदेशक
सीसीए : मुख्य लेखा नियंत्रक
निदे. : निदेशक
उप.स.: उप–सचिव
सं.नि.: संयुक्त निदेशक
ले.नि.: लेखा नियंत्रक
अ.स.: अवर सचिव
उप. निदे.: उप निदेशक
अनुसं. अधि. : अनुसंधान अधिकारी
अनु. अधि. : अनुभाग अधिकारी
वे. एवं ले. : वेतन एवं लेखा अधिकारी
डीसीए: उप–लेखा नियंत्रक
आ.स.: आर्थिक सलाहकार
सहा. निदे.: सहायक निदेशक
डीडीओ : आहरण एवं संवितरण अधिकारी

जनजातीय कार्य मंत्री

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

सचिव, जनजातीय कार्य

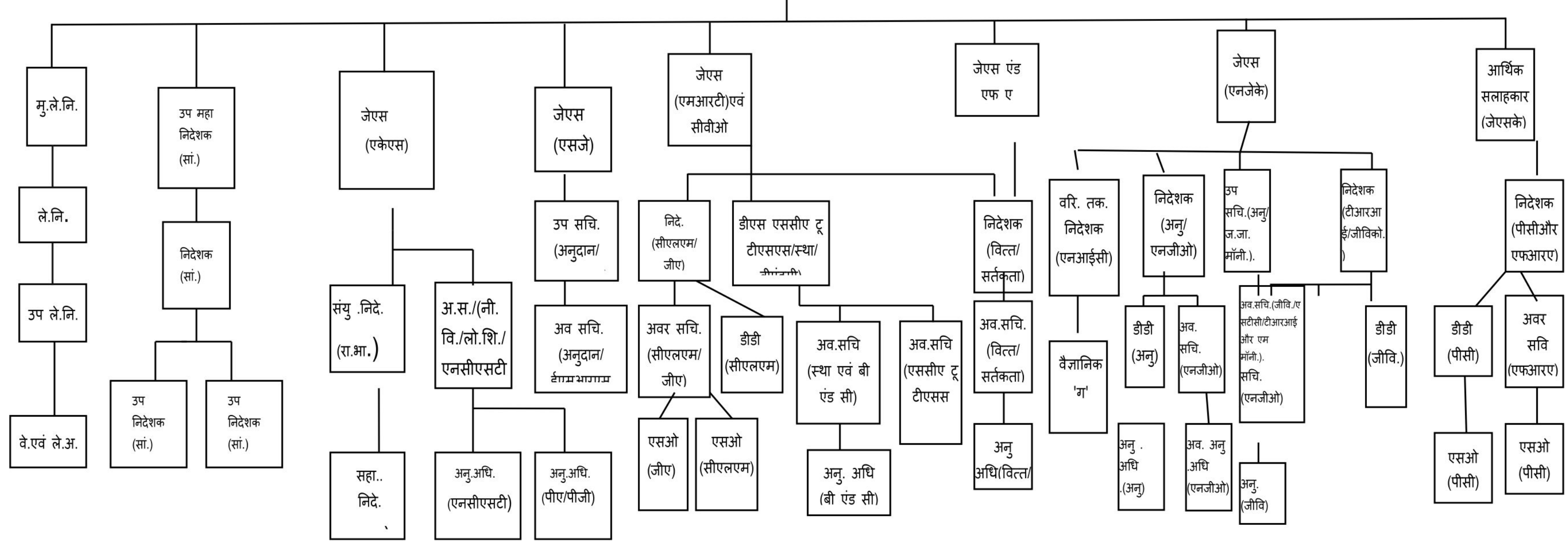

अनुलग्नक – 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम
1	जनजातीय उप–स्कीम (टीएसएस) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान
3	कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)
5	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्याताकृति तथा छात्रवृत्ति
	I. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
	II. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए (उच्च श्रेणी शिक्षा) छात्रवृत्ति स्कीम
6	विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम
7	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी को एमएसपी)
8	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
9	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
10	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम
12	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान ,सूचना एवं जन–शिक्षा
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) / अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एसटीएफडीसी) के लिए इक्विटी सहायता
14	जनजातीय उत्पाद के विपणन तथा विकास के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि)

अनुलग्नक–3क

वर्ष 2017–18 से 2018–19 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का योजना–वार बजट आवंटन / संशोधित आवंटन तथा व्यय

(करोड़ ₹ में)

कार्यक्रम / उप–स्कीम	2017–18 (पूर्वोत्तर राज्यों के घटक सहित)			2018–19 (पूर्वोत्तर राज्यों के घटक सहित)		
	ब.अ	सं.अ	व्यय	ब.अ	सं.अ	व्यय
अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	120.00	120.00	119.94	130.00	120.00	114.00
जनजातीय उत्पाद / उपज के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत सहायता	49.00	44.95	44.95	54.15	72.50	72.50
विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास (पीटीजी)	270.00	240.00	239.49	260.00	250.00	250.00
राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	60.00	55.00	55.00	65.00	65.00	65.00
अनुसूचित जनजाति के बच्चों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति	120.00	100.00	99.72	100.00	100.00	99.98
विदेश में अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	100.00	25.00	8.59	130.00	97.47	96.85
जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	0.00	0.00	0.01	0	0
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1347.07	1436.00	1463.91	1586.00	1643.03	1647.56
मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	265.00	318.00	294.08	350.00	310.00	311.50
बालक तथा बालिका छात्रावास	10.00	7.00	7.00	0	0	0
व्यवसाय प्रशिक्षण	3.00	0	0	0	0	0
आश्रम विद्यालय	10.00	7.00	7.00	0	0	0
अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम	0	0	0		0	0
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	80.00	80.00	79.00	100.00	100.00	99.99
अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	12.04	6.35	4.02	25.00	25.00	23.35
निगरानी तथा मूल्यांकन	3.00	3.00	1.27	5.00	2.50	2.42
वन बंधु कल्याण योजना	0.01	0	0	0.01	0	0
जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1349.81
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के तहत योजना	1500.01	1500.00	1510.70	1800.01	1820.00	1819.82
कुल योग	**5300.14**	**5293.30**	**5285.67**	**5957.18**	**5957.50**	**5954.78**

ब.अ. – बजट अनुमान, सं.अ. – संशोधित अनुमान, व्यय – व्यय

अनुलग्नक–3ख

वर्ष 2019–20 के लिए स्कीम–वार बजट आवंटन तथा 31.12.2019 तक व्यय

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	ब.अ. 2018–19	31.12.19 तक व्यय
1	2	3	4
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के तहत योजना	2661.55	1990.39
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	0.00
3	अजजा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	100.00	86.69
4	विदेश में अध्ययन के लिए अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2.00	1.78
5	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को समर्थन	80.00	78.99
6	जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन	83.00	73.29
7	जनजातीय स्मारक सहित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	100.00	84.51
8	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	340.00	328.13
9	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1613.50	1611.36
10	अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110.00	45.53
11	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	130.00	105.22
12	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (पीवीटीजी)	250.00	175.44
13	जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	0.00
14	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा	24.00	17.70
15	निगरानी तथा मूल्यांकन	2.50	2.40
16	वन बंधु कल्याण योजना	0.01	0.00
17	जनजातीय उप–योजनाओं को एससीए	1350.00	955.30
कुल योग		6847.89	5556.73

अनुलग्नक–4क

अनुसूचित जनजातियों की लिंग तथा निवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जनसंख्याः जनगणना 2011

(करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	भारत / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कुल/ ग्रा./श.	व्यक्ति	पुरुष	महिला
	भारत	**कुल**	**104545716**	**52547215**	**51998501**
		ग्रामीण	**94083844**	**47263733**	**46820111**
		शहरी	**10461872**	**5283482**	**5178390**
1	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	कुल	1275106	666062	609044
		ग्रामीण	1222204	637064	585140
		शहरी	52902	28998	23904
2	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	कुल	218193	110195	107998
		ग्रामीण	184629	93011	91618
		शहरी	33564	17184	16380
3	हिमाचल प्रदेश	कुल	392126	196118	196008
		ग्रामीण	374392	186896	187496
		शहरी	17734	9222	8512
3	उत्तराखण्ड	कुल	291903	148669	143234
		ग्रामीण	264819	134691	130128
		शहरी	27084	13978	13106
4	राजस्थान	कुल	9238534	4742943	4495591
		ग्रामीण	8693123	4454816	4238307
		शहरी	545411	288127	257284
5	उत्तर प्रदेश	कुल	1134273	581083	553190
		ग्रामीण	1031076	526315	504761
		शहरी	103197	54768	48429
6	बिहार	कुल	1336573	682516	654057
		ग्रामीण	1270851	648535	622316
		शहरी	65722	33981	31741
7	सिक्किम	कुल	206360	105261	101099
		ग्रामीण	167146	86059	81087
		शहरी	39214	19202	20012
8	अरुणाचल प्रदेश	कुल	951821	468390	483431
		ग्रामीण	789846	390625	399221
		शहरी	161975	77765	84210
9	नागालैंड	कुल	1710973	866027	844946
		ग्रामीण	1306838	665351	641487
		शहरी	404135	200676	203459

क्र. सं.	भारत / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कुल/ ग्रा./श.	व्यक्ति	पुरुष	महिला
10	मणिपुर	कुल	1167422	588279	579143
		ग्रामीण	1055808	533856	521952
		शहरी	111614	54423	57191
11	मिज़ोरम	कुल	1036115	516294	519821
		ग्रामीण	507467	257987	249480
		शहरी	528648	258307	270341
12	त्रिपुरा	कुल	1166813	588327	578486
		ग्रामीण	1117566	563908	553658
		शहरी	49247	24419	24828
13	मेघालय	कुल	2555861	1269728	1286133
		ग्रामीण	2136891	1070557	1066334
		शहरी	418970	199171	219799
14	असम	कुल	3884371	1957005	1927366
		ग्रामीण	3665405	1847326	1818079
		शहरी	218966	109679	109287
15	पश्चिम बंगाल	कुल	5296953	2649974	2646979
		ग्रामीण	4855115	2428057	2427058
		शहरी	441838	221917	219921
16	झारखण्ड	कुल	8645042	4315407	4329635
		ग्रामीण	7868150	3928323	3939827
		शहरी	776892	387084	389808
17	ओडिशा	कुल	9590756	4727732	4863024
		ग्रामीण	8994967	4428522	4566445
		शहरी	595789	299210	296579
18	छत्तीसगढ़	कुल	7822902	3873191	3949711
		ग्रामीण	7231082	3577134	3653948
		शहरी	591820	296057	295763
19	मध्य प्रदेश	कुल	15316784	7719404	7597380
		ग्रामीण	14276874	7187769	7089105
		शहरी	1039910	531635	508275
20	गुजरात	कुल	8917174	4501389	4415785
		ग्रामीण	8021848	4042691	3979157
		शहरी	895326	458698	436628
21	दमन एवं दीव	कुल	15363	7771	7592
		ग्रामीण	7617	3843	3774
		शहरी	7746	3928	3818

क्र. सं.	भारत / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कुल / ग्रा. / श.	व्यक्ति	पुरुष	महिला
22	दादर एवं नागर हवेली	कुल	178564	88844	89720
		ग्रामीण	150944	75049	75895
		शहरी	27620	13795	13825
23	महाराष्ट्र	कुल	10510213	5315025	5195188
		ग्रामीण	9006077	4540456	4465621
		शहरी	1504136	774569	729567
24	तेलंगाना	कुल	3286928	1659963	1626965
		ग्रामीण	2939027	1482516	1456511
		शहरी	347901	177447	170454
25	आंध्र प्रदेश	कुल	2631145	1309399	1321746
		ग्रामीण	2293102	1138376	1154726
		शहरी	338043	171023	167020
26	कर्नाटक	कुल	4248987	2134754	2114233
		ग्रामीण	3429791	1723762	1706029
		शहरी	819196	410992	408204
27	गोवा	कुल	149275	72948	76327
		ग्रामीण	87639	43263	44376
		शहरी	61636	29685	31951
28	लक्षद्वीप	कुल	61120	30515	30605
		ग्रामीण	13463	6752	6711
		शहरी	47657	23763	23894
29	केरल	कुल	484839	238203	246636
		ग्रामीण	433092	213208	219884
		शहरी	51747	24995	26752
30	तमिलनाडु	कुल	794697	401068	393629
		ग्रामीण	660280	333178	327102
		शहरी	134417	67890	66527
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	कुल	28530	14731	13799
		ग्रामीण	26715	13837	12878
		शहरी	1815	894	921

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

टिप्पणी : 2011 की स्थिति की भांति पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है।

अनुलग्नक– 4 ख

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत /राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत / राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता

क्र. सं.	भारत / राज्य	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	भारत /राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत / राज्य में अ.ज. जा. का %	भारत में अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज. जा. का %
भारत		**1,21,08,54,977**	**10,45,45,716**	**8.6**	–
1	आंध्र प्रदेश	4,93,86,799	26,31,145	5.3	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	9,51,821	68.8	0.9
3	असम	3,12,05,576	38,84,371	12.4	3.7
4	बिहार	10,40,99,452	13,36,573	1.3	1.3
5	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	78,22,902	30.6	7.5
6	गोवा	14,58,545	1,49,275	10.2	0.1
7	गुजरात	6,04,39,692	89,17,174	14.8	8.5
8	हरियाणा	2,53,51,462	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	3,92,126	5.7	0.4
10	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	1,22,67,013	12,75,106	10.4	1.2
11	झारखण्ड	3,29,88,134	86,45,042	26.2	8.3
12	कर्नाटक	6,10,95,297	42,48,987	7.0	4.1
13	केरल	3,34,06,061	4,84,839	1.5	0.5
14	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	2,74,289	2,18,193	79.5	0.2
15	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	1,53,16,784	21.1	14.7
16	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,05,10,213	9.4	10.1
17	मणिपुर	28,55,794	11,67,422	40.9	1.1
18	मेघालय	29,66,889	25,55,861	86.1	2.4
19	मिजोरम	10,97,206	10,36,115	94.4	1.0
20	नागालैंड	19,78,502	17,10,973	86.5	1.6
21	ओडिशा	4,19,74,218	95,90,756	22.8	9.2
22	पंजाब	2,77,43,338	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
23	राजस्थान	6,85,48,437	92,38,534	13.5	8.8
24	सिक्किम	6,10,577	2,06,360	33.8	0.2
25	तमिलनाडु	7,21,47,030	7,94,697	1.1	0.8
26	तेलंगाना	35193978	3286928	9.3	3.1
27	त्रिपुरा	36,73,917	11,66,813	31.8	1.1

क्र. सं.	भारत / राज्य	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	भारत /राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत / राज्य में अ.ज.जा. का %	भारत में अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. का %
28	उत्तराखण्ड	1,00,86,292	2,91,903	2.9	0.3
29	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	11,34,273	0.6	1.1
30	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	52,96,953	5.8	5.1
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	3,80,581	28,530	7.5	0.0
32	चंडीगढ़	10,55,450	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
33	दादर एवं नागर हवेली	3,43,709	1,78,564	52.0	0.2
34	दमन एवं दीव.	2,43,247	15,363	6.3	0.0
35	दिल्ली	1,67,87,941	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
36	लक्षद्वीप	64,473	61,120	94.8	0.1
37	पुद्दुचेरी	12,47,953	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्रोत : जनगणना, 2011 भारत के महापंजीयक का कार्यालय					
एनएसटी: कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है (2011 के अनुसार)					

अनुलग्नक – 4ग

भारत में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार लिंग अनुपात का विवरण

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	978	981	944	990	991	980
जम्मू एवं कश्मीर	910	916	799	924	927	872
हिमाचल प्रदेश	996	1002	809	999	1003	923
उत्तराखण्ड	950	956	867	963	966	938
राजस्थान	944	950	851	948	951	893
उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
बिहार	929	934	839	958	960	934
सिक्किम	957	950	1024	960	942	1042
अरुणाचल प्रदेश	1003	1000	1020	1032	1022	1083
नागालैंड	943	942	946	976	964	1014
मणिपुर	980	977	1040	984	978	1051
मिजोरम	984	959	1012	1007	967	1047
त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1017
मेघालय	1000	987	1072	1013	996	1104
असम	972	974	929	985	984	996
पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
झारखण्ड	987	989	965	1003	1003	1007
ओडिशा	1003	1006	948	1029	1031	991
छत्तीसगढ़	1013	1017	941	1020	1021	999
मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
गुजरात	974	978	926	981	984	952
दमन एवं दीव	947	952	928	977	982	972
दादर एवं नागर हवेली	1028	1032	973	1010	1011	1002
महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
तेलंगाना	962	965	922	980	982	961
आंध्र प्रदेश	983	986	957	1009	1014	977
कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
गोवा	893	827	928	1046	1026	1076
लक्षद्वीप	1003	1001	1006	1003	994	1006
केरल	1021	1020	1053	1035	1031	1070
तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
अंडमान निकोबार दीप समूह	948	954	796	937	931	1030

स्रोतः 2001 और 2011 की जनगणना, भारत के महापंजीयक का कार्यालय ।

अनुलग्नक – 4 घ

सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनसंख्या 2011

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	व्यक्ति			पुरुष			महिला		
		सभी	अ.ज.जा.	अंतर	सभी	अ.ज.जा.	अंतर	सभी	अ.ज.जा.	अंतर
	भारत	73	59	14.0	80.9	68.5	12.4	64.6	49.4	15.2
1	जम्मू एवं कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखण्ड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	–0.3
9	नागालैंड	79.6	80	–0.4	82.8	83.1	–0.3	76.1	76.9	–0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	–0.2	93.3	93.6	–0.3	89.3	89.5	–0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	–0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	–0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	–1.2	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखण्ड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.7	81.6	63.7	17.9	64	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन एवं दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादर एवं नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्र प्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	–0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

टिप्पण:2011 के अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी में कोई अधिसूचित अ.ज.जा. नहीं है

अनुलग्नक – 4 ङ.

15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु अनुसूचित जनजातियों के लिए –स्नातक तथा इससे ऊपर का शैक्षिक स्तर

क्र. सं.	भारत / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्नातक तथा इससे ऊपर	कुल स्नातक तथा इससे ऊपर की प्रतिशतता (कॉलम 3)							
			तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातक डिग्री	तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातकोत्तर डिग्री	तकनीकी डिग्री या डिग्री के समतुल्य डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री					
					इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	कृषि तथा डेयरी	पशु चिकित्सा विज्ञान	शिक्षण*	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	**1763879**	**64.08**	**18.28**	**5.92**	**1.94**	**0.36**	**0.11**	**9.27**	**0.04**
1	जम्मू एवं कश्मीर	19320	55.01	22.51	7.16	3.98	0.61	0.45	10.09	0.20
2	हिमाचल प्रदेश	16983	57.57	27.58	4.57	1.74	0.18	0.11	8.20	0.05
3	उत्तराखण्ड	18868	61.74	28.87	4.43	1.35	0.20	0.01	3.40	0.00
4	राजस्थान	199280	52.83	22.17	3.14	1.20	0.11	0.06	20.49	0.01
5	उत्तर प्रदेश	18275	71.22	19.62	3.64	1.00	0.20	0.01	4.31	0.00
6	बिहार	12772	83.34	9.02	4.60	1.43	0.05	0.10	1.46	0.01
7	सिक्किम	9401	71.71	16.93	5.94	2.60	0.55	0.20	2.01	0.06
8	अरुणाचल प्रदेश	33331	70.94	13.40	8.99	3.32	1.03	0.36	1.94	0.02
9	नागालैंड	75326	75.44	15.18	4.25	2.22	0.68	0.28	1.92	0.03
10	मणिपुर	60186	82.04	12.68	2.62	1.61	0.15	0.04	0.85	0.01
11	मिजोरम	45681	70.62	16.57	5.51	2.43	0.48	0.38	4.01	0.02
12	त्रिपुरा	12074	72.58	15.83	5.47	3.35	0.80	0.15	1.81	0.02
13	मेघालय	63897	73.85	13.05	5.59	2.47	0.61	0.28	4.13	0.03
14	असम	74746	83.24	9.80	3.93	1.66	0.19	0.18	0.98	0.02
15	पश्चिम बंगाल	62032	79.85	13.50	3.00	1.03	0.12	0.04	2.44	0.01
16	झारखण्ड	144262	79.58	12.76	2.62	0.95	0.13	0.06	3.90	0.01
17	ओडिशा	64859	71.23	9.64	14.56	1.24	0.14	0.06	3.13	0.00
18	छत्तीसगढ़	109384	54.98	37.76	4.09	1.39	0.38	0.05	1.35	0.01
19	मध्य प्रदेश	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00
20	गुजरात	133702	56.13	19.54	5.11	3.11	0.38	0.05	15.55	0.13
21	दमन एवं दीव	170	63.53	14.71	7.06	3.53	0.00	0.00	11.18	0.00
22	दादर एवं नगर हवेली	2232	38.22	12.90	4.57	4.17	0.00	0.00	40.10	0.04
23	महाराष्ट्र	185590	55.83	15.81	5.78	2.33	0.87	0.09	19.28	0.01
24	आंध्र प्रदेश	63124	57.36	13.61	10.52	2.75	0.27	0.14	15.11	0.24
25	तेलंगाना	83954	56.08	14.55	13.17	2.89	0.17	0.11	12.88	0.15
26	कर्नाटक	102014	57.84	12.29	10.82	1.95	0.30	0.09	16.68	0.03
27	गोवा	3990	77.57	8.47	6.24	3.48	0.18	0.00	4.06	0.00
28	लक्षद्वीप	1986	44.66	21.70	8.61	5.09	1.71	0.45	17.12	0.65
29	केरल	10675	62.49	17.80	8.51	4.14	0.36	0.24	6.41	0.06
30	तमिलनाडु	13970	49.20	20.76	20.08	2.66	0.46	0.19	6.63	0.03
31	अंडमान और निकोबार दीप समूह	421	46.32	17.10	3.33	5.23	0.00	0.71	27.32	0.00

* शिक्षण–जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी), बीएड, एमएड आदि

स्रोतः जनगणना 2011,भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4च

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एससी, पीएचसी एवं सीएचसी) की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2019 तक)									
		ग्रामीण क्षेत्रों में 01 जुलाई, 2019 को वर्ष के मध्यकाल में अनुमानित जनजातीय जनसंख्या	उपकेन्द्र			पीएचसी			सीएचसी		
			आर	पी	एस	आर	पी	एस	आर	पी	एस
1	आंध्र प्रदेश	2266965	755	802	**	113	153	**	28	21	7
2	अरुणाचल प्रदेश #	839207	279	385	**	41	143	**	10	63	**
3	असम	3993696	1331	778	553	199	181	18	49	27	22
4	बिहार''	1454932	484	उप.नहीं	उप.नहीं	72	उप.नहीं	उप.नहीं	18	उप.नहीं	उप.नहीं
5	छत्तीसगढ़	7879417	2626	2812	**	393	395	**	98	81	17
6	गोवा (1)	69097	23	66	**	3	8	**	0	1	**
7	गुजरात	6065876	2021	2778	**	303	421	**	75	92	**
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	398091	132	104	28	19	47	**	4	8	**
10	जम्मू एवं कश्मीर	1472006	490	307	183	73	48	25	18	11	7
11	झारखण्ड	8787305	2929	2665	264	439	192	247	109	98	11
12	कर्नाटक	3463079	1154	321	833	173	64	109	43	7	36
13	केरल	285346	95	831	**	14	137	**	3	12	**
14	मध्य प्रदेश	16025605	5341	3274	2067	801	338	463	200	99	101
15	महाराष्ट्र	9406508	3135	2582	553	470	467	3	117	67	50
16	मणिपुर	834313	278	252	26	41	55	**	10	7	3
17	मेघालय #	2314912	771	477	294	115	118	**	28	28	0
18	मिजोरम #	528295	176	370	**	26	69	**	6	9	**
19	नागालैंड #	1189355	396	453	**	59	131	**	14	21	**
20	ओडिशा	9202138	3067	2701	366	460	427	33	115	133	**
21	पंजाब *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	9681034	3227	1574	1653	484	233	251	121	67	54
23	सिक्किम	142276	47	57	**	7	13	''	1	0	1
24	तमिलनाडु	644645	214	432	**	32	105	**	8	25	**
25	तेलंगाना	2796018	932	698	234	139	93	46	34	23	11
26	त्रिपुरा	1069169	356	484	**	53	48	5	13	9	4
27	उत्तराखण्ड	277051	92	155	**	13	10	3	3	5	**
28	उत्तर प्रदेश	1147580	382	उप.नहीं	उप.नहीं	57	उप.नहीं	उप.नहीं	14	उप.नहीं	उप.नहीं
29	पश्चिम बंगाल	4908121	1636	3206	**	245	300	**	61	104	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह (1)	25916	8	41	**	1	4	**	0	1	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	162390	54	58	**	8	7	1	2	0	2
33	दमन एवं दीव(1)	4288	1	5	**	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #(1)	3808	1	14	**	0	4	**	0	3	**
36	पुदुचेरी *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	97338441	32433	28682	7054	4853	4211	1204	1202	1022	326

स्रोतः ग्रामीणस्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एससी और पीएचसी में एचडब्ल्यूसी शामिल हैं

टिप्पणियांः जनगणना 2011 से ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डों का प्रयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की गई है। कुछ राज्यों में विद्यमान अधिशेष को अनदेखा करते हुए कमियों के राज्य–वार आंकड़ो को जोड़ते हुए अखिल भारतीय कमी तैयार की गई है। वर्ष 2019 की मध्यकालीन जनजातीय आबादी का परिकलन, वर्ष 2011 की ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता पर आधारित है।

आरः आवश्यक; पीः तैनात; एसः कमी; **: अधिशेष, *: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है;

#:राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र हैं [2] जनसंख्या 80,000 के मानक (सीएचसी) से कम है। उप. न. : उपलब्ध नहीं

अनुलग्नक–4छ

जनजातीय क्षेत्रों में उप–केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31मार्च, 2019 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	(आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	802	1493	1290	203	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	385	उप.नहीं	477	उप.नहीं	**
3	असम	778	उप.नहीं	1402	उप.नहीं	**
4	बिहार	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं
5	छत्तीसगढ़	2812	2906	4254	**	**
6	गोवा	66	59	59	0	7
7	गुजरात	2778	2778	2112	666	666
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	104	104	65	39	39
10	जम्मू एवं कश्मीर	307	649	591	58	**
11	झारखण्ड	2665	5530	4128	1402	**
12	कर्नाटक	321	321	242	79	79
13	केरल	831	840	840	0	**
14	मध्य प्रदेश	3274	4180	3305	875	**
15	महाराष्ट्र	2582	4208	7134	**	**
16	मणिपुर	252	666	601	65	**
17	मेघालय #	477	उप.नहीं	817	उप.नहीं	**
18	मिजोरम #	370	405	673	**	**
19	नागालैंड #	453	760	804	**	**
20	ओडिशा	2701	2701	2793	**	**
21	पंजाब*	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	1574	2187	1788	399	**
23	सिक्किम	57	उप.नहीं	93	उप.नहीं	**
24	तमिलनाडु	432	432	407	25	25
25	तेलंगाना	698	1158	1158	0	''
26	त्रिपुरा	484	उप.नहीं	189	उप.नहीं	295
27	उत्तराखण्ड	155	155	146	9	9
28	उत्तर प्रदेश	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं
29	पश्चिम बंगाल	3206	5297	5396	**	**
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	41	57	56	1	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली#	58	39	94	**	**
33	दमन एवं दीव	5	9	9	0	**
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #	14	24	24	0	**
36	पुदुचेरी #	0	0	0	0	0
	कुल	28682	36958	40947	3821	1120

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2018 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय टिप्पणियां : # राज्य प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्र हैं।
उप.नहीं : उपलब्ध नहीं । **अधिशेष [1] आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रति उप–केन्द्र है।
* राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है । ये उपकेंद्रों और एचडब्ल्यूसी के आंकड़े हैं ।

अनुलग्नक–4ज

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2019 जतक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	(आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	153	0	0	0	153
2	अरुणाचल प्रदेश #	143	145	76	69	67
3	असम	181	उप. नहीं	415	उप. नहीं	**
4	बिहार	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
5	छत्तीसगढ़	395	448	435	13	**
6	गोवा	8	18	18	0	**
7	गुजरात	421	421	396	25	25
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	47	15	5	10	42
10	जम्मू एवं कश्मीर	48	67	99	**	**
11	झारखण्ड	192	160	245	**	**
12	कर्नाटक	64	0	0	0	64
13	केरल	137	176	186	**	**
14	मध्य प्रदेश	338	332	380	**	**
15	महाराष्ट्र	467	842	720	122	**
16	मणिपुर	55	116	70	46	**
17	मेघालय #	118	उप. नहीं	356	उप. नहीं	**
18	मिजोरम #	69	उप. नहीं	30	उप. नहीं	39
19	नागालैंड #	131	202	213	**	**
20	ओडिशा	427	650	503	147	**
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	233	462	369	93	**
23	सिक्किम	13	उप. नहीं	42	उप. नहीं	**
24	तमिलनाडु	105	120	112	8	**
25	तेलंगाना	93	0	0	0	93
26	त्रिपुरा	48	उप. नहीं	49	उप. नहीं	**
27	उत्तराखण्ड	10	8	6	2	4
28	उत्तर प्रदेश	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
29	पश्चिम बंगाल	300	121	70	51	230
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	4	30	14	16	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	7	0	0	0	7
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	4	23	23	0	,,
36	पुदुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	4211	4356	4832	602	724

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टिप्पणियां : # राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है
* : राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र /जनसंख्या नहीं है
1 आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार एक नर्सिंग स्टाफ प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
उप. नहीं : उपलब्ध नहीं ** अधिशेष
इन आंकड़ों में जनजातीय क्षेत्रों में स्थित पीएचसी और एचडब्ल्यूसी – पीएचसी के आंकड़े शामिल हैं ।

अनुलग्नक–4झ

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2019 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	(आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	153	466	448	18	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	143	उप. नहीं	172	उप. नहीं	**
3	असम	181	उप. नहीं	380	उप. नहीं	**
4	बिहार	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप.ा नहीं
5	छत्तीसगढ़	395	757	559	198	**
6	गोवा	8	17	22	**	**
7	गुजरात	421	1120	738	382	**
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	47	28	12	16	35
10	जम्मू एवं कश्मीर	48	81	35	46	13
11	झारखण्ड	192	160	21	139	171
12	कर्नाटक	64	56	45	11	19
13	केरल	137	179	185	**	**
14	मध्य प्रदेश	338	332	165	167	173
15	महाराष्ट्र	467	475	290	185	177
16	मणिपुर	55	73	85	**	**
17	मेघालय #	118	उप. नहीं	373	उप. नहीं	**
18	मिजोरम #	69	उप. नहीं	154	उप. नहीं	**
19	नागालैंड #	131	184	200	**	**
20	ओडिशा	427	0	247	**	**
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	233	175	82	93	151
23	सिक्किम	13	उप. नहीं	24	उप. नहीं	**
24	तमिलनाडु	105	273	307	**	**
25	तेलंगाना	93	188	160	28	**
26	त्रिपुरा	48	उप. नहीं	302	उप. नहीं	**
27	उत्तराखण्ड	10	8	6	2	4
28	उत्तर प्रदेश	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
29	पश्चिम बंगाल	300	717	605	112	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	4	9	9	0	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	7	11	69	"	"
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	4	11	11	0	"
36	पुद्दुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	**4211**	**5320**	**5706**	**1397**	**743**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
* : राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र /जनसंख्या नहीं है
उप. नहीं : उपलब्ध नहीं ** अधिशेष

टिप्पणियां : # राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है
[1] आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार एक नर्सिंग स्टाफ प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
इन आंकड़ों में जनजातीय क्षेत्रों में स्थित पीएचसी और एचडब्ल्यूसी – पीएचसी के आंकड़े शामिल हैं ।

अनुलग्नक–4ञ

जनजातीय क्षेत्रों में सीएसची में नर्सिंग स्टाफ

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2019 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	(आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	147	136	116	20	31
2	अरुणाचल प्रदेश #	441		451	उप. नहीं	**
3	असम	189	उप. नहीं	199	उप. नहीं	**
4	बिहार	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
5	छत्तीसगढ़	567	957	761	196	**
6	गोवा	7	24	23	1	**
7	गुजरात	644	644	509	135	135
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	56	31	18	13	38
10	जम्मू एवं कश्मीर	77	84	76	8	1
11	झारखण्ड	686	435	380	55	306
12	कर्नाटक	49	88	48	40	1
13	केरल	84	67	93	**	**
14	मध्य प्रदेश	693	707	636	71	57
15	महाराष्ट्र	469	373	306	67	163
16	मणिपुर	49	उप. नहीं	55	उप. नहीं	**
17	मेघालय #	196	उप. नहीं	378	उप. नहीं	**
18	मिजोरम #	63	उप. नहीं	51	उप. नहीं	12
19	नागालैंड #	147	191	191	0	**
20	ओडिशा	931	425	605	**	326
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	469	730	588	142	**
23	सिक्किम	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	175	143	108	35	67
25	तेलंगाना	161	102	23	79	138
26	त्रिपुरा	63	उप. नहीं	90	उप. नहीं	**
27	उत्तराखण्ड	35	18	15	3	20
28	उत्तर प्रदेश	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
29	पश्चिम बंगाल	728	1382	1374	8	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	7	24	24	0	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	0	0	0	0	0
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	21	43	43	0	**
36	पुदुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	7154	6604	7161	873	1295

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र /जनसंख्या नहीं है
[1] आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक नर्सिंग स्टाफ

टिप्पणियां : # राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है
उप. नहीं : उपलब्ध नहीं ** अधिशेष

अनुलग्नक–4ट

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2019 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	(आर–पी)
1	आंध्र प्रदेश	153	287	273	14	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	143	उप. नहीं	123	उप. नहीं	20
3	असम	181	उप. नहीं	336	उप. नहीं	**
4	बिहार	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
5	छत्तीसगढ़	395	409	176	233	219
6	गोवा	8	19	18	1	**
7	गुजरात	421	1030	531	499	**
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	47	67	46	21	1
10	जम्मू एवं कश्मीर	48	76	75	1	**
11	झारखण्ड	192	382	240	142	**
12	कर्नाटक	64	64	38	26	26
13	केरल	137	230	232	**	**
14	मध्य प्रदेश	338	364	289	75	49
15	महाराष्ट्र	467	740	666	74	**
16	मणिपुर	55	उप. नहीं	77	उप. नहीं	**
17	मेघालय #	118	उप. नहीं	149	उप. नहीं	**
18	मिजोरम #	69	उप. नहीं	62	उप. नहीं	7
19	नागालैंड #	131	उप. नहीं	139	उप. नहीं	**
20	ओडिशा	427	444	307	137	120
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	233	305	254	51	**
23	सिक्किम	13	उप. नहीं	21	उप. नहीं	**
24	तमिलनाडु	105	190	126	64	**
25	तेलंगाना	93	211	186	25	**
26	त्रिपुरा	48	उप. नहीं	133	उप. नहीं	**
27	उत्तराखण्ड	10	17	10	7	0
28	उत्तर प्रदेश	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं
29	पश्चिम बंगाल	300	410	352	58	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	4	9	5	4	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	7	3	17	**	**
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	4	8	8	0	**
36	पुद्दुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	4211	5265	4889	1432	442

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
उप.नहीं : उपलब्ध नहीं "अधिशेष.
[1] आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार प्रति एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक

टिप्पणियां: # राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है।
* राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है
[2] एलोपैथिक चिकित्सक

अनुलग्नक–4ठ

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या		प्रकाश का मुख्य स्रोत					
			बिजली		मिट्टी का तेल		सौर ऊर्जा	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
भारत	2,33,74,527	24,67,40,228	51.7	67.2	45.6	31.4	1.1	0.4
जम्मू एवं कश्मीर	2,62,419	20,15,088	59.7	85.1	23.7	9.7	3.8	1
हिमाचल प्रदेश	92,017	14,76,581	94.5	96.8	4.1	2.8	0.9	0.1
उत्तराखण्ड	63,322	19,97,068	83.7	87	13.6	11.1	1.9	1.2
राजस्थान	18,36,014	1,25,81,303	39.7	67	57.7	30.9	0.9	0.6
उत्तर प्रदेश	5,12,649	3,29,24,266	36.7	36.8	60.8	61.9	1.1	0.5
बिहार	4,23,568	1,89,40,629	11.5	16.4	86.9	82.4	0.7	0.6
सिक्किम	46,013	1,28,131	91.5	92.5	7.4	6.5	0.4	0.2
अरुणाचल प्रदेश	1,72,913	2,61,614	66.2	65.7	12.3	18.5	4	2.9
नागालैंड	3,49,022	3,99,965	81.2	81.6	15.9	15.6	0.3	0.3
मणिपुर	2,19,179	5,54,713	62.5	68.3	28.5	25.1	4	1.9
मिजोरम	2,11,626	2,21,077	84.3	84.2	13.4	13.5	1.4	1.3
त्रिपुरा	2,59,322	8,42,781	46.9	68.4	48.6	29.1	3.8	1.9
मेघालय	4,56,683	5,38,299	59.2	60.9	38.6	37	0.8	0.8
असम	8,87,226	63,67,295	28	37	69.3	61.8	2.1	0.8
पश्चिम बंगाल	12,73,423	2,00,67,299	31.7	54.5	66.2	43.5	1.1	1.2
झारखण्ड	17,18,359	61,81,607	29.3	45.8	68.9	53.1	1.4	0.7
ओडिशा	22,40,142	96,61,085	15.6	43	82.3	55.3	0.6	0.4
छत्तीसगढ़	17,47,575	56,22,850	56.8	75.3	40.1	23.2	2.2	0.9
मध्य प्रदेश	32,13,683	1,49,67,597	54	67.1	44.6	32.1	0.6	0.3
गुजरात	18,37,844	1,21,81,718	80	90.4	17.6	8.1	0.4	0.1
दमन एवं दीव	3,334	60,381	96.6	99.1	2.5	0.8	0	0
दादर एवं नागर हवेली	33,367	73,063	90.8	95.2	8.4	4.4	0.1	0
महाराष्ट्र	24,45,645	2,38,30,580	59.8	83.9	36.2	14.5	1.2	0.2
आंध्र प्रदेश	719312	12603872	73.1	92.1	25.3	7.1	0.4	0.2
तेलंगाना	840723	8420662	86	92.3	12.1	6.6	0.4	0.3
कर्नाटक	9,36,995	1,31,79,911	83.6	90.6	15	8.6	0.4	0.2
गोवा	33,662	3,22,813	93.8	96.9	4.8	2.4	0.3	0.2
लक्षद्वीप	10,028	10,703	99.7	99.7	0.2	0.2	0	0
केरल	1,36,006	77,16,370	62.8	94.4	34.5	5.2	2.2	0.2
तमिलनाडु	3,84,713	1,84,93,003	84.4	93.4	13.6	5.9	0.7	0.1
अंडमान निकोबार दीप समूह	7,743	93,376	94	86.1	3.8	12.9	0.1	0.1

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक – 4 ड

मकान परिसर में शौचालय की सुविधा वाले / सुविधा रहित परिवारों की प्रतिशतता

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		मनुष्य द्वारा मैला ढोना		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा नहीं होने वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच करना	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारत	23374527	2467,40,228	22.70	46.90	0.10	0.30	77.30	53.10	74.60	49.80
जम्मू एवं कश्मीर	262419	20,15,088	26.70	51.20	5.20	8.90	73.30	48.80	71.10	46.10
हिमाचल प्रदेश	92017	14,76,581	62.00	69.10	0.20	0.00	38.00	30.90	36.70	29.70
उत्तराखण्ड	63322	19,97,068	46.10	65.80	0.10	0.20	53.90	34.20	51.50	33.10
राजस्थान	1836014	125,81,303	7.90	35.00	0.00	0.00	92.10	65.00	91.70	64.30
उत्तर प्रदेश	512649	329,24,266	35.50	35.60	0.50	1.00	64.50	64.40	62.30	63.00
बिहार	423568	189,40,629	13.70	23.10	0.10	0.10	86.30	76.90	85.00	75.80
सिक्किम	46013	1,28,131	85.90	87.20	–	0.00	14.10	12.80	12.80	11.30
अरुणाचल प्रदेश	172913	2,61,614	58.40	62.00	0.40	0.40	41.60	38.00	38.80	34.80
नागालैंड	349022	3,99,965	74.80	76.50	0.20	0.20	25.20	23.50	17.80	16.50
मणिपुर	219179	5,54,713	78.40	87.00	1.00	2.00	21.60	13.00	19.20	10.70
मिजोरम	211626	2,21,077	91.90	91.90	0.10	0.10	8.10	8.10	6.60	6.60
त्रिपुरा	259322	8,42,781	63.70	86.00	0.20	0.10	36.30	14.00	30.30	11.50
मेघालय	456683	5,38,299	61.00	62.90	0.40	0.40	39.00	37.10	36.20	34.30
असम	887226	63,67,295	43.30	64.90	0.20	0.30	56.70	35.10	54.00	33.20
पश्चिम बंगाल	1273423	200,67,299	24.40	58.80	0.30	0.60	75.60	41.20	73.20	38.60
झारखण्ड	1718359	61,81,607	8.30	22.00	0.00	0.00	91.70	78.00	90.80	77.00
ओडिशा	2240142	96,61,085	7.10	22.00	0.10	0.30	92.90	78.00	91.60	76.60
छत्तीसगढ़	1747575	56,22,850	14.80	24.60	0.00	0.00	85.20	75.40	84.60	74.00
मध्य प्रदेश	3213683	149,67,597	8.50	28.80	0.00	0.00	91.50	71.20	90.90	70.00
गुजरात	1837844	121,81,718	24.30	57.30	0.00	0.00	75.70	42.70	73.50	40.40
दमन एवं दीव	3334	60,381	36.90	78.20	–	0.00	63.10	21.80	54.10	10.50
दादर एवं नागर हवेली	33367	73,063	16.90	54.70	0.20	0.20	83.10	45.30	80.80	40.00
महाराष्ट्र	2445645	238,30,580	30.10	53.10	0.00	0.00	69.90	46.90	59.70	34.00
आंध्र प्रदेश	719312	12603872	19.10	47.70	0.20	0.10	80.90	52.30	78.10	49.00
तेलंगाना	840723	8420662	19.90	52.40	0.40	0.30	80.10	47.60	78.00	46.40
कर्नाटक	936995	131,79,911	28.70	51.20	0.00	0.10	71.30	48.80	66.90	45.00
गोवा	33662	3,22,813	59.90	79.70	–	0.00	40.10	20.30	36.30	16.40
लक्षद्वीप	10028	10,703	98.30	97.80	–	0.00	1.70	2.20	1.50	1.80
केरल	136006	77,16,370	71.40	95.20	0.00	0.00	28.60	4.80	25.70	3.80
तमिलनाडु	384713	184,93,003	34.70	48.30	0.10	0.10	65.30	51.70	60.30	45.70
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7743	93,376	88.20	70.10	–	0.00	11.80	29.90	11.50	27.50

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक – 4 ढ

जनगणना के अनुसार अधिगृहीत मकानों की दशा के अनुरूप परिवार का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	सभी				अनुसूचित जनजाति			
		कुल आवास (संख्या लाख में)	अच्छे मकान (%)	शौचालय की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता	अलग से रसोई वाले मकानों की प्रतिशतता	कुल मकान (संख्या लाख में)	अच्छे मकान (%)	शौचालय की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता	अलग से रसोई वाले मकानों की प्रतिशतता
	भारत	2467.40	53.1	46.9	61.3	233.75	40.6	22.6	53.7
1	जम्मू एवं कश्मीर	20.15	54.1	51.2	85.7	2.62	32.8	26.7	73.6
2	हिमाचल प्रदेश	14.77	72.4	69.1	88.2	0.92	68.4	62.0	85.4
3	उत्तराखण्ड	19.97	66.8	65.8	70.1	0.63	58.2	46.1	74.3
4	राजस्थान	125.81	51.0	35.0	50.8	18.36	31.3	7.9	22.1
5	उत्तर प्रदेश	329.24	42.8	35.6	40.7	5.13	40.6	35.5	43.0
6	बिहार	189.41	36.1	23.1	33.5	4.24	30.6	13.7	34.4
7	सिक्किम	1.28	56.5	87.2	90.2	0.46	54.7	85.9	91.7
8	अरुणाचल प्रदेश	2.62	51.8	62.0	89.2	1.73	54.5	58.4	89.4
9	नागालैंड	4.00	52.4	76.5	96.0	3.49	52.9	74.8	96.8
10	मणिपुर	5.07	54.1	89.3	93.3	2.19	39.2	78.4	88.3
11	मिजोरम	2.21	62.3	91.9	83.8	2.12	62.4	91.9	83.7
12	त्रिपुरा	8.43	54.2	86.0	85.9	2.59	52.7	63.7	75.9
13	मेघालय	5.38	48.1	62.9	90.7	4.57	47.8	61.0	91.2
14	असम	63.67	32.8	64.9	88.3	8.87	32.4	43.3	89.4
15	पश्चिम बंगाल	200.67	40.9	58.8	60.9	12.73	27.5	24.4	48.2
16	झारखण्ड	61.82	43.4	22.0	39.4	17.18	36.6	8.3	34.5
17	ओडिशा	96.61	29.5	22.0	62.9	22.40	19.1	7.1	59.6
18	छत्तीसगढ़	56.23	46.6	24.6	56.1	17.48	43.1	14.8	54.9
19	मध्य प्रदेश	149.68	52.3	28.8	46.8	32.14	38.8	8.5	36.6
20	गुजरात	121.82	67.3	57.3	72.3	18.38	51.2	24.3	65.0
21	दमन एवं दीव	0.60	68.1	78.2	65.9	0.03	57.4	36.9	83.0
22	दादर एवं नागर हवेली	0.73	66.7	54.7	84.4	0.33	54.4	16.9	84.8
23	महाराष्ट्र	238.31	64.1	53.1	72.7	24.46	48.0	30.1	60.4
24	आंध्र प्रदेश	126.04	71.1	47.7	55.6	7.19	57.7	40.3	19.1
25	तेलंगाना	84.21	67.8	52.4	52.2	8.41	58.0	35.7	19.9
26	कर्नाटक	131.80	60.1	51.2	89.3	9.37	50.0	28.7	82.8
27	गोवा	3.23	76.1	79.7	92.9	0.34	68.6	59.9	90.2
28	लक्षद्वीप	0.11	78.7	97.8	95.5	0.10	78.9	98.3	96.6
29	केरल	77.16	66.3	95.2	96.7	1.36	38.4	71.4	89.6
30	तमिलनाडु	184.93	70.2	48.3	76.5	3.85	59.8	34.7	64.3
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	0.93	66.5	70.1	94.1	0.08	86.5	88.2	97.9

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक – 4 ण

पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों (सभी) का %			अ.ज.जा. के परिवारों का %		
	पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार					
	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर
भारत	46.6	35.8	17.6	19.7	46.7	33.6
अंडमान निकोबार दीप समूह	60.6	27.0	12.4	61.0	15.7	23.3
आंध्र प्रदेश	43.2	37.3	19.5	21.0	45.7	33.4
अरुणाचल प्रदेश	41.1	37.4	21.6	36.5	40.4	23.1
असम	54.8	26.7	18.5	47.3	28.9	23.8
बिहार	50.1	37.9	12.0	40.9	41.4	17.7
चंडीगढ़	86.1	11.6	2.2	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	19.0	54.5	26.5	9.1	57.7	33.2
दादर एवं नागर हवेली	52.6	36.4	10.9	28.7	50.2	21.0
दमन एवं दीव	76.4	22.1	1.5	57.6	36.9	5.5
गोवा	79.7	15.5	4.8	58.7	28.9	12.4
गुजरात	64.0	23.5	12.4	28.8	46.4	24.8
हरियाणा	66.5	21.4	12.1	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	55.5	35.0	9.5	48.9	41.2	9.9
जम्मू एवं कश्मीर	48.2	28.7	23.1	15.3	39.2	45.5
झारखण्ड	23.2	44.9	31.9	8.3	49.4	42.3
कर्नाटक	44.5	37.3	18.2	27.2	45.6	27.2
केरल	77.7	14.1	8.2	44.3	30.4	25.4
लक्षद्वीप	83.7	14.3	2.0	83.9	14.2	1.9
मध्य प्रदेश	23.9	45.6	30.5	8.4	50.1	41.5
महाराष्ट्र	59.4	27.5	13.1	33.9	43.3	22.8
मणिपुर	16.1	46.2	37.8	13.3	52.9	33.8
मेघालय	24.1	43.2	32.7	18.8	46.2	35.0
मिजोरम	31.2	46.7	22.2	30.6	47.0	22.4
नागालैंड	29.3	42.4	28.3	26.1	44.1	29.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली	78.4	15.4	6.2	0.0	0.0	0.0
ओडिशा	22.4	42.2	35.4	6.2	49.2	44.6
पुदुचेरी	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0	0.0
पंजाब	85.9	10.0	4.1	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	35.0	39.0	25.9	11.0	47.5	41.5
सिक्किम	52.6	29.7	17.7	48.8	31.7	19.5
तमिलनाडु	34.9	58.1	7.0	21.1	65.9	13.0
त्रिपुरा	37.1	30.5	32.4	14.2	32.2	53.6
उत्तर प्रदेश	51.9	36.0	12.1	43.0	38.8	18.2
उत्तराखण्ड	58.3	26.6	15.2	55.8	31.1	13.1
पश्चिम बंगाल	38.6	34.7	26.6	18.6	44.3	37.1

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक – 4त

15 वर्ष तथा इससे अधिक के अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रतिशतता वित. रण जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में ग्रामीण + शहरी क्षेत्रों में सामान्य सिद्धांत एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण (पीएस+एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र / अखिल भारत	12 महीनों तक काम करने वाले	6–11 महीनों तक काम करने वाले	1–5 महीनों तक काम करने वाले	जिन्हें काम नहीं मिला
1	अंडमान निकोबार दीप समूह	61.3	7.7	3.8	27.2
2	आंध्र प्रदेश	34.6	60.1	0.3	5
3	अरुणाचल प्रदेश	44.6	45.5	3.8	6.1
4	असम	60.0	31.7	3.4	4.9
5	बिहार	35.0	58.0	1.2	5.9
6	छत्तीसगढ़	22.7	76.4	0.5	0.3
7	दादर एवं नागर हवेली	89.5	7.5	–	3.0
8	दमन एवं दीव	97.3	–	–	2.7
9	गोवा	80.8	3.7	0.8	14.7
10	गुजरात	67.7	31.3	0.2	0.8
11	हिमाचल प्रदेश	81.1	17.9	–	1.0
12	जम्मू एवं कश्मीर	46.4	47.9	0.8	4.8
13	झारखण्ड	38.6	50.9	7.8	2.7
14	कर्नाटक	65.5	32.7	–	1.8
15	केरल	41.6	40.4	0.4	17.6
16	लक्षद्वीप	68.3	14.4	12.8	4.5
17	मध्य प्रदेश	33.2	62.3	0.9	3.6
18	महाराष्ट्र	53.5	45.5	0.2	0.7
19	मणिपुर	27.9	68.9	0.5	2.6
20	मेघालय	59.3	34.5	0.7	5.5
21	मिजोरम	57.4	38.9	1.5	2.1
22	नागालैंड	63.6	26.2	2.8	7.4
23	ओडिशा	35.0	61.5	1.1	2.4
24	राजस्थान	54.7	35.3	7.0	3.1
25	सिक्किम	56.0	27.5	0.8	15.8
26	तमिलनाडु	77.6	20.1	–	2.3
27	तेलंगाना	57.0	42.3	–	0.7
28	त्रिपुरा	37.4	39.8	13.3	9.6
29	उत्तर प्रदेश	62.1	33.1	1.8	2.9
30	उत्तराखण्ड	46.5	44.4	–	9.0
31	पश्चिम बंगाल	36.1	59.7	1.3	2.9
अखिल भारत		**46.0**	**49.4**	**1.9**	**2.7**

स्रोतः वार्षिक रोजगार दूबेरोजगार सर्वेक्षण 2015–16, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अनुलग्नक–4थ

2016–2018 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरूद्ध अपराध / अत्याचार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2016	2017	2018	कुल अखिल भारतीय हिस्सेदारी (2018) का राज्य प्रतिशत्त	अजजा की जनसंख्या # (लाख में)	अजजा के खिलाफ कुल अपराध दर (2018)
राज्यः							
1	आंध्र प्रदेश	405	341	330	5.1	26.3	12.5
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0.0	9.5	0.0
3	असम	1	65	6	0.1	38.8	0.2
4	बिहार	25	80	64	1.0	13.4	4.8
5	छत्तीसगढ़	402	399	388	5.9	78.2	5.0
6	गोवा	11	2	5	0.1	1.5	3.3
7	गुजरात	281	319	311	4.8	89.2	3.5
8	हरियाणा	0	0	0	0.0	0.0	–
9	हिमाचल प्रदेश	2	3	1	0.0	3.9	0.3
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0.0	14.9	0.0
11	झारखण्ड	280	237	224	3.4	86.5	2.6
12	कर्नाटक	374	401	322	4.9	42.5	7.6
13	केरल	182	144	138	2.1	4.8	28.5
14	मध्य प्रदेश	1823	2289	1868	28.6	153.2	12.2
15	महाराष्ट्र	403	464	526	8.1	105.1	5.0
16	मणिपुर	1	1	1	0.0	11.7	0.1
17	मेघालय	0	0	0	0.0	25.6	0.0
18	मिजोरम	0	0	0	0.0	10.4	0.0
19	नागालैंड	0	0	0	0.0	17.1	0.0
20	ओडिशा	681	700	557	8.5	95.9	5.8
21	पंजाब	2	0	0	0.0	0.0	–
22	राजस्थान	1195	984	1095	16.8	92.4	11.9
23	सिक्किम	0	6	1	0.0	2.1	0.5
24	तमिलनाडु	19	22	15	0.2	7.9	1.9
25	तेलंगाना	375	435	419	6.4	32.9	12.7
26	त्रिपुरा	3	1	0	0.0	11.7	0.0
27	उत्तर प्रदेश	4	88	145	2.2	11.3	12.8
28	उत्तराखण्ड	3	11	7	0.1	2.9	2.4
29	पश्चिम बंगाल	83	122	101	1.5	53.0	1.9
	कुल राज्य	**6556**	**7114**	**6524**	**99.9**	**1042.7**	**6.3**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2016	2017	2018	कुल अखिल भारतीय हिस्सेदारी (2018) का राज्य प्रतिशत्त	अजजा की जनसंख्या # (लाख में)	अजजा के खिलाफ कुल अपराध दर (2018)
संघ राज्यक्षेत्रः							
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	6	2	1	0.0	0.3	3.5
31	चंडीगढ़	0	0	0	0.0	0.0	–
32	दादर एवं नागर हवेली	2	5	3	0.0	1.8	1.7
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0.0	0.2	0.0
34	दिल्ली	2	4	0	0.0	0.0	–
35	लक्षद्वीप	1	0	0	0.0	0.6	0.0
36	पुद्दुचेरी	1	0	0	0.0	0.0	–
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	**12**	**11**	**4**	**0.1**	**2.8**	**1.4**
	कुल अखिल भारत	**6568**	**7125**	**6528**	**100.0**	**1045.5**	**6.3**

टिप्पणः

1. *# जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक जनसंख्या (आरजीआई) ।
2. अत्याचार का तात्पर्य गैर–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराध से है। केवल आईपीसी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम को छोड़कर) के तहत मामलों को बाहर रखा गया है क्योंकि ये मामले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध के रूप में संदर्भित है।
3. पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम से स्पष्टीकरण लंबित हैं।

स्रोतः भारत में अपराध 2018, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक – 4द

अनुसूचित जनजातियों के विरूध अपराध / अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान (अपराध शीर्ष–वार) – 2018

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	पिछले वर्ष से लंबित जांच पड़ताल वाले मामले	वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई	जांच पड़ताल के लिए पुनः खोले गए मामले	जांच पड़ताल के लिए कुल मामले (कॉलम.3 + कॉलम.4 + कॉलम.5)	अपराध दंड सहिंता की धारा 157(1)(ख) के तहत जांच नहीं किए गए मामले
1	2	3	4	5	6	7
1क	अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	2105	6178	1	8284	0
1क.1	हत्या	47	168	0	215	0
1क.2	हत्या करने का प्रयास	49	131	0	180	0
1क.3	साधारण चोट	309	1429	0	1738	0
1क.4	गंभीर चोट	96	104	0	200	0
1क.4.1	गंभीर चोट	95	102	0	197	0
1क.4.2	एसिड हमला	0	0	0	0	0
1क.4.3	एसिड हमले का प्रयास	0	0	0	0	0
1क.4.4	अन्य गंभीर चोट	1	2	0	3	0
1क.5	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	245	857	0	1102	0
1क.5क	महिलाओं पर आक्रमण	234	747	0	981	0
1क.5क.1	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	150	470	0	620	0
1क.5क.2	यौन उत्पीड़न	46	187	0	233	0
1क.5क.3	निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला	23	34	0	57	0
1क.5क.4	ताक–झांक	2	6	0	8	0
1क.5क.5	पीछा करना	13	50	0	63	0
1क.5ख	बच्चों पर आक्रमण	11	110	0	121	0
1क.6	महिलाओं की गरिमा का अपमान	23	18	0	41	0
1क.7	अपहरण और हरण	65	116	0	181	0
1क.7.1	अपहरण और हरण	21	40	0	61	0
1क.7.1.1	लापता बच्चों को अपर्हण हुआ माना जाना	5	5	0	10	0
1क.7.1.2	अन्य अपहरण और हरण	16	35	0	51	0
1क.7.2	भीख मांगाने के उद्देश्य के लिए अपहरण और हरण	1	1	0	2	0
1क.7.3	हत्या करने के लिए अपहरण और हरण	1	0	0	1	0
1क.7.4	फिरौती के लिए अपहरण	1	2	0	3	0
1क.7.5	शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और महिलाओं का हरण	26	48	0	74	0
1क.7.6	बालिकाओं की खरीद–फरोख्त	2	3	0	5	0

(जारी)

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	अन्य राज्यों या एजेंसियों को स्थानांतरित किए गए मामले	सरकार द्वारा जांच के दौरान वापस लिए गए मामले	अंतिम रिपोर्ट		
				गैर संज्ञानात्मक रूप में समाप्त अंतिम मामले	असत्य के रूप में समाप्त अंतिम रिपोर्ट मामले	गलत तथ्य या कानून या सिविल विवाद के रूप में समाप्त मामले
		8	9	10	11	12
1क	अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	4	0	6	578	235
1क.1	हत्या	0	0	0	6	2
1क.2	हत्या करने का प्रयास	1	0	0	9	3
1क.3	साधारण चोट	0	0	1	132	36
1क.4.1	गंभीर चोट	0	0	0	5	6
1क.4.2	एसिड हमला	0	0	0	0	0
1क.4.3	एसिड हमले का प्रयास	0	0	0	0	0
1क.4.4	अन्य गंभीर चोट	0	0	0	0	0
1क.5	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	0	0	0	51	12
1क.5क	महिलाओं पर आक्रमण	0	0	0	50	12
1क. 5क.1	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	0	0	0	36	12
1क. 5क.2	यौन उत्पीड़न	0	0	0	2	0
1क. 5क.3	निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग	0	0	0	9	0
1क. 5क.4	ताक–झांक	0	0	0	1	0
1क. 5क.5	पीछा करना	0	0	0	2	0
1क.5ख	बच्चों पर आक्रमण	0	0	0	1	0
1क.6	महिलाओं की गरिमा का अपमान	0	0	0	2	1
1क.7	अपहरण और हरण	0	0	0	15	12
1क.7.1	अपहरण और हरण	0	0	0	5	5
1क.7.1.1	लापता बच्चों को अपहरण हुआ माना जाना	0	0	0	1	2
1क.7.1.2	अन्य अपहरण और हरण	0	0	0	4	3
1क.7.2	भीख मांगाने के उद्देश्य के लिए अपहरण और हरण	0	0	0	0	0
1क.7.3	हत्या करने के लिए अपहरण और हरण	0	0	0	0	0
1क.7.4	फिरौती के लिए अपहरण	0	0	0	0	0
1क.7.5	शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और महिलाओं का हरण	0	0	0	5	4
1क.7.6	बालिकाओं की खरीद–फरोख्त	0	0	0	0	1

(जारी)

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	अंतिम रिपोर्ट			अभ्योग पत्र दाखिल		
		सत्य किन्तु अपर्याप्त साक्ष्य या अप्रापीय या सुराग न मिलने वाले मामले	मामले जिनमें जांच पड़ताल के दौरान निवारण हुआ	कुल (कॉलम.10 + कॉलम.11 + कॉलम.12 + कॉलम.13 + कॉलम. 14)	गत वर्ष के मामलों से जिन मामलों में अभ्योग पत्र प्रस्तुत हुए	जिन मामलों में वर्ष के दौरान अभ्योग प्रस्तुत हुए	मामले जिनमें अभ्योग पत्र प्रस्तुत हुए (कॉलम.16 + कॉलम. 17)
		13	14	15	16	17	18
1क	अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	84	4	907	999	4367	5366
1क.1	हत्या	1	1	10	20	119	139
1क.2	हत्या करने का प्रयास	2	0	14	22	94	116
1क.3	साधारण चोट	9	0	178	165	1111	1276
1क.4.1	गंभीर चोट	4	0	15	27	82	109
1क.4.2	एसिड हमला	0	0	0	0	0	0
1क.4.3	एसिड हमले का प्रयास	0	0	0	0	0	0
1क.4.4	अन्य गंभीर चोट	0	0	0	0	2	2
1क.5	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	5	2	70	129	678	807
1क.5क	महिलाओं पर आक्रमण	4	2	68	123	583	706
1क.5क.1	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	2	0	50	76	369	445
1क.5क.2	यौन उत्पीड़न	0	2	4	32	143	175
1क.5क.3	निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग	2	0	11	10	22	32
1क.5क.4	ताक–झांक	0	0	1	1	3	4
1क.5क.5	पीछा करना	0	0	2	4	46	50
1क.5ख	बच्चों पर आक्रमण	1	0	2	6	95	101
1क.6	महिलाओं की गरिमा का अपमान	0	0	3	8	7	15
1क.7	अपहरण और हरण	8	0	35	15	78	93
1क.7.1	अपहरण और हरण	5	0	15	2	30	32
1क.7.1.1	लापता बच्चों को अपहरण हुआ माना जाना	2	0	5	0	3	3
1क.7.1.2	अन्य अपहरण और हरण	3	0	10	2	27	29
1क.7.2	भीख मांगाने के उद्देश्य के लिए अपहरण और हरण	0	0	0	0	1	1
1क.7.3	हत्या करने के लिए अपहरण और हरण	0	0	0	0	0	0
1क.7.4	फिरौती के लिए अपहरण	0	0	0	0	1	1
1क.7.5	शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और महिलाओं का हरण	3	0	12	9	31	40
1क.7.6	बालिकाओं की खरीद–फरोख्त	0	0	1	0	1	1

(जारी)

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	पुलिस द्वारा कुल मामलों का निपटान (कॉलम.7 + कॉलम.8 + कॉलम.15 + कॉलम.18)	जांच पड़ताल स्तर पर रद्द मामले	जांच पड़ताल स्तर पर स्थगन आदेश	वर्ष के अंत में जांच पड़ताल के लंबित मामले (कॉलम. 6– कॉलम.9– कॉलम 19– कॉलम.20)	अभ्योग पत्र दर (कॉलम.18 / कॉलम. 19)* 100	लंबित प्रतिशत्ता (कॉलम.22 / कॉलम.6) *100
		19	20	21	22	23	24
1क	अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	6277	12	21	1995	85.5	24.1
1क.1	हत्या	149	0	0	66	93.3	30.7
1क.2	हत्या करने का प्रयास	131	0	0	49	88.5	27.2
1क.3	साधारण चोट	1454	1	1	283	87.8	16.3
1क.4	गंभीर चोट	126	0	0	74	88.1	37.0
1क.4.1	गंभीर चोट	124	0	0	73	87.9	37.1
1क.4.2	एसिड हमला	0	0	0	0		
1क.4.3	एसिड हमले का प्रयास	0	0	0	0		
1क.4.4	अन्य गंभीर चोट	2	0	0	1	100.0	33.3
1क.5	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	877	1	1	224	92.0	20.3
1क.5क	महिलाओं पर आक्रमण	774	1	1	206	91.2	21.0
1क.5क.1	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	495	0	0	125	89.9	20.2
1क.5क.2	यौन उत्पीड़न	179	1	1	53	97.8	22.7
1क.5क.3	निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग	43	0	0	14	74.4	24.6
1क.5क.4	ताक–झांक	5	0	0	3	80.0	37.5
1क.5क.5	पीछा करना	52	0	0	11	96.2	17.5
1क.5ख	बच्चों पर आक्रमण	103	0	0	18	98.1	14.9
1क.6	महिलाओं की गरिमा का अपमान	18	0	1	23	83.3	56.1
1क.7	अपहरण और हरण	128	0	2	53	72.7	29.3
1क.7.1	अपहरण और हरण	47	0	1	14	68.1	23.0
1क.7.1.1	लापता बच्चों को अपहरण हुआ माना जाना	8	0	0	2	37.5	20.0
1क.7.1.2	अन्य अपहरण और हरण	39	0	1	12	74.4	23.5
1क.7.2	भीख मांगाने के उद्देश्य के लिए अपहरण और हरण	1	0	0	1	100.0	50.0
1क.7.3	हत्या करने के लिए अपहरण और हरण	0	0	0	1		100.0
1क.7.4	फिरौती के लिए अपहरण	1	0	0	2	100.0	66.7
1क.7.5	शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और महिलाओं का हरण	52	0	1	22	76.9	29.7
1क.7.6	बालिकाओं की खरीद–फरोख्त	2	0	0	3	50.0	60.0

(जारी)

क्र.सं.	प्रमुख शीर्ष	गत वर्ष से लंबित जांच पड़ताल के मामले	वर्ष के दौरान आए मामले	मामले जांच के लिए पुनः खोले गए	जांच पड़ताल के लिए कुल मामले (कॉलम. 3+ कॉलम.4+ कॉलम.5)	भारतीय दण्ड संहिता 157(1)(इ) के तहत न आने वाले मामले
1	2	3	4	5	6	7
1क.7.7	अन्य अपरहण तथा हरण	13	22	0	35	0
1क.8	बलात्कार	254	1008	0	1262	0
1क.8.1	महिलाओं का बलात्कार	213	609	0	822	0
1क.8.2	बच्चों का बलात्कार	41	399	0	440	0
1क.9	बलात्कार का प्रयास	12	17	0	29	0
1क.11	लूट	4	6	0	10	0
1क.12	डकैती	1	14	0	15	0
1क.12.1	डकैती के साथ हत्या	0	0	0	0	0
1क.12.2	डकैती	1	14	0	15	0
1क.13	आगजनी	12	11	0	23	0
1क.14	आपराधिक धमकी	133	484	1	618	0
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	776	1626	0	2402	0
1ख	केवल अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	684	347	0	1031	0
1ख.1	अपमान करने के इरादे से धौंस देना या इरादतन अपमानित करना	176	117	0	293	0
1ख.2	अजा/अजजा की भूमि पर कब्जा करना/बेचना	31	18	0	49	0
1ख.3	सार्वजनिक स्थान/रास्ते का उपयोग रोकना/न करने देना/अवरोध पैदा करना	0	0	0	0	0
1ख.4	घर छोड़ने को मजबूर करना/सामाजिक बहिष्कार	28	19	0	47	0
1ख.4	अन्य अपराध	449	193	0	642	0
1	अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम संबंधी कुल मामले	2789	6525	1	9315	0
2	नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम	34	3	2	39	0
अजजा के विरूद्ध अपराध / अत्याचार		**2823**	**6528**	**3**	**9354**	**0**

(जारी)

क्र.सं.	प्रमुख शीर्ष	अन्य राज्य अथवा एजेंसी को स्थानांतरित मामले	सरकार द्वारा जांच पड़ताल के दौरान वापस लिए गए मामले	गैर संज्ञानात्मक रूप में समाप्त अंतिम मामले	अंतिम रिर्पोट	
					अंतिम रिर्पोट असत्य के रूप में अंतिम मामले	गलत तथ्य या कानून या सिविल विवाद के रूप में समाप्त मामले
		8	9	10	11	12
1क.7.7	अन्य अपरहण तथा हरण	0	0	0	5	2
1क.8	बलात्कार	0	0	0	24	9
1क.8.1	महिलाओं का बलात्कार	0	0	0	23	8
1क.8.2	बच्चों का बलात्कार	0	0	0	1	1
1क.10	दंगे	0	0	2	4	6
1क.11	लूट	0	0	0	0	0
1क.12	डकैती	0	0	0	1	1
1क.12.1	डकैती के साथ हत्या	0	0	0	0	0
1क.12.2	डकैती	0	0	0	1	1
1क.13	आगजनी	0	0	0	1	0
1क.14	आपराधिक धौंस	1	0	0	39	9
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	2	0	3	287	138
1ख	केवल अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	3	1	6	79	61
1ख.1	अपमान करने के इरादे से धौंस देना या इरादत्न अपमानित करना	2	0	1	49	8
1ख.2	अजा/अजजा की भूमि पर कब्जा करनाध्बेचना	0	0	0	0	4
1ख.3	सार्वजनिक स्थानध्रास्ते का उपयोग रोकनाध्न करने देनाध्अवरोध पैदा करना	0	0	0	0	0
1ख.4	घर छोड़ने को मजबूर करना/ सामाजिक बहिष्कार	0	0	0	0	0
1ख.4	अन्य अपराध	1	1	5	30	49
1	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम संबंधी कुल मामले	7	1	12	657	296
2	नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम	0	0	0	0	0
	अजजा के विरूद्ध अपराध नृषंशता	**7**	**1**	**12**	**657**	**296**

(जारी)

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	अंतिम रिपोर्ट			अभ्योग पत्र दाखिल		
		सत्य किन्तु अपर्याप्त साक्ष्य या अप्रापीय या सुराग न मिलने वाले मामले	मामले जिनमें जांच पड़ताल के दौरान निवारण हुआ	कुल (कॉलम.10 + कॉलम.11 + कॉलम.12 + कॉलम.13 + कॉलम. 14)	गत वर्ष के मामलों से जिन मामलों में अभ्योग पत्र प्रस्तुत हए	सत्य किन्तु अपर्याप्त साक्ष्य या अप्रापीय या सुराग न मिलने वाले मामले	मामले जिनमें जांच पड़ताल के दौरान निवारण हुआ
		13	14	15	16	17	18
1क.7.7	अन्य अपरहण तथा हरण	0	0	7	4	14	18
1क.8	बलात्कार	3	1	37	134	813	947
1क.8.1	महिलाओं का बलात्कार	2	1	34	106	473	579
1क.8.2	बच्चों का बलात्कार	1	0	3	28	340	368
1क.10	दंगे	4	0	16	45	127	172
1क.11	लूट	2	0	2	1	3	4
1क.12	डकैती	1	0	3	0	4	4
1क.12.1	डकैती के साथ हत्या	0	0	0	0	0	0
1क.12.2	डकैती	1	0	3	0	4	4
1क.13	आगजनी	2	0	3	3	7	10
1क.14	आपराधिक धमकी	5	0	53	48	334	382
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	37	0	465	379	898	1277
1ख	केवल अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	55	0	201	110	108	218
1ख.1	अपमान करने के इरादे से धमकी देना या इरादतन अपमानित करना	11	0	69	38	43	81
1ख.2	अजा/अजजा की भूमि पर कब्जा करना/बेचना	0	0	4	3	1	4
1ख.3	सार्वजनिक स्थान/रास्ते का उपयोग रोकना/न करने देना/अवरोध पैदा करना	0	0	0	0	0	0
1ख.4	घर छोड़ने को मजबूर करना/सामाजिक बहिष्कार	0	0	0	0	0	0
1ख.4	अन्य अपराध	44	0	128	69	64	133
1	अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम संबंधी कुल मामले	139	4	1108	1109	4475	5584
2	नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम	0	0	0	33	2	35
अजजा के विरूद्ध अपराध अत्याचार		**139**	**4**	**1108**	**1142**	**4477**	**5619**

(जारी)

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	पुलिस द्वारा कुल मामलों का निपटान (कॉलम.7 + कॉलम.8 + कॉलम.15 + कॉलम.18)	जांच पड़ताल स्तर पर रद्द मामले	जांच पड़ताल स्तर पर स्थगन आदेश	वर्ष के अंत में जांच पड़ताल के लंबित मामले (कॉलम. 6– कॉलम.9– कॉलम 19– कॉलम.20)	अभ्योग पत्र दर (कॉलम.18 / कॉलम.19) *100	लंबित प्रतिशत्ता (कॉलम.22 / कॉलम.6) *100
		19	20	21	22	23	24
1क.7.7	अन्य अपरहण तथा हरण	25	0	0	10	72.0	28.6
1क.8	बलात्कार	984	1	0	277	96.2	21.9
1क.8.1	महिलाओं का बलात्कार	613	1	0	208	94.5	25.3
1क.8.2	बच्चों का बलात्कार	371	0	0	69	99.2	15.7
1क.9	बलात्कार का प्रयास	16	0	0	13	81.3	44.8
1क.10	दंगे	188	1	4	79	91.5	29.5
1क.11	लूट	6	1	0	3	66.7	30.0
1क.12	डकैती	7	0	0	8	57.1	53.3
1क.12.1	डकैती के साथ हत्या	0	0	0	0		
1क.12.2	डकैती	7	0	0	8	57.1	53.3
1क.13	आगजनी	13	1	0	9	76.9	39.1
1क.14	आपराधिक धौंस	436	3	4	179	87.6	29.0
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	1744	3	8	655	73.2	27.3
1ख	केवल अजा /अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	422	4	7	604	51.7	58.6
1ख.1	अपमान करने के इरादे से ध मकी देना या इरादतन अपमानित करना	152	4	2	137	53.3	46.8
1ख.2	अजा/अजजा की भूमि पर कब्जा करना/बेचना	8	0	0	41	50.0	83.7
1ख.3	सार्वजनिक स्थान/रास्ते का उपयोग रोकना/न करने देना/अवरोध पैदा करना	0	0	0	0		
1ख.4	घर छोड़ने को मजबूर करना/सामाजिक बहिष्कार	0	0	0	47		100.0
1ख.4	अन्य अपराध	262	0	5	379	50.8	59.0
1	अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम संबंधी कुल मामले	6699	16	28	2599	83.4	27.9
2	नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम	35	0	0	4	100.0	10.3
	अजजा के विरूद्ध अपराध /अत्याचार	**6734**	**16**	**28**	**2603**	**83.4**	**27.8**

नोटः
1. # पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम से स्पष्टीकरण लंबित हैं।
2. स्रोतः भारत में अपराध 2018, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक – 4ध

मानव तस्करी मामले (आईपीसी) –2018

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	संज्ञेय अपराधों की दर (आईपीसी)++
राज्यः			
1	आंध्र प्रदेश	240	0.5
2	अरुणाचल प्रदेश	3	0.2
3	असम*	262	0.8
4	बिहार	127	0.1
5	छत्तीसगढ़	51	0.2
6	गोवा	55	3.6
7	गुजरात	13	0.0
8	हरियाणा	34	0.1
9	हिमाचल प्रदेश	6	0.1
10	जम्मू एवं कश्मीर**	1	0.0
11	झारखण्ड*	373	1.0
12	कर्नाटक	27	0.0
13	केरल	105	0.3
14	मध्य प्रदेश	63	0.1
15	महाराष्ट्र	311	0.3
16	मणिपुर	3	0.1
17	मेघालय	24	2.0
18	मिजोरम	2	0.1
19	नागालैंड	0	0.0
20	ओडिशा	75	0.2
21	पंजाब	17	0.1
22	राजस्थान	86	0.1
23	सिक्किम	1	0.2
24	तमिलनाडु	8	0.0
25	तेलंगाना	242	0.7
26	त्रिपुरा	2	0.1
27	उत्तर प्रदेश	35	0.0
28	उत्तराखण्ड	29	0.3
29	पश्चिम बंगाल	172	0.2

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	संज्ञेय अपराधों की दर (आईपीसी)++
	कुल राज्य	**2367**	**11.1**
संघ राज्य क्षेत्रः			
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	0	0.0
31	चंडीगढ़	0	0.0
32	दादर एवं नागर हवेली	0	0.0
33	दमन एवं दीव	0	0.0
34	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	98	0.5
35	लक्षद्वीप	0	0.0
36	पुद्दुचेरी	0	0.0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	**98**	**0.5**
	कुल (अखिल भारत)	**2465**	**0.2**

टिप्पणः1) ++ प्रति 1 लाख जनसंख्या पर दर्ज मामलों को सूचित करती दर
2. *असम और झारखंड से 2018 के डेटा प्राप्त नहीं होने के कारण, 2017 के डेटा का उपयोग किया गया है।
3. ** जम्मू और कश्मीर राज्य का – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के रूप में विभाजित होने से पूर्व

स्रोतः भारत में अपराध, 2018, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक – 4न

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य /संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले

(जनसंख्या लाख में)

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1) **कुल 0.24**	(1) निकोबार 0.24 (64.3%) **0.24**	–––	––––
आंध्र प्रदेश (1– एलडब्ल्यूई)	–––	–––	(1) विशाखापट्नम 6.19 (14.4%)
कुल **6.19**	–	–	**6.19**
अरुणाचल प्रदेश (16)	(1) कुरुंग कुमेय 0.91 (98.6%) (2) अपर सुबांसिरि 0.78 (93.9%) (3) पूर्वी कमेंग 0.72 (92.0%) (4) तिराप 0.98 (87.9%) (5) लोअर सुबांसिरि 0.73 (87.8%) (6) पश्चिमी सियांग 0.93 (82.6%) (7) अपर सियांग 0.28 (80.6%) (8) अजांव 0.16 (77.7%) (9) दिबांग घाटी 0.06 (71.2%) (10) पूर्वी सियांग 0.70 (70.5%) (11) तवांग 0.35 (69.7%) (12) पापुम पर 1.17 (66.4%) (13) पश्चिमी कमेंग 0.46 (55.2%)	(1) लोअर दिबांग घाटी 0.26 (48.0%) (2) चांगलांग 0.54 (36.3%) (3) लोहित 0.47 (32.5%)	–––
कुल 9.50	**8.23**	**1.27**	–
असम (7)	(1) दीमा हसाव 1.52 (70.9%) (2) कारबी आंगलोंग 5.39 (56.3%)	(1) धीमाजी 3.26 (47.4%) (2) चिरांग 1.79 (37.1%) (3) बक्सा 3.31 (34.8%) (4) उदालगुड़ी 2.67 (32.1%) (5) कोकराझार 2.79 (31.4%)	
कुल 20.73	**6.91**	**13.82**	–

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
बिहार (6 एलडब्ल्यूई)	----	----	1) जमुई 0.79 (4.5%) (2) बांका 0.9 (4.4%), (3) मुज्जफरपुर 0.06 (0.12%) (4) नवादा 0.02 (0.09%) (5) गया 0.03 (0.07%) (6) औरंगाबाद 0.01 (0.04%)
कुल 1.81	–	–	**1.81**
छत्तीसगढ़ (11 + 8 एलडब्ल्यूई)	(1) सुकमा (एल) 2.09 (83.5%) (2) बिजापुर (एल) 2.04 (80.0%) (3) नारायणपुर (एल) 1.08 (77.4%) (4) दंतेवाड़ा (एल) 2.01 (71.1%) (5) कोंडागांव (एल) 4.11 (71.0%) (6) बलरामपुर 4.59 (62.8%) (7) बस्तर (एल) 5.21 (62.4%) (8) जशपुर 5.30 (62.3%) (9) सरगुजा 4.82 (57.4%) (10) कांकेर (एल) 4.15 (55.4%)	(1) कोरिया 3.04 (46.2%) (2) सुरजपुर 3.60 (45.6%) (3) कोरबा 4.94 (40.9%) (4) गरियाबंद 2.16 (36.1%) (5) रायगढ़ 5.06 (33.8%) (6) बलोद 2.59 (31.4%) (7) महासमुंद 2.80 (27.1%) (8) राजनंदगांव (एल) 4.05 (26.4%) (9) धमतरी 2.08 (26.0%)	----
कुल 65.72	**35.4**	**30.32**	–
दादर एवं नागर हवेली (1)	(1) दादर एवं नागर हवेली 1.79 (52.0%)	----	----
कुल	**1.79**	**1.79**	–
गुजरात (10)	(1) डांगस 2.16 (94.7%) (2) तापी 6.79 (84.2%) (3) नर्मदा 4.81 (81.6%) (4) छोटा उदेपुर 8.57 (79.9%) (5) दाहोद 15.81 (74.3%) (6) वलसाड 9.03 (52.9%)	(1) नवसारी 6.40 (48.1%) (2) भरुच 4.88 (31.5%) (3) महिसागर 2.85 (31.2%) (4) पंचमहल 4.40 (25.5%)	----
कुल 65.7	**47.17**	**18.53**	–

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
हिमाचल प्रदेश (3)	(1) लाहौल तथा स्पिति 0.26 (81.4%) (2) किन्नौर 0.49 (58.0%)	(1) चम्बा 1.36 (26.1%)	----
कुल 2.11	**0.75**	**1.36**	–
जम्मू एवं कश्मीर (5)	(1) कारगिल 1.22 (86.9%) (2) लेह (लद्दाक) 0.96 (71.8%)	(1) पुंछ 1.76 (36.9%) (2) राजौरी 2.33 (36.2%) (3) रियासी 0.88 (28.1%)	----
कुल 7.15	**2.18**	**4.97**	–
झारखण्ड **(4 + 16 एलईडब्ल्यू)**	(1) खुंटी (एल) 3.90 (73.3%) (2) सिमडेगा(एल) 4.24 (70.8%) (3) गुमला(एल) 7.07 (68.9%) (4) पश्चिमी सिंहभूम (एल) 10.11 (67.3%) (5) लोहारदगा (एल) 2.63 (56.9%) (6) जामतारा 2.40 (30.4%) (7) पूर्वी सिंहभूम(एल) 6.54 (28.5%) (8) साहिबगंज 3.08 (26.8%)	(1) लातेहर(एल) 3.31 (45.5%) (2) दुमका(एल) 5.71 (43.2%) (3) पाकुर 3.79 (42.1%) (4) रांची(एल) 10.42 (35.8%) (5) सरायकेला–खरसांवा 3.75 (35.2%)	(1) रामगढ़ 2.01 (21.2%) (2) गढ़वा 2.06 (15.6%) (3) बोकारो 2.56 (12.4%) (4) गिरिडीह 2.38 (9.7%) (5) पलामु 1.81 (9.3%) (6) हजारीबाग 1.22 (7.02%) (7) छतरा 0.46 (4.4%)
कुल 79.45	**27.95**	**39**	**12.5**
लक्षद्वीप (1)	(1) लक्षद्वीप 0.61 (94.8%)	----	----
कुल 0.61	**0.61**	–	–
मध्य प्रदेश (19)	(1) अलीराजपुर 6.49 (89.0%) (2) झाबुआ 8.92 (87.0%) (3) बरवानी 9.62 (69.4%) (4) डिंडोरी 4.56 (64.7%) (5) मांडला 6.11 (57.9%) (6) धार 12.23 (55.9%)	(1) अनुपपुर 3.59 (47.9%) (2) उमरिया 3.01 (46.6%) (3) शहडौल 4.76 (44.7%) (4) बेतुल 6.67 (42.3%) (5) खरगांव (पश्चिम निमार) 7.30 (39.0%) (6) सियोनी 5.20 (37.7%) (7) छिंदवाड़ा 7.70 (36.8%) (8) खंडवा (पूर्वी निमार) 4.59 (35.1%) (9) सिंसरौली 3.84 (32.6%) (10) बुरहानपुर 2.30 (30.4%) (11) रतलाम 4.10 (28.2%) (12) हरदा 1.60 28.0%) (13) सिधी 3.13 (27.8%)	----
कुल 105.72	**47.93**	**57.79**	–

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
महाराष्ट्र (4 + 1 एलडब्ल्यूई)	(1) नन्दूरबार 11.42 (69.3%)	(1) गढ़चिरोली(एल) 4.15 (38.7%) (2) पालघर 11.18 (37.4%) (3) धुले 6.47 (31.6%) (4) नासिक 15.64 (25.6%)	----
कुल 48.86	**11.42**	**37.44**	
मणिपुर (5)	(1) तामेंगलोंग 1.35 (95.7%) (2) उखरुल 1.74 (94.4%) (3) चुराचांदपुर 2.55 (92.9%) (4) चांदेल 1.28 (89.0%) (5) सेनापति 4.19 (87.5%)	----	----
कुल 11.11	**11.11**	–	–
मेघालय (7)	(1) पश्चिमी खासी हिल 3.75 (97.8%) (2) पूर्वी गारों हिल्स 3.05 (96.0%) (3) जैन्तिया हिल्स 3.76 (95.2%) (4) दक्षिणी गारो हिल्स 1.34 (94.3%) (5) रिभोई 2.30 (88.9%) (6) पूर्वी खासी हिल्स 6.61 (80.1%) (7) पश्चिमी गारो हिल्स 4.74 (73.7%)	----	----
कुल 25.55	**25.55**	–	–
मिजोरम (8)	(1) चंफाई 1.23 (98.2%) (2) शेरिछप 0.63 (96.8%) (3) सैहा 0.55 (96.6%) (4) लवांगत्लाई 1.12 (95.3%) (5) लुंगलेई 1.54 (95.1%) (6) ममिट 0.82 (95.0%) (7) आइजोल 3.74 (93.3%) (8) कोलासिब 0.74 (87.7%)	----	----
कुल 10.37	**10.37**	–	–

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
नागालैंड (11)	(1) त्वेनसांग 1.91 (97.1%) (2) जुन्हेबोटा 1.37 (97.0%) (3) किफिरे 0.71 (96.5%) (4) लोंगलोंग 0.49 (96.3%) (5) फेक 1.57 (96.2%) (6) मोन 2.38 (95.2%) (7) वोखा 1.57 (94.2%) (8) मोकोक्चुंग 1.78 (91.7%) (9) पेरेन 0.84 (88.5%) (10) कोहिमा 2.25 (83.9%) (11) दीमापुर 2.24 (59.1%)	----	----
कुल 17.11	**17.11**	–	–
ओडिशा (12 + 2 एलडब्ल्यूई)	(1) मयूरभंज 14.80 (58.7%) (2) मलकानगिरी(एल) 3.55 (57.8%) (3) रायगढ़ 5.42 (56.0%) (4) नबरंगपुर 6.81 (55.8%) (5) गजापटी 3.14 (54.3%) (6) कंधमल 3.93 (53.6%) (7) सुंदरगढ़ 10.62 (50.8%) (8) कोरापुट(एल) 6.98 (50.6%)	(1) केंदुजहर 8.19 (45.5%) (2) देवगढ 1.10 (35.3%) (3) संबलपुर 3.55 (34.1%) (4) नौपाडा 2.06 (33.8%) (5) झारसुगुडा 1.77 (30.5%) (6) कालाहांडी 4.49 (28.5%)	----
कुल 76.41	**55.25**	**21.16**	–
राजस्थान (6)	(1) बांसवाड़ा 13.73 (76.4%) (2) डुंगरपुर 9.83 (70.8%) (3) प्रतापगढ 5.50 (63.4%)	(1) उदयपुर 15.25 (49.7%) (2) सिरोही 2.92 (28.2%) (3) दौसा 4.33 (26.5%)	----
कुल 51.56	**29.06**	**22.5**	–
सिक्किम (4)	(1) उत्तरी जिला 0.29 (65.7%)	(1) पश्चिमी जिला 0.58 (42.4%) (2) दक्षिणीजिला 0.41 (28.2%) (3) पूर्वी जिला 0.78 (27.7%)	----
कुल 2.06	**0.29**	**1.77**	
तेलंगाना (1 + एलडब्ल्यूई)	---	(1) खम्माम(एल) 6.57 (25.2%)	----
कुल 6.57	–	**6.57**	

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
त्रिपुरा (5)	(1) धलाई 2.11 (55.7%)	(1) गोमती 1.89 (42.7%) (2) खोवाई 1.40 (42.6%) (3) दक्षिणीत्रिपुरा 1.53(35.5%) (4) उत्तरीत्रिपुरा 1.17 (28.1%)	----
कुल 8.10	**2.11**	**5.99**	–
पश्चिम बंगाल (2)	----	(1) दार्जिलिंग 2.51 (28.7%) (2) अलीपुरद्वार3.82 (26.8%)	----
कुल 6.33	–	**6.33**	–
कुलः 177 (142 + एलडब्ल्यूई 35)	**(80 + एलडब्ल्यूई 14)**	**(62 + एलडब्ल्यूई 7)**	**14 एलडब्ल्यूई**
कुल 630.75	**341.43**	**268.82**	**20.5**
एलडब्ल्यूईः वामपंथ उग्रवाद (प्रभावित जिले)			

अनुलग्नक– 4प

अनुसूचित जनजाति के लिए प्राथमिकता वाले उप–जिलों की राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र तथा जिला–वार सूची

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
1			**आंध्र प्रदेश**			
	1		**पूर्वी गोदावरी**	51.54	2.13	4.14
		1	अड्डातिगाला	0.37	0.25	66.23
		2	देवीपटनम	0.28	0.16	58.18
		3	गंगावरम	0.26	0.17	67.24
		4	मरेडुमिल्ली	0.20	0.18	93.29
		5	राजावोम्मांगी	0.40	0.23	57.57
		6	राजपचोडावरम	0.39	0.31	79.30
		7	वाई. रामावरम	0.29	0.26	91.60
	2		**श्रीककुलम**	27.03	1.66	6.15
		8	सीथाम्पेटा	0.56	0.51	90.87
	3		**विशाखापट्टनम**	42.91	6.19	14.42
		9	अनंतागिरि	0.49	0.44	90.15
		10	अरकू घाटी	0.57	0.52	91.53
		11	चिंतापाल्ली	0.72	0.65	90.32
		12	दुमब्रिगुडा	0.49	0.46	94.80
		13	जी. मदुगुला	0.54	0.50	92.74
		14	गुडेमकोथा वीधि	0.63	0.57	89.84
		15	हुकुमपेटा	0.52	0.50	95.93
		16	कोय्युरु	0.51	0.41	81.39
		17	मुनचिंगी पुट्टु	0.47	0.45	93.93
		18	पडेरू	0.59	0.49	82.56
		19	पेडाबयालु	0.52	0.50	96.24
	4		**विजियानगरम**	23.44	2.36	10.05
		20	गुम्मालाक्शमिपुरम	0.50	0.43	86.69
		21	कुरूपम	0.48	0.35	71.98

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
	5		**पश्चिमी गोदवारी**	39.37	1.09	2.77
		22	बुट्टागगुडेम	0.53	0.34	64.58
2			**बिहार**			
	6		**कैमुर (भबुआ)**	16.26	0.58	3.57
		23	अधौरा	0.57	0.30	51.98
3			**छत्तीसगढ़**			
	7		**कोरिया**	6.59	3.04	46.18
		24	भरतपुर	0.89	0.58	64.89
		25	सोनहत	0.48	0.28	57.54
	8		**सरगुजा**	23.60	13.01	55.11
		26	रामानुजगंज	1.68	0.85	50.57
		27	बलरामपुर	1.10	0.66	60.02
		28	वाडरफनगर	1.61	0.95	58.97
		29	प्रतापपुर	1.51	0.93	61.93
		30	सामरी (कुसमी)	1.10	0.82	74.15
		31	शंकरगढ़	0.72	0.53	73.27
		32	औडगी	0.88	0.53	61.04
		33	प्रेमनगर	0.65	0.39	60.15
		34	उदयपुर	0.79	0.51	64.21
		35	राजपुर	1.09	0.78	71.94
		36	लुंडरा	1.20	0.81	67.78
		37	सीतापुर	0.96	0.68	70.74
		38	बतौली	0.70	0.55	77.67
		39	मैनपाट	0.77	0.58	76.17
	9		**जशपुर**	8.52	5.30	62.28
		40	बगीचा	1.72	1.21	70.58
		41	कनसाबेल	0.77	0.48	62.36
		42	जशपुर	0.96	0.55	57.05
		43	मनोरा	0.61	0.49	80.30

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		44	फरसाबाहर	1.08	0.65	59.57
		45	पथालगांव	1.92	1.21	63.28
	10		**रायगढ़**	14.94	5.06	33.84
		46	उदयपुर (धर्मजयगढ़)	2.07	1.37	66.13
		47	लैलुन्गा	1.31	0.83	63.49
		48	घरघोडा	0.79	0.47	58.82
	11		**कोरबा**	12.07	4.94	40.90
		49	पोउंडी–उपरोडा	1.89	1.38	72.94
		50	पाली	1.99	1.05	52.87
	12		**बिलासपुर**	26.64	4.98	18.71
		51	पेंड्रा रोड गोरेल्ला	1.34	0.77	57.27
		52	मरवाही	1.17	0.69	59.45
		53	पेंड्रा	0.85	0.46	53.60
	13		**राजनंदगावं**	15.37	4.05	26.36
		54	मोहला	0.87	0.61	70.06
		55	मानपुर	0.89	0.66	74.39
	14		**दुर्ग**	33.44	3.97	11.88
		56	डोंडी	1.55	0.80	51.66
	15		**रायपुर**	40.64	4.76	11.72
		57	बिंद्रानवगंढ़ (गारियाबंद)	0.95	0.53	56.11
		58	मैनपुर	1.24	0.64	51.74
	16		**धमतरी**	8.00	2.08	25.96
		59	नगरी	1.80	1.10	61.33
	17		**उत्तर बस्तर कांकेर**	7.49	4.15	55.38
		60	भानुप्रतापपुर	0.95	0.60	63.09
		61	दुर्गकोंडल	0.64	0.49	76.60
		62	कांकेर	1.24	0.62	50.10

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		63	नरहरपुर	1.10	0.73	66.04
		64	अतंगढ़	0.78	0.60	77.07
	18		**बस्तर**	14.13	9.32	65.93
		65	केसकाल	0.93	0.66	71.18
		66	बडे राजपुर	0.86	0.66	76.61
		67	कोंडगांव	2.02	1.31	64.89
		68	मकड़ी	1.00	0.77	77.72
		69	फारसगांव	0.99	0.71	71.72
		70	लाहांडीगुडा	0.76	0.56	74.16
		71	बस्तानर	0.48	0.44	92.11
		72	बस्तर	1.64	1.07	65.46
		73	बकावंड	1.50	0.95	63.60
		74	तोकापल	0.78	0.56	72.72
		75	डरभा	0.79	0.66	82.87
	19		**नारायणपुर**	1.40	1.08	77.36
		76	नारायणपुर	1.05	0.75	71.65
		77	ओरछा	0.35	0.33	94.49
	20		**दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा**	5.34	4.10	76.88
		78	दंतेवाड़ा	0.94	0.61	64.23
		79	गिदम	0.81	0.56	69.03
		80	कटेकल्याण	0.43	0.40	92.21
		81	कुआकोंडा	0.65	0.45	69.41
		82	कोंटा	1.06	0.95	90.38
		83	छिन्दगढ़	0.80	0.66	82.24
		84	सुकमा	0.65	0.48	73.72
	21		**बीजापुर**	2.55	2.04	80.00
		85	भोपालपट्टनम	0.49	0.36	73.08
		86	उसुर	0.56	0.50	89.22
		87	बीजापुर	0.66	0.49	73.09
		88	भाईरामगढ़	0.84	0.70	83.45

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
4			**गुजरात**			
	22		**बनास कंठा**	31.21	2.84	9.11
		89	अमीरगढ़	1.32	0.77	58.53
		90	दंता	2.25	1.27	56.36
	23		**सबर कंथा**	24.29	5.42	22.32
		91	खेदब्रह्मा	2.93	2.21	75.38
		92	विजयनगर	1.04	0.82	78.45
		93	भीलोडा	2.39	1.38	57.57
	24		**पंचमहल**	23.91	7.22	30.18
		94	कडाना	1.30	1.01	78.20
		95	संतरामपुर	2.66	2.13	80.32
	25		**दाहोद**	21.27	15.81	74.32
		96	फतेपुरा	2.38	2.23	93.45
		97	झालोद	4.73	4.27	90.13
		98	लिम्खेडा	3.06	1.93	63.07
		99	दाहोद	4.81	3.72	77.34
		100	गर्बाडा	1.99	1.89	94.83
		101	धनपुर	1.80	1.28	71.07
	26		**वडोदरा**	41.66	11.50	27.60
		102	जेतपुर पवी	2.61	2.18	83.33
		103	छोटा उदयपुर	2.41	2.12	87.62
		104	कावंत	2.10	1.96	93.51
		105	नासवाडी	1.55	1.36	87.72
	27		**नर्मदा**	5.90	4.81	81.55
		106	तिलकवाड़ा	0.64	0.35	55.42
		107	नंडोड	2.41	1.77	73.29
		108	डेडीपाडा	1.74	1.68	96.41
		109	सगबारा	1.11	1.01	91.19
	28		**भरूच**	15.51	4.88	31.48

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		110	झगडिया	1.85	1.27	68.68
		111	वालिया	1.45	1.14	78.25
	29		**डांग**	2.28	2.16	94.65
		112	डांग	2.28	2.16	94.65
	30		**नवसारी**	13.30	6.40	48.11
		113	चिखली	3.10	2.20	71.05
		114	बंस्दा	2.31	2.09	90.59
	31		**वलसाडा**	17.06	9.03	52.93
		115	धरमपुर	2.16	1.98	91.92
		116	कपराडा	2.59	2.49	96.20
	32		**सूरत**	60.81	8.57	14.09
		117	उमरपाडा	0.84	0.81	96.73
		118	मांडवी	1.96	1.51	77.07
		119	महुवा	1.45	1.18	81.21
	33		**तापी**	8.07	6.79	84.18
		120	निजार	1.30	1.05	80.82
		121	यूच्छल	0.88	0.87	98.05
		122	सोनगढ़	2.30	1.95	84.91
		123	व्यारा	2.68	2.28	84.84
		124	वलोड	0.91	0.65	71.63
5			**झारखंड**			
	34		गढ़वा	13.23	2.06	15.56
		125	चिनिया	0.39	0.19	50.05
		126	भंडारिया	0.66	0.40	60.00
	35		**गोड्डा**	13.14	2.79	21.26
		127	बोअरीजोर	1.38	0.77	55.62
		128	सुन्दरपहाड़ी	0.65	0.50	76.58

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
	36		**साहिबगंज**	11.51	3.08	26.80
		129	मांड्रो	0.76	0.41	54.42
		130	बोरियो	0.98	0.60	61.05
		131	बरहैत	1.30	0.70	53.93
		132	तलझारी	0.76	0.42	55.48
		133	पथना	0.82	0.47	57.22
	37		**पाकुर**	9.00	3.79	42.10
		134	लिट्टीपाड़ा	1.06	0.76	72.23
		135	अमरपाड़ा	0.65	0.54	82.13
		136	पकुरिया	1.09	0.70	64.18
	38		**लोहरडगा**	4.62	2.63	56.89
		137	किसको	0.55	0.34	61.06
		138	पेशरार	0.31	0.26	82.56
		139	कैरो	0.38	0.24	62.28
		140	सेन्हा	0.70	0.43	62.34
		141	भांद्रा	0.57	0.37	63.93
	39		**पूर्वी सिंहभूम**	22.94	6.54	28.51
		142	पोटका	2.00	1.05	52.45
		143	दुमरिया	0.62	0.45	71.88
		144	धालभूमगढ़	0.62	0.34	54.38
		145	गुरबंधा	0.43	0.29	66.59
	40		**लातेहार**	7.27	3.31	45.54
		146	बारवाडीह	0.99	0.51	51.35
		147	महुआदानर	0.75	0.59	78.68
		148	गारू	0.30	0.24	79.93
	41		**दुमका**	13.21	5.71	43.22
		149	गोपीकंदार	0.42	0.36	84.58
		150	काथीकुंड	0.71	0.45	63.54

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		151	शिकारीपाड़ा	1.31	0.80	60.49
		152	मसालिया	1.25	0.73	58.58
	42		**रांची**	29.14	10.42	35.76
		153	अंगारा	1.13	0.62	55.05
		154	नामकुम	1.46	0.87	59.98
		155	नगरी	0.76	0.38	50.14
		156	मंदार	1.29	0.77	59.99
		157	चानहु	1.08	0.58	53.59
		158	बेरो	1.13	0.70	61.86
		159	लापुंग	0.63	0.47	74.22
	43		**खूंटी**	5.32	3.90	73.25
		160	कर्रा	1.09	0.81	74.19
		161	तोरपा	0.93	0.68	73.16
		162	रनिया	0.39	0.27	69.46
		163	मुरहु	0.85	0.68	79.19
		164	खूंटी	1.24	0.82	65.79
		165	ईरकी (तामर II)	0.81	0.64	79.17
	44		**गुमला**	10.25	7.07	68.94
		166	बिसुनपुर	0.62	0.56	89.94
		167	घाघरा	1.14	0.89	77.63
		168	सिसाई	1.17	0.75	64.37
		169	वेरनो	0.85	0.62	73.83
		170	कामदारा	0.64	0.45	70.61
		171	बासिया	0.81	0.52	63.96
		172	गुमला	2.14	1.22	57.25
		173	चैनपुर	0.57	0.46	81.85
		174	डुमरी	0.49	0.40	82.20
		175	अल्बर्टएक्का (जरी)	0.31	0.24	76.74
		176	रैंदीह	0.71	0.46	64.72
		177	पालकोट	0.81	0.49	60.11

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
	45		**सिमडेगा**	6.00	4.24	70.78
		178	सिमडेगा	1.15	0.69	60.10
		179	पकर तानर	0.38	0.26	68.29
		180	कुरदेग	0.48	0.35	72.33
		181	केरसाई	0.39	0.32	80.33
		182	बोलबा	0.31	0.22	72.87
		183	येथाइतनगर	0.87	0.70	80.53
		184	कोलेबिरा	0.71	0.45	62.55
		185	जलडेगा	0.64	0.53	82.92
		186	बान्सजोर	0.26	0.22	85.58
		187	बानो	0.80	0.51	63.16
	46		**पश्चिमी सिंहभूम**	15.02	10.11	67.31
		188	सोनुआ	0.78	0.48	61.21
		189	गुदरी	0.38	0.35	91.01
		190	बंदगांव	0.87	0.70	79.97
		191	खुंतपानी	0.83	0.69	83.47
		192	गोईलकेरा	0.74	0.63	85.39
		193	आनंदपुर	0.44	0.31	68.81
		194	मनोहरपुर	0.90	0.61	67.37
		195	नोआमुंडी	1.13	0.66	58.14
		196	टोंटो	0.60	0.48	80.82
		197	हाट गमहारिया	0.67	0.50	73.91
		198	चाईबासा	1.56	0.87	55.73
		199	तंतनगर	0.64	0.49	76.37
		200	मंझारी	0.68	0.53	76.75
		201	झिंकपानी	0.54	0.32	59.80
		202	जगन्नाथपुर	0.99	0.59	59.62
		203	कुमारदुंगी	0.55	0.42	75.75
		204	मझगांव	0.73	0.53	73.28
	47		**सरायकेला–खरसावां**	10.65	3.75	35.18
		205	कुचाई	0.64	0.50	78.00
		206	गोविंदपुर (राजनगर)	1.37	0.72	52.69

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
6			**मध्य प्रदेश**			
	48		शिवपुर	6.88	1.61	23.47
		207	काराहाल	1.08	0.69	63.87
	49		**उमरिया**	6.45	3.01	46.64
		208	पाली	1.08	0.64	59.02
		209	नोवरोजाबाद	0.78	0.43	54.20
	50		**रतलाम**	14.55	4.10	28.17
		210	सैलाना	1.35	1.10	81.77
		211	बाजना	0.80	0.76	95.22
		212	रावती	0.84	0.78	92.47
	51		**देवास**	15.64	2.73	17.44
		213	बागली	1.95	1.01	51.99
	52		**धार**	21.86	12.23	55.94
		214	सरदारपुर	2.97	1.81	60.99
		215	गंधवानी	1.56	1.42	90.74
		216	कुकशी	3.22	2.31	71.62
		217	दही	1.14	0.96	84.45
		218	मानावर	3.08	1.94	62.96
	53		**खरगोन (पश्चिम निमाड़)**	18.73	7.30	38.98
		219	सेगांव	0.83	0.64	76.24
		220	भगवानपुरा	1.93	1.68	87.13
		221	झिरानया	2.02	1.62	80.23
	54		**बड़वानी**	13.86	9.62	69.42
		222	बड़वानी	2.11	1.24	58.76
		223	पाटी	1.62	1.36	84.01
		224	राजपुर	2.13	1.51	70.96
		225	पनसेमाल	1.58	1.10	69.80
		226	निवाली	1.13	0.98	87.42

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		227	सेंधवा	2.31	1.64	70.82
		228	वारला	1.29	1.12	87.39
	55		**बेतुल**	15.75	6.67	42.34
		229	भैंसदेही	2.89	2.07	71.62
		230	चिचोली	0.87	0.56	64.50
		231	शाहपुर	1.13	0.75	66.40
	56		**हरदा**	5.70	1.60	27.99
		232	रेहतगांव	0.96	0.50	51.58
	57		**जबलपुर**	24.63	3.75	15.23
		233	कुंदम	1.23	0.87	70.60
	58		**डिण्डोरी**	7.05	4.56	64.69
		234	शाहपुरा	2.17	1.46	67.19
		235	डिण्डोरी	4.87	3.10	63.58
	59		**मंडला**	10.55	6.11	57.88
		236	निवास	1.25	0.89	71.66
		237	नारायणगंज	1.09	0.79	72.77
		238	घुघारी	1.73	1.21	69.78
		239	बिछिया	2.58	1.61	62.17
	60		**छिंदवाड़ा**	20.91	7.70	36.82
		240	तामिया	1.14	0.89	78.33
		241	हर्राई	1.35	1.03	76.38
		242	जमाई	2.41	1.21	50.35
		243	बिछुआ	0.88	0.49	55.79
	61		**सिवनी**	13.79	5.20	37.69
		244	घनसौर	1.43	0.87	61.12
		245	धनोरा	0.85	0.49	57.90

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
	62		**बालाघाट**	17.02	3.83	22.51
		246	बैहर	2.84	1.59	55.74
		247	पारसवाड़ा	1.08	0.56	52.29
	63		**शहडोल**	10.66	4.76	44.65
		248	जैतपुर	1.62	1.00	61.77
	64		**अनूपपुर**	7.49	3.59	47.85
		249	पुष्पारंगढ़	2.30	1.77	76.84
	65		**सीधी**	11.27	3.13	27.80
		250	कुसमी	0.81	0.50	61.40
	66		**झाबुआ**	10.25	8.92	87.00
		251	थांदला	1.82	1.63	89.49
		252	पेटलावाड	2.33	1.86	79.71
		253	मेघनगर	1.72	1.55	89.93
		254	झाबुआ	3.23	2.87	88.67
		255	रानापुर	1.15	1.02	88.76
	67		**अलीराजपुर**	7.29	6.49	88.98
		256	भावरा	0.91	0.83	91.22
		257	जोबट	1.91	1.74	90.96
		258	अलीराजपुर	4.46	3.91	87.67
	68		**खंडवा (पूर्वी निमाड़)**	13.10	4.59	35.05
		259	खालवा	2.23	1.54	69.17
	69		**बुरहानपुर**	7.58	2.30	30.36
		260	खकनार	1.33	0.86	64.47
		261	नेपानगर	1.91	1.14	59.89

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
7			**महाराष्ट्र**			
	70		**नंदुरनार**	16.48	11.42	69.28
		262	अकलकुआ	2.46	2.10	85.25
		263	अकरानी	1.96	1.88	95.94
		264	तालोड	1.60	1.24	77.44
		265	सहादे	4.08	2.21	54.20
		266	नवापुर	2.72	2.33	85.52
	71		**धुले**	20.51	6.47	31.56
		267	सकरी	4.65	2.48	53.34
	72		**अमरावती**	28.88	4.04	13.99
		268	धरनी	1.85	1.42	77.00
		269	चिकलदारा	1.19	0.93	78.32
	73		**गढ़ चिरौली**	10.73	4.15	38.71
		270	कुरखेदा	0.86	0.47	54.40
		271	कोरची	0.43	0.31	73.19
		272	धनोरा	0.83	0.59	71.04
		273	ऐटापल्ली	0.82	0.67	81.50
		274	भामरगढ़	0.36	0.29	81.10
	74		**नासिक**	61.07	15.64	25.62
		275	सुरगाना	1.76	1.70	96.51
		276	कालवन	2.08	1.44	68.95
		277	डिंडोरी	3.16	1.75	55.57
		278	पींट	1.20	1.16	96.44
		279	त्रिम्बकेश्वर	1.68	1.35	80.20
	75		**थाने**	110.60	15.42	13.95
		280	तालासारी	1.55	1.40	90.61
		281	दहानु	4.02	2.78	69.11
		282	विक्रमगढ़	1.38	1.26	91.82

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		283	ज्वाहर	1.40	1.28	91.64
		284	मोखदा	0.83	0.77	92.08
		285	वाडा	1.78	1.02	57.02
8			**ओडिशा**			
	76		**झारसुगुडा**	5.80	1.77	30.50
		286	लैकेरा	0.99	0.51	51.40
	77		**संबलपुर**	10.41	3.55	34.12
		287	गोविंदपुर	0.59	0.37	62.67
		288	माहुलपल्ली	0.77	0.46	59.93
		289	जामनकिरा	0.59	0.33	56.42
		290	जुजोमुरा	0.57	0.32	55.61
	78		**सुन्दरगढ़**	20.93	10.62	50.75
		291	लेफ्रीपाड़ा	0.71	0.40	56.12
		292	धारुआडीही	0.35	0.20	56.91
		293	सुन्दरगढ़	0.74	0.46	61.84
		294	किंजरकेला	0.57	0.40	70.22
		295	तालसारा	0.80	0.55	68.40
		296	बारगांव	0.78	0.51	66.02
		297	कुत्रा	0.66	0.51	76.10
		298	राजगंगापुर	1.66	1.04	62.46
		299	राइबोगा	0.43	0.35	80.55
		300	बिरमित्रपुर	0.97	0.60	61.55
		301	हातीबाड़ी	0.62	0.40	65.31
		302	बिसरा	0.98	0.58	59.20
		303	ब्राह्मणी तरंग	0.58	0.45	78.58
		304	लठीकटा	0.25	0.14	56.23
		305	चंदीपोष	0.22	0.18	81.17
		306	कमरपोष बलंग	0.43	0.33	76.09
		307	कोइदा	0.41	0.27	65.93
		308	लाहुनीपारा	0.78	0.48	62.05

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		309	गुरुदिया	0.35	0.30	84.39
		310	टिकायतपल्ली	0.24	0.19	82.37
		311	महुआपाडा	0.19	0.15	80.07
	79		**केंदुझर**	18.02	8.19	45.45
		312	रूगुडी	0.17	0.11	68.53
		313	बामेवारी	0.56	0.35	61.97
		314	बरिया	0.74	0.38	50.91
		315	तुरूमुंगा	0.69	0.34	50.04
		316	पाटाना	1.05	0.59	56.62
		317	केंदुझर सदर	1.57	0.89	56.84
		318	नयाकोट	0.46	0.35	75.49
		319	कंजीपानी	0.22	0.19	87.30
		320	तेलकोई	0.96	0.50	51.76
		321	पंडापारा	0.63	0.40	63.39
		322	घाटगांव	1.07	0.66	61.66
		323	हरिचंदनपुर	0.81	0.41	51.17
		324	दैतारी	0.28	0.20	72.26
	80		**मयूरभंज**	25.20	14.80	58.72
		325	तिरिंग	1.01	0.71	71.07
		326	जमदा	0.49	0.39	78.99
		327	गुरुमहिशानी	0.48	0.36	74.80
		328	झारपोखरिया	1.00	0.58	57.63
		329	बिसोई	0.74	0.51	69.42
		330	राईरंगपुर	0.82	0.50	61.20
		331	बदामपहाड	0.64	0.43	67.97
		332	जशीपुर	1.21	0.83	68.29
		333	ररूआन	0.78	0.47	60.36
		334	घागरबेडा	0.29	0.14	50.08
		335	करजिंया	1.14	0.69	60.12
		336	ठाकुरमुंडा	0.58	0.42	72.39
		337	बरीपदा सदर	0.87	0.62	70.76
		338	कोलियाना	0.83	0.55	66.88

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		339	बंगिरीपोशी	1.05	0.73	69.77
		340	चंदुआ	0.63	0.37	58.69
		341	रसगोविंदपुर	0.97	0.53	54.61
		342	बारशाही	1.33	0.70	52.68
		343	खूंटा	1.24	0.82	66.33
		344	उदला	1.10	0.76	69.31
		345	कपटीपडा	0.76	0.39	50.81
		346	शारता	0.77	0.62	80.36
		347	माहुलदिहा	0.47	0.37	78.06
	81		**बलेश्वर**	23.21	2.76	11.88
		348	बरहमपुर	0.58	0.39	67.27
	82		**जाजापुर**	18.27	1.51	8.29
		349	कालियापानी	0.39	0.22	56.13
	83		**धेनकानल**	11.93	1.62	13.59
		350	कनकदाहाद	0.61	0.35	56.96
	84		**गंजम**	35.29	1.19	3.37
		351	रामागिरी	0.13	0.11	87.47
	85		**गजपति**	5.78	3.14	54.29
		352	अदवा	0.59	0.35	58.34
		353	मोहाना	0.74	0.44	58.76
		354	आर. उदयगिरी	0.86	0.63	73.38
		355	सेरांगो	0.78	0.61	78.67
		356	रायगढ़ा	0.46	0.35	76.78
		357	गड़ाबंद	0.29	0.19	65.09
		358	रामगिरी	0.30	0.26	85.09
	86		**कंधमाल**	7.33	3.93	53.58
		359	गोछापाड़ा	0.36	0.22	62.39
		360	फुलावानी	0.42	0.24	57.23

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		361	जी.उदयगिरी	0.49	0.26	52.70
		362	टिकाबली	0.49	0.26	53.50
		363	सारंगागढ़	0.35	0.20	57.40
		364	फिरिंगिया	0.54	0.30	55.39
		365	बलीगुडा	0.97	0.51	52.28
		366	तुमुडिबंधा	0.29	0.16	56.51
		367	बेलाघर	0.20	0.13	66.29
		368	कोटागढ़	0.48	0.28	59.47
		369	ब्राह्मणीगांव	0.37	0.19	52.18
		370	दारिंगबाडी	0.64	0.43	67.42
		371	रैकिया	0.53	0.30	56.14
	87		**कालाहांडी**	15.77	4.49	28.50
		372	थुआमुल रामपुर	0.78	0.45	58.18
	88		**रायगढ़ा**	9.68	5.42	55.99
		373	चंदरपुर	0.29	0.21	71.75
		374	विष्मकटक	0.88	0.56	63.81
		375	कल्याणसिंगपुर	0.66	0.43	65.12
		376	काशीपुर	0.71	0.41	58.76
		377	टिकिरी	0.35	0.24	67.42
		378	दौरागुडा	0.19	0.11	54.03
		379	शेशखल	0.48	0.39	80.91
		380	गुनूपुर	1.15	0.61	53.52
		381	गुदरी	0.66	0.40	60.78
		382	पदमापुर	0.45	0.23	50.58
		383	पुत्तासिंग	0.39	0.34	86.81
	89		**नवरंगपुर**	12.21	6.81	55.79
		384	राइघर	1.34	0.86	64.59
		385	कुनडेरी	0.50	0.34	68.63
		386	उमरकोट	2.06	1.12	54.40
		387	झरीगन	0.83	0.51	62.03
		388	दाबुगन	1.55	1.00	64.20
		389	पपराहांडी	1.00	0.55	54.91
		390	कोडिंगा	1.06	0.64	60.08
		391	कोसागुमुडा	0.93	0.58	62.04

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		392	तेंदुलीखूंटी	0.70	0.35	50.14
	90		**कोरापुट**	13.80	6.98	50.56
		393	कोटपाड	1.21	0.69	56.95
		394	बोरीगुमा	0.98	0.52	52.80
		395	दसमंतापुर	0.51	0.32	62.78
		396	लक्ष्मीपुर	0.40	0.30	74.39
		397	नरायणपटना	0.44	0.37	84.39
		398	बंधुगांव	0.59	0.47	79.80
		399	ककीरीगुमा	0.25	0.16	63.79
		400	कुंडुरा	0.57	0.30	52.93
		401	बोइपड़ीगुडा	1.25	0.72	57.68
		402	पदुआ	0.55	0.28	52.08
		403	पोटांगी	0.88	0.55	62.32
	91		**मलकानगिरी**	6.13	3.55	57.83
		404	मलकानगिरी	1.78	1.03	57.90
		405	मथिली	0.84	0.59	69.54
		406	मुडुलीपडा	0.30	0.21	70.51
		407	चित्रकोंडा	0.34	0.23	68.02
		408	पापरमेटला	0.15	0.14	88.75
		409	जोदांबा	0.15	0.11	77.42
		410	ओरकेल	0.75	0.40	53.26
		411	पोडिया	0.28	0.19	65.53
9			**राजस्थान**			
	92		**सिरोही**	10.36	2.92	28.22
		412	आबूरोड	2.24	1.14	50.96
	93		**डूंगरपुर**	13.89	9.83	70.82
		413	डूंगरपुर	4.95	3.85	77.71
		414	असपुर	2.24	1.19	53.11
		415	सागवारा	3.43	2.03	59.22

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		416	सिमलवारा	3.26	2.76	84.78
	94		**बांसवाड़ा**	17.97	13.73	76.38
		417	घटोल	2.87	2.31	80.57
		418	गढ़ी	2.99	1.73	57.93
		419	बांसवाड़ा	4.59	3.07	66.94
		420	बागीडोरा	3.74	3.19	85.32
		421	कुशलगढ़	3.79	3.43	90.36
	95		**उदयपुर**	30.68	15.25	49.71
		422	कोटरा	2.31	2.21	95.82
		423	झडोल	2.49	1.89	75.78
		424	लसादिया	0.91	0.80	88.17
		425	सालुम्बार	2.48	1.32	53.34
		426	सरदा	2.31	1.47	63.65
		427	रिषभदेव	1.73	1.46	84.18
		428	खेरवारा	2.07	1.51	73.26
	96		**प्रतापगढ़**	8.68	5.50	63.42
		429	धरियावढ़	1.90	1.50	78.74
		430	पीपलखूंट	1.54	1.44	93.33
		431	अरनोड	1.41	0.95	67.32
10			**तमिलनाडु**			
	97		**सालेम**	34.82	1.19	3.43
		432	येरकौड	0.42	0.28	67.16
11			**तेलंगाना**			
	98		**आदिलाबाद**	27.41	4.96	18.09
		433	इंदरवैली	0.48	0.27	57.25
		434	नरनूर	0.49	0.33	67.14
		435	जयनूर	0.31	0.19	59.55
		436	उतनूर	0.63	0.33	51.98
		437	सिरपुर	0.26	0.22	85.30

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		438	तिरयानी	0.26	0.19	73.62
	99		**वारंगल**	35.13	5.31	15.11
		439	तडवैयी	0.23	0.12	51.91
		440	कोथागुडा	0.40	0.24	61.64
		441	गुदुर	0.56	0.32	57.30
	100		**खम्माम**	27.97	7.66	27.37
		442	चेरला	0.43	0.24	55.62
		443	दुक्मुगुडेम	0.47	0.33	69.48
		444	कुनावरम	0.26	0.16	60.53
		445	चिंतुर	0.41	0.31	76.71
		446	वारारामचंद्रपुरम	0.26	0.16	62.94
		447	वेलैरपडु	0.23	0.14	62.23
		448	टेकुलापल्ली	0.48	0.37	77.54
		449	गुंडाला	0.28	0.22	77.54
		450	बैयाराम	0.43	0.21	50.16
		451	गरला	0.37	0.19	51.56
		452	सिंगरैनी	0.55	0.34	61.10
		453	जुलुरपाड	0.33	0.17	51.77
		454	मुलकालापल्ली	0.35	0.21	61.55
12			**पश्चिमी बंगाल**			
	101		**पुरूलिया**	29.30	5.41	18.45
		455	बुंदवान	0.95	0.49	51.86
पहाड़ी राज्य						
1			**हिमाचल प्रदेश**			
	102		**चम्बा**	5.19	1.36	26.10
		456	पांगी	0.19	0.17	90.18
		457	होली	0.14	0.11	77.61
		458	भरमौर	0.25	0.21	84.66
	103		**लाहौल एवं स्पीति**	0.32	0.26	81.44

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		459	स्पीति	0.12	0.11	84.64
	104		**किन्नौर**	0.84	0.49	57.95
		460	कालपा	0.19	0.11	57.96
		461	निचर	0.28	0.14	50.33
2			**जम्मू एवं कश्मीर**			
	105		लेह (लद्दाख)	1.33	0.96	71.81
		462	लेह	0.94	0.63	66.85
		463	नुबरा	0.22	0.16	73.35
		464	खलसी	0.17	0.17	97.05
	106		**कारगिल**	1.41	1.22	86.89
		465	कारगिल	0.86	0.72	83.49
		466	संकु	0.41	0.36	89.96
		467	झांसकर	0.14	0.14	99.16
	107		राजौरी	6.42	2.33	36.24
		468	बुढाल	1.23	0.70	56.95
	108		**बांदीपुर**	3.92	0.75	19.22
		469	गुरेज	0.38	0.31	81.84
3			**उत्तराखंड**			
	109		**देहरादून**	16.97	1.12	6.58
		470	चकराता	0.50	0.25	50.21
		471	तियुनी	0.34	0.20	57.68
		472	कालसी	0.47	0.27	58.03
पूर्वोत्तर राज्य						
1			**अरूणाचल प्रदेश**			

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
	110		**तवांग**	0.50	0.35	69.65
		473	तवांग सर्कल	0.19	0.10	54.24
	111		**पश्चिमी कामेंग**	0.84	0.46	55.25
		474	दिरांग	0.18	0.14	74.28
	112		**पूर्वी कामेंग**	0.79	0.72	92.01
		475	सेवा	0.29	0.25	86.05
	113		**पापुम पारे**	1.77	1.17	66.38
		476	ईटानगर	0.65	0.39	59.27
		477	नहरलागुर	0.49	0.29	59.38
	114		**अपर सुबांसिरी**	0.83	0.78	93.86
		478	तलिहा	0.13	0.13	98.14
		479	दपोरिजो	0.20	0.16	82.33
	115		**पशचिम सियांग**	1.12	0.93	82.64
		480	आलो	0.35	0.25	70.73
	116		**पूर्वी सियांग**	0.99	0.70	70.53
		481	पासीघाट	0.36	0.19	52.94
		482	खोंसा	0.26	0.20	76.83
		483	लोंगडिंग	0.17	0.16	93.76
		484	पंगचाओ	0.12	0.12	99.19
		485	वाक्का	0.11	0.11	99.04
	117		**लोअर सुबांसिरी**	0.83	0.73	87.81
		486	जिरो (सदर)	0.23	0.18	78.00
		487	पुराना जिरो	0.20	0.18	92.72
	118		**कुरुंग कुमे**	0.92	0.91	98.58
		488	संग्राम	0.11	0.11	98.86

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
2			**असम**			
	119		**गोलपाड़ा**	10.08	2.32	22.97
		489	धुधनाई	0.81	0.54	66.30
	120		**धेमजी**	6.86	3.26	47.45
		490	जोनाई	1.70	1.16	68.21
	121		**कार्बी आंगलोंग**	9.56	5.39	56.33
		491	धोनका	2.95	1.94	65.52
		492	फुलोनी	2.80	1.49	53.25
		493	सिलोनीजन	0.91	0.57	62.35
	122		**दिमा हसाओ**	2.14	1.52	70.92
		494	उमरांगसो	0.50	0.32	64.95
		495	हफलोंग	0.77	0.49	64.19
		496	माहुर	0.34	0.29	85.52
		497	मबोंग	0.54	0.41	76.91
	123		**कामरूप**	15.18	1.82	12.00
		498	बोको	1.12	0.71	63.18
	124		**बक्सा**	9.50	3.31	34.84
		499	सरूपूटा (पीटी)	0.55	0.30	53.86
		500	जलाह (पीटी)	0.82	0.43	52.84
	125		**उदलगुड़ी**	8.32	2.67	32.15
		501	खोइराबाड़ी (पीटी)	0.81	0.43	52.68
3			**मणिपुर**			
	126		**सेनापती**	4.79	4.19	87.49
		502	सदर हिल पश्चिम	0.72	0.46	63.73

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		503	सैतु–गंफाझोल	0.59	0.48	81.80
		504	सदर हिल पूर्वी	0.63	0.61	96.05
		505	माओ–मारम	1.63	1.45	88.67
		506	पाओमाता	0.54	0.53	98.28
		507	पुरूल	0.68	0.67	98.10
	127		**तामेंगलोंग**	1.41	1.35	95.72
		508	तामेंगलोंग पश्चिम	0.28	0.27	96.05
		509	तामेंगलोंग उत्तर	0.28	0.27	96.58
		510	तामेंगलोंग	0.48	0.47	97.58
		511	नुंगबा	0.37	0.34	92.35
	128		**चुराचांदपुर**	2.74	2.55	92.94
		512	तिपैमुख	0.29	0.27	94.53
		513	थानलोन	0.18	0.18	98.34
		514	चुराचांदपुर उत्तर	0.31	0.29	95.52
		515	चुराचांदपुर	1.74	1.59	91.33
		516	सिंगंगट	0.22	0.21	95.50
	129		**उखरूल**	1.84	1.74	94.35
		517	उखरूल उत्तर	0.31	0.30	96.15
		518	उखरूल मध्य	1.07	1.00	92.90
		519	कामजोंग–चसाद	0.17	0.16	93.25
		520	फंग्यार–फैसट	0.17	0.16	98.04
		521	उखरूल दक्षिण	0.12	0.12	99.05
	130		**चंदेल**	1.44	1.28	88.97
		522	माची	0.20	0.19	97.26
		523	तेंगनौपाल	0.39	0.30	77.00
		524	चंदेल	0.32	0.30	92.75
		525	चकपिकारोंग	0.53	0.49	92.44
4			**मेघालय**			

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
	131		**पश्चिम गारो पहाड़ियां**	6.43	4.74	73.69
		526	दादेंगगिरी	0.42	0.40	97.01
		527	टिकरीकिला	0.58	0.53	90.31
		528	रौंग्राम	1.34	1.07	79.99
		529	बेतासिंग	0.72	0.66	91.23
		530	झिकझैक	0.75	0.50	66.84
		531	गमबेगरे	0.34	0.32	96.83
		532	दालु	0.54	0.47	87.08
	132		**पूर्वी गारो पहाडियां**	3.18	3.05	95.99
		533	रेसुबेलपाड़ा	1.05	1.01	96.40
		534	दंबो रोंगजेंग	0.53	0.51	97.06
		535	खरकुट्टा	0.51	0.50	97.90
		536	संगसक	0.53	0.51	96.46
		537	समंदा	0.56	0.52	92.07
	133		**दक्षिण गारो पहाड़ियां**	1.42	1.34	94.31
		538	चोकपोट	0.40	0.39	96.58
		539	गासुवापाड़ा	0.28	0.27	95.15
		540	बाघमारा	0.51	0.46	91.78
		541	रोंगारा	0.23	0.22	94.85
	134		**पश्चिमी खासी पहाड़ियां**	3.83	3.75	97.82
		542	मावशइनरूट	0.74	0.73	98.12
		543	नोंगस्टोइन	0.82	0.81	98.89
		544	मावथाड्रेसन	0.49	0.48	98.46
		545	मैरांग	0.82	0.82	98.86
		546	रानीकौर	0.41	0.38	91.41
		547	मावकिरवट	0.54	0.54	98.48
	135		**रिभोई**	2.59	2.30	88.89
		548	उमलिंग	0.87	0.75	86.70
		549	जिरांग	0.31	0.30	97.65
		550	उम्सनिंग	1.41	1.24	88.32

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
	136		**पूर्वी खासी पहाड़ियां**	8.26	6.61	80.05
		551	मावफ्लांग	0.71	0.71	99.48
		552	माइलियम	4.43	2.94	66.39
		553	मावरंगनेंग	0.67	0.66	98.61
		554	मावकाइनरे	0.45	0.44	99.31
		555	खतरसनोंग लैतकरोह	0.34	0.33	99.73
		556	मावसैनरम	0.54	0.50	92.79
		557	शेला भोलागंज	0.54	0.45	82.41
		558	पैइनुरसला	0.58	0.57	98.66
	137		**जैयंतिया हिल्स**	3.95	3.76	95.19
		559	थाडलास्केइन	1.38	1.30	94.55
		560	लस्केइन	0.90	0.87	96.28
		561	अम्लारेम	0.44	0.40	92.32
		562	ख्लीरियाट	0.86	0.82	95.11
		563	सैपुंग	0.37	0.37	98.43
5			**मिजोरम**			
	138		**मामित**	0.86	0.82	95.04
		564	जालनुयाम	0.47	0.44	93.11
		565	पश्चिम फाइलेंग	0.21	0.21	97.36
		566	रियेक	0.18	0.17	97.36
	139		**कोलासिव**	0.84	0.74	87.68
		567	'एन' थिंगडौल	0.20	0.19	94.85
		568	बिलखौबथ्रिर	0.58	0.50	84.65
	140		**आईजोल**	4.00	3.74	93.31
		569	तालांगनुयाम (भाग)	3.12	2.87	92.07
		570	डारलान	0.26	0.25	97.85
		571	फुलेन	0.13	0.13	98.67
		572	एवोंक	0.17	0.17	98.03
		573	थिंगसुलथ्लिया (भाग)	0.32	0.31	96.98

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
	141		**चम्फाई**	1.26	1.23	98.19
		574	नगोपा	0.19	0.18	97.14
		575	खौजाल	0.36	0.35	98.48
		576	चम्फाई	0.43	0.42	98.15
		577	खौवंग	0.22	0.22	98.56
	142		**सरछिप**	0.65	0.63	96.85
		578	सरछिप	0.44	0.42	95.95
		579	पूर्वी लुंगडर (भाग)	0.15	0.15	98.82
	143		**लुंगलई**	1.61	1.54	95.11
		580	पश्चिम बुंधमुन	0.19	0.19	98.76
		581	लुंगसेन	0.39	0.38	96.90
		582	लुंगलई	0.77	0.71	92.09
		583	नाथियाल	0.26	0.26	98.76
	144		**लोंगत्लाई**	1.18	1.12	95.30
		584	चौंगते	0.45	0.44	98.17
		585	लौंगत्लाई	0.39	0.35	89.66
		586	'एस' बुंग्लांग	0.17	0.17	96.82
		587	संगाउ	0.17	0.17	99.01
	145		**सैहा**	0.57	0.55	96.59
		588	तुईपांग	0.21	0.21	98.69
		589	सैहा	0.36	0.34	95.34
6			**नागालैंड**			
	146		**मोन**	2.50	2.38	95.21
		590	टिजिट	0.22	0.19	84.10
		591	मोन सदर	0.48	0.46	95.53
		592	वाकचिंग	0.13	0.13	98.24
		593	अबोइ	0.14	0.14	95.48

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		594	लोंगसेन	0.20	0.20	99.35
		595	फोमंचिंग	0.13	0.12	99.45
		596	चेन	0.19	0.18	98.36
		597	अंगजांगीयांग	0.20	0.20	98.87
		598	मोपोंग	0.15	0.15	99.09
		599	तोबू	0.17	0.17	99.03
		600	मोंयाक्षु	0.23	0.23	99.10
	147		**मोकोकचुयांग**	1.95	1.78	91.68
		601	एलोंगकिमा	0.12	0.12	98.03
		602	तुली	0.23	0.21	88.54
		603	चांगतोंगया	0.17	0.17	96.45
		604	चुचुयिमलांग	0.18	0.18	98.35
		605	कुबुलांग	0.13	0.12	98.30
		606	मगकोलेम्बा	0.13	0.11	84.96
		607	ओंगपोंगलोंग	0.84	0.76	90.79
	148		**जुनहेबोतो**	1.41	1.37	97.02
		608	सुरहोतो	0.14	0.14	98.03
		609	ओघुनोतो	0.18	0.18	98.95
		610	जुनेहेबोतो सदर	0.36	0.34	93.47
		611	सताखा	0.15	0.14	95.23
	149		**वोखा**	1.66	1.57	94.16
		612	एतेपियांग	0.16	0.16	99.35
		613	भंडारी	0.17	0.16	93.89
		614	सुंगरो	0.13	0.13	99.48
		615	वोखा सदर	0.58	0.55	93.75
		616	इंगलान	0.13	0.12	96.29
		617	चुकीतोंग	0.10	0.10	99.61
	150		**दिमापुर**	3.79	2.24	59.13
		618	कुहोबोतो	0.13	0.10	81.58
		619	चुमुकेडिया	1.25	0.90	71.51

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		620	धनसीरीपर	0.17	0.14	79.56
		621	मेदजिफेमा	0.24	0.18	76.55
	151		**फेक**	1.63	1.57	96.16
		622	सेकरूजु	0.11	0.11	99.25
		623	फेक सदर	0.27	0.25	90.32
		624	मेलुरी	0.14	0.13	94.73
		625	चोजुवा	0.15	0.15	98.46
		626	चेथेवा	0.17	0.17	98.68
		627	फुतसेरो	0.31	0.30	95.26
		628	चिजामी	0.10	0.10	98.76
	152		**तुवेगसांग**	1.97	1.91	97.11
		629	नोकसेन	0.14	0.14	99.24
		630	चारे	0.11	0.11	98.09
		631	लोंखिम	0.17	0.17	98.84
		632	तुवेंगसांग सदर	0.48	0.44	92.90
		633	सोतोकु	0.11	0.11	99.22
		634	नोकलाक	0.20	0.19	98.44
		635	पानसो	0.11	0.11	99.64
		636	शमातोर	0.13	0.13	99.03
		637	तोंनोकन्यु	0.19	0.18	94.63
	153		**लोंगलेंग**	0.50	0.49	96.30
		638	लोंगलेंग	0.23	0.22	96.07
	154		**किफिर**	0.74	0.71	96.52
		639	किफिर सदर	0.22	0.21	93.77
		640	पुंगरो	0.14	0.14	97.65
	155		**कोहिमा**	2.68	2.25	83.86
		641	सेमेन्यु	0.51	0.51	98.79
		642	चिफोवोजोयु	0.20	0.17	88.32
		643	केजोचा	0.16	0.14	86.15

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		644	जखामा	0.34	0.31	90.40
		645	कोहिमा सदर	1.17	0.87	74.39
		646	सेचु–जुवजा	0.17	0.13	75.95
	156		**पारेन**	0.95	0.84	88.47
		647	जालुकी	0.28	0.21	72.46
		648	अथिवुंग	0.14	0.13	93.61
		649	तेनिंग	0.26	0.26	99.06
7			**त्रिपुरा**			
	157		**पश्चिम त्रिपुरा**	17.26	4.32	25.03
		650	हेजामारा	0.36	0.33	93.54
		651	पदमाविल	0.36	0.33	92.82
		652	तुलाशिखर	0.43	0.33	76.16
		653	मुंगीयाकुमी	0.29	0.28	95.68
		654	मंडाई	0.45	0.41	92.20
		655	जम्पुईजाला	0.46	0.43	94.66
	158		**दक्षिण त्रिपुरा**	8.76	3.45	39.36
		656	किला	0.41	0.39	96.07
		657	अमरपुर	0.57	0.32	56.66
		658	ओंपी	0.39	0.33	84.75
		659	करबुक	0.45	0.36	79.24
		660	रुपईछारी	0.48	0.40	82.74
	159		**धलाई**	3.78	2.11	55.68
		661	मनु	0.84	0.58	68.64
		662	अंबासा	0.55	0.40	72.52
		663	छमानु	0.34	0.29	85.85
		664	दंबुरनगर	0.59	0.48	81.02
	160		**उत्तर त्रिपुरा**	6.94	1.79	25.86
		665	दंबछारा	0.28	0.23	81.89
		666	पेंचरथाल	0.43	0.26	59.20

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
		667	दसदा	1.02	0.69	67.35
		668	जम्पुई हिल्स	0.12	0.11	92.53
8			**सिक्किम**			
	161		**उत्तरी जिला**	0.44	0.29	65.70
		669	मंगन	0.34	0.24	71.96
संघ राज्यक्षेत्र						
1			**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**			
	162		**निकोबार**	0.37	0.24	64.28
		670	कार निकोबार	0.18	0.15	84.23
2			**दादर और नगर हवेली**			
	163		**दादर और नगर हवेली**	3.44	1.79	51.95
		671	दादर और नगर हवेली	3.44	1.79	51.95
3			**लक्षद्वीप**			
	164		**लक्षद्वीप**	0.64	0.61	94.80
		672	एंड्रॉट	0.11	0.11	97.83

टिप्पणीः

(1) स्रोतः जनगणना 2011

(2) 10,000 से अधिक तथा 50 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले, प्राथमिकता वाले उप–जिले।

अनुलग्नक– 4फ

अनुसूचित जनजाति के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रमुख समुदाय : जनगणना 2011

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
1	2	3	4
1 आंध्र प्रदेश			
	1. येनादिस, चेल्ला येनदी, कप्पाला येनादी,मांची येनादी, रेड्डी येनादी	5.34	20.3
	2. येरूकुलस ..., कोरचा	3.75	14.3
	3. सुगालिस, लम्बादिस, बंजारा	3.62	13.7
	4. कोन्डा धोरस, कुबी	2.11	8.0
	5. सवारस ३	1.38	5.2
	6. बगता	1.33	5.0
	अ.ज.जा.(6)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**17.51**	**66.6**
	चिह्नित (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	8.05	30.6
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.74	2.8
	कुल :	**26.31**	**100**
2 बिहार			
	1. संथाल	4.06	30.4
	2. गोंड	2.57	19.2
	3. थारू	1.60	12.0
	4. उरांव ३	1.44	10.8
	5. खारवार	1.26	9.4
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**10.93**	**81.8**
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.27	9.5
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.17	8.8
	कुल :	**13.37**	**100**
3. छत्तीसगढ़			
	1. गोंड, अराख, अगारिया, असुर, भटोला, भीम्मा, भूटा/भूटी ..., भार, मारिया, धुरू, धुर्वा,धोबा, धूलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, कन्दरा, कलंगा, खटोला,कोयतार, कोया,खिरवार, माना, मान्नेवर, मोधिया, मोंधिया, मूडिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका,थाटिया,थोटिया,दरोई	42.98	54.9
	2. कवर/कनवर,चेरवा,राठिया, तंवर,चत्री	8.87	11.3
	3. ओरांव, ढांका, धनगढ़	7.49	9.6
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**59.35**	**75.9**
	चिह्नित (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.56	23.7
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.32	0.4
	कुल :	**78.23**	**100**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
4 गोवा			
	1. गवडा	1.07	71.5
	2. वेलिप	0.32	21.5
	अ.ज.जा.(2)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**1.39**	**92.9**
	चिह्नित (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.7
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.05	3.4
	कुल :	**1.49**	**100**
5 गुजरात			
	1. भील, भीलगासिया, धौली भील, डूगरी भील, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे	42.16	47.3
	2. डूबला, तालविया, हालपटी	6.43	7.2
	3. राठवा	6.42	7.2
	4. धोडिया, धोडी	6.36	7.1
	5. नायकदा, नायका...	4.60	5.2
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**65.97**	**74.0**
	चिह्नित (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	21.10	23.7
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.11	2.4
	कुल :	**89.17**	**100**
6 हिमाचल प्रदेश			
	1. गद्दी	1.78	45.4
	2. गुज्जर	0.93	23.6
	3. कनौरा, किन्नरा	0.51	13.0
	4. भोत, बोद्ध	0.27	6.9
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**3.49**	**89.0**
	चिह्नित (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.33	8.3
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.11	2.7
	कुल :	**3.92**	**100**
7 जम्मू और कश्मीर			
	1. गुज्जर	9.81	65.7
	2. बकरवाल	1.13	7.6
	3. बोत, बोतो	0.91	6.1
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**11.85**	**79.4**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.96	13.1
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.12	7.5
	कुल :	**14.93**	**100**
8	**झारखंड**		
	1. संथाल	27.55	31.9
	2. ओरांव...	17.17	19.9
	3. मुंडा, पतर	12.29	14.2
	4. हो	9.28	10.7
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**66.29**	**76.7**
	चिह्नित (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.42	21.3
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	2.0
	कुल :	**86.45**	**100**
9. कर्नाटक			
	1. नायकडा, नयका, चोलीवाला नयका, कापाड़िया नयका, मोटा नयका, नाना नयका, नायक, बेदा, बेदार और वाल्मीकि	32.96	77.6
	अ.ज.जा.(1)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**32.96**	**77.6**
	चिह्नित (49) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.41	15.1
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.12	7.3
	कुल :	**42.49**	**100**
10. केरल			
	1. पनियान	0.88	18.2
	2. कुरिच्चान ...	0.35	7.3
	3. मलाई आर्यन, माला आर्यन	0.33	6.9
	4. माविलान	0.31	6.4
	5. कुरुमान, मल्लुकुरुमान, मुल्लाकुरुमान, मालाकुरुमान	0.25	5.1
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.12**	**43.8**
	चिह्नित (31) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.10	43.4
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.62	12.9
	कुल :	**4.85**	**100**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
11. मध्य प्रदेश			
	1. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया	59.94	39.1
	2. गोंड, अरख, अर्रख, अगरिया, असुर, बदी मारिया, बाड़ा मारिया, भटोला, भीम, भूता, कोईलभुता, कोलाभुट्टी, भार, बिसनहोर मारिया, चेरिया मारिया, डंडामी मारिया, धुर्वा, धोबा, धुलिया, धुलिया, डोरला, डोरकी, डोरकी, डोरकी, डोरी।, गट्टा, गट्टी, गीता, गोंडगौरी, हिल मारिया, कंदरा, कालंगा, खटोला, कोइता, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचा मारिया, कुचकी मारिया, मडिया, मारिया, मन, मनेवर, मोगिया, मोंगिया, मंधिया, मुड़िया, मुड़िया नागरची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी, झरेका, ठठिया, वेड मारिया, वेड मारिया, दारोई	50.93	33.3
	3. कोल	11.68	7.6
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**122.55**	**80.0**
	चिह्नित (40) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	27.98	18.3
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.64	1.7
	कुल :	**153.17**	**100**
12	**महाराष्ट्र**		
	1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागलिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वासेव	25.89	24.6
	2. गोंड, राजगोंड, अरख, अररख, अगरिया, असुर, बडियारिया, बाडमरिया, भटोला, भीम, भूता, कोईलभुता, कोइलाभुट्टी, भरत, बथोर्न मारिया, छोटामरिया, डंडामीमारिया, धूरवा, धुर्वा, धुलिया, धुलिया, धुलिया, धुलिया, धोबिया , गट्टी, गीता, गोंडगौरी, हिल मारिया, कंदरा, कालंगा, खटोला, कोइता, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचरा मारिया, कुचामारिया, मडिया, मारिया, माना, मनेवर, मोगिया, मोगिया, मंधिया, मुड़िया, मुड़िया, नगरची, नपची , नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरीझरका, थटिया, थोडा, वेड मारिया, वेला मारिया	16.18	15.4
	3. कोलीमहादेव, डोंगरकोली	14.60	13.9
	4. वर्ली	7.96	7.6
	5. कोकना, कोकनी, कुकना	6.87	6.5
	6. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, कथकर, मा ठाकुर, मा ठाकुर	5.68	5.4
	अ.ज.जा.(6)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**77.18**	**73.4**
	चिह्नित (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	26.17	24.9
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.76	1.7
	कुल :	**105.10**	**100**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
13 ओडिशा			
	1. खोंड, कोंड, कंधा, नंगुली कंधा, सीताकांधा, कोंध, कुई, बूढ़ा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डूंगरियाकांध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़ा, मूलकौंध, मालुआकौंठ, पांडि, कांधा, कांधा।	16.27	17.0
	2. संथाल	8.95	9.3
	3. गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुरगोंड	8.89	9.3
	4. कोल्हा	6.25	6.5
	5. मुंडा, मुंदलोहारा, मुंडामहलियाँ, नागबंशीमुंडा, उड़िया मुंडा	5.59	5.8
	6. सौरा, सावर, सौरा, सहारा, अरसीसोरा, आधारित साओरा, भीमसौरा, भीमसौरा, चामुरासौरा, जरासावर, जदुसोरा, जटियासोरा, जुरीसौरा, कांपूसोरा, –, कांपसौरा, किडसौरा, किरोड़ीसौरा, किरोड़ा, देवसरौरा। , लारियासावर, मालियासौरा, मल्लासोरा, उरियासौरा, रायकासौरा, सुड्डासौरा, सरदासौरा, टंकलासौरा, पतरसौरा, वेसूसोरा	5.35	5.6
	7. शबार, लोधा	5.16	5.4
	अ.ज.जा.(7)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**56.46**	**58.9**
	चिह्नित (55) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	38.19	39.8
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.26	1.3
	कुल :	**95.91**	**100**
14 राजस्थान			
	1. मीना	43.46	47.0
	2. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरीगरासिया, मेवासी भील, रावलभिल, तडवी भील, भागलिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वासेव	42.00	45.5
	अ.ज.जा.(2)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**85.56**	**92.5**
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.25	6.9
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.58	0.6
	कुल :	**92.39**	**100**
15 सिक्किम			
	1. भूटिया (चुब्बीपा, डोगथापा, डुक्पा, कागते, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा	0.70	33.7
	2. लिम्बू	0.54	26.0

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
	3. लेप्चा	0.43	20.8
	4. तमांग	0.38	18.3
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.04**	**98.8**
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.02	1.2
	कुल :	**2.06**	**100**
16 तमिलनाडु			
	1. मलयाली	3.58	45.0
	2. इरुलार*	1.90	23.9
	3. कट्टूनायकन*	0.47	5.9
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.94**	**74.8**
	चिह्नित (33) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	18.3
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.55	6.9
	कुल :	**7.95**	**100**
17 तेलंगाना			
	1. सुगालीज, लंबाडीज, बंजारा	20.46	62.3
	2. कोया, डोलीकोया, गुट्टाकोया, कम्माराकोया, मुसाराकोया, ओड्डीकोया, पट्टीडीकोया, राजा, राशाकोया, लिंगधारीकोया (साधारण), कोट्टायकोया, भिनेकोया, राजकोया	4.86	14.8
	3. गोंड, नाइकपोड, राजगोंड, कोइतूर	2.98	9.1
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**28.30**	**86.1**
	चिह्नित (29) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.96	9.0
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.61	4.9
	कुल :	**32.87**	**100**
18 उत्तर प्रदेश			
	1. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज गोंड (महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में)	5.69	50.2
	2. खरवार खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराण्रसी और सोनभद्र)	1.61	14.2
	3. थारु	1.05	9.3
	4. सहरिया (ललितपुर जिले में)	0.71	6.2
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	9.06	79.8
	चिह्नित (11) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	12.9
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.83	7.3

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
	कुल :	**11.34**	**100**
19 उत्तराखंड			
	1. थारु	0.91	31.3
	2. जानसारी	0.89	30.4
	3. बुक्सा'	0.54	18.5
	4. भोटिया	0.39	13.4
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.73**	**93.6**
	चिह्नित (1) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	0.2
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.18	6.2
	कुल :	**2.92**	**100**
20 पश्चिम बंगाल			
	1. संथाल	25.12	47.4
	2. ओरांव	6.44	12.1
	3. भूमिज	3.76	7.1
	4. मुंडा	3.66	6.9
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**38.99**	**73.6**
	चिह्नित (36) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	11.57	21.8
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.41	4.6
	कुल :	**52.97**	**100**
पूर्वोत्तर राज्य			
21 अरुणाचल प्रदेश			
	1. न्यईशी	2.50	26.2
	2. गलोंग	0.79	8.3
	3. अदी	0.68	7.1
	4. तगिन	0.63	6.6
	5. वांचो	0.57	6.0
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.17**	**54.3**
	चिह्नित (99) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	4.32	45.4
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.03	0.3
	कुल :	**9.52**	**100**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
22	**असम**		
	1. बोरो, बोरोकचारी	13.62	35.1
	2. मिरि	6.80	17.5
	3. कार्बी	4.30	11.1
	4. राभा	2.96	7.6
	5. कचारी, सोनोवाल	2.53	6.5
	अ.ज.जा.(5)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**30.22**	**77.8**
	चिह्नित (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.83	17.6
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.79	4.6
	कुल :	**38.84**	**100**
23 मणिपुर			
	1. थाडोऊ	2.16	18.5
	2. थंगखुल	1.79	15.3
	3. पौमाई नागा	1.27	10.9
	4. काबुई	1.04	8.9
	5. आओ	0.93	8.0
	6. कच्चा नागा	0.66	5.7
	अ.ज.जा.(6)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**7.85**	**67.3**
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.61	31.0
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.21	1.8
	कुल :	**11.67**	**100**
24	**मेघालय**		
	1. खासी, जयंतिया,सैन्तेंग,प्नार, वार, भोइ,लिग्यंम	14.12	55.2
	2. गारो	8.21	32.1
	अ.ज.जा.(2)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**22.33**	**87.4**
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.49	5.8
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	6.8
	कुल :	**25.56**	**100**
25	**मिजोरम**		
	1. कोई मिजो (लुसाई) जनजातियां	7.35	70.9
	2. चकमा	0.97	9.4

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
	3. पावी	0.51	5.0
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**8.83**	**85.2**
	चिह्नित (12) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.45	14.0
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.07	0.7
	कुल :	**10.36**	**100**
26	**नागालैंड**		
	1. नागा	16.68	97.5
	अ.ज.जा.(1)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**16.68**	**97.5**
	चिह्नित (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.34	2.0
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.09	0.5
	कुल :	**17.11**	**100**
27	**त्रिपुरा**		
	1. त्रिपुरा, त्रिपुरी, तिप्पेरा	5.92	50.8
	2. रियांग'	1.88	16.1
	3. जमातिया	0.83	7.1
	4. चकमा	0.80	6.8
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**9.44**	**80.9**
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.75	15.0
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.48	4.1
	कुल :	**11.67**	**100**
संघ राज्यक्षेत्र			
28	**अंडमान निकोबार द्वीप समूह**		
	1. निकोबारी	0.27	95.2
	अ.ज.जा.(1)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.27**	**95.2**
	चिह्नित (5) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.7
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.1
	कुल :	**0.29**	**100**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या (%)
29	**दादर और नगर हवेली**		
	1. वर्ली	1.12	62.8
	2. कोकना	0.28	15.6
	3. धोडिया	0.24	13.6
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**1.64**	**91.9**
	चिह्नित (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.3
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.08	4.8
	कुल :	**1.79**	**100**
30	**दमन और द्वीव**		
	1. दुबला (हालपाति)	0.11	72.2
	2. धोडिया	0.02	15.2
	3. वर्ली	0.01	9.0
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.15**	**96.5**
	चिह्नित (2) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	1.3
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	2.3
	कुल :	**0.15**	**100**
31	**लक्षद्वीप**		
	सभी जन–जातियां	0.61	100
	कुलः	**0.61**	**100**

टिप्पणः

(1) 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। इनमें से ≥ 5% जनसंख्या वाले पीवीटीजी अलग से दर्शाएं गए हैं।

(2) जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा चढ़ीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में कोई अ.ज.जा. अधिसूचित नहीं है।

*कोष्ठक में दिये गये आंकड़े अजजा समुदाय की संख्या दर्शाती है

**जम्मू और कश्मीर राज्य का – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के रूप में विभाजित होने से पूर्व

स्रोत : जनगणना 2011 के आंकडें, आरजीआई के कार्यालय की वेबसाइट

अनुलग्नक – 5क

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (सी.ओ.22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, करेल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चित बंगाल।
2.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (सी.ओ.33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्र प्रदेश
4.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनयम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचिन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची(संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र पदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरातथा लक्कादीव, मिनीकोयतथा अमिनदीवी द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची(संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (सी.ओ.58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
8.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 (सी.ओ.65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ.78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति, 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
12.	संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ.88)	23.7.1970	नागालैण्ड
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनगर्ठन) आदेश, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगालतथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976के शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ.142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर
20.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर
21.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
23.	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
24.	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार
25	संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
26.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेशतथा सिक्किम
27.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
28.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
29.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
30.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 2)	07.1.2009	लक्षद्वीप
31.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012की संख्या 24)	31.5.2012	कर्नाटक
33.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़
34.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014की संख्या 6)	1.3.2014	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
35.	संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016	22.12.2016	पुदुचेरी

विशेष ध्यान दीजिएः हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक – 5ख

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची

आंध्र प्रदेश

1. अन्ध, साधू आन्ध्र
2 बगटा
3 भील
4. चेंचु
5. गडबा, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कलायी गडाबा, पारांगी गडाबा, कथेरा गडाबा, कापू गडाबा
6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतूर
7. गौडू (अभिकरण भूखण्डों में)
8. हिल रेद्दि
9. जातपू
10. कम्भर
11. कटुनायकन
12. कोलम, कोलावार
13. कोंडा दोरा, कुबी
14. कोंड कापु
15. कोंडारेड्डि
16. कोंध, कोडि, कोदू, देसेय कोंध, डोंगरिया कोंध, कट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, वेंथो ओरिया, बारत्तिका, धुलिया, होल्बा, सन्रोण, सिधापैको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया, राजा, राश कोया, लिंगधारी कोया (सामान्य), कोड्डू कोया, भिणे कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. मालि
21. मन्ना दोरा
22. मुखा दोरा, नूका दोरा
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधाण
25. पुर्जा, पेरंगीपेर्जा
26. रेड्डि दोरा
27. रोणा, रेणा
28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
29. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा
30. बाल्मीकि (विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
31. येनादी, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
32. येरूकुला, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
33. नक्काला कुरविकरन
34. धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापट्टनम और विजयनगरम के जिलों में)

अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियां:

1. अबोर
2. आका
3. अपटानी
4. निशी
5. गालो
6. खामपती
7. खौवा
8. मिश्मी, इदु, तारोआन
9. मौम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरडुकपेन
12. सिंग्फो
13. हुरुसो
14. टेगिन
15. खाम्बा
16. आदि

असम

I. कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों मे:

1. चाक्मा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. हमार
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगनागम
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजातिः –

(i) वियाते, बियेते
(ii) चांगसान
(iii) चंगलोई
(iv) दौंगेल
(v) गमल्हो
(vi) गांगटे
(vii) गुहते
(viii) हान्नेंग
(ix) हौकिपा, हौपित
(x) हौलाई
(xi) हेंगना
(xii) हंसुंध
(xiii) हांग्खवाल, रंग्खल
(xiv) जंग्बे
(xv) ख्वौचूंग
(xvi) ख्वौरंग, खोतालंग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्ह
(xix) किप्गेन
(xx) कुकी
(xxi) लेथांग
(xxii) ल्हाघुम
(xxiii) ल्हाजेम
(xxiv) ल्हौबुन
(xxv) लुफैंग
(xxvi) मांजेल
(xxvii) मिसाउ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सैहैम
(xxx) सेल्मान
(xxxi) सिग्सन
(xxxii) सितल्हो
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) याडो
(xxxv) थांग्यू
(xxxvi) उइद
(xxxvii) व्हाइफे

8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुशाई) जनजातियां
11. करबी
12. कोई भी नागा जनजातियां
13. पावी
14. सिंतेंग
15. लालुंग

II. असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहितः

1. कछार में वर्मन
2. बड़ो, बड़ो कछारी
3. ड्योरी
4. होजाई
5. कछारी, सोन्वाल
6. लालुंग
7. मेच
8. मिरी
9. राभा
10. डिमासा
11. हाजंग
12. सिंग्फो
13. खामपती
14. गारो

बिहार

1. असुर, अगरिया
2. बेगा
3. बनजारा
4. बठुडी
5. बेदिया
6. हटा दिया है
7. बिंझिया
8. बिरहोर
9. विरजिया
10. चेरो
11. चिक बराइक
12. गोंड
13. गोराइत
14. हो
15. करमाली
16. खरिया, ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, हिल खड़िया
17. खरवार
18. खोंड
19. किसान, नागेसिया
20. कोरा, मुडी–कोरा
21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. माहली
24. माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया
25. मुन्डा, पातार
26. उरांव, धांगड़ (उरांव)
27. परहया
28. संथाल
29. सोरिया पहाडिया
30. सावर
31. कवार
32. कोल
33. थारू

छत्तीसगढ़

1. अगरिया
2. आन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भुईहार भुमियां भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो
6. भत्तरा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भुंजिया
10. बियार, बीआर
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धनवार
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अरख, अराख, अगरिया असुर, अबुझ मारिया, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोइलाभूती, भार, बिसोनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गोवारी, हिल मारिया, कन्डरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या, मूडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारी झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई
17. हलबा, हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
21. खैरवार, कोंदर
22. खरिया
23. कोंध, खोंड, कांध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू, बोपची, मोवासी, निहाल, नाहुल बौन्धी, बौन्डेया
27. कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोडाकू
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुंडा
32. नगेसिया, नागासिया
33. उरांव, धानका, धनगढ़
34. पाव
35. परधान, पथारी, सरोती
36. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली परधी, फांस परधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया (i) बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (ii) कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, बिलासपुर जिले की तखतपुर तहसीलें (iv) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटन गुंडेरदही, धमधा, बालौद, गुरुर और डोंडीलोहारा तहसील (v) राजनांदगांव गांव जिले के चौकी, मानपुर रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सराईपाली की बसना तहसील (vii) बिंद्रान्नवागढ़ राजिम और रायपुर जिले की देवभोग तहसील (viii)धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
39. साओन्ता, सौन्ता
40. सौर
41. सावर, सवरा
42. सोनर

गोवा

1. धोडिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गडवा
8. वेलिप

गुजरात

1 बर्डा
2. बावचा, बामचा
3. भरवाढ़ (अलेच्छ, वराढ़ा और गीर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी, गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावड़ा, वसावा, वसावे
5. चारण (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत और बलसाड जिलों में)
7. चौधरा
8. धनक, तडवी, तेतारिया, वलवी
9. धोडिया, ढोडी
10. दुबला, तलाविया, हलपति
11. गमित, गम्ता, गविट, मची, पदवी
12. गोंड, राजगोंड
13. कथोडी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कटकारी, सोन कथोडी, सोन कटकारी
14. कोकणा, कोकणी, कुक्णा
15. हटा दिया गया
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा
17. कुन्बी (डांग्स जिले में)
18. नायकाडा, नायेक, चोलीवाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
19. पाधर
20. हटा दिया गया
21. पर्धी, अदविचिन्चेर, फांनसेपर्धी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबरी (अलेच्छ, वराढ़ा और गीर के जंगलों में)
25. राथवा
26. सिद्दी, सिद्दी–बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28. वारली
29. विटोलिया, कोटवालिया, बरोडिया,
30. भील, भिलाला बरेला पटेलिया
31. तदवी भील, बावरा, वसावे,
32. पडवि

हिमाचल प्रदेश

1. भोट, वोढ़
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाद, लाम्बा, खम्पा
5. कनौरा, किन्नारा
6. लाहौला
7. पंगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

जम्मू और कश्मीर

1. बाल्टी
2. बेडा
3. बोट, बोटो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. चगंपा
6. गर्रा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

झारखण्ड

1. असुर, अगरिया
2. बेगा
3. बनजारा
4. बठुडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. विरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोराइत
13. हो
14. करमाली
15. खरिया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, हिल खड़िया
16. खरवार
17. खोंड
18. किसान, नागेसिया
19. कोरा, मुडी–कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. माहली
23. माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया
24. मुंडा, पतार

25. उरांव, ढांगर (उरांव)
26. परहया
27. संथाल
28. सोरिया पहाडिया
29. सावर
30. भूमिज
31. कवार
32. कोल

कर्नाटक

1. अदियन
2. बर्डा
3. बवचा, बम्चा
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया भिलाला, पवरा, वासवे, वसावे
5. चेंचू, चेंचवार
6. चोधारा
7. दुबला, तालाविया, हलपति
8. गामिट, गमटा, गाविट, मावचि, पदवी, वाल्वी
9. गोंड, नायकपोड, राजगोंड
10. गोब्डालू
11. हक्कीपिक्की
12. हासालारू
13. इरूलर
14. इरूलिगा
15. जेनु कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मार (दक्षिणी कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
18. कनियान, कन्यान (मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
19. कथोडी, काटकारी, ढोर कथोडी, ढोर काटकारी, सोन कथोडी, सोन काटकारी
20. काट्टूनायकन्
21. कोंकण, कोंकणी, कुक्णा
22. कोली धोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा
23. कोंडा कापूस
24. कोरग
25. कोटा
26. कोया, भिने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलकुडी
28. कुरूब (कुर्ग जिले में)
29. कुरूमान
30. महा मालासार
31. मलाई कुडी
32. मालासार
33. मालायेकान्डी
34. मालेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराटी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा, मेडारा, मेडारी, गौरिगा, बुरूद
38. नायकडा, नायक, चौलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका, नाइक, नायका, बेडा, बेदार और वाल्मीकि
39. पल्लियान
40. पानियां
41. पार्धी, अडविचिन्चेर, पनसे पार्धी, हरनशिकारी
42. पटेलिया
43. राथावा
44. शोलगा
45. सोलीगारू
46. तोडा
47. वरली
48. विटोलिया, कोतवालिया बारोडिया
49. येरावा
50. सिद्दी (उत्तर कन्नड़ जिले में)

केरल

1. आडियन्
2. अरांडन् अरांदन
3. अरावालन्
4. हिल पुलया, माला पुलयान, कुरूम्बा पुलयान, कारावाजी पुलयान, पम्बा पुलयान
5. इरूलर्, इरूलन्
6. कादर, वयनाद कादर
7. हटा दिया गया
8. कणिक्कारन्, काणिक्कर्
9. काट्टुनायकन्
10. कोचुवेलान
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरग
14. हटा दिया गया
15. कुडीया, मेलाकुडी
16. करचिचान्, कुरिचियान
17. कुरूमन्, मुल्लु कुरूमन्, मुल्ला कुरूमन्, माला कुरूमन्
18. कुरूम्बा, कुरुम्बर, कुरुम्बन
19. महा मालासार
20. मलय अर्षन, माला अरयन
21. मलय पंडारम्
22. मलवेडन, मालावेडन
23. मलकुर्वन
24. मालासार
25. मलयन, नट्टू मलयन, कोंगा मलयन, (कासरगौडे, कन्नोर, वयानाद और कोझीकोड़ जिलों को छोड़कर)
26. मलयरयर

27. मनान्
28. मराठी (कसारगोड जिले के होसदुर्ग तथा कसारगोड तालुका)
29. मुतुवान, मुदुगर, मुदुवन
30. पल्लेयान, पल्लियान, पल्लियार, पालियान
31. हटा दिया गया
32. हटा दिया गया
33. पाणियन्
34. उल्लाडन, उल्लातान
35. उरालि
36. माला वेटुवन (कासरगोडै तथा कन्नूर जिलों में)
37. तेन कुरुम्बन, जेनु कुरुम्बन
38. थाचानाडन, थाचानाडन, मूपन
39. चोलानाइकन
40. माविलन
41. करीमपालन
42. वेट्टा कुरुमन
43. माला पनिकर

मध्य प्रदेश

1. अगरिया
2. आंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भुईंआर भूमियां, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो
6. भत्तरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भुंजिया
10. बिआर, बीआर
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. दमोर, दामरिया
14. धनवार
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीम्मा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, बिसोनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोधिया, मोगिया, मोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वाडेमारिया, दरोई
17. हलबा हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तनवर, छत्री
21. (हटा दिया गया)
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकू बोपची, मवासी, निहाल, नाहुल बौंधी, बौंडेया
28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. हटा दिया गया
33. मुंडा
34. नगेसिया, नागासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ़
36. पनिका ख [(i) छतरपुर पन्ना, रिवा, सतना, शाहडोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिले और (ii) दतिया जिले का सेंवढ़ा और दतिया तहसील में]
37. पाव
38. परधान, पथारी, सरौती
39. हटा दिया गया
40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी टकनकर, टाकियाख् [(i) छिंदवाडा, मंडला, डिंडौरी तथा सिवनी जिलों में (ii) बालाघाट जिले में बैहर तहसील (iii) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंसडेही तहसीलों में (iv) जबलपुर जिले के पाटन तहसील और सिहोरा एवं मंझोली ब्लॉक (v) कटनी जिले के कटनी (मुंडरवारा) तथा विजया राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबांद तथा ढीमरखेड़ा ब्लॉक (vi) होशंगाबाद जिले के होशंगबाद, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी तहसील और केसला ब्लॉक (vii) नरसिंहपुर जिला, और (viii) खंडवा जिले के हरसुद तहसील में]
41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया, सोसिया, सोर
43. साओंता, सोंता
44. सौर
45. सावर, सवर
46. सोनर

महाराष्ट्र

1. आंध
2. बैगा
3. बर्डा
4. बावचा, बामचा
5. भैना
6. भारिआ, भूमिया, भूईंहार– भूमिया, पान्डों
7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहूल, बिरहोर
12. हटा दिया गया
13. धाणका, तडवी, तेतारिया, वलवी
14. धनवार
15. धोडिया
16. दुबला, तालविवा, हलपति
17. गामित, गामता, गावीत, मावचि पडवि
18. गोंड, राजगोंड, अरख, आरखा, अगारिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोईलाभुता कोईलाभुती, भार, बिसीनहान मारिया, छोटा मारिया, दडांमी मारिया, धुरू, धरवा, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मढ़िया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मोगिया, मौंघया, मुदिया, मुरिया, नगारची, नायकपाड, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्धारी, झरेका थाटिया, थोटया, वाडे मारिया
19. हलवा, हलवी
20. कमार
21. काथोडि, कातकारी, ढोर काथोडी, ढोर कातकारी, सोन कथोडी, सोन कातकारी
22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
23. खैरवार
24. खड़िया
25. कोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल
27. कोलाम, मन्नेरवरलू
28. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कौंध, खौंड, कांध
32. कौरकू, बोंपची, मौवासी, निहाल, नाहुल, बोधी, बौधया 33. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया
34. नगेसिया, नगासिया
35. नायकडा, नायक, नायका, चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. औरांव, धनगड
37. परधान, पथारी, सरौती
38. पारधी, अडविचिंचेर, फंस पारधी, फान्से पारधी, लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया चित्ता पारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया
39. परजा
40. पटेलिया
41. पीमला
42. राथवा
43. सावर, सावरा
44. ठाकुर, ठाकर, का–ठाकुर, का–ठाकर, मा–ठाकुर, मा–ठाकर
45. हटा दिया गया
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बरोडिया

मणिपुर

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिरू
5. चौथे
6. गंगते
7. हमार
8. काबुई, इन्पुई, रोंगमेई
9. कच्चा नागा, लेइंगमेई, जेमे
10. खोइराओ, थंगल
11. कोयंरग
12. कोम
13. लामगंग
14. माओ
15. मराम्
16. मैरिंग
17. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजातियां
18. मोन्सैग
19. मायोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सेमा
24. सिम्टे
25. सुह्टे
26. तेंगखुल
27. थाडो
28. व्हाइफै
29. जाओ
30. पउमेइ नागा
31. तराओ
32. खरम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

मेघालय

1. चाक्कमा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. हमार
6. खासी, जैन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगाम सहित
7. कोई भी कुकी जनजाति निम्न सहितः–
   i. बियाते, बियेते
   ii. चंगसान
   iii. चगलोई
   iv. दौगेल
   v. गमल्हौ
   vi. गंगते
   vii. गुइते
   viii. हैन्नंग
   ix. हौंकिप, हैंपित
   x. हौलाई
   xi. हेंगना
   xii. हौनसुध
   xiii. हग्खोवाल, रंग्खोल
   xiv. जंग्वे
   xv. ख्वौचंग
   xvi. ख्वोत्लंग, खोतालंग
   xvii. खेल्मा
   xviii. खाल्हु
   xix. किपगेन
   xx. कूकी
   xxi. लेंथांग
   xxii. ल्हांगम
   xxiii. ल्हाजम
   xxiv. ल्होवुन
   xxv. लुफेंग
   xxvi. मांजेल
   xxvii. मिसाऊ
   xxviii. रियांग
   xxix. सैरहैम
   xxx. सेल्नाम
   xxxi. सिंग्सन
   xxxii. सितल्हौ
   xxxiii. सुक्ते
   xxxiv. थादो
   xxxv. थांग्न्यू
   xxxvi. उइबू
   xxxvii. व्हाइफै
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजातियां
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजातियां
13. पावी
14. सिंतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

मिजोरम

1. चाक्मा
2. डिमासा (कछारी)
3. गारो
4. हांजन्ग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेंग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कुकी जनजाति निम्न सहितः
   (i) बिअते या बिएते
   (ii) चंगसान
   (iii) चोंगलोइ
   (iv) डोउन्गेल
   (v) गमाल्हू
   (vi) गंगत
   (vii) गुइते
   (viii) हान्नेंग
   (ix) हाओकिप या हाउपिट
   (x) हाओलाई
   (xi) हेंगना
   (xii) होनसुंघ
   (xiii) हरांगख्वाल या रंगखोल
   (xiv) जोंगबे
   (xv) खावचांग
   (xvi)खवथलांग या खोथलांग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खोल्हू
   (xix) किपजेन
   (xx) कुकी
   (xxi) लेनथांग
   (xxii) ल्हांगम
   (xxiii) ल्होउजेम
   (xxiv) ल्होउवुन
   (xxv) लुपहेंग
   (xxvi) मांगजेल
   (xxvii) मिसाओ
   (xxviii) रिआंग
   (xxix) सइरहेम
   (xxx) सेलनाम
   (xxxi) सिगसन
   (xxxii) सितल्होउ
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थाडो
   (xxxv) थागंनगेऊ
   (xxxvi) उइबुह
   (xxxvii) वाइफेई
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग.
15. पाइते

नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कछारी
4. मिकिर
5. गारो

ओडिशा

1. बागडा, भक्ता
2. बैगा
3. वणजारा, वणजारी
4. बाथुडी, बथूरी
5. भौत्तडा, धोत्तडा, भोतरा, भातरा, भत्तरा, भोटोरा, भट्टारा
6. भूइया, भूयां
7. भूमिआ
8. भूमिज, तेली भूमिज, हलादीपोखड़िया भूमिज, हलादी पोखड़िया भूमिजा, देसी भूमिज , देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भूजीआ
10. बिंजाल, बिंझवार
11. बिंझिआ, बिंझोआ
12. बीरहोर
13. वोंडोपोरजा, बोंडपरजा, बांडा परजा
14. चेन्चू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा
18. दिदयी, दीदाई परजा, दीदाई
19. गादबा, बोदो, गादबा, गुतोब गादबा, कापु गादबा, ओलारा गादबा, पेरेंगा गादबा, सेनो गादबा
20. गांडिया
21. धारा
22. गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होलवा
25. जातपु
26. जुआंग
27. कंध गोड
28. कावार, कनवार
29. खडीआ, खडीयां बेरगा खड़िया, ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, एरेंगा खड़िया, मुंडा खड़िया, उरांव खड़िया, खडिया, पहाड़ी खड़िया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कोंध, कुई, बूढ़ा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड
32. किसान, नागेसर, नागेसिया
33. कोल
34. कोल्हा लोहार, कोल लोहार
35. कोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोन्डादोरा
38. कोरा, खेरा, खयारा
39. कोरूआ
40. कुटीआ
41. कोया, गुबां कोया, कोइतुर कोया, कमर कोया, मुसारा कोया
42. कुली
43. लोधा, नोध, नोधा, लोध
44. मादिआ
45. माहालि
46. मांकिडी
47. मांकिरडिआ, मांकरिया, मानकिडी
48. माटिआ, मटिया
49. मिर्धा, कुडा, कोडा
50. मुंडा, मुंडा–लोहरा, मुंडा महाली, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. औमनात्या, ओमानात्यो, अमानात्या
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. पेरेंगा
55. परोजा, परजा, बोडो परोजा, बरोंग, झोडिया परोजा, छेलिया परोजा, झोडिया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोडियापरोजा, सेनो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजुआर
58. सांताल
59. सवोरा, सवर, सौरा, सहरा, आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जारा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा साओरा, कापो साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कालापिठिआ साओरा, किराट साओरा, लंजिया साओरा, लाम्बा लंजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लरिया सावर, मालिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पात्रो साओरा, बेसु साओरा
60. शवर, लोधा
61. साउन्ती
62. थारूआ, थारूआ बिंधानी

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा, वसवा, वसावे
2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. धाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त)
6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकारी, सोन काथौडी, सोन कातकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकणा
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा
9. मीना
10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया।

सिक्किम

1. भूटिया (चुम्बिपा, दोपथापा, डुकपा, कगाटे, शेर्पा, टिबेटन, ट्रोमोपा, योल्मो सहित)
2. लेपचा
3. लिम्बू
4. तमंग

तमिलनाडु

1. अडियन
2. अरनाडन
3. एरवल्लन
4. इरूलर
5. काडर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)
7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और अम्बासमुद्रम तालुक में)
8. कनियन, कन्यन
9. काट्टुनायक्कन
10. कोचुवेलन
11. कोन्डा कपूस
12. कोंडारेड्डी
13. कोरगा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेला कुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरूमान्स (नीलगिरि जिले में)
18. कुरमान्स
19. महा मल्लेसर
20. मलै अरैयन
21. मालै पडांराम
22. मलै बैडन
23. मलक्कुरवन
24. मल्लेसर
25. मल्याली (धर्मपुरी, उत्तरी अर्काट, पुडुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरूचिरा–पल्ली जिले में)
26. मलयेकंडी
27. मान्नन
28. मुडुगर, मुडूवन
29. मदुवन
30. पाल्लयन
31. पलियन
32. पल्लयर
33. पनियन
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36. उरली

तेलंगाना

1. अन्ध, साधू आन्ध्र
2. बगटा
3. भील
4. चेंचु
5. गडबा, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कलायी गडाबा, पारांगी गडाबा, कथेरा गडाबा, कापू गडाबा
6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतूर
7. गौडू (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपू
10. कम्भर
11. कटुनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्ड कापु
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडि, कोदू, देसेय कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कट्टिया कोन्ध, टिकरिया कोन्ध, येनिटी कोन्ध, कुविंगा
17. कोटिया, बेंथो ओरिया, बारत्तिका, डुलिया, होल्बा, सन्रोण, सिध् ापैको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा रश कोया, लिन्गधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया
20. मन्नादोरा
21. मुखादोरा, नूकादोरा
22. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
23. परधाण
24. पुर्जा, पेरंगीपेर्जा
25. रेड्डी दोरा
26. रोणा, रेणा
27. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
28. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा
29. तोटी (अदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूब नगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद, वरंगल जिले में)
30. येनादी, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
31. येरूकुला, कोरचा, डब्बा, येरूकुला, कुंछापुरी, येरन्कुला, उप्पू येरून्कुला
32. नक्काला, कुरविकरन

त्रिपुरा

1. भील
2. भुटिया
3. चौमल
4. चकमा
5. गारो
6. हलाम, बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रुपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खसिया
9. कुकी, निम्न उप जन जातियों सहितः—
   (i) बाल्टे (ii) बेललहुत
   (iii) छाल्य (iv) फुन
   (v) हजांगो (iv) जंगते
   (vii) खरेंग (viii) केफंग
   (ix) कुन्तेई (x) लाइफंग (xi) लेनतेई (xii) मिजेल (xiii) नमते (xiv) पाइतु, पाइते (xv) रंगचांन (xvi) रंखल (xvii) थन्लुया
10. लेपचा
11. लुसाई
12. मग
13. मुन्डा, कौर
14. नोआतिया, मुरासिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. संथाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टीपरा
19. उचई

उत्तराखंड

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जोनसारी
4. राजी
5. थारू

उत्तर प्रदेश

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जोनसारी
4. राजी
5. थारू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहरया (ललितपुर जिले में)
9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)
13. पटारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र वाराणसी जिले में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में)

पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बैगा
3. वेदिया, विदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते, तिब्बती, योलमो
6. बीरहड़
7. विर्जिया
8. चाकमा
9. चेरी
10. चिक बारैक
11. गारो
12. गोंड
13. गोड़त
14. हाजंग
15. हो
16. करमाली
17. खाड़वार
18. खौंड
19. किसान
20. कोड़ा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लीधा, खेड़िया, खाड़िया
24. लौहारा, लौहरा
25. मध
26. माहली
27. महली
28. माल पहाड़िया
29. मेच
30. म्रू
31. मुंडा
32. नागेसिया
33. ओरांव
34. पाढ़ैया
35. राभा
36. सन्थाल
37. सौरिया पहाड़िया
38. सावर
39. लिम्बु (सुब्बा)
40. तमंग

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो, येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगे
5. सेंटाइनलीस
6. शोमपेन्स

दादर और नगर हवेली

1. धोडिया
2. दुबला हालपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोलघा सहित कोली धोर
6. नइकदा या नायक
7. वर्ली

दमन व दीव

संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में :

1. धोडिया
2. दुबला (हलपति)
3. नइकडा (तालावीया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वर्ली।

लक्षद्वीपः

सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मेः—

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता—पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। "बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।

स्पष्टीकरणः— 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3 (I) (छ) में परिभाषित किया गया है।

पुद्दुचेरी

इरूलर (विल्ली और वेट्टैकारन् सहित)

नोटः यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

अनुलग्नक– 5ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची

I. आन्ध्र प्रदेश* (तेलगंना सहित)

1. महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के 67 गांव निम्नानुसार हैं:

आचमपेट तालुका

(1) बालमोर
(2) कोदनांगोल
(3) बनाल
(4) बिलाकास
(5) धारावरम
(6) अप्पाइपाली
(7) रासुल छेरवु
(8) पुलेछेलमा
(9) मारलापया
(10) बुर्ज गुंडाल
(11) अगारला पेन्टा
(12) पुल्लाइपल्ली
(13) दुक्कान पेन्टा
(14) बिकिट पेन्टा
(15) कारकार पेन्टा
(16) बोरमाछेरन्वू
(17) येमेलापाया
(18) इरलापेंटा
(19) मुदारदीपेंटा
(20) तेरकालदारी
(21) वकारमामिदी पेंटा
(22) मेडीमानकल
(23) पंडीबोर
(24) संगरी गुण्डल
(25) लिंगबोर
(26) रामपुर
(27) अप्पापुर
(28) मालापुर
(29) जलाल पेंटा
(30) पीमान पेंटा
(31) रायलेट
(32) वेटोलापल्ली
(33) पातुर बयाल
(34) भावी पेंटा
(35) नारदी पेंटा
(36) तपासी पेंटा
(37) चन्द्रगुप्ता
(38) युल्लुकारतरेवु
(39) तिम्मारेड्डीपल्ली
(40) सारलापल्ली
(41) ततिगुण्डाल
(42) इल्पामायेहेना
(43) कोमान पेंटा
(44) कोल्लामपेंटा
(45) मानानूर
(46) माछाराम
(47) मलहामाम्डी
(48) वेकेटेश्वरला बावी
(49) अमराबाद
(50) तिरमालपुर
(51) उपनुटोला
(52) मघवनपल्ली
(53) जगमरेड्डी पल्ली
(54) पेदरा
(55) वेंकेश्वरम
(56) चितलाम कुंटा
(57) लाछमापुर
(58) उदमेला
(59) मारेड़
(60) इप्पालापल्ली
(61) मड्डीमाडाग
(62) अक्काराम
(63) अइनोल
(64) सिद्दापुर
(65) बमानपल्ली
(66) गनपुरा
(67) मानेवारपल्ली

2. आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

आदिलाबाद तालुका

(1) मलाइ बोरगोवा,
(2) अनकानपुर,
(3) जामुलाधारी,
(4) लोकारी,
(5) वेंकेट,
(6) तान्तोली,
(7) सीतागोंटी,
(8) बुरनूर,
(9) नवगांव,
(10) पीपलदारी,
(11) पारदी बुजुर्ग,
(12) यापाल गुदा,
(13) छिनछूघाट,
(14) वानकोली,
(15) कानपा,
(16) अवसोदा बुरकी,
(17) मलकापुर,
(18) जारी,
(19) पालसी बुजुर्ग,
(20) आरिल खुर्द,
(21) नन्दगांव,
(22) वाघापुर,
(23) पालसीखुर्द,
(24) लिंगी,
(25) काफर देनी,
(26) रतनापुर,
(27) कोसाइ,
(28) उमारी,
(29) मदनपुर,
(30) अम्बूगांव,
(31) रूयेअडी,
(32) सकानपुर,
(33) दादगांव,
(34) कसलापुर,
(35) डोरली,
(36) साहाजी,
(37) सांगवी,
(38) खोगदूर,
(39) कोबाई,

(40) पोनाला,
(41) छापराला,
(42) मंगरोल,
(43) कोपा अरगूने,
(44) सोअनखास,
(45) खिडकी,
(46) खासल खुर्द,
(47) खासल बुजुर्ग,
(48) जामनी,
(49) बोरगांव,
(50) सयेद पुर,
(51) खारा,
(52) लोहारा,
(53) मारीगांव,
(54) छिछदारी,
(55) खानापुर,
(56) खण्डाल,
(57) तीपा,
(58) हाती घोता,
(59) करोदखुर्द,
(60) करोनी बुजुर्ग,
(61) सिंगापुर,
(62) वुरानपुर,
(63) नागराला,
(64) बोदाद,
(65) छांदपेल्ली,
(66) पीतगेन,
(67) येकोरी,
(68) सादारपुर,
(69) वारूर,
(70) रोहार,
(71) तकली,
(72) रामखाम

3. आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

किनवात तालुका

(1) अम्बारी,
(2) बोदरी,
(3) छिकली,
(4) कामताला,
(5) घोती,
(6) मांडवा,
(7) मेरेगांव,
(8) मालबोर गांव,
(9) पटोडा,
(10) दहीगांव,
(11) दोमोन घारी,
(12) दरसांगी,
(13) डिघरी,
(14) सिंदगी,
(15) कनकवाड़ी,
(16) कोपरा,
(17) मलाकवाडी,
(18) निसपुर,
(19) एन्डा,
(20) पीपलगांव,
(21) बलजा,
(22) वारोली,
(23) अन्जी,
(24) भीमपुर सिरमेती,
(25) केरल,
(26) कोठारी,
(27) गोकुड़ा,
(28) गोगरवुडी,
(29) मलकापुर,
(30) धोनोरा,
(31) रामपुर,
(32) पातरी,
(33) परोधी,
(34) बाओथ,
(35) दरसांगी,
(36) नोरगांव,
(37) उनरसी,
(38) गोदी,
(39) साउरखेर,
(40) नायकवाड़ी,
(41) सरकानी,
(42) वाझेरा,
(43) मारदाप,
(44) अंजेरखेर,
(45) गोण्डवारसा,
(46) पलाइगुडा,
(47) करालगांव,
(48) पाल्सी,
(49) पटोड़ा,
(50) जवारला,
(51) पीपलगांव,
(52) कानकी सिंगोरा,
(53) डोगरगांव,
(54) पीपल सेंधा,
(55) जुरूर,
(56) मिनकी,
(57) तुलसी,
(58) माचौरड़ेर पारड़ी,
(59) मुरली,
(60) टाकरी,
(61) पारसा,
(62) वारसा,
(63) उमरा,
(64) अष्ठता,
(65) हिंगनी,
(66) तिमारपुर,
(67) बाजरा,
(68) बानोला,
(69) पाटसोन्डा,
(70) धनोरा,
(71) साकुर
(72) डिगरी

4. आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के 46 गांव निम्नानुसार हैं:

बोथ तालुका

(1) हतनूर,
(2) बाकरी,
(3) पारधी,
(4) करतान्डा,
(5) सेरलापाल्लि,
(6) नेरादी कोन्डा,
(7) डालीगाओ,
(8) कुनताला,
(9) वेंकटपुर,
(10) हसनपुर,
(11) सुरदापुर,
(12) पोलमामदा,
(13) बाल्हनपुर,
(14) धर्मपुरी,
(15) गाकोड़ां,
(16) भोताई,
(17) कोरसेकाल,
(18) पतनापुर,
(19) तेजापुर,
(20) गुरूज,
(21) खाहदीगुडी,
(22) राजुरवाड़ी,
(23) इसपुर,
(24) घानपुर,
(25) जतेरला,
(26) खान्तेगांव,
(27) साउरी,
(28) इछोरा,
(29) मुतनपुर,
(30) गुडी हाटनूर,
(31) तालमेडी,
(32) गेरजाम,
(33) छिनछोली,
(34) सिरछेलमा,
(35) मनकापुर,
(36) नारसापुर,
(37) धर्मपुर,
(38) हरकापुर,
(39) धामपुर,
(40) निगनी,
(41) अजारवजार,
(42) चिन्तलबोरी,
(43) चिंताकारवा,
(44) रामपुर,
(45) गंगापुर
(46) गयात्पल्ली

5. आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के सभी गांव।

6. आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के 86 गांव निम्नानुसार है:

असैफाबाद तालुका

(1) राजमपेट,
(2) गुंजाला,
(3) इंघानी,
(4) समेला,
(5) तेजपुर,
(6) कन्नारगांव,
(7) कन्टागुडा,
(8) शांकेपल्ली,
(9) जामुलधारी,
(10) गुडी,
(11) छोरपल्ली,
(12) सालेगुडा,
(13) बादीगुडा,
(14) सवाती,
(15) ढाबा,
(16) छोपनगुडा,
(17) नीमगांव,
(18) खिरदी,
(19) मेटापिपरी,
(20) साकरा,
(21) सांगी,
(22) देवुरपल्ली,
(23)खोटरा–रिंगनघाट,
(24) निशानी,
(25) कोटा परानडोली,
(26) मेसापुर,
(27) गोइगांव,
(28) धनोरा,
(29) पारधा,
(30) सुरदापुर,
(31) केरीनेरी,
(32) मुरकीनोनकी,
(33) देवापुर,
(34) छिन्ताकारा,
(35) इहेरी,
(36) आरा,
(37) दासनपुर,
(38) कापरी,
(39) बेलगांव,
(40) सिरसगांव,
(41) मोआर,
(42) बादाम,
(43) धामिरीगुडा,
(44) दाल्लनपुर,
(45) छालवारडी,
(46) इहोरघाट,
(47) वाली झारी,
(48) साकमगुंडी,
(49) आरा,
(50) उप्पाल नवगांव,
(51) अंकसोरपुर,
(52) चिराकुन्ता,
(53)इल्लिपिट्टा डोरली,
(54) मन्डरन्मेरा,
(55) दन्तान्पल्ली,
(56) देवदुर्ग,
(57) तुनपाली,
(58) धांगलेश्वर,
(59) पादिबान्दा,
(60) तामरिन,
(61) मलगुण्डी,
(62) कन्दन मोओआर,
(63) जिओनेना,
(64) कुटेदा,
(65) तिलानी,
(66) कानेपल्ली,
(67) बोरवांउम तेलुन्डी,
(68) मौगीलोड़ीगुड़ा,
(69) मोइड़ा–गुड़ी पेट,

(70) चीन्नेदारी,
(71) कोइटेलुण्ड़ी,
(72) मदुरा,
(73) देवैगुड़ा,
(74) आरे गुडा,
(75) गरडेपल्ली,
(76) तकेपाली,
(77) चोउतेपाली,
(78) राने कन्नेपल्ली,
(79) सुंगापुरा,
(80) राला सामकेपल्ली,
(81) छोपरी,
(82) दोदा अर्जुनी,
(83) सेरवाई,
(84) रापल्ली,
(85) टेकमाडवा
(86) मीता अर्जुनी

7. आदिलाबाद जिले लक्षेतिपेत तालुका के 18 गांव निम्नानुसार हैं:
लक्षेतिपेट तालुका

(1) गुदाम,
(2) कासीपेत,
(3) दांडे पल्ली,
(4) छेलमपेटा,
(5) राजमपेट,
(6) मुत्तीमपेट,
(7) वेंकटपुर,
(8) राली,
(9) कौवाल,
(10) तारापेत,
(11) देवपुर,
(12) गाथापल्ली,
(13) रोतपल्ली,
(14) माझडामारी,
(15) धर्मारोपेत,
(16) वेंकटपुर,
(17) चिंतागुडा
(18) मुत्तेमपल्ली

8. आदिलाबाद जिले के राजुरा तालुका के 58 गांव
राजुका तालुका

(1) बेंडवी,
(2) छिनछोली,
(3) गोइगांव,
(4) हीरापुर,
(5) साकरी,
(6) बालापुर,
(7) मनोली,
(8) अन्तारगांव,
(9) विरूर,
(10) डोगरगांव,
(11) टिमबेरवाई,
(12) सेरसी,
(13) बडोरा,
(14) व्मरजीरी,
(15) लाकारकोट,
(16) डरगांव,
(17) किरदी,
(18) सोंदो,
(19) देवरा,
(20) खोरुना,
(21) कानारगांव,
(22) छेनाई,
(23) कैरगांव,
(24) सामलहीरा,
(25) धनोली,
(26) मारनगांडी,
(27) येल्लापुर,
(28) काटलबोरी,
(29) इसपुर,
(30) देवती,
(31) पाण्डेरवानी,
(32) वानसारी,
(33) पेरदा,
(34) वारगांव,
(35) नोकारी,
(36) मीरापुर,
(37) पारधी,
(38) कुतोडा,
(39) परसेवारा,
(40) मंगलरा,
(41) कारकी,
(42) नोकारी,
(43) मनोली,
(44) सोनपुर,
(45) इनापुर,
(46) मानगी,
(47) उपारवाई,
(48) तुत्ता,
(49) लकमापुर,
(50) किरदी,
(51) इनजापुर,
(52) जमीनी,
(53) हरगांव,
(54) छिकली,
(55) पाटन,
(56) कोसुंडी,
(57) कोतारा
(58) सोनोरली

9. आदिलाबाद जिले के सिरपुर तालुका के 27 गांव।

सिरपुर तालुका

(1) रालपेट,
(2) किस्तामपेट,
(3) तकलपाल्ली,
(4) छाकलपल्ली,
(5) अनाराम,
(6) भेटपल्ली,
(7) कोरसनी इसगांव,
(8) छिन्तागुडा,
(9) अंकोरा,
(10) उसू रामपल्ली,
(11) अरपल्ली,
(12) बोपालपट्टनम,
(13) बालासागा,
(14) पारधी,
(15) तुमरीहाती,
(16) छिन्तालमानोपल्ली,
(17) छिन्ताम,
(18) गुल्लातालोदी,
(19) दामदा,
(20) ढोरपल्ली,
(21) कनकी गारलापेट,
(22) गुदलाबोरी,
(23) गुरूमपेट,
(24) लोमवेली,
(25) मोगुरदागर,
(26) विरदान्डी
(27) छिलपुरदुबोर

10. वारंगल जिले के मुलुग तालुका के 85 गांव।

मुलुग तालुका

(1) कन्नइगुडा,
(2) अंकनगुड्डा,
(3) राघवापट्टनम,
(4) मेडारमोला,
(5) कोएटला,
(6) पारसा नागाराम,
(7) मुथापुर,
(8) मोटलागुड्डा,
(9) वेंगलपुर,
(10) येलपाक,
(11) कानेबोएनपल्लि,
(12) मेदाराम,
(13) कोंडरेड,
(14) छिन्तागुडा,
(15) कोंडापारथी,
(16) येलसेथिपाल्लि,
(17) अल्लामरिघुनपुर,
(18) रामपुर,
(19) माल्कपल्लि,
(20) छेत्ताल,
(21) भूपतिपुर,
(22) गंगाराम,
(23) कन्नइगुडा,
(24) राजन्नापेट,
(25) भूताराम,
(26) अक्केला,
(27) सिरवारपुर,
(28) गंगाराम,
(29) भूपतिपुर,
(30) पुम्बापुर,
(31) रामपुर,
(32) अंकामपाली,
(33) कामाराम,
(34) कामसेलिगुण्डम,
(35) आष्ठानागुडा,
(36) येल्लापुर,
(37) अल्लागुड़ा,
(38) नरसापुर,
(39) पुस्छापुर,
(40) भातुपल्लि,
(41) लावनाल,
(42) वाड्डगुडा,
(43) कोथूर,
(44) पेगदापाल्लि,
(45) सारवापुर,
(46) भुस्सापुर,
(47) चेलवाई,
(48) रंगपुर,
(49) गोविन्दराओपेट,
(50) बालपाली,
(51) धुमपालागुडा,
(52) केलापाली,
(53) लखनवरम,
(54) परसा,
(55) गोनेपाली,
(56) पडगापुर,
(57) नरलापुर,
(58) कलवापाली,
(59) उरातम,
(60) कोंडिया,
(61) मलयत,
(62) अचलपुर,
(63) डोल्डा,
(64) कमाराम,
(65) तादवी,
(66) बुदीगुडा,
(67) बन्न्जी,
(68) बन्दाम,
(69) सेलपाक,
(70) कन्तलपल्ली,
(71) सरवाई,
(72) गंगागुडा,
(73) तुपालकालगुदा,
(74) अकुलवारी,
(75) घानपुर,
(76) शाहपल्ली,
(77) गागपल्ली,
(78) छिन्ना–विओपल्ली,
(79) वेंकटापुर,
(80) नरसापुर,
(81) अनवाराम,
(82) लिंगाल,
(83) बालेपापल्ली,
(84) बंडल
(85) थूनमापुर

11. वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के 72 गांव।
नरसामपेत तालुका

(1) वेबेल्ली,
(2) पोलारा,
(3) बाकाचिन्ताफाद,
(4) गांजाद,
(5) त्रिमागुल्डा,
(6) गोपालपुर,
(7) खिस्तापुर,
(8) तातीनारी वेनपल्ली,
(9) पत्तल भूपति,
(10) चन्देलपुर,
(11) बत्तालपल्ली,
(12) अदवारमपेट,
(13) सात्यानगर,
(14) दुत्ला,
(15) मोथवाडा,
(16) मंगालावारपेत,
(17) कारलाई,
(18) अरकालकुंत्ता,
(19) कोदसापेत,
(20) गुडेरपल्ली,
(21) मसामी,
(22) बत्तवारतीगुदेम,
(23) ममीदीगुदम,
(24) पंगोन्डा,
(25) रोतुराई,
(26) सतरेद्दीपल्ली,
(27) कोनापूर,
(28) कोंदापुरम,
(29) पोगुलापल्ली,
(30) गोविन्दपुरम,
(31) माकदापल्ली,
(32) पागुलदापल्ली,
(33) मुराइगुडेम,
(34) येलछागुडेम,
(35) तुम्मापुरम,
(36) जगांमवारतीगुडेम,
(37) रंगामुडेम,
(38) पेड्डापल्ली,
(39) येर्रावरम,
(40) कुन्दापल्ली,
(41) नीलमपल्ली,
(42) दारावारिनापल्ली,
(43) कारनेगुंड,
(44) महादेवागुडेम,
(45) मारिगुडेम,
(46) जंगनपल्ली,
(47) बवारगुडा,
(48) ओआरवाक,
(49) गंगारामम,
(50) मुछेरला,
(51) अमरोन्छा,
(52) कामाराम,
(53) छिन्टागुंडम,
(54) निलावाच्छा,
(55) कांगागिड्डा,
(56) मडागुड्डेम,
(57) दालुरपेट,
(58) कोठागुडेम,
(59) कोटापल्ली,
(60) दुर्गाराम,
(61) दूबागुडेम,
(62) रून्दावाराम,
(63) नरसूगुडाम,
(64) कोमातलागुडेम,
(65) काटेरवम,
(66) सेमर राजपेट,
(67) मारेपल्ली,
(68) गोआरूर,
(69) राधियापुर,
(70) गजलगुडेम,
(71) राजवेपल्ली
(72) वोल्लिपल्ली

12. वारांगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डु, सिगारेनीऔर सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे को छोड़कर)
13. (i) वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव(पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान।
14. विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र (एजेन्सी लक्ष्मीपुरम, छिद्दीकाडा, कोनकासिंगि, कुमारापुरम, कृष्णदेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम, गोलूगोण्डापेटा, गुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनम, वादुरुपालि, पेदाजाग्गामपेटा गांवों में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर) 2 (विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अग्रहारम, रामचन्द्रनराजुपेटा, अग्रहारम और कोंडावातिपुड़ी अग्रहारम)
15. पूर्वी गोदावरी एजेंसी क्षेत्र 2 (रामचन्द्रपुरमगांव में शामिल क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित)
16. पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ.सं.30) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.सं.50).

1मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।

आंध्र प्रदेश क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात**

1. सूरत जिले के उच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाधवालोद, मांगरोल और बारदोली तालुका।
2. भरूच जिले के देदियापाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद और झगाडिया तालुका।
3. डांग्स जिला तथा तालुका।
4. वलसाड जिले के बांसदा, धर्मपुर, चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका।
6. बडौदरा जिले में छोटाउदयपुर तथा नसवाडी तालुका और तिलकबाडा महल।
7. साबरकंठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, (संविधान आदेश संख्या 9) दिनांक 26.01.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (संविधान आदेश संख्या 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले में पांगी तहसील और भरमोर उप–तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (संविधान आदेश संख्या102) दिनांक 21.11.1975 द्वारा निर्दिष्ट

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्निलिखितः

(क) धाहानु, तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील

(ख) (i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

पालघर तहसील

(1) तारापुर
(2) कुदन
(3) दहसीर टर्फ तारापुर
(4) घिवाली
(5) वावे
(6) अक्कारपत्ती
(7) कुरगांव
(8) पारनाली
(9) वेनगानी
(10) पठारवाली
(11) नेवले
(12) शिगांव
(13) गारगांव
(14) चिंचारे
(15) अकेगावान
(16) नानीवाली
(17) अंबेढे
(18) बरहानपुर
(19) सलगांव,
(20) खुताद,
(21) खानीवाड़े,
(22) रावते,
(23) अकोली,
(24) असेरी,
(25) सोते,
(26) परथाल,
(27) बोइसार,
(28) बोरसेती
(29) महागांव,
(30) किराते,
(31) वाडे,
(32) खाडवाने,
(33) मेंधवान
(34) विलसेय,
(35) कोडगांव
(36) कारसूद
(37) बेतेगांव,
(38) वारगंदे
(39) लालोंडे,
(40) घनेडे
(41) काम्बलगांव
(42) मान

(43) घानेघर,
(44) वाढ़े
(45) छारी बुदर्ग
(46) बिरवाडी
(47) काल्लाले,
(48) पाद्घे
(49) पोले,
(50) नानडोरे,
(51) गिरनोली,
(52) बोरान्डे,
(53) देवखोपे,
(54) सागवे,
(55) कोसबाद
(56) कोकानेर,
(57) नागणारी
(58) छारी खुर्द
(59) बेलगांव
(60) खुताल,
(61) छिलहर,
(62) भोपोली,
(63) नीहे,
(64) दामखाण्ड,
(65) कोंधान,
(66) आवनधान,
(67) बेगारचीले,
(68) शील,
(69) लोवारे,
(70) बंधान,
(71) नंद गांव टर्फ मानोर,
(72) शील शेट,
(73) कताले,
(74) अम्भान,
(75) वासरोली
(76) खारशेट,
(77) मानोर,
(78) ताकवाल,
(79) सवारखण्ड,
(80) नालशेट,
(81) केव,
(82) वाकाडी,
(83) मासवान,
(84) वान्डीवाली,
(85) नेताली
(86) साये,
(87) तेन,
(88) कारालगांव,
(89) गोवादे,
(90) तामसाइ,
(91) दुरवेस,
(92) धुकतान,
(93) पोछादे,
(94) होलाले,
(95) खामलोली,
(96) वाहदोली,
(97) बोत,
(98) इम्बूर इराम्बी,
(99) दानिसारी टर्फ मानोनर,
(100) कुडे,
(101) गुण्डावे,
(102) सीतावली,
(103) वेहालोली,
(104) सवारे,
(105) वराई,
(106) जानसाई
(107) खाइरे,
(108) ढेकाले,
(109) गांजे,
(110) जायेशेते,
(111) शेलवाडे,
(112) वेमुर,
(113) अम्बादी,
(114) नवाली,
(115) मोरावाली,
(116) वारखुन्ती,
(117) कामार,
(118) टोकराले,
(119) बन्डाते,
(120) जांजरोली,
(121) छाडे,
(122) वसारे,
(123) खादकोली,
(124) सखारे,
(125) रोथे,
(126) लालथाने,
(127) नवाजे,
(128) तान्डुलवाडी,
(129) गिराले,
(130) पारगाव,
(131) नागवे टर्फ—मानोर,
(132) उम्बारपदा नानड़ाडे,
(133) उचावाली,
(134) सफाले,
(135) सोनावे,
(136) माकने कापसे,
(137) करवाले,
(138) वाधिव सरावली,
(139) पेनान्ड,
(140) कान्डारवान,
(141) दाहीवाले,
(142) दारशेट,
(143) नवगढ़ (घाटीम)
(144) उम्बारपादा टर्फ—मानोर

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
वसाई (बसीन) तहसील

(1) दाहीसार,
(2) कोशिम्बे,
(3) तुलिंज,
(4) सकवार,
(5) छिमान,
(6) हेडवडे,
(7) काशिदकोपर,
(8) खानीवाडे,
(9) भालीवाली,
(10) कावेहर,
(11) शिरसाद
(12) मान्डवी
(13) छानदीप,
(14) भातने,
(15) शिवनसाई
(16) उसगांव,
(17) मेधे,
(18) वादघर,
(19) भीनार,
(20) एम्बोडे,
(21) कालभोन,
(22) अनदने,
(23) सायावान,
(24) पारोल,
(25) शिरवाल,
(26) माझीवाली,
(27) कारांजोन,
(28) तिलहर,
(29) धानिव,
(30) पेल्हार,
(31) अहोले,
(32) वालिव,
(33) सतिवाली,
(34) राजवली,
(35) कोल्ही,
(36) छिनछोती
(37) जुचंद्र,
(38) बापने,
(39) देवदल,
(40) कामन,
(41) सरजामोरी
(42) पोमन
(43) शिलोत्तर
(44) ससुनवघर
(45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
भिवांडी तहसील

(1) भिवाली,
(2) गनेशपुर,
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी,
(4) अकोली,
(5) सवारोली,
(6) खातीवाली,
(7) उसगांव,
(8) घोटगांव,
(9) वाढ़े,
(10) वारेथ,
(11) चाने,
(12) असनोली–टर्फ–दुगद
(13) दुगद,
(14) मनीवाली,
(15) वादवाली–टर्फ–दुगद,
(16) मालबीडी,
(17) मोहिली,
(18) नन्दीथान,
(19) देपोली,
(20) सखरोली,
21) सूपेगांव,
(22) पिलांजे खुर्द,
(23) पिलांजे बुदुर्क,
(24) अलखीवाली
(25) वाघीवाले,
(26) देवचोले
(27) सागोआं,
(28) इकसाल,
(29) चिन्चावाली–टर्फ–कुंडे,
(30) डूधानी,
(31) वापे
(32) घदाने,
(33) कुंडे,
(34) घोतावाडे,
(35) माइंडे,
(36) करमाले,
(37) कांडली बुदर्क,
(38) केल्हे,
(39) कांडली खुर्द,
(40) दीघाशी,
(41) नेवादे,
(42) अम्बादी,
(43) दालोंड,
(44) जाम्भीवाली टर्फ–खाम्बाले,
(45) उम्बारखंड,
(46) आशिवाली,
(47) जिदके,
(48) खारीवाली
(49) बासे,
(50) गांडोडे,
(51) पहारे,
(52) सेदगांव,
(53) पच्छापुर,
(54) गोंड्रवली,
(55) जाम्भीवाली–टर्फ–कुंडे,
(56) असनोली–टर्फ–कुंडे,
(57) शिरोले,
(58) दाभाद,
(59) महानडुल,
(60) शिरगांव,
(61) पिंपल सेठ भुसेठ,
(62) खादकी खुर्द,
(63) खादकी बुदरूक,
(64) चिम्बीपाडे,
(65) कूहे,
(66) घामने,
(67) लाखीवाली,
(68) पालीवाली,
(69) पाये,
(70) गाने,
(71) दाहयाले,
(72) फिरंगपाडा

(iv) मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
मुरबाद तहसील

(1) कासगावं,
(2) किसाल,
(3) वाडावाली,
(4) सखारे,
(5) खुटालबोरगांव,
(6) अम्बेल खुर्द,
(7) सयाले,
(8) इंदे,
(9) खेडाले,
(10) तलवाली–टर्फ–घोराट,
(11) इकलाहारे,
(12) चाफे–टर्फ–खेडुल,
(13) पिम्पालघर,
(14) देहगांव,
(15) पारहे,
(16) कांडली,
(17) धासाई,
(18) अल्यानी,
(19) पालू,
(20) देवघर,
(21) माढ,
(22) सोनावाले
(23) वेलुक,
(24) अलावे,
(25) बरसुंगे,
(26) मांडुस
(27) खेड,
(28) वनोटे,
(29) शाई,
(30) शेलगांव,
(31) शिरोशी,
(32) तालेगांव
(33) फंगाकोशी,
(34) मेरडी,
(35) वाल्हीवारे,
(36) माल,
(37) जडाई,
(38) अम्बीवाली,
(39) डिधेफाल,
(40) दीवानपाडा,
(41) कोचरे खुर्द,
(42) कोचने बुद्रुक,
(43) चोसाले,
(44) खुटल बंगला,
(45) नयाहाडी,
(46) मोरोशी,
(47) फंगुलगांवाहन,
(48) सवरने,
(49) थिताबी–टर्फ–वैशाखहरे,
(50) कुदसेट,
(51) फंगाने,
(52) खपारी,
(53) हेडावाली,
(54) कारचोंडे,
(55) जडघर
(56) उडालदोहा,
(57) महोरांडे,
(58) टोकवडे,
(59) बालेगांव,
(60)तलवाली (बडागांव),
(61) वैशाखरे,
(62) मनवाली–टर्फ–खेडुल,
(63) पेनढारी,
(64) उमरोली बुदर्क,
(65) ओजीवाल,
(66) मांदवत,
(67) महाज,
(68) पडाले,
(69) कोलोशी,
(70) जयगांव,
(71) कलामबाद (भोंडीवाले),
(72) खेवारे,
(73) दुधानोली,
(74) उमारोली खुर्द,
(75) खोपीवाली,
(76) मील्हे,
(77) गोरखागड

2. नासिक जिले में निम्न:

(i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
डिन्डोरी तहसील

(1) मोखनाल,
(2) भनवाड,
(3) डेहारे,
(4) कारंजली,
(5) गंडोले,
(6) पलासविहिर,
(7) वारे,
(8) वनजोले,
(9) अम्बाद,
(10) वनारे,
(11) तितवे,
(12) देवधान,
(13) नानाशी,
(14) चारोसे,
(15) देवघर,
(16) कौदासर,
(17) वनी खुर्द
(18) पिंपलगांव धूम
(19) जोरान,
(20) महाजे,
(21) सदराले,
(22) नालवाडी,
(23) ओजे,
(24) गोलशी,
(25) जलखेड,
(26) निगडोल,
(27) कोकानगांव बुर्दक,
(28) उम्ब्राले खुर्द,
(29) अम्बेगान,
(30) चाचादगांन,
(31) वाघाद,
(32) पोफलवाडे,
(33) धाउर,
(34) उम्बाले बुद्रुक,
(35) जम्बूतके,
(36) पिम्पराज,

(37) नालेगांव,
(38) विलवांडी,
(39) रासेगांव,
(40) कोचारगांव,
(41) तिलहोली,
(42) रावलगांव,
(43) देहेर वाडी,
(44) ढागुर,
(45) देवसाने,
(46) सरसाले,
(47) करांजखेड,
(48) पंगलवाडी,
(49) इकलाहारे,
(50) चउसाले,
(51) पिम्प्री अंचला,
(52) अहिवंतवाडी,
(53) गोलडारी,
(54) हास्ते,
(55) कोलहेरी,
(56) जिरवाडे,
(57) चामदारी,
(58) मालदुमाला,
(59) मंडाने,
(60) कोशिम्बे,
(61) पुनेगांव,
(62) पंडाने,
(63) अंबानेर,
(64) चंदीकपुर,
(65) भाटोडे,
(66) दाहिवी,
(67) मुलाने,
(68) कोकनगांव खुर्द,
(69) मालेगांव,
(70) पिम्परखेड,
(71) फोपासी,
(72) वानी कास्बे,
(73) संगमनेर,
(74) खेडले,
(75) मवाडी,
(76) करंजवान,
(77) डाहेगांव,
(78) वागलूड,
(79) कृष्णागांव,
(80) वारखेड,
(81) कदवामहालुंगी,
(82) गोंडेगांव,
(83) हतनोर,
(84) नीलवांडी,
(85) पिपंलगांव केतकी
(86) राजापुर,
(87) डिंडोरी,
(88) जोपुल,
(89) माडकी जाम्ब,
(90) पालखेड
(91) इन्दोर,
(92) कोरहते,
(93) चिंचखेड,
(94) टालेगांव डिंडोरी,
(95) अकराले,
(96) मोहाडी,
(97) पिम्पसालानारे,
(98) खाटवाड,
(99) रामसेज,
(100) अम्बे डिंडोरे,
(101) ढाकम्बे,
(102) जानोरी,
(103) मानोरी,
(104) शिवनाई,
(105) वारवांडी,
(106) जौलके डिंडोरी

(ii) इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए है तथा इगतपुरी शहरः

(1) ढाडोशी,
(2) भीलमाल,
(3) पाहिने,
(4) जारवाड खुर्द,
(5) टाकेहर्षा,
(6) असवाली हर्षा,
(7) समुन्दी,
(8) खारोली,
(9) कोजोली,
(10) अवहाते,
(11) कुशेगांव,
(12) मेचन्द्रायची,
(13) अलवांड,
(14) दापुरे,
(15) मेत हुम्बाची,
(16) जारवाड बुद्रुक,
(17) महासुरली,
(18) शेवगेडांग,
(19) वानजोले,
(20) देवगांव,
(21) अहुरली,
(22) नन्दादगांव,
(23) वावी हर्षा,
(24) नागोसली,
(25) ढारगांव,
(26) ओडंली,
(27) सातुरली,
(28) अवाली डुमला,
(29) कारहाले,
(30) रायाम्बे,
(31) टाकेडेगांव,
(32) मेटेलयाची,
(33) बितुरली,
(34) वालविहिर,
(35) भलवी बुद्रुक,
(36) पिंपलगांव भटाटा,
(37) कोपारगांव,
(38) कुरनोली,
(39) ढारनोली
(40) वाकी,
(41) चिंचाले (खाइरे),
(42) ट्रिंगलवाडी,
(43) अदवान,
(44) अवालखेडे,
(45) पारदेरी,
(46) बलायदूरी,
(47) खम्बाला,
(48) टाके घोटी,
(49) घोटी बुद्रुक,
(50) तालेगांव (1),
(51) गिरनार,
(52) तितोली,
(53) बोरटम्भे,
(54) तालोशी,
(55) नन्दगांव साडे,
(56) पिंपरी सदरोद्दीन,
(57) तालेघा,

(58) कंचनगांव,
(59) शेनवाड बुद्रुक,
(60) फंगुलगांवन,
(61) बोरली,
(62) मानवेधे,
(63) भवाली खुर्द,
(64) कालूस्ते,
(65) जामुन्डे,
(66) गाहुन्डे,
(67) भारवाज,
(68) कारूंगवादी,
(69) निरपन,
(70) मनजारगांव,
(71) अम्बेवाडी,
(72) खाडकेड,
(73) इन्दोर,
(74) उम्बारकोन,
(75) सोमाज घादगा,
(76) उभाडे (वंजुलवाजी),
(77) मेगारे,
(78) बेलगांव तारहाले,
(79) धामनगांव,
(80) देओले,
(81) खैरगांव,
(82) पिम्पलगांव मोरे,
(83) धामनी,
(84) अदसारे खुर्द,
(85) अदसारे बुद्रुक,
(86) अहारवाड,
(87) ताकेड खुर्द,
(88) ताकेड बुद्रुक,
(89) खेड,
(90) वारसिंगवे,
(91) सोनोशी,
(92) मइदारा धानोशी,
(93) वासाली

(iii) नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए है तथा एक शहर त्रिम्बकः
नासिक तहसीलः

(1) साप्टे,
(2) कोने,
(3) खारवाल,
(4) वरासविहिर,
(5) वघेरा,
(6) रोहिले,
(7) नन्दगांव,
(8) गोरथान,
(9) हिरदी,
(10) मालेगांव,
(11) वेलुन्जे,
(12) गणेशगांव वघेरा,
(13) पिम्परी त्रिम्बाक,
(14) मेट कवारा,
(15) ब्राह्मणवाडे त्रिम्बाक,
(16) तोरनानगान,
(17) धूमोदी,
(18) बेसे,
(19) चकोरे,
(20) अम्बोली,
(21) अम्बाई,
(22) शीरासगांव,
(23) तालवाडे त्रिम्बाक,
(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,
(25) खामबाले,
(26) सापगांव
(27) काचुरली,
(28) अंजनेरी,
(29) तालेगांव त्रिम्बाक,
(30) पेगलवाडी त्रिम्बाक,
(31) वाधोली,
(32) उभरांडे,
(33) कालमुस्ते,
(34) तिम्बार्क (ग्रामीण),
(35) हर्षेवाडी,
(36) मेटंघेराकिला त्रिम्बाक,
(37) मुलेगांव,
(38) लादाची,
(39) नाकवाडी,
(40) वेले,
(41) सादगांव,
(42) यादगांव,
(43) मनोली,
(44) ढोंडेगांव,
(45) दारी,
(46) गिरनाते,
(47) दुगांव,
(48) देओरगांव,
(49) नागलवाडी,
(50) ओजारखेडी,
(51) चांदशी,
(52) गंगम्हौंगी,
(53) जलालपुर,
(54) सावरगांव,
(55) गोवरधान,
(56) शिवनगांव,
(57) पिंपलगांव गरुडेश्वर,
(58) राजेवाडी,
(59) गंगावारहे,
(60) गणेशगांव त्रिम्बाक,
(61) गणेशगांव नाशिक,
(62) वसाली,
(63) दूदगांव,
(64) महिरावनी,
(65) तालेगांव अंजानेरी,
(66) जाटगांव,
(67) सारूल,
(68) पिंपलाड नासिक,
(69) राजुबहुला,
(70) दहीगांव

(iv) बागलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए है:
बागलान तहसील:

(1) बोरहाते,
(2) मोहलांगी,
(3) जैतपुर,
(4) गोलवाड,
(5) हतनूर,
(6) मालीवाड,
(7) अम्बापुर,
(8) जाड,
(9) वीसापुर,
(10) शेवारे,
(11) खाराड़,
(12) वाड डिगार,
(13) देवथान,
(14) कोंधाराबाद,
(15) अंतापुर,
(16) रावर,
(17) जामोती,
(18) अलिआबाद,
(19) अजांडे,
(20) मुलहेर,
(21) बाबुलने,
(22) मोरने–दिगर,
(23) बोरदइवत,
(24) भीमखेत,
(25) वाघम्बे,
(26) मनूर,
(27) सालहेर,
(28) कटारवेल,
(29) भीलवाड,
(30) तुंगन,
(31) दसवेल,
(32) जाखोड,
(33) मुंगासे,
(34) भावाडे,
(35) दसाने,
(36) मालगांव खुर्द,
(37) सालवान,
(38) पिसोर,
(39) करसाने,
(40) विथोड,
(41) पाठवेडीगर,
(42) तालवेडीगर,
(43) मोरकुरे,
(44) किकवारी खुर्द,
(45) केलजार,
(46) ततानी,
(47) भीलडार,
(48) किकवारी बुर्दुक,
(49) जोरान,
(50) साकोड़े,
(51) करांजखेड,
(52) डांग सौडाने,
(53) निकबेल,
(54) बन्धाते,
(55) दाहिन्डुले,
(56) सरवार,
(57) वाडीचौलहेर

3. धूले जिले में निम्न:–

(i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
सकरी तहसील

(1) चौपाले,
(2) रोथोड,
(3) जामखेल,
(4) खूरूसवाडे,
(5) सुतारे,
(6) धानेर,
(7) अमाले,
(8) माचमाल,
(9) खांडवारे,
(10) रायकोट,
(11) बुरूदके,
(12) पानगांव,
(13) लागडवाल,
(14) रायतेल,
(15) ब्रहमणवेल,
(16) आमखेल,
(17) जाम्बोरे,
(18) वारसस,
(19) जामकी,
(20) रूनमाली,
(21) वसखेडी,
(22) डामकानी,
(23) सालटेक,
(24) दाहीवेल,
(25) भोनगांव,
(26) बादगांव,
(27) मेनडाने,
(28) दापुर,
(29) रोहन,
(30) जेबापुर,
(31) अमोडे,
(32) किरवाड़े,
(33) घोडाडे,
(34) सुरपान,
(35) कोरडे,
(36) वालव्हे,
(37) विटावे,
(38) कासबे छाडवेल,
(39) बसार,
(40) इसारडे,
(41) पेटाले,
(42) पिंपलगांव,
(43) मोहाने,
(44) तेम्भे, परगाने वारसे,
(45) शिरसोले,
(46) उमारपीटा,
(47) मालगांव, परगान वारसे,
(48) खारगांव,
(49) कालाम्बे,
(50) चोरवाड,
(51) लाखाले,
(52) वारसे,
(53) शेनवाड,
(54) कुदाशी,
(55) मनजारी,
(56) मापालगांव,
(57) डांगशिरवाडे,

(58) बोपखेल,
(59) शिव,
(60) खात्याल,
(61) वारदोली,
(62) काकसाद,
(63) पानखेडे,
(64) सामोडे,
(65) महासदी, परगने, पिम्पलनेर,
(66) पिंपलनेर,
(67) चिकासे,
(68) जीरापुर,
(69) कोकनागांव,
(70) शेवागे,
(71) धामानधार,
(72) विरखेल,
(73) पारगांव,
(74) मंडाने,
(75) बालहाने,
(76) देशिरवाडे,
(77) काडयाल,
(78) ढ़ोगाड्गिार,
(79) शेलबारी,
(80) डेगांव

(ii) नंदुरबार तहसील के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए है और नंदुरबार शहरः नंदुरबार तहसीलः

(1) भंगाडे,
(2) मंगलूर,
(3) वसलाई,
(4) अर्दितारा,
(5) धानोरा,
(6) पावले,
(7) कोठडे,
(8) उमज,
(9) कोथाली खुर्द,
(10) वदाजकान,
(11) निंबोन बुद्रुक,
(12) जालखे,
(13) शिरवादे,
(14) रनाले खुर्द,
(15) नटवाड,
(16) करांजवे,
(17) शेजवे,
(18) पिंपलोड–टर्फ–धानोर,
(19) लोया,
(20) वेलावाड,
(21) व्याहुर,
(22) धुलवाड,
(23) गुजर भवाली,
(24) गुजर जम्बोली,
(25) कर्णखेडे,
(26) फुलसारे,
(27) उमरदे बुद्रुक
(28) नारायणपुर,
(29) घिरासगांव,
(30) धेकवाड,
(31) बिलाड़ी,
(32) खैराले,
(33) खामगांव,
(34) नागासार,
(35) विरचक,
(36) टोकारटाले,
(37) वाघाले,
(38) ओजारदे,
(39) अस्हते,
(40) थानेपाडा,
(41) अमरावे,
(42) पथराई,
(43) धामदाई,
(44) वारुल,
(45) अदाच्छी,
(46) लोंखेडे,
(47) कराजकुपे,
(48) नालवे खुर्द,
(49) सुंदारदे,
(50) नालवे बुद्रुक,
(51) दुधाले,
(52) नंदारखे,
(53) भाने,
(54) वसादारे,
(55) बावद,
(56) चाकले,
(57) दहींडुले बुद्रुक,
(58) दहींडुले खुर्द,
(59) कथोरे दिगर,
(60) उमारदे खुर्द,
(61) चौपाले,
(62) अखाराले,
(63) वादबारे,
(64) अखातवाड़े,
(65) हट्टी उर्फ इंडि,
(66) पलाशी,
(67) घुली,
(68) राकसवाडे,
(69) वाघोडे,
(70) पाटोंडे,
(71) हाल–टर्फ–हवेली,
(72) खोडासगांव,
(73) शाहदे,
(74) शिंदे,
(75) कोल्डे,
(76) भगसारी,
(77) धामदोड,
(78) सवाल्दे,
(79) कोरित,
(80) सुजातपुर,
(81) तिशि,
(82) धंधाने

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस, गांव नीचे दर्शाए गए है:

शाहदा तहसील

(1) आकासपुर,
(2) नवागांव (वन ग्राम),
(3) वीरपुर,
(4) दारा,
(5) भूटा,
(6) कनसाइ (वन ग्राम),
(7) नन्दया कुसुमवाडे (वन ग्राम),
(8) चिराडे,
(9) नागजिरि (वन ग्राम),
(10) कुसुमवाडे,
(11) नन्दया (वन ग्राम),
(12) पिम्परानी,
(13) रानीपुर (वन ग्राम),
(14) फट्टेपुर,
(15) लक्कडकोट (वन ग्राम),
(16) कोटबन्धानी (वन ग्राम),
(17) पिम्पलोड,
(18) कुड्डावाड,
(19) लाच्छोरे,
(20) कनाडी–टर्फ–हवेली,
(21) शीरूद–टर्फ–हवेली,
(22) अमोडे,
(23) अलखेड,
(24) पाडाल्डे बुद्रुक,
(25) बुदिगावन,
(26) उमारती,
(27) पिम्परी,
(28) महासवाद,
(29) अनकवाडे,
(30) सुलवाडे,
(31) तवलाई,
(32) मुबारकपुर,
(33) वेलवाड,
(34) कलमाडी–टर्फ–बोअरडी,
(35) वाडी,
(36) सोनावद–टर्फ–बोअरडी,
(37) थेंगचे,
(38) जावाडे–टर्फ–बोअरडी,
(39) तारहाडी–टर्फ–बोअरडी,
(40) वारघे,
(41) पारी,
(42) कोठाली–टर्फ–हवेली,
(43) औरंगपुर,
(44) चिखाली बुद्रुक,
(45) करनखेडे,
(46) नन्दारडे,
(47) वैजाली,
(48) वाघोडे,
(49) परकाशे,
(50) धामलाड,
(51) काथारेडे बुद्रुक,
(52) काथारडे खुर्द,
(53) कलसाडी,
(54) धुरखेडे,
(55) भाडे,
(56) पिगाने,
(57) गानोर,
(58) अदगांव,
(59) खारागांव,
(60) कोचरारे,
(61) बिलाडी–टर्फ–हवेली,
(62) बहिरपुर,
(63) ब्राह्मणसपुर,
(64) सुल्तानपुर,
(65) रायखेड,
(66) खेड दिगर,
(67) नावलपुर,
(68) चांदसाइली,
(69) गोदीपुर,
(70) पडालडे खुर्द,
(71) भागा पुर,
(72) जावखेडे,
(73) सोनवाई–टर्फ–हवेली,
(74) कवालीथ,
(75) तुकी,
(76) सावरखेडे,
(77) कारजोत,
(78) लोहारे,
(79) गोगापुर,
(80) कुरांगी,
(81) तिधारे,
(82) दमाल्डे,
(83) कालामंड–टर्फ–हवेली,
(84) चिखाली खुर्द,
(85) भारेटेक,
(86) श्रीखेडे,
(87) ओजारटे,
(88) उखालशेम,
(89) वघारदे,
(90) जाम,
(91) जवादे–टर्फ–हवेली,
(92) तितारी,
(93) होल मुबारकपुर (वन ग्राम),
(94) वडगांव,
(95) पिम्पारदे,
(96) असलोड,
(97) मंडाने,
(98) अवागे,
(99) तिखोरे,
(100) उन्तावाद,
(101) होल,
(102) मोहिडे–टर्फ–हवेली,
(103) जुनवाने,
(104) लोनखेडे,
(105) तेम्भाली,
(106) होलगुजारी,
(107) आसुस,
(108) बुपकारी,
(109) मलोनी,
(110) डोगंरगांव,
(111) कोथाल–टर्फ–शहादा,
(112) मटकुट,
(113) बोराले,
(114) कामरावद,
(115) कहतुल,
(116) वादछिल,
(117) लोंधारे,
(118) उधालोड,
(119) निम्बोरे,
(120) धांड़रे बुद्रुक,
(121) चिरखान (वन ग्राम),
(122) असलोड (नया) (वन ग्राम),
(123) जैनघर,
(124) धांद्रे खुर्द (वन ग्राम),
(125) मनमोडया (वन ग्राम),
(126) दुतखेडे (वन ग्राम),
(127) भोंगारा (वन ग्राम),
(128) वदाली,
(129) कोंधावाल,

(130) भुलाने (वन ग्राम),
(131) चांदसाइली (वन ग्राम),
(132) उभादगाड (वन ग्राम),
(133) काकरडे खुर्द,
(134) खापरखेडे (वन ग्राम),
(135) मालगांव (वन ग्राम),
(136) लंगादी भवानी (वन ग्राम),
(137) शहना (वन ग्राम),
(138) काकरडे बुद्रुक,
(139) अम्भानपुर बुद्रुक,
(140) काटघर,
(141) निम्बारडी (वन ग्राम)

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए है:—
शिरपुर तहसीलः

(1) बोरपानी (वन ग्राम),
(2) मलकाटार (वन ग्राम),
(3) फत्तेपुर (वन ग्राम),
(4) गधाडदेव (वन ग्राम),
(5) कोडिड (वन ग्राम),
(6) गुरहाडपानी (वन ग्राम),
(7) भुदाकी (वन ग्राम),
(8) वाघपाडे (वन ग्राम),
(9) सइगारपाडा (वन ग्राम),
(10) मंजरीबुरदी (वन ग्राम),
(11) चौंडी (वन ग्राम),
(12) भुदाकी (वन ग्राम),
(13) चंदसुरया (वन ग्राम),
(14) बोरादी (नया) (वन ग्राम),
(15) काकडमल (वन ग्राम),
(16) वाकवाड (वन ग्राम),
(17) उमरदा (वन ग्राम),
(18) डुराबड्या (वन ग्राम),
(19) मोहिडे (वन ग्राम),
(20) डोंडवाडा (वन ग्राम),
(21) तेम्भा (वन ग्राम),
(22) खैरीखान (वन ग्राम),
(23) बोअरडी,
(24) वसारदी,
(25) नन्दारदे,
(26) चान्दसे,
(27) वाडी बुद्रुक,
(28) वाडी खुर्द,
(29) जालोड,
(30) अभानपुर खुर्द,
(31) तारहाड,
(32) उखालवाडी,
(33) मुखेड,
(34) नीमजारी,
(35) वरजाडी,
(36) वाघबारदा,
(37) समरयामापद,
(38) लउकी,
(39) सूले (61),
(40) फत्तेपुर,
(41) हेदाखेड़,
(42) अरूनपुरी बांध (अवानकीकृत),
(43) संगवी,
(44) हाटेड,
(45) जेन्दया अन्जन,
(46) पलासनेर,
(47) खाम्बले,
(48) पानाखेड (वन ग्राम),
(49) खेंरखुटी (वन ग्राम),
(50) जोयादा (वन ग्राम),
(51) चिलारे (वन ग्राम),
(52) लकड्या हनुमान (वन ग्राम),
(53) महादेव डोंडवाडे (वन ग्राम),
(54) मालापुर (वन ग्राम),
(55) रोहिणी,
(56) भोइती,
(57) अम्बे,
(58) खामखेडे परगने अम्बे,
(59) हिवारखेडे (वन ग्राम),
(60) हिगांव,
(61) वाडेल खुर्द,
(62) कालापानी (वन ग्राम)

4. जलगांव जिले में निम्नलिखितः—

क. (i) चोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए है:
चोपड़ा तहसील

(1) मराठा (वन ग्राम),
(2) मूरढिडा (वन ग्राम),
(3) उमारती (वन ग्राम),
(4) सत्रसेन (वन ग्राम),
(5) कृष्णपुर (वन ग्राम),
(6) अंगुरने,
(7) खारया पडव (वन ग्राम),
(8) वैजापुर (राजस्व) (52),
(9) मुलुयाउत्तर (वन ग्राम),
(10) वैजापुर (वन ग्राम) (54),
(11) बोराजन्ती (वन ग्राम),
(12) मालापुर (वन ग्राम),
(13) बोरामाली (वन ग्राम),
(14) करजाने (वन ग्राम),
(15) मेलान (वन ग्राम),
(16) विशनपुर (वन ग्राम),
(17) देवहारी (वन ग्राम),
(18) देवजिरि (वन ग्राम),
(19) कुंडयापानी (वन ग्राम),
(20) इच्छापुर परगने अडवाड़
(21) बधावानी,
(22) बधाई,
(23) कनदाने,
(24) मोहराद,
(25) असालवाडी (वन ग्राम)

(ii) यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए है:

यावल तहसील

(1) मानापुरी,
(2) टोलाने,
(3) खालकोट,
(4) इचखेडे,
(5) मलोद,
(6) हरिपुरा (वन ग्राम),
(7) वाघाजीरा (वन ग्राम),
(8) प्रसादे बुद्रुक,
(9) बोरखेड़े खुर्द,
(10) लांगदा अम्बा,
(11) जामन्या (वन ग्राम),
(12) गदरया (वन ग्राम),
(13) उसमाली (वन ग्राम)

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए है:

रावेर तहसील

(1) महुमांडली (वन ग्राम),
(2) पिम्परकुंड (वन ग्राम),
(3) अन्धारमालि (वन ग्राम),
(4) तड्या (वन ग्राम),
(5) निमड्या (वन ग्राम),
(6) गारबारदी (वन ग्राम),
(7) जानोरी,
(8) चिनचाती,
(9) पाल,
(10) मारव्हाल,
(11) जिनसी,
(12) सहसरालिंग (वन ग्राम),
(13) लालमाटी (वन ग्राम),
(14) अवहोडे बुद्रुक,
(15) लोहारे,
(16) कुसुम्भे बुद्रुक,
(17) कुसुम्बे खुर्द,
(18) पिम्परी,
(19) मोहगांन बुद्रुक,
(20) पडाले बुद्रुक,
(21) महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखितः—

(क) अकोले तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं:—

अकोले तहसील

(1) तिरधे,
(2) पडोशी,
(3) महाजुंगी,
(4) एकडारे,
(5) संगावी,
(6) केली रूमहानवाडी,
(7) बिताका,
(8) खिरवीरे,
(9) कोम्भालने,
(10) तहकारी,
(11) समशेरपुर,
(12) सावरगांव पाट,
(13) मुथालने,
(14) बारी,
(15) वारंघुसी,
(16) लाडागांव,
(17) शेनित,
(18) पाभुलवांडी,
(19) बाभुलवांडी,
(20) अंबेवांगन,
(21) देवगांव,
(22) पेंडशेट,
(23) मानहेरे,
(24) शेलविहीरे,
(25) पंजारे,
(26) चिनचोंडी,
(27) वाकी,
(28) तितावी,
(29) पिंपरकाने,
(30) उदादावाने,
(31) कोदानी,
(32) घाटघर,
(33) सिगनवाडी राजुर,
(34) मुरशेट,
(35) शेंडी,
(36) समराड,
(37) भंडारडारा,
(38) रानाड बुद्रुक,
(39) रानाड खुर्द,
(40) मालेगांव,
(41) कोहोन्डी,
(42) दिगम्बर,
(43) गुहिरे,
(44) कतालपुर,
(45) रतनवाडी,
(46) मुतखेल,
(47) तेरूंगन,
(48) राजुर,
(49) विथे,
(50) कोल्टेम्भे,
(51) केलुंगन,
(52) जामगांव,
(53) शिरपुंजे बुद्रुक,
(54) सवारकुटे,
(55) कुमशेट,
(56) शिरपुंजे खुर्द,
(57) घामनवन,
(58) अम्बित,
(59) बालथान,
(60) मानिक ओजार,
(61) पुरूचवाडी,
(62) मवेशी,
(63) शिसवाद,
(64) वापजुलसेत,
(65) गोंडोशी,
(66) खादकी,
(67) साकिरवाडी,
(68) पचनाई,
(69) चिंचवाने,

(70) पदालने,
(71) शेलाद,
(72) पिम्परी,
(73) घोटी,
(74) पैथान,
(75) लवाली कोतुल,
(76) वाघदारी,
(77) शिलवांडी,
(78) कोहोने,
(79) लिवाली ओतुर,
(80) ताले,
(81) कोथाले,
(82) सोमलवाडी,
(83) विहिर,
(84) शिंडा,
(85) अम्बित खिंड,
(86) पालसुंडे,
(87) पिसेवाडी,
(88) फोपसांडी,
(89) सातवाडी,
(90) केली ओतुर,
(91) केली कोतुल,
(92) खेतेवाडी,
(93) इसारथाव,
(94) करांडी

6. पुणे जिले में निम्नलिखितः—

(क) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

अम्बेगांव तहसील

(1) डोन,
(2) पिम्परागाने,
(3) अघाने,
(4) अहूपे,
(5) तिरपाड,
(6) नहावेद,
(7) असाने,
(8) मलीन,
(9) नानावाडे,
(10) अमाडे,
(11) वरसावने,
(12) कोंढारे,
(13) आदिवारे,
(14) बोरघर,
(15) पाटन,
(16) कुसीरे खुर्द,
(17) पंचाल बुद्रुक,
(18) कुसीरे बुद्रुक,
(19) दिगाद,
(20) पंचाल खुर्द,
(21) महिलुंगे—टर्फ—अम्बेगांव,
(22) सवारली,
(23) मेघोली,
(24) वाचपे,
(25) साकेरी,
(26) पिम्परी,
(27) अम्बेगांव,
(28) जाम्भोरी,
(29) कालम्बाई,
(30) कोन्ढावाल,
(31) फुलवाडे,
(32) फलोडे,
(33) कोलटावाडे,
(34) तेरूनगांव,
(35) दिम्भे बुद्रुक,
(36) महालुंगे—टर्फ—घोडा,
(37) राजपुर,
(38) चिखाली,
(39) राजेवाडी,
(40) सूपघर,
(41) तालेघर,
(42) मापोली,
(43) डिम्भे खुर्द,
(44) पोखारी,
(45) गोहे बुद्रुक,
(46) निगाडाल,
(47) गोह खुर्द,
(48) अपाती,
(49) गंगापुर खुर्द,
(50) अमोंडी,
(51) कनासे,
(52) गंगापुर बुद्रुक,
(53) सिनोली,
(54) पिम्पालगाव—टर्फ—घोडा,
(55) साल,
(56) ढाकले

(i) जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए है:—

जुन्नार तहसील

(1) चिल्हेवाडी,
(2) अम्बेहवहन,
(3) जामभूलशी,
(4) खिरेश्वर,
(5) माथालाने,
(6) कोल्हेवाडी,
(7) कोपारे,
(8) मंडावे,
(9) सिंगनोरे,
(10) आलू,
(11) खूबी,
(12) पिम्पालगांव जोगा,
(13) कारंजाले,
(14) माध,
(15) पांगरी—टर्फ—माध,
(16) कोलवाडी,
(17) परगांव—टर्फ—मोध,
(18) तालेरान,
(19) सीतेवाडी,
(20) वटखाले,
(21) निमगिर,
(22) अनजानवाले,
(23) हदसर,
(24) देवाले,
(25) खाइरे,
(26) घाटघर,
(27) जलवांडी,

(28) हिरदी,
(29) उनदेखादक,
(30) राजुर,
(31) खाटकाले,
(32) मणिकडोह,
(33) खाड कुम्बे,
(34) उरसान,
(35) वेवादी,
(36) तेजुर,
(37) फंगलघावन,
(38) चावन्द,
(39) पुर,
(40) खानगांव,
(41) मानकेश्वार,
(42) सुराले,
(43) अम्बोली,
(44) शिरोली–टर्फ–कुकादनेर,
(45) वानेवाडी,
(46) अपटाले,
(47) कोली,
(48) शिवाली,
(49) उतचिल,
(50) बोटा,
(51) धालेवाडी–टर्फ–मिनहर,
(52) भिवाडे बुद्रुक,
(53) इंगालून,
(54) भिवाडे खुर्द,
(55) घंगालडारे,
(56) सोनावाले,
(57) ताम्बे,
(58) हिवारे–टर्फ–मिनहेर,
(59) हतविज,
(60) अम्बे,
(61) पिंपरवाडी,
(62) सुकालवधे,
(63) गोदरे,
(64) खामगांव,
(65) सोमतवाडी

7. नान्देड़ जिले में निम्नलिखितः–

किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैः:

(1) तकली,
(2) पदसा,
(3) सायपाल,
(4) मुरली,
(5) वादसा,
(6) कोली,
(7) अश्ता,
(8) गोण्डेगांव
(9) मदनापुर (महोर),
(10) बोंडगांवन,
(11) उमरा,
(12) मछन्द्रा पारदी,
(13) करालगांव,
(14) सावरखेड,
(15) डिगडी (कुटेमार),
(16) वाई,
(17) हरदाप,
(18) नाइकवाडी,
(19) हिन्गानी,
(20) वाजरा,
(21) तुलशी
(22) गोंडवाडसा,
(23) अंजानखेड,
(24) भोराड़,
(25) चोराड़,
(26) धनोरा (सिंदखेड),
(27) रामपुर,
(28) पाथरी,
(29) खाम्बला,
(30) पारदी,
(31) सिन्दखेड,
(32) सिंचखेड,
(33) हटोला,
(34) वाइफानी,
(35) धुंद्रा,
(36) गउरी,
(37) बोथ,
(38) सइलू,
(39) करन्जी (सिन्दखेड़),
(40) भगवती,
(41) वाराज बुद्रुक,
(42) उमरी,
(43) उनकदेव,
(44) चाइस,
(45) पिंपलसेंडा,
(46) सरखानी,
(47) देलही,
(48) निराला,
(49) नूरगांव,
(50) टिट्वी,
(51) लिंगी,
(52) नागपुर,
(53) जुनुनी,
(54) दिगदवाजरा,
(55) डारसांगवी (सिंदखेड़),
(56) सिंगोडा,
(57) सिरपुर,
(58) वेम्भी,
(59) पटोड़ा बुद्रुक मिनको,
(60) मांडवी,
(61) जवारला,
(62) पालसी,
(63) बेलगांव,
(64) कनकी,
(65) कोठारी (सिंदखेड़),
(66) पिंपलगांव (सिंदखेड़),
(67) डोंगरगांव (सिंदखेड़),
(68) जरूर,
(69) मिनकी,
(70) पचुण्डा,
(71) वनोला,
(72) साकुर,
(73) मैंडकी,
(74) डिगडी (मोहनपुर),
(75) धानोरा (डिगडी),
(76) मोहापुर,
(77) मुंग्शी,
(78) सिंगदी (किनवत),
(79) मालबोरगांव,
(80) नेजपुर,
(81) राजगड,
(82) वडोली,
(83) अनजी,
(84) कनकवाडी,
(85) लोनी,
(86) धामनधारी,
(87) पंधारा,

(88) बेल्लोरी,
(89) मारेगांव,
(90) कमथाला,
(91) अम्बादी,
(92) खेरदा,
(93) मलकापुर,
(94) घोती,
(95) सिरमेत्ती,
(96) भीमपुर,
(97) पिंपलगांव (किनवत),
(98) धोगारवाडी,
(99) गोकुंडा,
(100) माण्डवा (130),
(101) डिग्डी (मंगाबोड़ी),
(102) नागजरी,
(103) कोठारी (चिखली),
(104) प्रधान संगवी,
(105) बेन्डी,
(106) अमाडी,
(107) मदनापुर (चिखली),
(108) शानीवार पेठ,
(109) दभादी,
(110) चिखाली,
(111) हुदी (चिखली),
(112) एन्धा,
(113) भूलजा,
(114) डारसंगवी,
(115) मालकवाडी,
(116) पेन्डा,
(117) परधी खुर्द,
(118) केरल,
(119) डेगांव,
(120) लिंगधारी,
(121) परदी बुद्रुक,
(122) बोधादी खुर्द,
(123) बोधादी बुद्रुक,
(124) सिंदगी (चिखली),
(125) अंधाबोरी (चिखली),
(126) कोपारा,
(127) पीपर फोडी,
(128) पटोडा (चिखली),
(129) पिपरी,
(130) धानोरा (चिखली),
(131) सवारी,
(132) धारा,
(133) पोथ रेड्डी,
(134) सिगारवाडी,
(135) अन्जेगांव,
(136) भंडारवाडी,
(137) जलधारा (चद्रपुर),
(138) बेलोरी (चिखली),
(139) मालकोलारी,
(140) डिगरास,
(141) डोंगरगांव (चिखली),
(142) शिवोनी (चिखली),
(143) परोटी,
(144) स्वरगांव,
(145) जलधारा (इस्लापुर),
(146) कोठारी,
(147) हुड्डी (इस्लापुर),
(148) करांजी (इस्लापुर),
(149) कुपटी खुर्द,
(150) कुपटी बुद्रुक,
(151) वागधारी,
(152) तलारी

8. अमरावती जिले में निम्नलिखितः—
चिखलाधार और धरनी तहसीलें

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखितः—
(i) मारेगांव तहसील के 130 गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
मारेगांव तहसील

1) घोगुलदारा
(2) शिओनाला
(3) बुरांडा
(4) पहपल
(5) कान्हलगांव
(6) खेकडवाई
(7) घोदाधारा
(8) नरसाला
(9) धामनी
(10) मदनापुर
(11) बोरी खुर्द
(12) पिस्गांव
(13) वड़गांव (40)
(14) फिसकी (वन ग्राम)
(15) भालेवाड़ी
(16) पथारी (51)
(17) चिंचाला,
(18) पंघार्कवाला (53)
(19) खर्दा (वन ग्राम) (54)
(20) पिम्प्रद (वन ग्राम)
(21) फपरवाड़ा
(22) सालाभट्टी (वन ग्राम)
(23) दोलदोंगरगांव
(24) मचिन्द्रा
(25) पंडविहोर
(26) जाल्का
(27) पंधारदेवी (वन ग्राम)
(28) अम्बोरा (वन ग्राम)
(29) चिंचोनी बोटोनी
(30) अवंलगांव (वन ग्राम)
(31) कान्हलगांव (85)
(32) खारीगांव (86)
(33) सराती
(34) बुरांडा (88)
(35) दुर्गादा
(36) वागधारा
(37) मेंधानी
(38) घानपुर
(39) खंडानी
(40) खापी
(41) उच्चातदेवी (वन ग्राम)
(42) मारेगांव (वन ग्राम)
(43) खंडानी
(44) महासदोदका
(45) पालागांव
(46) बोटोनी
(47) गिर्जापुर (वन ग्राम)
(48) पछपोहर
(49) अम्बेजारी
(50) रोहपात
(51) रायपुर

(52) सगनपुर
(53) हिवारा बरसा
(54) रामपुर
(55) कातली बोरगांव
(56) पारदी (116)
(57) शिबला
(58) चियाली (वन ग्राम)
(59) बोरगांव (वन ग्राम)
(60) पेंधारी
(61) अर्जुनी
(62) कागांव
(63) रजनी
(64) माजरा
(65) गंगापुर (वन ग्राम)
(66) भोइकुंड (वन ग्राम)
(67) वाधोना
(68) सुसारी
(69) सुरला (131)
(70) गोदानी
(71) निमानी
(72) दरारा
(73) आसन
(74) जागलोन
(75) जामकोला
(76) इसापुर
(77) किलोना
(78) उमरघाट
(79) वल्लासा
(80) जुनोनी (वन ग्राम)
(81) लेंचोरी
(82) चिंचघर
(83) अम्बिजारी खुर्द
(84) अम्बेजारी बुदुर्क
(85) करगांव खुर्द
(86) निम्बादेवी
(87) टेम्फी
(88) कुंडी
(89) मांडिव
(90) जुनोनी
(91) पारम्भा
(92) पोखरनी (वन ग्राम)
(93) पिवारदोल
(94) भोराद (वन ग्राम)
(95) चिखालदोह
(96) मुल्गवान
(97) भीमनाला
(98) चटवान
(99) अराइकवाड़
(100) गवारा
(101) माथार्जुन
(102) महदापुर
(103) पंधारवानी
(104) देमाद देवी
(105) मंडवा
(106) डोंगारगांव (वन ग्राम)
(107) दभाड़ी
(108) उमरी (192)
(109) मुधाती
(110) द्यसोदी
(111) कोंडपखिंडी
(112) मंगरुल खुर्द
(113) मंगरुल बुदुर्क
(114) गोपालपुर
(115) रामपेठ
(116) चालबरडी
(117) जामनी
(118) शिरोला
(119) अदकोली
(120) खालकलोह
(121) बिरसापेठ
(122) मुछी
(123) मारकी बुदुर्क
(124) मारकी खुर्द
(125) गणेशपुर
(126) पंवार (वन ग्राम)
(127) कृष्णपुर (वन ग्राम)
(128) खेकाड़ी (वन ग्राम)
(129) शेकापुर
(130) यिओती

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
रालेगांव तहसील

(1) लोहारा
(2) एकलारा
(3) सोनेर्डी
(4) वाटखेड
(5) जलका
(6) वार्हा
(7) पिंपारी दुर्ग
(8) मांडवा
(9) कोलवान
(10) शोइत
(11) वरुद
(12) बुकाई
(13) जरगद
(14) खादकी सुकली
(15) डोंगरगांव
(16) तेजानी
(17) अंजी
(18) लोनी
(19)बोराती (वन गांव)
(20) साराती
(21) खैरगांव कसार
(22) वारधा
(23) भुलगद
(24) पिंपलाशेंडा (75)
(25) अतमुर्दी
(26) सावरखेड
(27) चोंधी
(28) वधोड़ा
(29) खेमकुन्ड
(30) पार्डी (वन गांव)
(31) उमरविहार
(32) अदनी
(33) खटारा
(34) मुंजाला
(35) पलासकुन्ड
(36) वीरगांव
(37) खैर गांव
(38) देवधारी
(39) सिंगल दीप
(40) सोनुर्ली
(41) सिन्दोला
(42) जोतिगदारा
(43) साखी खुर्द

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवाड़ा कस्बा शामिल किया गया:
केलापुर तहसील

(1) मोदारी
(2) जोगीन कोहला
(3) मीरा
(4) जीरा
(5) घोद्दारा (वन ग्राम)
(6) साखी बुदुर्क
(7) वधोना खुर्द
(8) जोलापुर (वन ग्राम)
(9) कराजी
(10) वधोना बुदुर्क
(11) तिवसाला (वन ग्राम)
(12) कोथाड़ा
(13) सुरदेवी
(14) चनई
(15) असोली
(16) मोहादा
(17) कारेगांव (163)
(18) चिखालदारा
(19) कृष्णापुर
(20) दाभा
(21) मोरवा
(22) खैरगांव (199)
(23) वघोली
(24) कुसल
(25) चोपन
(26) मल्कापुर (वन गांव)
(27) केगांव
(28) वादनेर
(29) जुली
(30) भाद उमारी
(31) पटोडा
(32) पहापल
(33) नागजारी खुर्द
(34) बहततार
(35) सुसारी
(36) नईकसुकली (वन गांव)
(37) पेधारी
(38) पिल्पाली
(39) डोंगारागांव (308)
(40) बेथ
(41) माले गांव खुर्द (वन गांव)
(42) हिवारदारी (वन गांव)
(43) मालागांव बुदुर्क (वन गांव)
(44) दरियापुर
(45) पिल्वाहरी
(46) अर्ली
(47) हिवरी
(48) पिंपालशेंडा (333)
(49) कारेगांव (334)
(50) वाडवत
(51) खैरी (336)
(52) घुवाडी
(53) कोंघारा
(54) सखरा बुदुर्क
(55) धारना
(56) मांगी (343)
(57) ढोकी (344)
(58) वायी
(59) पिंपालपुर
(60) गणेशपुर (347)
(61) खैरगांव (348)
(62) पाधे
(63) निलजई
(64) मारगांव (352)
(65) अभोरा
(66) डोंगरगांव (358)
(67) पिंपारी (353)
(68) खैरगांव (360)
(69) मुची
(70) मगुर्दा
(71) पंधारवानी बुदुर्क (वन गांव)
(72) कोंधी
(73) वेदार
(74) बागी
(75) घनमोडे
(76) नन्दगांव
(77) गणेशपुर (370)
(78) टाटापुर
(79) जुन्जापुर
(80) गेंडवाकाडी
(81) चलबर्दी
(82) बेलुरी
(83) टादुमारी
(84) बरगांव (377)
(85) अकोली बुदुर्क
(86) महानदोली
(87) सखारा
(88) मराठवाकाडी
(89) ढोकी (382)
(90) वल्लारपुर
(91) टोकवनजारी
(92) वानजारी (382)
(93) खारीगांव बुदुर्क
(94) टिमभी
(95) राधापुर (वन गांव)
(96) पिखाना (वन गांव)
(97) वासारी
(98) अन्धारवाडी
(99) येदलापुर (वन गांव)
(100) चनाखा
(101) निमधेली
(102) रुधा
(103) सुकली

(iv) घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
घतांजी तसील

(1) मारवेली
(2) रजुरवाडी
(3) लिंगी
(4) कोली खुर्द
(5) कोली बुदुर्क
(6) रामपुर उन्धार्नी
(7) कापशी
(8) डेटोडी
(9) गुधा
(10) वारुड (240)
(11) जपारवाडी
(12) उमरी(242)
(13) पलोडी
(14) कोपरी (244)
(15) घोटी
(16) बुडाडी
(17) मुधाटी (वन गांव)
(18) जलान्द्री
(19) मनुसधारी
(20) अयाते
(21) काप
(22) कवाथा बुद्रुक
(23) बिलायत
(24) खादकी (260)
(25) चिमटा
(26) कोपरी खुर्द
(27) चिंचोली (268)
(28) किंधी (वन गांव) (269)
(29) गवारा (वन गांव)
(30) टिटवी
(31) मुरादगवन(वन गांव)
(32) पिंपाल खुटी(वन गांव)
(33) खरोनी (वन गांव)
(34) वधोना
(35) डोर्ली
(36) राहती
(37) रासा (वन गांव)
(38) जताला
(39) चिखालवर्धा
(40) तड़–सवाली
(41) सैफल
(42) नागेजरी बुदुर्क
(43) कवाथा(वन गांव)
(44) पारवा
(45) मझाडा
(46) पार्दी
(47) जम्ब
(48) कालेश्वर
(49) शेराद
(50) धुंकी (वन गांव)
(51) मथानी (वन गांव)
(52) राजागांव(वन गांव)
(53) खापरी(वन गांव)
(54) होनेगांव
(55) गनेरी

10. गढ़चिरोली जिले में निम्नलिखित:
(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, कुरखेडा तहसील।
(ख) (i) गढ़चिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
गढ़चिरोली तहसील :

(1) नावगांव (636)
(2) चाक चुरचुरा
(3) कुराधी
(4) चाक मउसी
(5) मरमेडी
(6) बोथेडी
(7) पेलनदुर
(8) गिलगांव (658)
(9) चाक खरपुर्डी
(10) जपरा
(11) चाक धिबाना
(12) मेरेउमबोडी
(13) कुरकेडी
(14) खुरसा
(15) वीजापुर
(16) सोनापुर
(17) मोंधा (680)
(18) सावरगांव (683),
(19) कनरी
(20) पुलखाल
(21) मुदजा बुदुर्क
(22) मुदजा तुकुम
(23) करुपाला
(24) मसली
(25) रणभूमि
(26) चन्द्राला
(27) रणमोल
(28) कुम्भी पत्व
(29) कुम्भी मोकासा
(30) मादे मुल
(31) मारोदा
(32) कोसामघाट
(33) रायपुर (718)
(34) रवानजोरा
(35) पेकिनकासा
(36) सवेला
(37) सुईमारा
(38) सखेरा
(39) कर्कजारा
(40) कन्हलगांव(725)
(41) केलीगाटा
(42) तोहागांव
(43) राजनगुद्दा
(44) बनोली
(45) सूर्यडोंगरी
(46) सलाईटोला
(47) विटानटोआ
(48) पोटेगांव
(49) रजोली (734)
(50) म्रदास
(51) जालेर
(52) दैवापुर
(53) रामगाड (738)
(54) गावलहेटी

(55) डेउडा
(56) खरादगुडा
(57) तालकुडा
(58) जामगांव
(59) खाडसी
(60) कोरकुटी
(61) नागवेली
(62) जालेगांव

(ii) अरमोरी तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
अरमोरी तहसील

(1) कोरागांव (6)
(2) कालमगांव
(3) कुरल
(4) सलेडा तुकाम
(5) सलेडा लाम्बा
(6) कसारी तुकाम
(7) कसारी गांव
(8) शिवराजपुर (29)
(9) पोटेगांव (30)
(10) विहिरगांव (33)
(11) पिपांलगांव
(12) अरात–तोन्डी
(13) डोंगारगांव (हलाबी)
(14) प्लासगांव (43)
(15) नवारगांव
(16) पाथरगोटा (49)
(17) मगेवड़ा
(18) अर मोरी
(19) सलमारा
(20) थानेगावं
(21) पटानवेड़ा
(22) पुरानवैरागड
(23) देउलगांव (69)
(24) सुकला
(25) मोहाजारी उर्फ सखारखेडी
(26) चाक केरपाडा
(27) लोहारा (78)
(28) चाक सोनपुर
(29) हिरापुर (80)
(30) डोंगर तामसी
(31) सियानी खुर्द
(32) चावहेला
(33) मोहाताला चाक कुकोडी
(34) मेंधा (89)
(35) डोंगारतमसी
(36) नगरवाडी
(37) चाक नरोती
(38) चाक कुरोंडी
(39) वाडेगांव
(40) थोटीबोडी
(41) देलवांडी
(42) मेनापुर
(43) कोसारी
(44) मनगोडा
(45) तुलतुली
(46) चकनागारवाही
(47) विहिरगांव
(48) कुरांडी
(49) उमारी
(50) यंगाडा
(51) पिसेवाडढ़ा
(52) परासवाडी (113)
(53) डवाडी
(54) खादकी (115)
(55) भाकरांडी
(56) नरोती मालगुजार
(57) कारेगांव (119)
(58) वारखेडा
(59) खराडी
(60) भंशी
(61) डोर्ली
(62) वनारचुवा
(63) जमभाली (127),
(64) मिंधा(128),
(65) नारचोली
(66) खेहारी
(67) मारगांव पेच
(68) मारगांव (140)
(69) चाक मारगांव
(70) चाक चिंचोली
(71) मुसी खुम्ब
(72) वेलगांव (144),
(73) चिचोली (145),
(74) वानखेडा

(iii) चामरोसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
चामरोसी तहसील :

(1) सगानपुर (758)
(2) बनढोना (764)
(3) गिलगांव (765)
(4) भिंडी कनाल (771)
(5) दातारी
(6) चाइट कनवर
(7) कालमगांव
(8) कुरुड
(9) मालेर,
(10) कुलेगांव
(11) नाचनगांव
(12) भादभिद (788)
(13) वालसारा
(14) चाक बिसापुर
(15) जोगाना
(16) मुरमुरी
(17) रावनपल्ली
(18) सोनापुर
(19) डरली
(20) रेखागांव
(21) येदानूर
(22) पेलसानपेथ
(23) पन्धारी भटाल
(24) राजनगेट्टा
(25) चाक अमरगांवन.1(809)
(26) मुतनूर
(27) अबापुर
(28) मुरानदेपी
(29) लिनगुडा
(30) अदयल
(31) कर्कापल्ली
(32) चाक कर्कापल्ली
(33) जंगामरकुरल

(34) फियूजर
(35) दिकानी
(36) चाक मुदोली न..2,
(37) लक्ष्मणपुर
(38) सगानपुर (829)
(39) अम्बोली
(40) गहुबोदी
(41) छाक नारायणपुर संख्या 1
(42) छाक नाराणपुर संख्या 2
(43) राजुर वुदर्क
(44) भादविड (835),
(45) मांगनेर
(46) चिंचापल्ली
(47) वानारचुवा
(48) जयरामपुर
(49) वाइगांव
(50) नाराणपुर
(51) राजुर खुर्द
(52) हलदवाही
(53) मुधौली
(54) कोठारी (845)
(55) बम्हानी देव
(56) सोमनपल्ली
(57) कान्हलगांव (848)
(58) सिंगेला
(59) बेलगाट्टा
(60) पेठताला
(61) छाक पेठाताला सं. 1,
(62) पारादीदेव
(63) यादवपल्ली
(64) राजपुर (856)
(65) जाम्भालीरिथ
(66) मेटेगुडा
(67) छाक बेलगत्ता
(68) मांजी गांव
(69) मच्छालीघोट
(70) छाक माक्केपल्लि सं.4
(71) दुर्पन गुडा
(72) छाक माक्केपल्लि सं.2
(73) छाक माक्केपल्लि सं.3
(74) गारांजी
(75) छाक मेड आमगांव
(76) छाक मेड आमगांव सं.1
(77) छाक मेड आमगांव सं.2
(78) तुमडी
(79) गिरगाडी
(80) माकेपल्लि मालगुजारी
(81) बोरघाट
(82) अस्टी नोकेवाडा
(83) ब्राहमणपेठ
(84) बेंगानूर
(85) नोकेवाडा
(86) अल्लापल्ली
(87) रेगेवाही
(88) कोलपल्ली
(89) अम्बेला(वन गांव)
(90) गाट्टा(वन गांव)
(91) अडगेपल्लि
(93) येल्लूर
(94) थाकरी
(95) राजगट्टा (908)
(96) लोहरा
(97) मुकारीटोला
(98) भोलखांडी(वन गांव)
(99) हेतलकासा
(100) बोलपल्ली
(101) पुलीगुड्म
(102) कुनधादा
(103) कोलसापुर
(104) गंगापुर
(105) चंदन खेड़ी
(106) मालेरा
(107) बसारवाड़ा
(108) चापराला
(109) छइदमपट्टी
(110) मुकाडी(वन गांव)
(111) फुस्की
(112) सिगनपल्ली
(113) धामनपुर
(114) कोठारी (930)
(115) अम्बाटपाल्लि
(116) गोमानी
(117) लागमहेट्टी
(118) दामनपुर
(119) बन्दुकपल्ली
(120) कोड़ीगांव
(121) चिचेला
(122) नागुलवाही
(123) छितुगुंहा
(124) तुमुगुडा
(125) माछिनगट्टा
(126) येल्ला
(127) टिकपाल्ली
(128) मारपाल्ली
(129) जामगांव
(130) कुलथा
(131) रामपुर
(132) लागम चक

11. चन्द्रपुर जिले में निम्नलिखित:
राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
राजुरा तहसील :

(1) पारसौदा
(2) रायपुर
(3) कोथोडा खुर्द
(4) गोविंदपुर
(5) कोथोडा बुदुर्क
(6) मेंहदी
(7) पर्दी
(8) जैवरा
(9) चनाई खुर्द
(10) अकोला
(11) कोरपाना
(12) दुर्गादी
(13) रुपापेठ
(14) चुनाई बुदुर्क
(15) मांडवा
(16) कानेरगांव बुदुर्क
(17) कटलावोडी
(18) शिवपुर
(19) चौपान
(20) करमवौडी
(21) कुकुलवोंडी
(22) टीपा
(23) मंगुलहीरा
(24) खादकी (27),

(25) जमुलधारा (28),
(26) वोरगांव बुदुर्क
(27) वोरगावं खुर्द
(28) आशापुर
(29) तांगाला
(30) खेरगांव (33),
(31) हतलौनी
(32) एरगांव
(33) उमारजारा
(34) येल्लापुर
(35) शिंगार पारार
(36) लम्बोंरी
(37) सेदवई
(38) नरपाथर
(39) कोदापुर
(40) घरपाना
(41) नाकेवाडा
(42) गुडसेल
(43) वानी
(44) केकाजारी
(45) मोहदा
(46) पुदियाल मोहदा
(47) कमलापुर
(48) चिंचखोंड
(49) वनसाडी
(50) पराम्बा
(51) देवघाट
(52) कुसाल
(53) दाहेगांव
(54) सोनुरलो (70)
(55) कारगांव खुर्द (71)
(56) धानोली
(57) पिपराडा
(58) छिनछोली
(59) कारगांव बुदुर्क
(60) मारकागोंडी (76)
(61) बेलगांव
(62) जुलबारदी
(63) सवालहीरा
(64) खीरगांव (80)
(65) पांढरवानी (81)
(66) जांम्बुलढ़ारा
(67) धानकदेवी
(68) येरमी इसपुर
(69) सारंगपुर
(70) जिवाती
(71) नागपुर
(72) मारकोलमोट्टा
(73) धोंदा अरजुनी
(74) धोंधा मांडवा
(75) टेका अर्जुनी
(76) टेका मांडवा
(77) राहपल्लीबुदुर्क
(78) छिखिली (94),
(79) पाटन (95),
(80) हीरापुर
(81) इसपुर
(82) आसन खुर्द
(83) आसन बुदुर्क
(84) पीपलगांव
(85) पालजारी
(86) बोरिनवे गांव
(87) नन्दा
(88) बीबी
(89) धुनकी
(90) धामनगांव
(91) काखमपुर
(92) बाडगांव
(93) इंजापुर
(94) चंदूर
(95) कुकुदसात
(96) खिरदी
(97) धुतरा
(98) बहलामपुर
(99) मनोली खुर्द
(100) जमानी
(101) नोकारी बुदुर्क
(102) सोनापुर
(103) उप्पारवाई
(104) भुरखुंडा खुर्द
(105) कदकी (150),
(106) नोकारी खुर्द
(107) नागराला
(108) पालेजारी
(109) काकबान
(110) डोगरागांव (155)
(111) छिखाली (156),
(112) भुरखुंडा बुदुर्क
(113) पाछगांव
(114) सेनगांव (159)
(115) ताताखेंडी
(116) भेंडवी
(117) सुकादपल्लि
(118) कारकागोंडी
(119) तित्वी
(120) नादपा
(121) येरगांवन
(122) कावादगोंडी
(123) सोराकासा
(124) कुसुम्बी
(125) जनकपुर
(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(127) डेवड़ा
(128) खदकी रायपुर
(129) गोवेन्दपुर
(130) मारियापट्न
(131) उमराजारा (176)
(132) राहपल्लि खुर्द
(133) धार्मराम
(134) भोकसापुर
(135) बाम्बेजारी
(136) भारी
(137) पांडरवानी (182)
(138) सिंडोलाटा
(139) सोंडो
(140) बेलगांव (185)
(141) काकड़घाट
(142) गनेरी
(143) खिरदी
(144) सेदवई
(145) बाबरपुर
(146) हीरापुर (200),
(147) सखारी
(148) मनोली खुर्द
(149) गोयेगांव
(150) हरडोना खुर्द
(151) हरडोना बुदुर्क
(152) विनिरगांव (224)
(153) मागी
(154) वांगी
(155) पाढंरपुनी (227)
(156) अहेरी
(157) कोच्छी
(158) गोरजा
(159) बारुर
(160) रानीवेली
(161) भेडोडा
(162) ताम्भुरवाही

(163) चिरुड़
(164) छिंछवोडी
(165) कवथाला
(166) सोनुरली
(167) सिरसी
(168) बेरडी
(169) भेंडाला
(170) केलजारी
(171) नवेगांव (265),
(172) चिंचाला
(173) वीरुर
(174) सिद्धेश्वर
(175) घोट्टा
(176) गोगरगांव
(177) सुबाई
(178) कोस्ताला
(179) लाक्कदकोट
(180) अम्बेजारी
(181) अन्तारगांव (277)
(182) अन्नूर

महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरुप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश (स.आ. 26) दिनांक 07.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को जहां, तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश,, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 02.12.1985 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. ओडिशा##

1. मयूरभंज जिला
2. सुदरंगढ़ जिला
3. कोरापुट जिला
4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील
5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सब–डिवजीन और तेलकोइ तहसीलें और चम्पुआ सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें
6. बौध–खोंडमल जिले की खोण डमाल सब दृडिवजीजन की खोण डमाल तहसील और बालीगुडा सब–डिवीजन की बालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें ।
7. गंजाम जिले आर, उदयगिरी और पारलखेमुण्डी तहसील के मूगा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब–डिवीजन के गजलबाडरी और ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम ।
8. कालाहांडी जिले में भवानी पटना उप–मण्डल में यौमुल रामपुर खंड और लानजीगढ में पड़ने वाला लालजीगढ खंड और कालाहांडी तहसीलें ।
9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब–डिवीजन के निलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड ।

ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र(भाग (ख) (राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंधओडिसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश औरओडिसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान###

(1) बांसवाड़ा जिला
(2) डूँगरपुर जिला
(3) प्रतापगढ़ जिला
(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित हैं:
(क) कोटरा, झाडोल (तत्कालीन फलसिया), लसाडिया, सालम्बर, सारदा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव और गोगुन्दा की तहसीलें।
(ख) गिरवा तहसील में निम्नलिखित:
(i) गिरवा ब्लॉक
(ii) ब्लॉक बड़गांव की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:
(I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुंदर, राठोरों की गुरहा, बंदरवारा, घोड़न कलां, घोरन खुर्द और कायलों का गुरहा गांव।
(II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावरी, मठथा, नागदा, झालोन का गुरहा और मुनवस गांव।
(III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, कारेलों का गुरहा और सरे गाँव।
(IV) अंबेरी ग्राम पंचायत के अंबेरी, भीलों का बेदला, ओटों का गुरहा और प्रतापपुरा गाँव।
(V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली और बड़ा गाँव।
(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बड़ोदिया, घसियार और डांगियों का हुंदर गाँव।
(VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों

का वास, बीयाल, कुंडल उबेश्वरजी, धार, बड़ंगा और बनदिया गाँव।

(ग) मावली तहसील के नौवा, खदरा, रायजी का गुरहा और मारुवास गाँव।

(घ) वल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:

(I) माल की तूस ग्राम पंचायत के माल की तूस, गोवाला, फलेट, टांक और ब्राह्मणों का रोबा गाँव।

(II) धावरिया ग्राम पंचायत के धावरिया, खेरफला, नगालिया, रानी डंगला और रनिया गांव ।

(III) भोपा खेरा ग्राम पंचायत के भोपा खेरा, बेरीपुरा, हमीरपुरा, फूसारिया और रायला गाँव।

(IV) कुंडई ग्राम पंचायत के कुंडई, भामेला, गोटीपा, कांकरियों का खेड़ा, नाहरपुरा उर्फ नारपुरा, पद्मा खेड़ा और संग्रामपुरा गाँव।

(5) राजसमंद जिले में निम्नलिखित:

(क) कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:

(i) अंत्री ग्राम पंचायत के अंत्री, संदूकों का गुरहा और बारां गांव।

(ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावड़ा गाँव ।

(iii) ओरा ग्राम पंचायत के ओरा, डोवास और कोडर गांव।

(iv) पीपना ग्राम पंचायत के पीपना, जेतारण और देलवरिया गाँव।

(v) बरदरा ग्राम पंचायत के बरदरा, उदावर, कलथना और कोटरा गाँव।

(ख) नाथद्वारा तहसील के कलिवास ग्राम पंचायत के निम्न गाँव, नामतः, कलिवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुरहा, गमथों का नोहरा, दमावरी, कोलार, मुंजेला, लीलेरा, रैनिया, श्यामजी का गुरहा, सियोल, सोनगढ़िया और तंतेला।

(6) चित्तौड़गढ़ जिले की बडी सदरी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:

(क) रतिचंद्र जी का खेड़ा ग्राम पंचायत के अफ्रों का तालाब, लिंकोदा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा सेमल खेड़ा, रूघनाथपुरा, क्रीतखेड़ा, रति तलाई, रति चंद्र जी का खेड़ा, चंदपुरा, सबलपुरा और गुंदल पुर गाँव ।

(ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबती, रूप पुरा और मरोडिया गाँव।

(ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (क), केवलपुरा जगीर, रावतपुरा, शिव पुरा, तेगियारो का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लछमीपुरा, हरिपुरा, श्यामपुरा, जूनी बरवाल, कल्याणपुरा और केवलापुरा (ख) गाँव ।

(घ) मूनजवा ग्राम पंचायत के मूनजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातमागढ़ी, ढीकरिया खेडी, पूजन का फलिया, पायरी, केशरपुरा, खानखरिया खेड़ी, लालपुरा, काला खेत और दीपों का तालाब गाँव।

(ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरुंदी, गढ़ बोरुंडी, संग्रामपुरा, राठोड़ो का खेड़ा, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द और सुखपुरा गाँव।

(7) पाली जिले की बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:

(क) अमलिया ग्राम पंचायत के अमलिया, कागदरा, ठंडी बेरी, लक्ष्मण पुरा जोड और बोथरा गाँव।

(ख) कूरन ग्राम पंचायत के कुरन, खेत्राली, कोलवाड़ा, कोटिवाड़ा, कूरन खादरा और खेत्राली खाड़ा गाँव।

(ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा गाँव।

(घ) भीमना ग्राम पंचायत के भीमना, उपला भीमना, तानी, उराना और नदिया गाँव।

(ङ) काकराडी ग्राम पंचायत के काकडाडी, अरडवन, दानवरली, सांभरवाड़ा और बेर्दी गाँव।

(च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा गाँव।

(छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला गाँव।

(ज) लुंडारा ग्राम पंचायत के लुंडारा, चिमनपुरा और मालदार गाँव।

(झ) कोयलवाओ ग्राम पंचायत के

कोयलवाओ, चिंगता भाटा और चोपा की नल गाँव।

(8) सिरोही जिले में निम्नलिखित हैं:

(क) आबूरोड तहसील

(ख) पिंडवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गाँव निम्नानुसार हैं:

(i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुंडल, सबेला, वागदरी, धवंगा, कलुम्बरी और पिंडवाड़ा (ग्रामीण)।

(ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस चीनिया बैंड और भदवेरी गाँव।

(iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, थांडी बेरी, सदलवा और मलाप गाँव।

(iv) घरात ग्राम पंचायत के घरात, मालेरा, नवावास, गदिया और पहार कलां गाँव।

(v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, अप्री खेड़ा और कलबोर गांव।

(vi) मंदवारा खालसा ग्राम पंचायत का मंडवारा खालसा, खोखरी खेड़ा और वर्की खेडा।

(vii) सांवरा ग्राम पंचायत के सांवरा, सदा फली, नवास देव, नवास खालसा और सेमली गांव।

(viii) इसरा ग्राम पंचायत के इसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा।

(ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया गाँव।

(x) मंदवारा देव ग्राम पंचायत के मंडवारा देव, पीतारी पदार, केदार पदार और बोर उमरी गाँव।

(xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला गाँव।

(xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कसींदा, नागपुरा, पांच देवल, ब्लॉक नंबर 2 और कोटरा गाँव।

(xiii) बसंत गढ़ ग्राम पंचायत का बसंत गढ़ गाँव।

(xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दारला पदार गाँव।

राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप से अनुसूचित क्षेत्रों (भाग ख राज्यों) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत निर्दिष्ट किया गया था और अनुसूचित क्षेत्रों (राजस्थान राज्य) का आदेश, 1981 (सीओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) के आदेश में निर्दिष्ट राजस्थान का अनुसूची क्षेत्र, 1981 (सीओ 114) दिनांक 12.2.1981, को अनुसूचित क्षेत्रों (राजस्थान राज्य) आदेश 2018 (सीओ 270) दिनांक 19.5.2018 के अनुसार रद्द कर दिया गया है।

VII. झारखण्ड@

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहर जिला
6. पूर्वी–सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी– सिंहभूम जिला
8. सरायकेला–खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला
13. पलामू जिला–सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरियापंचायतें
14. गढ़वा जिला–भंडारिया ब्लॉक
15. गोडा जिला–सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

@ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र(भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26. 1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचितक्षेत्र(बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी. ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र(छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचितक्षेत्र(झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश@@

1. झाबुआ जिला
2. मंडला जिला
3. डिन्डोरी जिला
4. बरवानी जिला
5. धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी धर्मपुरी, गंधवानी और मानवार तहसील
6. खरगोन(पश्चिम निमाड़) जिले के भगवानपुर, सेगांव, भीकनगांव, खरगोन और महेश्वर तहसील
7. खण्डवा (पूर्व निमाड़) जिले केखाकनार तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरसुद तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।
8. रतलाम जिले में सैलाना और बाजवा
9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और भैंसदेही, शाहपुर तहसीले
10. सियोनी जिले के लाखनडोन,घनसौर और कुराई जनजाति विकास खण्ड।
11. बालाघाट जिले का बैहर तहसील
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जय–सिंहनगर तहसील
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड
15. सिधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड
16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड
17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटावारी सर्किल सं० 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।
बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं० 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किलसं० 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं० 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं० 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 28 के नीलकंठ औरधवादिखापा गांव।

IX. छत्तीसगढ़@@

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दांतेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले मेंमारवाही, गौरेला– 1, विकास खंडगौरेला–2 आदिवासी विकास खंड और राजस्व निरीक्षक सर्किल
7. कोरबा जिला
8. जशपुर जिला
9. रायगढ़ जिले में धर्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा औरखरसिया जनजाति विकास खंड
10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति जनजाति विकास खंड
11. राजनांदगांव जिले में चौकी,मानपुर और मोहला जनजातिविकास खंड
12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुरऔर छूरा जनजाति विकास खंड
13. धमतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खण्ड

@@ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र(भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहतविनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र(बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12. 1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र(छत्तीसगढ़,झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192)दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

टिप्पणः उपर्युक्त सूची में अनुसूचित क्षेत्र की वर्तनी में किसी असंगतता के मामले में सम्बंधित मूल अधिसूचना को अंतिम तथा अधिप्रमाणित माना जाएगा।

अनुलग्नक –5घ

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति

(31.12.2019 तक)

क्र. सं.	राज्य	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1.	आंध्र प्रदेश	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
2.	छत्तीसगढ़	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
3.	गुजरात	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त
4.	झारखंड	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
5.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
6.	मध्य प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त
8.	ओडिशा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
9.	राजस्थान	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त
10.	तेलंगाना (2 जून 2014 को राज्य अस्तित्व में आया)	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

अनुलग्नक–5ङ

वर्ष 2014–15 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों का विवरण

(31.12.2019 तक)

राज्य का नाम	टीएसी की बैठकों की तिथियां				
	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
आंध्र प्रदेश	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	दिनांक 25.9.2017 के जी. ओ.एम सं. 84 के माध्यम से पुनर्गठित टीएसी	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
छत्तीसगढ़	22.7.2014	08.06.2015 और 17.12.2015	12.07.2016	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
गुजरात	(बताया गया कि कोई बैठक नहीं हुई थी)	07.10.2015	13.7.2016	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
हिमाचल प्रदेश	30.3.2015 (नोटिफिकेशन)	29.07.2015	6.9.2016	दिनांक 4.4.2018 की अधिसूचना के माध्यम से पुनर्गठित टीएसी	संसूचित नहीं
झारखण्ड	27.9.2014	20.5.2015 07.08.2015 28.01.2016	26.04.2016 और 03.11.2016 16.1.2017	03.7.2017 और 03.8. 2017	संसूचित नहीं
मध्य प्रदेश	17.3.2015	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	
महाराष्ट्र	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
ओडिशा	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
राजस्थान	18.12.2014	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
तमिलनाडु*	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	दिनांक 2.2.2018, के जी.ओ. (एमएस) सं. 84 के माध्यम से पुनर्गठित	संसूचित नहीं
पश्चिम बंगाल*	05.06.2014	26.08.2015	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
तेलंगाना (2 जून 2014 को राज्य अस्तित्व में आया)	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	24.06.2016	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
उत्तराखण्ड* (टीएसी नियम 19 जनवरी, 2015 को अधिसूचित हुए)	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं	08.07.2016 और 02.08.2016	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं

* राज्य जिसमें अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं।

अनुलग्नक 6क

वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए केंद्रिय मंत्रालय/विभाग द्वारा बाध्यता, आंवटन और व्यय का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	टीएसपी बाध्यता	2017–18 (संशोधित अनुमान)			2018–19 (संशोधित अनुमान)			2019–20 (बजट अनुमान)		
			कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.30	2166.46	93.16	4.30	2508.43	106.71	4.3	2699.00	114.81	4.30
2	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	8.60	40582.66	3170.61	7.81	67261.35	5784.72	8.6	129860.55	11168.01	8.60
3	दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग	8.60	650.27	66.84	10.28	737.25	72.99	9.9	813.00	88.22	10.90
4	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	150.00	0.00	0.00	0.00	6.00		42.65	2.00	4.70
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60	37617.50	2909.70	7.73	39831.37	3382.32	8.5	47001.00	4042.09	8.60
6	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.60	5879.74	1532.02	26.06	8757.46	1403.93	16.0	9537.86	1605.00	16.80
7	भूमि संसाधन विभाग	10.00	1822.00	175.00	9.60	1986.00	198.60	10.0	2216.00	221.60	10.00
8	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	108994.75	5937.83	5.45	112352.96	5443.79	4.8	38499.62	5984.12	15.5
9	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	38980.67	4873.19	12.50	41460.13	4933.38	11.9	48038.60	5831.51	12.10
10	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4.30	2183.00	155.00	7.10	2277.34	104.85	4.6	2692.55	115.78	4.3
11	दूरसंचार विभाग	4.30	10994.69	18.72	0.17	7730.11	676.18	8.7	13400.49	800.57	6.0

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	टीएसपी बाध्यता	2017–18 (संशोधित अनुमान)			2018–19 (संशोधित अनुमान)			2019–20 (बजट अनुमान)		
			कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %
12	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.30	578.14	28.57	4.94	606.29	26.00	4.3	798.32	35.00	4.40
13	कोयला मंत्रालय	8.60	685.00	36.40	5.31	725.00	30.53	4.2	1097.00	94.35	8.60
14	संस्कृति मंत्रालय	4.30	610.00	34.97	5.73	657.86	33.60	5.1	778.23	35.10	4.50
15	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	8.60	2634.42	716.00	27.18	2580.81	593.70	23.0	2978.10	810.50	27.20
16	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	10.00	24011.18	2399.83	9.99	19978.03	1997.80	10.0	19994.66	1999.47	10.00
17	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	1425.63	95.53	6.70	3352.81	226.00	6.7	3750.76	251.32	6.70
18	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	4.30	39333.26	157.18	0.40	41376.22	298.64	0.7	46437.80	324.71	0.70
19	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.60	6225.37	517.50	8.31	9395.26	776.98	8.3	10713.00	929.06	8.70
20	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60	6437.27	468.77	7.28	6501.41	607.36	9.3	6957.76	560.39	8.10
21	खान मंत्रालय	4.30		11.70	0.00		10.43		0.00	25.55	––
22	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	700.00	57.40	8.20	692.52	62.82	9.1	840.04	62.82	7.50
23	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.30	60880.08	577.00	0.95	78498.70	2700.00	3.4	82861.39	2610.00	3.15

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	टीएसपी बाध्यता	2017–18 (संशोधित अनुमान)			2018–19 (संशोधित अनुमान)			2019–20 (बजट अनुमान)		
			कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %
24	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.60	2303.22	174.74	7.59	2765.34	215.53	7.8	2676.65	214.59	8.00
25	वस्त्र मंत्रालय	8.60	6164.83	61.50	1.00	6864.38	111.84	1.6	4748.96	216.99	4.60
26	पर्यटन मंत्रालय	4.30	1669.61	43.75	2.62	1984.79	87.57	4.4	2075.12	90.00	4.34
27	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	5293.30	5293.30	100.00	5957.50	5957.50	100.0	6847.89	6847.89	100.00
28	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	8.60	6843.89	50.10	0.73	6808.91	137.00	2.0	7360.95	272.20	3.70
29	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60	20950.25	1420.00	6.78	24512.65	1865.71	7.6	28914.37	2486.64	8.60
30	युवा मामले और खेल मंत्रालय	8.60	1047.19	137.39	13.12	1165.82	148.30	12.7	1310.00	161.17	12.30
31	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	1647.49	5.50	0.33	1628.20	83.45	5.1	1894.80	102.50	5.40
32	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	3944.60	73.00	1.85	5043.17	217.00	4.3	5131.45	441.00	8.60
33	पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग	8.60	–	–	–	2931.92	265.94	9.1	2740.00	235.73	8.60
34	वाणिज्य विभाग	4.30	–	–	–	5346.61	25.01	0.5	700.00	25.01	3.60
35	उपभोक्ता मामले विभाग	4.30	–	–	–	1690.17	2.58	0.2	62.00	2.66	4.30
36	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	–	–	–	870.33	37.42	4.3	1101.00	47.34	4.30

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	टीएसपी बाध्यता	2017–18 (संशोधित अनुमान)			2018–19 (संशोधित अनुमान)			2019–20 (बजट अनुमान)		
			कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %
37	ऊर्जा मंत्रालय	8.60	–	–	–	13857.73	913.30	6.6	11969.21	803.79	6.70
38	मत्स्यपालन विभाग		–	–	–	–	–	–	560.00	53.83	9.61
39	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		–	–	–	–		–	35020.00	1570.21	4.50
	कुल		443406.47	31292.20	7.06	530694.83	39545.48	7.5	585924.85	51283.50	8.75

टिप्पणः एसटी या निधियों सहित सार्वभौमिक कवरेज की प्रकृति में व्यय को निम्नलिखित मंत्रालयों द्वारा एसटीसी फंडों को निर्धारित करने के लिए ध्यान में नहीं रखा गया है:

(i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(ii) उपभोक्ता मामले विभाग

(iii) ग्रामीण विकास विभाग

(iv) वाणिज्य विभाग

(v) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अनुलग्नक–6ख

वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक राज्य जनजातीय उप–योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा टीएसपी आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे

(रूपए करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	अजजा की जनसंख्या का प्रतिशत (2011)	वार्षिक योजना 2017–18					वार्षिक योजना 2018–19					वार्षिक योजना 2019–20*		
		कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन %
आंध्र प्रदेश	5.5	60918.82	3528.74	5.79	3356.1	95.10	89942.21	4176.6	4.64	3537.94	84.70	92696.81	4988.52	5.38
असम	12.5	8754.32	1349.72	15.42	1327.83	0.00	12503.16	1482.07	11.85	उपलब्ध नहीं	––	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	––
बिहार	1.3	80891.61	1091.51	1.34	760.00	69.62	91794.73	1254.96	1.36	1067.58	85.06	100001.00	1194.28	1.19
छत्तीसगढ़	30.6	62466.02	20237.22	32.39	15457.13	76.37	77073.34	23329.55	30.26	17279.95	74.06	66470.38	19681.19	29.60
गोवा	10.2	7738.30	303.68	3.92	210.83	69.43	8476.81	391.34	4.62	213.63	54.59	9878.21	404.41	4.09
गुजरात	14.8	85143.71	12559.34	14.75	11056.64	88.03	92102.29	13277.87	14.41	11744.14	88.44	106308.27	14567.36	13.70
हिमाचल प्रदेश	5.7	5700.00	446.50	7.83	440.50	98.65	6300.00	567.00	9.00	567.00	100	7100.00	639.00	9.00
जम्मू और कश्मीर	11.9	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	––	उपलब्ध नहीं	––	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	––	उपलब्ध नहीं	––	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	––
झारखंड	26.2	43620.63	17398.07	39.88	14513.61	83.42	44776.71	19502.54	43.55	15865.41	81.35	44192.14	19176.82	43.39
कर्नाटक	7.0	111472	7671	6.88	7671.48	100	209181.37	8500	4.06	8167.59	96.08	234153	8842.38	3.77
केरल	1.5	26500.00	751.8	2.83	612.95	81.61	29150.00	826.19	2.83	616.48	74.61	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	––
मध्य प्रदेश	21.1	62114.61	25862.15	41.64	22398.61	86.60	68580.22	27474.57	40.06	24235.18	88.20	83514.98	3346.66	4.00
महाराष्ट्र	9.4	77184	6783.74	8.78	6162.93	90.84	95000	8969.05	9.44	7291.91	81.30	99000	8531.00	8.61
मणिपुर	35.1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	––	0	––	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	––	उपलब्ध नहीं	––	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	––

राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	अजजा की जनसंख्या का प्रतिशत (2011)	वार्षिक योजना 2017–18					वार्षिक योजना 2017–18					वार्षिक योजना 2019–20*		
		कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन %
ओडिशा	22.9	55970.00	12564.56	22.45	12129.41	96.54	67200.00	14816.49	22.05	उपलब्ध नहीं	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—
राजस्थान	13.5	86094.45	12896.43	14.97	11098.35	86.05	107865.4	14512.83	13.45	307.17	2.11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—
सिक्किम	33.8	5442.46	10.35	0.19	9.31	89.95	5227.24	6.12	0.12	2.47	40.36	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—
तमिलनाडु	1.1	54564.19	607.49	1.11	630.15	103.73	55498.17	794.25	1.43	491.72	61.90	56849.99	1277.84	2.24
तेलंगाना	9.1	88038.80	8165.87	9.28	5863.25	71.80	104757.90	9693.12	9.25	1040.32	10.73	75263.24	7184.87	9.55
त्रिपुरा	31.8	4734.71	1563.94	33.03	1270.18	81.21	2891.15	1506.73	52.11	889.94	59.06	3070.35	1453.78	47.35
उत्तर प्रदेश	0.6	426453.81	577.77	0.14	353.44	61.17	428384.53	409.44	0.10	35.58	8.69	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—
उत्तराखंड	2.9	42798.31	424.59	0.99	286.61	67.50	45585.08	477.04	1.05	262.20	54.96	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—
पश्चिम बंगाल	5.8	64733	4916	7.59	4443.54	90.38	80172.87	5563.91	6.93	5189.6	93.27	89328.56	6287.53	7.03
कुल	**8.6**	**1461333.75**	**139710.47**	**9.56**	**120052.85**	**85.92**	**1722463.18**	**157531.67**	**9.14**	**98805.81**	**62.72**	**1067826.93**	**97575.64**	**9.13**

 # मिलान किया जा रहा है।

*** अस्थाई आंकड़े**

अनुलग्नक – 6 ग

वर्ष 2011–12 से 2019–20 के दौरान जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्य को निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20*
1	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	2211.83	3009.30
2	आंध्र प्रदेश	6057.00	4125.00	5789.00	2937.82	3500.00	5000.42	3624.77	5617.39	7844.75
3	असम	5475.00	4674.00	6563.63	1788.59	5844.00	3407.80	0.00	0.00	2710.08
4	बिहार	1147.00	0.00	0.00	403.00	1368.26	743.74	0.00	0	0.00
5	छत्तीसगढ़	10645.00	9478.00	9478.00	9826.50	10809.64	11717.82	14327.57	10342.65	9055.53
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.68	559.09	352.31	0.00
7	गुजरात	8838.00	7410.00	8448.00	10382.74	10566.50	9488.00	10270.41	11765.38	8975.55
8	हिमाचल प्रदेश	1851.00	1262.00	1768.00	997.99	475.00	1959.39	2291.20	3628.00	1859.95
9	जम्मू और कश्मीर	1143.00	0.00	1702.41	0.00	2000.00	3671.61	3626.50	3749.80	4509.00
10	झारखंड	10704.00	11413.25	12187.00	9571.11	10000.00	9820.75	11372.49	8564.52	2674.22
11	कर्नाटक	2170.00	1853.25	2471.00	3000.00	4370.00	5100.00	5955.37	5347.76	3768.50
12	केरल	574.00	549.00	549.00	530.00	357.50	808.09	808.43	335.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	15593.00	17525.00	17525.00	15274.22	11501.21	19236.61	22828.70	16968.97	8841.16
14	महाराष्ट्र	7055.93	0.00	7728.00	11726.19	12514.91	9547.00	13760.38	13802.57	11529.09
15	मणिपुर	705.00	1230.10	1581.90	1118.00	1100.00	2260.00	3790.38	5442.48	0.00
16	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	2739.20	2700.00
17	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	1220.00	1683.75
18	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	3225.00	1888.00
19	ओडिशा	14449.15	13321.00	13321.00	14925.04	14728.52	11806.27	11975.00	17553.22	3394.39
20	राजस्थान	1840.00	7441.00	8377.00	8822.04	10190.00	11072.90	10051.83	10327.93	9450.00
21	सिक्किम	451.01	437.00	437.00	520.25	353.00	1497.62	5986.00	0	0.00
22	तमिलनाडु	572.00	0.00	651.00	217.33	0.00	600.00	894.10	315.00	450.56
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	3541.00	4000.00	3845.35	4493.55	2850.32	4022.38
24	त्रिपुरा	2244.00	1955.00	2102.10	1183.94	2400.07	1345.76	1649.77	1294.38	1362.97
25	उत्तराखंड	0.00	0.00	139.60	805.83	0.00	0.00	679.00	1012.88	600.00
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	697.79	905.51	121.92	458.35	0	0.00
27	पश्चिम बंगाल	4720.00	2580.75	4181.36	5730.00	6233.00	5995.50	5397.11	5833.41	5122.58
	कुल	**96234.09**	**85254.35**	**105000.00**	**103999.38**	**113217.12**	**119502.23**	**134800.00**	**134500.00**	**95451.76**

*** 31.12.2019 तक**

अनुलग्नक – 6घ

वर्ष 2009–10 से 2019–20 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत निर्मुक्त निधि अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य–क्षेत्र	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (31.12.2019 तक)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	आंध्र प्रदेश	1946.20	5187.70	7998.00	4834.00	350.00	2139.00	5500.00	2869.43	4591.11	6390.77	8390.83
2	अरुणाचल प्रदेश	35.20	772.00	1082.83	0.00	832.19	1880.40	3000.80	6580.53	8378.82	12170.52	6514.94
3	असम	1240.77	3517.96	3419.00	0.00	3540.25	0.00	0.00	844.12	0.00	3916.32	6326.91
4	बिहार	95.00	838.00	959.00	0.00	0.00	586.00	0.00	1467.58	991.89	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	2834.80	7786.00	9294.00	8534.00	9172.11	10778.00	11904.31	10488.52	10964.49	11352.92	13571.63
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	450.00	103.00	345.66	0.00
7	गुजरात	4783.00	8302.00	9426.00	4629.60	10275.69	8592.45	11680.00	9739.02	11384.08	11648.20	14963.88
8	हिमाचल प्रदेश	360.00	377.00	431.00	474.00	474.00	190.99	523.20	1595.87	2074.70	3378.16	4841.00
9	जम्मू और कश्मीर	282.74	607.00	1390.00	150.34	1146.75	0.00	2000.00	3539.66	3049.06	2051.79	5410.00
10	झारखंड	3730.00	8004.00	9181.00	7369.50	9280.40	9873.00	12202.96	9489.38	12386.93	7354.30	9884.88
11	कर्नाटक	1823.00	3813.00	4263.00	4800.00	4800.00	4880.40	6300.00	4664.00	5881.74	5220.61	8978.36
12	केरल	387.00	405.00	463.00	510.00	510.00	748.94	1085.44	695.58	803.17	472.28	633.29
13	मध्य प्रदेश	6435.00	17311.31	14015.50	16518.04	15793.47	17321.42	14845.15	14971.43	22399.48	24635.30	31538.54
14	महाराष्ट्र	2000.00	9442.00	10805.00	2911.00	12489.00	11701.29	13374.00	11536.53	13862.24	17015.91	19838.70
15	मणिपुर	352.50	819.00	937.00	1031.00	1031.00	1600.01	1216.00	1694.40	2308.80	5367.65	2490.86
16	मेघालय	0.00	2100.00	2798.00	0.00	2924.38	2334.03	1507.67	1576.21	3603.40	5129.79	2446.40
17	मिजोरम	441.00	922.96	1056.00	810.75	1133.61	1877.78	3617.37	1927.49	2504.41	3507.71	6158.06
18	नागालैंड	576.59	2047.42	2301.00	2454.00	2886.93	2067.15	5469.34	6368.00	4434.11	9194.49	4377.38
19	ओडिशा	7026.00	11144.33	11347.00	11283.99	14706.50	12728.22	15200.00	11954.96	15995.30	21449.15	13226.34
20	राजस्थान	1500.00	8351.00	7642.00	7737.98	9437.80	9755.92	11000.00	10341.39	10240.58	13769.23	13986.18
21	सिक्किम	149.20	226.00	259.00	272.58	302.90	370.30	1250.30	1147.00	405.30	355.34	2967.11
22	तमिलनाडु	342.00	358.00	614.25	0.00	901.00	639.60	852.80	798.24	378.00	773.57	4116.78
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3894.40	6090.00	3608.05	5015.32	3248.89	6473.28
24	त्रिपुरा	780.00	1358.73	1250.00	1375.00	1355.00	1218.99	1600.68	1280.99	2040.99	2006.73	2421.63
25	उत्तर प्रदेश	350.00	1200.00	1484.91	200.00	0.00	743.49	1514.74	1138.62	189.00	252.43	515.57
26	उत्तराखंड	120.00	250.00	0.00	0.00	267.00	1530.36	92.02	0.00	1577.56	1255.27	428.37
27	पश्चिम बंगाल	2320.00	4848.00	6066.99	6104.00	6104.00	5747.00	7000.00	5814.37	5376.51	9235.73	8241.17
	कुल योग	**39910.00**	**99988.41**	**108483.48**	**81999.78**	**109713.98**	**113264.14**	**139226.78**	**126581.37**	**150939.99**	**181498.72**	**198742.09**

अनुलग्नक –7

दिनांक 30.09.2019 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों और अधिकार पत्रों के वितरण का विवरण

क्र. सं.	राज्य	30.09.2019 तक प्राप्त दावों की संख्या			30.09.2019 तक वितरित किए गए अधिकार पत्रों की संख्या			खारिज किए गए दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की कुल संख्या	प्राप्त दावों से निपटाए गए दावे का प्रतिशत
		वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल	वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल			
1	आंध्र प्रदेश	1,77,446	4,062	1,81,508	96,675	1,374	98,049	75,927	1,73,976	95.85%
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	एनए/एनआर	58,802	37.93%
3	बिहार	8,022	एनए/एनआर	8,022	121	0	121	4,215	4,336	54.05%
4	छत्तीसगढ़	8,58,682	31,558	8,90,240	4,01,251	21,967	4,23,218	4,61,590	8,84,808	99.39%
5	गोवा	9,758	378	10,136	17	8	25	47	72	0.71%
6	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	88,226	3,516	91,742	63,207	1,54,949	81.53%
7	हिमाचल प्रदेश	2,071	170	2,241	129	7	136	एनए/एनआर	136	6.07%
8	झारखंड	1,07,032	3,724	1,10,756	59,866	2,104	61,970	28,107	90,077	81.33%
9	कर्नाटक	2,75,446	5,903	2,81,349	14,667	1,406	16,073	1,80,956	1,97,029	70.03%
10	केरल	36,140	1,395	37,535	24,599	एनए	24,599	7,889	32,488	86.55%
11	मध्य प्रदेश	5,85,200	42,056	6,27,256	2,27,191	27,970	2,55,161	3,60,923	6,16,084	98.22%
12	महाराष्ट्र	3,62,679	12,037	3,74,716	1,65,032	7,084	1,72,116	45,525	2,17,641	58.08%
13	ओडिशा	6,17,935	13,826	6,31,761	4,30,212	6,564	4,36,776	1,46,749	5,83,525	92.36%
14	राजस्थान	74,414	1,441	75,855	38,007	103	38,110	36,299	74,409	98.09%
15	तमिलनाडु	32,983	1,005	33,988	6,111	276	6,387	11,742	18,129	53.34%
16	तेलंगाना	1,83,252	3,427	1,86,679	93,639	721	94,360	83,757	1,78,117	95.41%
17	त्रिपुरा	2,00,358	277	2,00,635	1,27,931	55	1,27,986	68,622	1,96,608	97.99%
18	उत्तर प्रदेश	92,520	1,124	93,644	17,712	843	18,555	74,945	93,500	99.85%
19	उत्तराखंड	3,574	3,091	6,665	144	1	145	6,510	6,655	99.85%
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	96,587	1,41,717	99.74%
	कुल	**40,91,308**	**1,48,826**	**42,40,134**	**18,93,299**	**76,162**	**19,69,461**	**17,53,597**	**37,23,058**	**87.81%**

अनुलग्नक –8क

ब्लॉक / उप–जिलों जहां ईएमआरएस (31/12/2019 तक) 2022 तक मंजूर करने का प्रस्ताव कर रहे हैं

क्र. सं.	राज्य	जिला	उप–जिला / ब्लॉक	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	अदातीगाला	37241	24663	66.2
2	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	राजावोमागनी	39351	31206	79.3
3	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	पेडाबायालू	51890	49937	96.2
4	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	अनंथागिरी	49019	44190	90.1
5	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	हुकुमपेथा	51697	49594	95.9
6	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	पडेरू	58983	48694	82.6
7	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	जी.मधुगुला	53884	49970	92.7
8	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	कोयूरू	50639	41213	81.4
9	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	गुमालक्ष्मी पुरम	49507	42919	86.7
10	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग	सेपा	29214	25138	86
11	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे	नाहरलगुन	49106	29157	59.4
12	अरुणाचल प्रदेश	तिरप	खोंसा	26295	20202	76.8
13	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	आलो	34916	24696	70.7
14	असम	बक्सा	सरूपेटा (पीटी)	55011	29630	53.9
15	असम	बक्सा	जलह (पीटी)	81979	43314	52.8
16	असम	धेमाजी	जोनाइ	169898	115883	68.2
17	असम	दीमा हसाओ	उमरांगसो	49952	32443	64.9
18	असम	दीमा हसाओ	माहुर	33859	28956	85.5
19	असम	दीमा हसाओ	माईबोंग	53570	41199	76.9
20	असम	गोलपाड़ा	दूधनई	80847	53599	66.3
21	असम	कामरूप	नाक	111880	70688	63.2
22	असम	कारबीआंगलोंग	फुलोनी	279848	149019	53.2
23	असम	कारबीआंगलोंग	सिलोंजीजान	91257	56901	62.4
24	असम	उदलगुड़ी	खोयबारी (पीटी)	81209	42782	52.7
25	असम	पश्चिम कार्बीअंगलोंग	डोनका	295358	193518	65.5
26	बिहार	कैमूर (भभुआ)	अधूरा	57100	29680	52
27	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	रामानुजगंज	168066	84995	50.6
28	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	शंकरगढ़	72088	52819	73.3
29	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	राजपुर	109022	78428	71.9
30	छत्तीसगढ़	बस्तर	लोहांदीगुडा	75842	56247	74.2
31	छत्तीसगढ़	बस्तर	बसतानार	48040	44251	92.1
32	छत्तीसगढ़	बस्तर	दर्भा	79360	65766	82.9

33	छत्तीसगढ़	बीजापुर	भोपालपत्तनम	49390	36093	73.1
34	छत्तीसगढ़	बीजापुर	उसूर	55686	49681	89.2
35	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	पेंड्रा रोड गोरेला	134135	76813	57.3
36	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तरदंतेवाड़ा	गिदाम	80552	55608	69
37	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तरदंतेवाड़ा	कुआकोंडा	65241	45286	69.4
38	छत्तीसगढ़	गरियाबंद	मेनपुर	124384	64356	51.7
39	छत्तीसगढ़	जशपुर	कनसाबेल	76735	47849	62.4
40	छत्तीसगढ़	जशपुर	मनोरा	60695	48740	80.3
41	छत्तीसगढ़	जशपुर	फरसाबहार	108498	64631	59.6
42	छत्तीसगढ़	जशपुर	पथलागॉव	191530	121198	63.3
43	छत्तीसगढ़	कोंडागोन	केसकल	93003	66197	71.2
44	छत्तीसगढ़	कोंडागोन	बडे राजपुर	85560	65545	76.6
45	छत्तीसगढ़	कोंडागोन	मकदी	99714	77499	77.7
46	छत्तीसगढ़	कोंडागोन	फारासगोन	98752	70820	71.7
47	छत्तीसगढ़	कोरबा	पुंदी–उपरोदा	188783	137703	72.9
48	छत्तीसगढ़	कोरिया	भरतपुर	88750	57589	64.9
49	छत्तीसगढ़	रायगढ़	लैलुंगा	130613	82923	63.5
50	छत्तीसगढ़	रायगढ़	घरघोडा	79425	46718	58.8
51	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	मोहला	86994	60950	70.1
52	छत्तीसगढ़	सुकमा	चिंधगढ़	79672	65526	82.2
53	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	प्रेमनगर	64797	38976	60.2
54	छत्तीसगढ़	सरगुजा	लुंधरा	119800	81206	67.8
55	छत्तीसगढ़	सरगुजा	सीतापुर	96131	68001	70.7
56	छत्तीसगढ़	सरगुजा	बातोली	70244	54558	77.7
57	छत्तीसगढ़	उत्तर बस्तरकैंकर	भानुप्रतापपुर	94937	59896	63.1
58	छत्तीसगढ़	उत्तर बस्तरकैंकर	दुर्गकोंडल	64293	49250	76.6
59	छत्तीसगढ़	उत्तर बस्तरकैंकर	नारहरपुर	110424	72919	66
60	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	343709	178564	52
61	गुजरात	छोटा उदयपुर	जैतपुर पावी	261425	217836	83.3
62	गुजरात	दाहोद	फतेहपुरा	238116	222511	93.4
63	गुजरात	दाहोद	झालोद	473273	426559	90.1
64	गुजरात	दाहोद	लिमखेदा	306269	193164	63.1
65	गुजरात	नर्मदा	नंदोद	241053	176658	73.3
66	गुजरात	नवसारी	चिखली	309877	220170	71.1
67	गुजरात	सबर कंथा	खेदब्रहमा	293143	220964	75.4

68	गुजरात	सबर कंथा	विजयनगर	103895	81509	78.5
69	गुजरात	सूरत	उमरपाडा	83723	80986	96.7
70	गुजरात	सूरत	महुवा	144906	117675	81.2
71	गुजरात	तापी	व्यारा	268289	227613	84.8
72	गुजरात	तापी	वालोद	90566	64868	71.6
73	गुजरात	डांग	द डंग्स	228291	216073	94.6
74	जम्मू और कश्मीर	बांदीपुरा	गुरेज	37992	31094	81.8
75	जम्मू और कश्मीर	कारगिल	संकु	40548	36475	90
76	जम्मू और कश्मीर	लेह लद्दाख)	लेह	93961	62813	66.9
77	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	बुढाल	123050	70081	57
78	झारखंड	दुमका	गोपिकांदर	42063	35577	84.6
79	झारखंड	दुमका	शिकारीपाड़ा	131464	79522	60.5
80	झारखंड	दुमका	मसालिया	124554	72966	58.6
81	झारखंड	गढ़वा	भंदारिया	66092	39653	60
82	झारखंड	गुमला	बिशुनपुर	62319	56052	89.9
83	झारखंड	गुमला	घाघरा	114399	88805	77.6
84	झारखंड	गुमला	सिसई	116844	75208	64.4
85	झारखंड	गुमला	वरनो	84572	62441	73.8
86	झारखंड	गुमला	कामदारा	63775	45034	70.6
87	झारखंड	गुमला	गुमला	213620	122290	57.2
88	झारखंड	गुमला	चैनपुर	56591	46320	81.9
89	झारखंड	गुमला	डुमरी	49134	40389	82.2
90	झारखंड	गुमला	राईदीह	71443	46240	64.7
91	झारखंड	गुमला	पलकोट	80859	48608	60.1
92	झारखंड	खूंटी	रनिया	39349	27330	69.5
93	झारखंड	खूंटी	एर्की (तामार II)	80589	63804	79.2
94	झारखंड	लातेहार	महुआदानर	74732	58802	78.7
95	झारखंड	लोहारदगा	किसको	54959	33559	61.1
96	झारखंड	पाकुर	अमरापारा	65289	53623	82.1
97	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	बंदगॉव	87072	69632	80
98	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	गोईलकेरा	74019	63206	85.4
99	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	आनंदपुर	44406	30557	68.8
100	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	टोनटो	59918	48424	80.8
101	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	हट गम्हरिया	67226	49684	73.9
102	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	चाईबासा	155954	86915	55.7
103	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	मनझरी	68450	52533	76.7

104	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	झिंकपानी	53792	32168	59.8
105	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	कुमारदुंगी	55352	41928	75.7
106	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	मझगॉव	72616	53214	73.3
107	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	ढालभूमगढ	61932	33679	54.4
108	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	गुरबंधा	43001	28634	66.6
109	झारखंड	रांची	नामकुम	145841	87472	60
110	झारखंड	रांची	नगरी	76442	38326	50.1
111	झारखंड	रांची	मंदार	128585	77143	60
112	झारखंड	रांची	बेरो	113090	69959	61.9
113	झारखंड	साहिबगंज	मनद्रो	75659	41176	54.4
114	झारखंड	साहिबगंज	बोरोई	97845	59732	61
115	झारखंड	साहिबगंज	तलझारी	76330	42348	55.5
116	झारखंड	साहिबगंज	पथना	81940	46884	57.2
117	झारखंड	सराईकेला–खारसावां	कुछाई	64320	50169	78
118	झारखंड	सिमडेगा	कुरदेग	47984	34707	72.3
119	झारखंड	सिमडेगा	केरसाई	39218	31505	80.3
120	झारखंड	सिमडेगा	बोलबा	30786	22433	72.9
121	झारखंड	सिमडेगा	थेथाईतंगगढ	87458	70432	80.5
122	झारखंड	सिमडेगा	कोलेबिरा	71283	44590	62.6
123	झारखंड	सिमडेगा	जलदेगा	64286	53309	82.9
124	झारखंड	सिमडेगा	बानो	80462	50816	63.2
125	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	पुष्पाराजगढ	230005	176741	76.8
126	मध्य प्रदेश	बालाघाट	पारास्वादा	108026	56491	52.3
127	मध्य प्रदेश	बड़वानी	बड़वानी	211061	124010	58.8
128	मध्य प्रदेश	बड़वानी	सेंधवा	231318	163813	70.8
129	मध्य प्रदेश	बड़वानी	वरला	128721	112491	87.4
130	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	नेपानगर	190994	114378	59.9
131	मध्य प्रदेश	देवास	बागली	195153	101463	52
132	मध्य प्रदेश	धार	सरदारपुर	296513	180856	61
133	मध्य प्रदेश	धार	गनधावनी	156046	141601	90.7
134	मध्य प्रदेश	धार	मनावर	308188	194023	63
135	मध्य प्रदेश	हरदा	रेहातगोन	96032	49531	51.6
136	मध्य प्रदेश	जबलपुर	कुंदम	123443	87152	70.6
137	मध्य प्रदेश	झाबुआ	पेटलावद	232800	185572	79.7
138	मध्य प्रदेश	झाबुआ	मेघनगर	171944	154625	89.9
139	मध्य प्रदेश	झाबुआ	राणापुर	114738	101843	88.8

140	मध्य प्रदेश	मंडला	निवास	124591	89281	71.7
141	मध्य प्रदेश	मंडला	नारायणगंज	108911	79255	72.8
142	मध्य प्रदेश	मंडला	घुंघारी	172823	120588	69.8
143	मध्य प्रदेश	रतलाम	बाजना	80290	76451	95.2
144	मध्य प्रदेश	रतलाम	रावती	84171	77835	92.5
145	मध्य प्रदेश	सिवनी	धानोर	85066	49254	57.9
146	मध्य प्रदेश	शाहडोल	जैतपुर	162492	100370	61.8
147	मध्य प्रदेश	श्योपुर	काराहाल	108261	69142	63.9
148	मध्य प्रदेश	उमरिया	नौरोजाबाद	78441	42518	54.2
149	मध्य प्रदेश	खरगोन (पश्चिम निमाड़)	सेगोन	83487	63652	76.2
150	मध्य प्रदेश	खरगोन (पश्चिम निमाड़)	भगवानपुरा	192996	168151	87.1
151	मध्य प्रदेश	खरगोन (पश्चिम निमाड़)	झिरानया	201756	161863	80.2
152	महाराष्ट्र	अमरावती	धारनी	184665	142191	77
153	महाराष्ट्र	धुले	सकरी	464913	247970	53.3
154	महाराष्ट्र	गडचिरोली	कोरची	42811	31333	73.2
155	महाराष्ट्र	गडचिरोली	धानोर	82698	58745	71
156	महाराष्ट्र	गडचिरोली	भामरागढ	36325	29459	81.1
157	महाराष्ट्र	नंदुरबार	तालोदे	159654	123634	77.4
158	महाराष्ट्र	नंदुरबार	शाहादेह	407728	220975	54.2
159	महाराष्ट्र	नासिक	डिंडोरी	315709	175454	55.6
160	महाराष्ट्र	नासिक	पिंट	119838	115576	96.4
161	महाराष्ट्र	नासिक	त्र्यंबकेश्वर	168423	135078	80.2
162	महाराष्ट्र	पालघर	दहानू	402095	277904	69.1
163	महाराष्ट्र	पालघर	विक्रमगढ़	137625	126368	91.8
164	महाराष्ट्र	पालघर	मोखादा	83453	76842	92.1
165	महाराष्ट्र	पालघर	वड़ा	178370	101709	57
166	मणिपुर	चंदेल	चंदेल	32133	29802	92.7
167	मणिपुर	चंदेल	चकपीकारोंग	52939	48937	92.4
168	मणिपुर	छुरछंदपुर	तिपाईमुख	28795	27220	94.5
169	मणिपुर	छुरछंदपुर	चुराचंदपुर उत्तर	30616	29244	95.5
170	मणिपुर	छुरछंदपुर	छुरछंदपुर	174138	159032	91.3
171	मणिपुर	सेनापति	पुयल	68123	66830	98.1
172	मणिपुर	सेनापति	सदर हिल्स पश्चिम	71844	45784	63.7

173	मणिपुर	सेनापति	सेतु–गंफेजोल	58536	47885	81.8
174	मणिपुर	सेनापति	सदर हिल्स पूर्व	63364	60859	96
175	मणिपुर	तामेंगलांग	तामेंगलांग पश्चिम	27742	26647	96.1
176	मणिपुर	तामेंगलांग	तामेंगलोंग उत्तर	28056	27096	96.6
177	मणिपुर	उखरूल	उखरूल उत्तर	31004	29810	96.1
178	मणिपुर	उखरूल	उखुरल सेंट्रल	107378	99750	92.9
179	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स	सोंगसाक	53107	51225	96.5
180	मेघालय	ईस्ट जैंतिया हिल्स	साइपुंग	37107	36524	98.4
181	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	माओफेनांग	71491	71116	99.5
182	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	माईलीम	442950	294073	66.4
183	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	मव्र्न्ग्क्नेंग	44602	44293	99.3
184	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	खतरस्नोंगलेतक्रोह	33570	33479	99.7
185	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	मौसिनराम	54109	50208	92.8
186	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	शीला भोलागंज	54039	44535	82.4
187	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	पिनूरसाला	57870	57097	98.7
188	मेघालय	जयंतिया हिल्स	अमलारेम	43844	40476	92.3
189	मेघालय	उत्तर गारो हिल्स	रेसुबेलपारा	104514	100748	96.4
190	मेघालय	रिभोई	उमलिंग	87021	75445	86.7
191	मेघालय	रिभोई	जिरोंग	30919	30193	97.7
192	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स	चोकपोट	40478	39093	96.6
193	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स	गासुआपारा	28216	26848	95.2
194	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स	बाघमारा	50617	46458	91.8
195	मेघालय	साउथ वेस्ट गारो हिल्स	बेटासिंग	72103	65776	91.2
196	मेघालय	दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	रानीकोर	41218	37677	91.4
197	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	दादेनगिरी	41595	40351	97
198	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	रोंगराम	133756	106987	80
199	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	जमबेगरे	33546	32484	96.8
200	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	दालू	54095	47108	87.1
201	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	माओशीनरूट	74490	73092	98.1
202	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	माउथादराईसान	49014	48258	98.5
203	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	मियारंग	82437	81500	98.9
204	मिजोरम	आइजोल	दरलवान	26048	25488	97.9
205	मिजोरम	चम्फाई	खावजुवाल	35931	35385	98.5
206	मिजोरम	चम्फाई	खावबुंग	22137	21819	98.6
207	मिजोरम	लुंगलेई	लुंगसेन	39020	37811	96.9

208	मिजोरम	लुंगलेई	हनाहथियाल	26113	25788	98.8
209	मिजोरम	मामित	वेस्ट फीलेंग	21309	20746	97.4
210	नागालैंड	लोंगलेंग	लोंगलेंग	23184	22274	96.1
211	नागालैंड	मोकोकचुंग	ओंगपेंगकोंग	83797	76076	90.8
212	नागालैंड	सोम	सोम सदर	47977	45833	95.5
213	नागालैंड	सोम	लौंगसेन	20311	20178	99.3
214	नागालैंड	सोम	अंगजंगयांग	20307	20077	98.9
215	नागालैंड	सोम	मोन्याकशू	23225	23016	99.1
216	नागालैंड	पेरेन	टेनिंग	25864	25620	99.1
217	नागालैंड	फेक	फेकसदर	27407	24755	90.3
218	नागालैंड	तुएनसांग	तुएंसांगसदर	47885	44487	92.9
219	नागालैंड	जुनहेबोतो	जुनहेबोतोसदर	35977	33629	93.5
220	ओडिशा	बालेश्वर	बेरहामपुर	57614	38756	67.3
221	ओडिशा	ढेंकनाल	कंकादहाद	61222	34869	57
222	ओडिशा	गजपति	आर.उदयगिरी	86234	63279	73.4
223	ओडिशा	गजपति	सेरांगो	77720	61142	78.7
224	ओडिशा	गजपति	रायगढ़	46196	35470	76.8
225	ओडिशा	जाजापुर	कलियापानी	38517	21618	56.1
226	ओडिशा	कालाहांडी	थुआमुल रामपुर	77840	45287	58.2
227	ओडिशा	कंधमाल	गोछापाडा	35593	22206	62.4
228	ओडिशा	कंधमाल	सारंगगढ़	35335	20282	57.4
229	ओडिशा	कंधमाल	कोटागढ़	47900	28485	59.5
230	ओडिशा	केंदुझार	बामेबारी	56271	34869	62
231	ओडिशा	केंदुझार	बारिया	73664	37500	50.9
232	ओडिशा	केंदुझार	तुरूमुंगा	68598	34327	50
233	ओडिशा	केंदुझार	पटना	104824	59350	56.6
234	ओडिशा	केंदुझार	नयाकोटे	46056	34767	75.5
235	ओडिशा	केंदुझार	तलकोई	95718	49547	51.8
236	ओडिशा	केंदुझार	पनदापारा	63308	40129	63.4
237	ओडिशा	केंदुझार	घाटगॉव	107106	66037	61.7
238	ओडिशा	केंदुझार	हरीचंदनपुर	80711	41301	51.2
239	ओडिशा	कोरापुट	दासमंतापुर	50736	31851	62.8
240	ओडिशा	कोरापुट	लक्ष्मीपुर	40232	29927	74.4
241	ओडिशा	कोरापुट	बंधुगौन	58974	47059	79.8
242	ओडिशा	कोरापुट	कुंदुरा	57038	30190	52.9
243	ओडिशा	कोरापुट	बोईपारीगुडा	125337	72290	57.7

244	ओडिशा	कोरापुट	पडुआ	54561	28413	52.1
245	ओडिशा	कोरापुट	पोतांगी	88128	54917	62.3
246	ओडिशा	मल्कानगिरी	मुदुलीपाडा	29614	20882	70.5
247	ओडिशा	मल्कानगिरी	चित्रकोंडा	33579	22839	68
248	ओडिशा	मयूरभंज	गोरूमहिसानी	47653	35646	74.8
249	ओडिशा	मयूरभंज	झारपोखेरिया	99794	57509	57.6
250	ओडिशा	मयूरभंज	जाशिपुर	121030	82656	68.3
251	ओडिशा	मयूरभंज	रारूआन	78209	47207	60.4
252	ओडिशा	मयूरभंज	ठाकुरमुंडा	57890	41909	72.4
253	ओडिशा	मयूरभंज	कोलियाना	82810	55385	66.9
254	ओडिशा	मयूरभंज	बनगिरीपोसी	104902	73190	69.8
255	ओडिशा	मयूरभंज	चंदुआ	63390	37203	58.7
256	ओडिशा	मयूरभंज	रसागोबिंदपुर	96526	52715	54.6
257	ओडिशा	मयूरभंज	बारसाही	132580	69837	52.7
258	ओडिशा	मयूरभंज	उदाला	110104	76310	69.3
259	ओडिशा	मयूरभंज	पतीपादा	76427	38834	50.8
260	ओडिशा	मयूरभंज	शाराता	77369	62176	80.4
261	ओडिशा	मयूरभंज	माहुलदिया	46804	36533	78.1
262	ओडिशा	नबरंगपुर	रायगढ़	133537	86248	64.6
263	ओडिशा	नबरंगपुर	कुंदेई	50002	34317	68.6
264	ओडिशा	नबरंगपुर	उमारकोटे	206012	112072	54.4
265	ओडिशा	नबरंगपुर	दबुगन	155383	99754	64.2
266	ओडिशा	रायगढ़	चंद्रपुर	28952	20772	71.7
267	ओडिशा	रायगढ़	कल्याण सिंह पुर	66029	42999	65.1
268	ओडिशा	रायगढ़	टिकिरी	35376	23849	67.4
269	ओडिशा	रायगढ़	सेसखाल	47586	38501	80.9
270	ओडिशा	रायगढ़	पदमपुर	44779	22647	50.6
271	ओडिशा	संबलपुर	माहुलपल्ली	76632	45924	59.9
272	ओडिशा	संबलपुर	जुजोमुरा	57271	31848	55.6
273	ओडिशा	सुंदरगढ़	धारूआधीही	35427	20163	56.9
274	ओडिशा	सुंदरगढ़	किनजीरकेला	57452	40344	70.2
275	ओडिशा	सुंदरगढ़	बारागॉव	77943	51459	66
276	ओडिशा	सुंदरगढ़	रैबोगा	43474	35017	80.5
277	ओडिशा	सुंदरगढ़	बिसरा	98455	58287	59.2
278	ओडिशा	सुंदरगढ़	ब्राह्मनी तरंग	57664	45314	78.6
279	ओडिशा	सुंदरगढ़	कमरपोशबालांग	42854	32606	76.1

280	ओडिशा	सुंदरगढ़	कोइदा	40824	26917	65.9
281	ओडिशा	सुंदरगढ़	गुरूंदिया	35256	29754	84.4
282	राजस्थान	बांसवाड़ा	गढ़ी	298740	173066	57.9
283	राजस्थान	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	373825	318963	85.3
284	राजस्थान	डूंगरपुर	सागवाडा	343232	203272	59.2
285	राजस्थान	प्रतापगढ़	दरियावाड	189872	149512	78.7
286	राजस्थान	प्रतापगढ़	अरनोद	141023	94932	67.3
287	राजस्थान	उदयपुर	झाड़ोल	249297	188925	75.8
288	राजस्थान	उदयपुर	लासादिया	91229	80435	88.2
289	राजस्थान	उदयपुर	सलूमबर	248337	132473	53.3
290	राजस्थान	उदयपुर	ऋषभदेव	172935	145576	84.2
291	तेलंगाना	आदिलाबाद	इंदरावेली	47506	27196	57.2
292	तेलंगाना	आदिलाबाद	नारनूर	49239	33060	67.1
293	तेलंगाना	भद्रादरी	चेर्ला	42947	23887	55.6
294	तेलंगाना	भद्रादरी	दुमुकुदेम	46802	32518	69.5
295	तेलंगाना	भद्रादरी	मुलकालापली	34794	21417	61.6
296	तेलंगाना	खम्मम	सिंगरेनी	54897	33543	61.1
297	तेलंगाना	महबुबाबाद	कोठागुडम	39576	24393	61.6
298	तेलंगाना	महबुबाबाद	गुडूर	55781	31960	57.3
299	त्रिपुरा	धलाई	मनु	84194	57791	68.6
300	त्रिपुरा	धलाई	अम्बासा	54618	39609	72.5
301	त्रिपुरा	धलाई	दमबुरनगर	59400	48127	81
302	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	दमचारा	27635	22631	81.9
303	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	पेंचारथल	43146	25543	59.2
304	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	डासदा	102037	68717	67.3
305	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	अमरपुर	56572	32055	56.7
306	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	उमपी	38635	32742	84.7
307	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	पदमाबील	35534	32982	92.8
308	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	तुलाशिखार	43459	33099	76.2
309	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	मण्डी	44670	41187	92.2
310	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	जमपुईजाना	45682	43244	94.7
311	उत्तराखंड	देहरादून	चकराता	49607	24909	50.2
312	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	बुंदवान	94929	49232	51.9

अनुलग्नक –8ख

ईएमआरएस की सूची (31/12/2019 तक)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृति का वर्ष	जिला	ब्लॉक/तालुका	ग्राम/आवास	स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	1998–99	पूर्वी गोदावरी	वाई. रामावरम	पी. येर्रागोंडा	कार्यशील
2	आंध्र प्रदेश	2003–04	एसपीएसआर नेल्लौर	कोडावलुर	कोडावलुरु	कार्यशील
3	आंध्र प्रदेश	2010–11	प्रकाशम	डोरनाला	श्रीसैलाम	कार्यशील
4	आंध्र प्रदेश	2010–11	विशाखापट्टनम	गुडेम कोठा वीधि	जीके वीधि	कार्यशील
5	आंध्र प्रदेश	2014–15	चित्तूर	बुचिनाडिदु खंडरिगा	बीएन कंडरिगा	कार्यशील
6	आंध्र प्रदेश	2014–15	पूर्वी गोदावरी	मारेदुमिली	मारेदुमिली	कार्यशील
7	आंध्र प्रदेश	2014–15	एसपीएसआर नेल्लौर	ओजिली	औजिल मंडल	कार्यशील
8	आंध्र प्रदेश	2014–15	श्रीकाकुलम	मेलिअपुत्ति	मेलिअपुत्ति	कार्यशील
9	आंध्र प्रदेश	2014–15	श्रीकाकुलम	भामिनी	भामिनी	कार्यशील
10	आंध्र प्रदेश	2014–15	विशाखापट्टनम	मुनचिंगी पुट्ठु	मुंचिगापुट	कार्यशील
11	आंध्र प्रदेश	2014–15	विशाखापट्टनम	दुम्बरीगुडा	दुम्बरीगुडा	कार्यशील
12	आंध्र प्रदेश	2014–15	विजयानगरम	मक्कुवा	अनासाभद्रा	कार्यशील
13	आंध्र प्रदेश	2014–15	विजयानगरम	कुरुपम	कुरुपम	कार्यशील
14	आंध्र प्रदेश	2014–15	विजयानगरम	पछिपेंठा	कोटिकापेंटा	कार्यशील
15	आंध्र प्रदेश	2018–19	पश्चिमी गोदावरी	बुत्तेयागुदेम		कार्यशील
16	आंध्र प्रदेश	2018–19	पूर्वी गोदावरी	चीनतूर		कार्यशील
17	आंध्र प्रदेश	2019–20	पूर्वी गोदावरी	राजावोमींगी		कार्यशील
18	आंध्र प्रदेश	2019–20	विशाखापट्टनम	चिंतापल्ली		कार्यशील
19	आंध्र प्रदेश	2019–20	विशाखापट्टनम	अराकु वेली		कार्यशील
20	अरूणाचल प्रदेश	1997–98	पूर्वी कामेंग	बाना	बानाकैम्प (नया सोपुंग)	कार्यशील
21	अरूणाचल प्रदेश	2007–08	तवांग	लुमला	लुमला	कार्यशील
22	अरूणाचल प्रदेश	2015–16	कुरुंगकुमे	नयापीन	काम्पु, न्यापन	अकार्यशील
23	अरूणाचल प्रदेश	2015–16	तिरप	खोंसा	खेला	अकार्यशील
24	अरूणाचल प्रदेश	2016–17	पश्चिम सियांग	तिरबिन	लागू नहीं	अकार्यशील
25	अरूणाचल प्रदेश	2016–17	लोहित	वकरो	मेदो	अकार्यशील
26	अरूणाचल प्रदेश	2017–18	निचली दिबांग घाटी	दम्बुक	लागू नहीं	अकार्यशील
27	अरूणाचल प्रदेश	2018–19	पापुम पारे	इटागर	लागू नहीं	अकार्यशील
28	असम	2010–11	बक्सा	बरामा	दलबारी	अकार्यशील
29	असम	2015–16	बारपेटा	बजाली	खाराधारा	अकार्यशील
30	असम	2016–17	कोकराझार	गिरवी रखना	बेदलांगमारी	अकार्यशील

31	असम	2016–17	कारबी अंगलोंग	दिफू	थेसो–अजुर सोनासिंहतेरंग	अकार्यशील
32	असम	2018–19	डिमा हासाओ	हाफलॉग	लागू नहीं	अकार्यशील
33	बिहार	2014–15	पश्चिम चंपारण	गौनाहा	बेलसांडी	अकार्यशील
34	बिहार	2014–15	जमुई	झाझा	झाघा	अकार्यशील
35	छत्तीसगढ़	2005–06	बस्तर	बकावंद	कारपावंड	कार्यशील
36	छत्तीसगढ़	2005–06	दंतेवाड़ा	गिदेम	जवंगा	कार्यशील
37	छत्तीसगढ़	2005–06	जशपुर	बगीचा	सन्ना	कार्यशील
38	छत्तीसगढ़	2005–06	कांकेर	अंतागड	लम्कान्हार	कार्यशील
39	छत्तीसगढ़	2005–06	कबीरधाम	बोदला	तारेगांव जंगल	कार्यशील
40	छत्तीसगढ़	2005–06	रायगढ़	खरसिया	छोटमुदपर	कार्यशील
41	छत्तीसगढ़	2005–06	सूरजपुर	भइयाथान	शिवप्रसाद नगर	कार्यशील
42	छत्तीसगढ़	2005–06	सरगुजा	मैनपेट	कमलेश्वरपुर	कार्यशील
43	छत्तीसगढ़	2010–11	बीजापुर	भैरमगढ़	पुसनार	कार्यशील
44	छत्तीसगढ़	2010–11	कोरबा	कटघोरा	छुरीकाला	कार्यशील
45	छत्तीसगढ़	2010–11	राजनंदगांव	डोंगरगढ़	पेंडरी	कार्यशील
46	छत्तीसगढ़	2011–12	कोरिया	खंडगनवा	पोंददीह	कार्यशील
47	छत्तीसगढ़	2012–13	कोंडागांव	कोंडागांव	मरदापाल गोलवंद	कार्यशील
48	छत्तीसगढ़	2013–14	बस्टर	बस्टर	बेसोली	कार्यशील
49	छत्तीसगढ़	2013–14	बिलासपुर	मरवाही	डोंगारिया	कार्यशील
50	छत्तीसगढ़	2013–14	नारायणपुर	नारायणपुर	छेरीबेडा	कार्यशील
51	छत्तीसगढ़	2015–16	बालोद	दौउंडी	दल्लीराजारा	कार्यशील
52	छत्तीसगढ़	2015–16	बलरामपुर	बलरामपुर	महाराजगंज	कार्यशील
53	छत्तीसगढ़	2015–16	बलौदा बाजार	कासडोल	बालदाकछार	कार्यशील
54	छत्तीसगढ़	2015–16	धमतरी	नगरी	पथरीदीह	कार्यशील
55	छत्तीसगढ़	2015–16	गरियाबंद	गरियाबंद	केशोदर	कार्यशील
56	छत्तीसगढ़	2015–16	जंजगिरचम्फा	सक्ति	पलाडीखुर्द	कार्यशील
57	छत्तीसगढ़	2015–16	महासमुंद	पिथौरा	पिथौरा	कार्यशील
58	छत्तीसगढ़	2015–16	मुंगेली	लोरमी	बंधवा	कार्यशील
59	छत्तीसगढ़	2015–16	सुकमा	सुकमा	सुकमा	कार्यशील
60	छत्तीसगढ़	2018–19	बिलासपुर	पेंडरा	लागू नहीं	कार्यशील
61	छत्तीसगढ़	2018–19	कोरबा	पाली	लागू नहीं	कार्यशील
62	छत्तीसगढ़	2019–20	रायगढ़	उदयपुर (धरमजयगढ़)	लागू नहीं	कार्यशील
63	छत्तीसगढ़	2019–20	सूरजपुर	प्रतापपुर	लागू नहीं	कार्यशील
64	छत्तीसगढ़	2019–20	सुरजपुर	उदगी	लागू नहीं	कार्यशील
65	छत्तीसगढ़	2019–20	बलरामपुर	वद्राफनगर	लागू नहीं	कार्यशील

66	छत्तीसगढ़	2019–20	बलरामपुर	समीर (कुसमी)	लागू नहीं	कार्यशील
67	छत्तीसगढ़	2019–20	सरगुजा	उदयपुर	लागू नहीं	कार्यशील
68	छत्तीसगढ़	2019–20	कोरिया	सोनाहट	लागू नहीं	कार्यशील
69	छत्तीसगढ़	2019–20	राजनंदगांव	मानपुर	लागू नहीं	कार्यशील
70	छत्तीसगढ़	2019–20	बस्तर	टोकापाल	लागू नहीं	कार्यशील
71	छत्तीसगढ़	2019–20	कांकेर	कांकेर	लागू नहीं	कार्यशील
72	छत्तीसगढ़	2019–20	बीजापुर	बीजापुर	लागू नहीं	कार्यशील
73	छत्तीसगढ़	2019–20	सुकमा	कोंटा	लागू नहीं	कार्यशील
74	छत्तीसगढ़	2019–20	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	लागू नहीं	कार्यशील
75	छत्तीसगढ़	2019–20	जशपुर	जशपुर	लागू नहीं	कार्यशील
76	छत्तीसगढ़	2018–19	नारायणपुर	ओरछा	लागू नहीं	कार्यशील
77	गुजरात	1997–98	नर्मदा	तिलकवाडा	तिलकवाड़ा	कार्यशील
78	गुजरात	1997–98	अरवल्ली	भिलोडा	शामलजी (शमलपुर)– 1	कार्यशील
79	गुजरात	1997–98	सूरत	बारडोली	मोटा	कार्यशील
80	गुजरात	1997–98	डांग	अहवा	अहवा	कार्यशील
81	गुजरात	2001–02	वलसाड	पारदी	पार्दी	कार्यशील
82	गुजरात	2001–02	वलसाड	कपरादा	कपारदा	कार्यशील
83	गुजरात	2001–02	नवसारी	वंशदा	बार्टड	कार्यशील
84	गुजरात	2003–04	तापी	निजार	खोदादा	कार्यशील
85	गुजरात	2007–08	बंता कांथा	दंता	अम्बाजी	कार्यशील
86	गुजरात	2007–08	दाहोद	दाहोद	खरेदी	कार्यशील
87	गुजरात	2007–08	पंच महल	कलोल	वेजलपुर	कार्यशील
88	गुजरात	2010–11	नर्मदा	गरुडेश्वर	गोरा (नन्दोड)	कार्यशील
89	गुजरात	2010–11	अरवल्ली	भिलोडा	शमलाजी (शमालपुर) – 2	कार्यशील
90	गुजरात	2011–12	डांग	अहवा	समुतारा	कार्यशील
91	गुजरात	2011–12	वडोदरा	वघोडिया	वाघोडिया	कार्यशील
92	गुजरात	2011–12	बंता कांथा	पालनपुर	जगाना	कार्यशील
93	गुजरात	2011–12	दाहोद	धानपुर	लुखाडिया	कार्यशील
94	गुजरात	2011–12	महिसागर	कदाना	कडान्ना (दिवदाकॉलोनी)	कार्यशील
95	गुजरात	2011–12	तापी	सोनगढ़	इंदु	कार्यशील
96	गुजरात	2011–12	तापी	सोनगढ़	ऊकई	कार्यशील
97	गुजरात	2011–12	वलसाड	धरमपुर	धरमपुर(ओजरपाडा)	कार्यशील
98	गुजरात	2013–14	छोटाउदेयपुर	छोटाउदेयपुर	पुनियावत	कार्यशील
99	गुजरात	2015–16	साबरकांठा	पोशिना	चंदरामा (चिखला)	कार्यशील

100	गुजरात	2016—17	भरूच	वलिया	वघालखोंड	कार्यशील
101	गुजरात	2017—18	नर्मदा	सगबारा	सगबाड़ा	कार्यशील
102	गुजरात	2017—18	छोटाउदेयपुर	नशवाडी	नसवाडी	कार्यशील
103	गुजरात	2017—18	सूरत	मांडवी	अरेथ	कार्यशील
104	गुजरात	2018—19	दाहोद		सिंगयाद	कार्यशील
105	गुजरात	2018—19	बनास काँठा	अमीरगढ़	लागू नहीं	कार्यशील
106	गुजरात	2018—19	भरूच	झगडिया	लागू नहीं	कार्यशील
107	गुजरात	2019—20	छोटाउदेयपुर	कनवट	लागू नहीं	कार्यशील
108	गुजरात	2019—20	दाहोद	गरियाबंद	लागू नहीं	कार्यशील
109	गुजरात	2019—20	महिसागर	संतरामपुर	लागू नहीं	कार्यशील
110	गुजरात	2019—20	नर्मदा	देदियापाडा	लागू नहीं	कार्यशील
111	गुजरात	2018—19	तापी	उच्छल (ईएमबीडीएस)	लागू नहीं	कार्यशील
112	हिमाचल प्रदेश	1997—98	किन्नौर	निचार	उरनी	कार्यशील
113	हिमाचल प्रदेश	2018—19	लाहौल	बैरिंग		कार्यशील
114	हिमाचल प्रदेश	2018—19	किल्लार	पनगी		कार्यशील
115	हिमाचल प्रदेश	2018—19	चम्बा	ब्रह्मपुर	लागू नहीं	कार्यशील
116	जम्मू और कश्मीर	1997—98	अनंतनाग	अनंतनाग	सालिया	अकार्यशील
117	जम्मू और कश्मीर	2003—04	कुलगाम	दमहाल हांजीपोरा	तंगमार्ग	अकार्यशील
118	जम्मू और कश्मीर	2016—17	रजौरी	लागू नहीं	लागू नहीं	अकार्यशील
119	जम्मू और कश्मीर	2016—17	करगिल	करगिल	करगिल	अकार्यशील
120	जम्मू और कश्मीर	2017—18	पूंछ	लागू नहीं	लागू नहीं	अकार्यशील
121	जम्मू और कश्मीर	2018—19	बंदीपोरा	गुरेज		अकार्यशील
122	जम्मू और कश्मीर	2018—19	लेह	लेह		अकार्यशील
123	जम्मू और कश्मीर	2018—19	रजौरी	बुधाल	कोटेरानाका	अकार्यशील
124	झारखण्ड	1997—98	दुमका	दुमका	काठीजोरिया	कार्यशील
125	झारखण्ड	1997—98	रांची	तामार	सालगाडीह	कार्यशील
126	झारखण्ड	1997—98	साहेबगंज	बरहैत	भोगनाडीह	कार्यशील
127	झारखण्ड	1997—98	पश्चिम सिंहभूम	खूंटपानी	टोरसिड्री	कार्यशील
128	झारखण्ड	2010—11	गुमला	बसिया	सोलांगबिरा	कार्यशील
129	झारखण्ड	2011—12	गोड्डा	सुंदरपहाडी	तसारिया	कार्यशील
130	झारखण्ड	2011—12	लोहरदगा	लोहरदगा	कुंजिरा	कार्यशील
131	झारखण्ड	2013—14	पूर्वी सिंहभूम	बहारागोरा	बुद्धिपोखर	कार्यशील
132	झारखण्ड	2013—14	सिमडेगा	सिमडेगा	गर्जा	अकार्यशील
133	झारखण्ड	2014—15	छात्र	कान्हाचट्टी	चारु	कार्यशील
134	झारखण्ड	2014—15	दुमका	काठीकुंड	फिटकोरिया	कार्यशील

135	झारखण्ड	2014–15	गिरिडीह	पीरतंड	पालगंज	कार्यशील
136	झारखण्ड	2014–15	पाकुर	लिट्टीपाड़ा	कुमारभजिया	कार्यशील
137	झारखण्ड	2014–15	पलामू	मनातु	बंशीखुर्द	अकार्यशील
138	झारखण्ड	2014–15	पश्चिम सिंहभूम	गुदरी	कासकेल	कार्यशील
139	झारखण्ड	2016–17	जामताड़ा	फतेहपुर	लागू नहीं	अकार्यशील
140	झारखण्ड	2016–17	खूंटी	कर्रा	सियाक्ल	अकार्यशील
141	झारखण्ड	2016–17	लातेहार	लातेहार	नेगारी	अकार्यशील
142	झारखण्ड	2016–17	सराय केला	निमदीह	झिमरी	अकार्यशील
143	झारखण्ड	2017–18	पश्चिम सिंहभूम	जगन्नाथपुर	लागू नहीं	अकार्यशील
144	झारखण्ड	2017–18	रांची	लागू नहीं	लागू नहीं	अकार्यशील
145	झारखण्ड	2018–19	धनबाद	टुंडी	लागू नहीं	अकार्यशील
146	झारखण्ड	2018–19	गढ़वा	भनदारिया	लागू नहीं	अकार्यशील
147	झारखण्ड	2018–19	खूंटी	खूंटी	लागू नहीं	अकार्यशील
148	झारखण्ड	2018–19	खूंटी	तोरपा	लागू नहीं	अकार्यशील
149	झारखण्ड	2019–20	खूंटी	मुरहु	लागू नहीं	अकार्यशील
150	झारखण्ड	2019–20	लातेहार	बरवाडीह	लागू नहीं	अकार्यशील
151	झारखण्ड	2019–20	लातेहर	गारु	लागू नहीं	अकार्यशील
152	झारखण्ड	2019–20	लोहारदागा	सेन्हा	लागू नहीं	अकार्यशील
153	झारखण्ड	2019–20	लोहारदागा	भंद्रा	लागू नहीं	अकार्यशील
154	झारखण्ड	2019–20	लोहारदागा	पेशरोर	लागू नहीं	अकार्यशील
155	झारखण्ड	2019–20	लोहारदागा	कायरो	लागू नहीं	अकार्यशील
156	झारखण्ड	2019–20	गुमला	अल्बर्ट एक्का (जरी)	लागू नहीं	अकार्यशील
157	झारखण्ड	2019–20	पश्चिमी सिंहभूमी	नोआमुंडी	लागू नहीं	अकार्यशील
158	झारखण्ड	2019–20	पश्चिमी सिंहभूमी	मनोहरपुर	लागू नहीं	अकार्यशील
159	झारखण्ड	2019–20	पश्चिमी सिंहभूमी	तंतनगर	लागू नहीं	अकार्यशील
160	झारखण्ड	2019–20	पश्चिमी सिंहभूमी	सोनुआ	लागू नहीं	अकार्यशील
161	झारखण्ड	2019–20	पूर्वी सिंहभूमी	पोटका	लागू नहीं	अकार्यशील
162	झारखण्ड	2019–20	पूर्वी सिंहभूमी	दुमारिया	लागू नहीं	अकार्यशील
163	झारखण्ड	2019–20	रांची	अंगारा	लागू नहीं	अकार्यशील
164	झारखण्ड	2019–20	रांची	छानहो	लागू नहीं	अकार्यशील
165	झारखण्ड	2019–20	रांची	लापुंग	लागू नहीं	अकार्यशील
166	झारखण्ड	2019–20	सरायकेला– खरसावां	गोबिंदपुर (राजनगर)	लागू नहीं	अकार्यशील
167	झारखण्ड	2019–20	सिमडेगा	पाकर तंर	लागू नहीं	अकार्यशील
168	झारखण्ड	2019–20	सिमडेगा	बंसजोर	लागू नहीं	अकार्यशील
169	झारखण्ड	2019–20	पाकुर	पाकुरिया	लागू नहीं	अकार्यशील

170	कर्नाटक	1997–98	बेलगावी	गोकक	थवागा	कार्यशील
171	कर्नाटक	1997–98	कोडागू	विराजपेट	बालागोदु	कार्यशील
172	कर्नाटक	2001–02	चिक्कामगलुरु	मुदिगेरे	तारुवे	कार्यशील
173	कर्नाटक	2005–06	रायचूर	देवदुर्गा	कोथाडोड्डी	कार्यशील
174	कर्नाटक	2010–11	चित्रदुर्ग	हिरीयूर	देवराकोट्टा	कार्यशील
175	कर्नाटक	2012–13	कोलार	श्रीनिवासपुर	गंगननगरपल्ली	कार्यशील
176	कर्नाटक	2010–11	तुमकुर	कोरातागेरे	बज्जानहल्ली	कार्यशील
177	कर्नाटक	2010–11	मैसूर	हेग्गादादेवान कोटे	एस. होसाकोट (मेटिकुप्पे)	कार्यशील
178	कर्नाटक	2010–11	चामराजनगर	कोल्लेगल	मंगला	कार्यशील
179	कर्नाटक	2010–11	गुलबर्गा	चितापुर	कोन्चुर	कार्यशील
180	कर्नाटक	2010–11	बेल्लारी	लागू नहीं	यारेंगल्ली	अकार्यशील
181	कर्नाटक	2015–16	यादगीर		बन्डल्ली	अकार्यशील
182	केरल	1997–98	वायनाड	कलपेट्टा	पुकोडे	कार्यशील
183	केरल	1998–99	इडुक्की	इडुक्की	पेनाउ	कार्यशील
184	केरल	2017–18	पलक्कड़	अत्तेपडी	अगाली	अकार्यशील
185	केरल	2018–19	वायनाड	लागू नहीं	लागू नहीं	अकार्यशील
186	मध्य प्रदेश	2000–01	अनूपपुर	जयताहारी	बरबसपुर	कार्यशील
187	मध्य प्रदेश	2000–01	बड़वानी	बड़वानी	बारवानी	कार्यशील
188	मध्य प्रदेश	2000–01	बेतुल	शाहपुर	शाहपुर	कार्यशील
189	मध्य प्रदेश	2000–01	धार	कुक्षी	कुक्शी	कार्यशील
190	मध्य प्रदेश	2005–06	डिंडोरी	डिंडोरी	रहागी	कार्यशील
191	मध्य प्रदेश	2000–01	झाबुआ	थांदला	अगराल	कार्यशील
192	मध्य प्रदेश	2000–01	मंडला	बिछिया	सिजहोरा	कार्यशील
193	मध्य प्रदेश	2000–01	रतलाम	सैलाना	सैलाना	कार्यशील
194	मध्य प्रदेश	2000–01	सिवनी	घनसौर	घनसोर	कार्यशील
195	मध्य प्रदेश	2005–06	छिंदवाड़ा	जमाई	जुन्नाद्रो	कार्यशील
196	मध्य प्रदेश	2005–06	सीधी	कुकसी	तन्सारकुसमी	कार्यशील
197	मध्य प्रदेश	2005–06	उमरिया	पाली	पाली	कार्यशील
198	मध्य प्रदेश	2010–11	अलीराजपुर	सोंदवा	उमराली	कार्यशील
199	मध्य प्रदेश	2014–15	अलीराजपुर	भाँवरा	सेजवाडा	कार्यशील
200	मध्य प्रदेश	2010–11	बालाघाट	परसवाडा	उकवा	कार्यशील
201	मध्य प्रदेश	2010–11	छिंदवाड़ा	बिछुआ	सिंगारदीप	कार्यशील
202	मध्य प्रदेश	2010–11	होशंगाबाद	केसाला	केसला (भर्गदा)	कार्यशील
203	मध्य प्रदेश	2010–11	जबलपुर	जबलपुर	नरायनाला	कार्यशील
204	मध्य प्रदेश	2010–11	झाबुआ	राणापुर	मोरदुंदिया	कार्यशील

205	मध्य प्रदेश	2010–11	खंडवा	खालवा	रोशनी	कार्यशील
206	मध्य प्रदेश	2010–11	शाहडोल	सोहागपुर	धुरवर	कार्यशील
207	मध्य प्रदेश	2014–15	बड़वानी	सेंधवा	जामली	कार्यशील
208	मध्य प्रदेश	2014–15	सीहोर	बुदनी	बांसपुर	कार्यशील
209	मध्य प्रदेश	2014–15	धार	धार	गर्दवार	कार्यशील
210	मध्य प्रदेश	2014–15	सतना	मैहर	अरकंडी (मेहर)	कार्यशील
211	मध्य प्रदेश	2015–16	सतना	मझगावन	चित्रकूट	कार्यशील
212	मध्य प्रदेश	2015–16	खरगोन	खरगोन	खरगोन	कार्यशील
213	मध्य प्रदेश	2015–16	मंडला	मंडला	मंडला	कार्यशील
214	मध्य प्रदेश	2015–16	सिंगरौली	देवसर	बर्गवान	कार्यशील
215	मध्य प्रदेश	2008–09	इंदौर	इंदौर ग्रामीण	मोरोद	कार्यशील
216	मध्य प्रदेश	2008–09	जबलपुर	जबलपुर	रामपुर छापर	कार्यशील
217	मध्य प्रदेश	2007–08	गुना	गुना	गुना	कार्यशील
218	मध्य प्रदेश	2018–19	अलीराजपुर	अलीराजपुर	लागू नहीं	कार्यशील
219	मध्य प्रदेश	2018–19	बारवानी	पाती	लागू नहीं	कार्यशील
220	मध्य प्रदेश	2018–19	बारवानी	राजपुर	लागू नहीं	कार्यशील
221	मध्य प्रदेश	2019–20	बड़वानी	निवाली	लागू नहीं	कार्यशील
222	मध्य प्रदेश	2019–20	बेतुल	चिचोली	लागू नहीं	कार्यशील
223	मध्य प्रदेश	2019–20	बुरहानपुर	खकनार	लागू नहीं	कार्यशील
224	मध्य प्रदेश	2019–20	छिंदवाड़ा	हराय	लागू नहीं	कार्यशील
225	मध्य प्रदेश	2019–20	छिंदवाड़ा	तामिया	लागू नहीं	कार्यशील
226	मध्य प्रदेश	2019–20	धार	दही	लागू नहीं	कार्यशील
227	मध्य प्रदेश	2019–20	डिंडोरी	शाहपुरा	लागू नहीं	कार्यशील
228	मध्य प्रदेश	2019–20	अलीराजपुर	जाबोत	लागू नहीं	कार्यशील
229	मध्य प्रदेश	2019–20	बड़वानी	पनसेमल	लागू नहीं	कार्यशील
230	मध्य प्रदेश	2019–20	बेतुल	भैंसदेही	लागू नहीं	कार्यशील
231	महाराष्ट्र	1997–98	अमरावती	चिकलधारा	चिकलदारा	कार्यशील
232	महाराष्ट्र	1997–98	नागपुर	रामटेक	खैरीपारसोडा	कार्यशील
233	महाराष्ट्र	1997–98	नासिक	इगतपुरी	मुंधेगांव	कार्यशील
234	महाराष्ट्र	1997–98	पालघर	पालघर	कम्बालगांव	कार्यशील
235	महाराष्ट्र	2013–14	गडचिरोली	इटापल्ली	नवेगांव	कार्यशील
236	महाराष्ट्र	2013–14	गोंदिया	देवरी	बोरगांव	कार्यशील
237	महाराष्ट्र	2013–14	नंदुरबार	नंदुरबार	नन्दुरबार	कार्यशील
238	महाराष्ट्र	2013–14	नासिक	इगतपुरी	पिम्पारीसदरूद्दीन	कार्यशील
239	महाराष्ट्र	2014–15	अहमदनगर	अकोला	मवेशी	कार्यशील

240	महाराष्ट्र	2014–15	थाइन	शाहपुर	शेंदेगोन (भटसानगर)	कार्यशील
241	महाराष्ट्र	2014–15	नासिक	अजमेर सौउदाने	ताल सताना	कार्यशील
242	महाराष्ट्र	2015–16	धुले	पिम्पलनेर	पिम्पलनेर	कार्यशील
243	महाराष्ट्र	2015–16	नांदेड़	किन्वट	सहस्त्रकुण्ड	कार्यशील
244	महाराष्ट्र	2015–16	चंद्रपुर	राजुरा	देवाडा	कार्यशील
245	महाराष्ट्र	2016–17	गडचिरोली	चामोरसी	लागू नहीं	कार्यशील
246	महाराष्ट्र	2016–17	नासिक	डिंडोरी	लागू नहीं	कार्यशील
247	महाराष्ट्र	2017–18	नंदुरबार	धाडगांव	धाडगांव	कार्यशील
248	महाराष्ट्र	2017–18	यवतमाल	मारेगांव	पन्धरकवाडा	कार्यशील
249	महाराष्ट्र	2018–19	पालधर	तालासरी	लागू नहीं	कार्यशील
250	महाराष्ट्र	2018–19	पालधर	जवहर	लागू नहीं	कार्यशील
251	महाराष्ट्र	2019–20	नंदुरबार	नवापुर	लागू नहीं	कार्यशील
252	महाराष्ट्र	2019–20	नंदुरबार	अकक्लकुवा	लागू नहीं	कार्यशील
253	महाराष्ट्र	2019–20	नासिक	कलवान	लागू नहीं	कार्यशील
254	महाराष्ट्र	2019–20	गडचिरोली	कुरखेडा	लागू नहीं	कार्यशील
255	महाराष्ट्र	2018–19	नासिक	सुरगना	लागू नहीं	अकार्यशील
256	मणिपुर	1997–98	तामेंगलांग	तामेंगलांग	तामेंगलांग	कार्यशील
257	मणिपुर	2000–01	तेंगनोउपाल	मोरेह	चिकिम	कार्यशील
258	मणिपुर	2000–01	कंगपोकपी	गमनोम सपेरमिना	गमनोम सपेरमिना	कार्यशील
259	मणिपुर	2016–17	छुरछंदपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	अकार्यशील
260	मणिपुर	2016–17	उखरूल	लागू नहीं	लागू नहीं	अकार्यशील
261	मणिपुर	2018–19	चंदेल	चंदेल	लागू नहीं	अकार्यशील
262	मणिपुर	2018–19	सेनापति	माओ मरम	लागू नहीं	अकार्यशील
263	मणिपुर	2018–19	तामेंगलांग	नुंगबा	नुंगबा	अकार्यशील
264	मणिपुर	2019–20	सेनापति	पाउमाता	लियायी खोन्हू	अकार्यशील
265	मणिपुर	2019–20	छुरछंदपुर	सिंगनगट	सुमछिनवुम	अकार्यशील
266	मेघालय	2017–18	रिभोई	उमलिंग	नोंगपोह	अकार्यशील
267	मेघालय	2018–19	पूर्वी गारो हिल्स	समानदा	समान्दा	अकार्यशील
268	मेघालय	2018–19	पूर्वी खासी हिल्स	मौकिनरेव	लागू नहीं	अकार्यशील
269	मेघालय	2018–19	पश्चिमी खासी हिल्स	नोंग्स्टिन	लागू नहीं	अकार्यशील
270	मेघालय	2018–19	दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	मौकिनरेव	लागू नहीं	अकार्यशील
271	मेघालय	2018–19	उत्तर गारो हिल्स	खर्कुत्ता	लागू नहीं	अकार्यशील
272	मेघालय	2018–19	दक्षिण गारो हिल्स	रोंग्र	लागू नहीं	अकार्यशील
273	मेघालय	2018–19	जयंतिया हिल्स	थाडलास्केन	लागू नहीं	अकार्यशील
274	मेघालय	2018–19	पूर्वी गारो हिल्स	सामांडा	लागू नहीं	अकार्यशील

275	मेघालय	2018–19	पश्चिमी गारो हिल्स	तिक्रिकिल्ला	लागू नहीं	अकार्यशील
276	मेघालय	2018–19	रीभोई	उम्स्निंग	लागू नहीं	अकार्यशील
277	मेघालय	2018–19	पूर्वी जयंतिया हिल्स	खलीह्रयत	लागू नहीं	अकार्यशील
278	मेघालय	2018–19	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	जिक्ज़क	लागू नहीं	अकार्यशील
279	मेघालय	2019–20	जयंतिया हिल्स	लसकेन	लागू नहीं	अकार्यशील
280	मेघालय	2019–20	पूर्वी गारो हिल्स	दम्बो रोंगजेंग	लागू नहीं	अकार्यशील
281	मिजोरम	1997–98	लुंगलेई	पुकपुई	लुंगलेई	कार्यशील
282	मिजोरम	2011–12	सेरछिप	सेरछिप	कवलरीतलांग	कार्यशील
283	मिजोरम	2014–15	लवंगतलाई	च्वानगते	कमलानगर, चकमा स्वायत जिला काउंसिल	अकार्यशील
284	मिजोरम	2014–15	लवंगतलाई	लवंगतलाई	एलएडीसी (लई स्वायत जिला काउंसिल)	अकार्यशील
285	मिजोरम	2014–15	सैहा	सैहा	तुईपेंग–मारा स्वायत जिला परिषद् (एमएडीसी)	अकार्यशील
286	मिजोरम	2015–16	चम्फाई	चम्फाई	नगोपा	अकार्यशील
287	मिजोरम	2018–19	ऐज़ौल	त्लान्नुं(पार्ट)	लागू नहीं	अकार्यशील
288	मिजोरम	2018–19	कोलासिब	बिल्खाथ्लिर	लागू नहीं	अकार्यशील
289	मिजोरम	2018–19	ममित	ज़व्लनुं	लागू नहीं	अकार्यशील
290	मिजोरम	2019–20	सैहा	तुईपंग	लागू नहीं	अकार्यशील
291	मिजोरम	2019–20	ऐज़ौल	त्लान्नुं(पार्ट)	लागू नहीं	अकार्यशील
292	नागालैण्ड	1997–98	तुएनसांग	सेंगसेंगन्यू	टयूनसांग	कार्यशील
293	नागालैण्ड	1997–98	दीमापुर	मेदजीफेमा	दिपहुपर	कार्यशील
294	नागालैण्ड	1997–98	सोम	तिजित	तिजित	कार्यशील
295	नागालैण्ड	2015–16	कोहिमा	सेमीन्यू	फेन्सुन्या	अकार्यशील
296	नागालैण्ड	2015–16	फेक	फुतसेरो	काडे	अकार्यशील
297	नागालैण्ड	2018–19	पेरेन	जलुकिए	लागू नहीं	अकार्यशील
298	नागालैण्ड	2018–19	किफिरे	किफिरेसदर	लागू नहीं	अकार्यशील
299	नागालैण्ड	2018–19	वोखा	वोखासदर	लागू नहीं	अकार्यशील
300	नागालैण्ड	2018–19	मोकुकचुंग	तुली	लागू नहीं	अकार्यशील
301	नागालैण्ड	2018–19	कोहिमा	कोहिमा सदर	लागू नहीं	अकार्यशील
302	नागालैण्ड	2018–19	डिमपुर	चुमुकेइद्मा	लागू नहीं	अकार्यशील
303	नागालैण्ड	2019–20	कोहिमा	जखामा (विश्वेमा)	लागू नहीं	अकार्यशील
304	ओडिशा	1997–98	कोरापुट	सेमिलीगुडा	पुंगार	कार्यशील
305	ओडिशा	1997–98	मयूरभंज	खुंडा	धनघेरा	कार्यशील

306	ओडिशा	1997–98	रायगढ़	गुदरी	श्रीगुदा	कार्यशील
307	ओडिशा	1997–98	सुंदरगढ़	सुंदरगढ़	भवानीपुर	कार्यशील
308	ओडिशा	2001–02	गजपति	मोहन	चन्द्रागिरि	कार्यशील
309	ओडिशा	2001–02	कंधमाल	बालीगुडा	महासिंघी	कार्यशील
310	ओडिशा	2001–02	केंदुझार	केंदुझर सदर	रान्की	कार्यशील
311	ओडिशा	2001–02	नबरंगपुर	नबरंगपुर	हिर्ली	कार्यशील
312	ओडिशा	2002–03	सुंदरगढ़	लहुनिपारा	श्रर्धापुर	कार्यशील
313	ओडिशा	2002–03	सुंदरगढ़	राजगंगपुर	लेंग	कार्यशील
314	ओडिशा	2007–08	जाजपुर	दनागाडी	रामपिलो	कार्यशील
315	ओडिशा	2010–11	मल्कानगिरी	मल्कानगिरी	चम्पानगर	कार्यशील
316	ओडिशा	2010–11	नुआपाड़ा	नुआपाड़ा	सखातारा (केंदुबहाडा)	कार्यशील
317	ओडिशा	2011–12	बोलंगीर	बोलंगीर	दुमेरबहल	कार्यशील
318	ओडिशा	2011–12	कालाहांडी	कोकसारा	मघुपुर	अकार्यशील
319	ओडिशा	2011–12	मयूरभंज	रायरंगपुर	रायरंगपुर	अकार्यशील
320	ओडिशा	2015–16	मयूरभंज	बंगरीपोसी	बंगरीपोशी	कार्यशील
321	ओडिशा	2015–16	रायगढ़	गुनुपुर	बिक्रमपुर	कार्यशील
322	ओडिशा	2015–16	मयूरभंज	करंजिया	करनजिया	कार्यशील
323	ओडिशा	2015–16	संबलपुर	कुचिंडा	कुचिंडा	कार्यशील
324	ओडिशा	2015–16	सुंदरगढ़	कौरमुंडा	पम्पोस	कार्यशील
325	ओडिशा	2015–16	कंधमाल	फूलबनी	फलबानी	अकार्यशील
326	ओडिशा	2016–17	बालासोर	नीलगिरि	निलगिरि	अकार्यशील
327	ओडिशा	2016–17	देवगढ़		देवागढ़	तिलेइबानी
328	ओडिशा	2016–17	झारसुगुडा	लईकेरा	किरिमिरा	अकार्यशील
329	ओडिशा	2016–17	क्योंझर	चम्पुआ	चम्पुआ	अकार्यशील
330	ओडिशा	2016–17	कोरापुट	जयपोर	जेयपोर	अकार्यशील
331	ओडिशा	2018–19	मालकानगिरि	मैथिली	लागू नहीं	अकार्यशील
332	ओडिशा	2018–19	कोरापुट	कोतापद	लागू नहीं	अकार्यशील
333	ओडिशा	2019–20	नवरंगपुर	कोशागुमुदा	लागू नहीं	अकार्यशील
334	ओडिशा	2019–20	रायगढ़	काशीपुर	लागू नहीं	अकार्यशील
335	ओडिशा	2019–20	कंधमाल	फिरिंगिया	लागू नहीं	अकार्यशील
336	ओडिशा	2019–20	गजपति	रमागिरी	लागू नहीं	अकार्यशील
337	ओडिशा	2019–20	सुंदरगढ़	तलसारा	लागू नहीं	अकार्यशील
338	ओडिशा	2019–20	संबलपुर	गोविंदपुर	लागू नहीं	अकार्यशील
339	ओडिशा	2019–20	मयूरभंज	बिशोई	लागू नहीं	अकार्यशील
340	ओडिशा	2019–20	मल्कानगिरी	ओरकेल	लागू नहीं	अकार्यशील

341	ओडिशा	2019–20	कोरापुट	बारिगुमा	लागू नहीं	अकार्यशील
342	ओडिशा	2019–20	नबरंगपुर	झरीगाम	लागू नहीं	अकार्यशील
343	ओडिशा	2019–20	मयूरभंज	जामदा	लागू नहीं	अकार्यशील
344	ओडिशा	2019–20	कंधमाल	तीकाबाली	लागू नहीं	अकार्यशील
345	ओडिशा	2019–20	गजपति	अदबा	लागू नहीं	अकार्यशील
346	ओडिशा	2019–20	सुंदरगढ़	कुटरा	लागू नहीं	अकार्यशील
347	ओडिशा	2019–20	रायगढ़	पुट्टासिंग	लागू नहीं	अकार्यशील
348	ओडिशा	2019–20	कोरापुट	नारायणपटना	लागू नहीं	अकार्यशील
349	ओडिशा	2019–20	कंधमाल	रायकिया	लागू नहीं	अकार्यशील
350	ओडिशा	2019–20	नबरंगपुर	कोडिंगा	लागू नहीं	अकार्यशील
351	ओडिशा	2019–20	मयूरभंज	थकाऊ	लागू नहीं	अकार्यशील
352	ओडिशा	2019–20	सुंदरगढ़	हटीबारी	लागू नहीं	अकार्यशील
353	ओडिशा	2019–20	नबरंगपुर	पापराहांडी	लागू नहीं	अकार्यशील
354	ओडिशा	2019–20	मयूरभंज	बदामपहाड	लागू नहीं	अकार्यशील
355	ओडिशा	2019–20	कंधमाल	देरिंगबाडी	लागू नहीं	अकार्यशील
356	ओडिशा	2019–20	संबलपुर	जमनकिरा	लागू नहीं	अकार्यशील
357	ओडिशा	2019–20	सुंदरगढ़	लेहरीपाडा	लागू नहीं	अकार्यशील
358	ओडिशा	2019–20	रायगढ़	बिसमाकटक	लागू नहीं	अकार्यशील
359	ओडिशा	2019–20	नबरंगपुर	तेंतुलीखूंटी	लागू नहीं	अकार्यशील
360	ओडिशा	2019–20	कंधमाल	जी. उदयगिरी	लागू नहीं	अकार्यशील
361	राजस्थान	1997–98	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	कुशलगढ़	कार्यशील
362	राजस्थान	1997–98	बरन	शाहबाद मारकंडा	शाहबाद	कार्यशील
363	राजस्थान	1997–98	सिरोही	आबू रोड	आबु रोड	कार्यशील
364	राजस्थान	1997–98	उदयपुर	कोट्रा	कोटरा	कार्यशील
365	राजस्थान	1998–99	डूंगरपुर	सिमलवाडा	सिमलवाडा	कार्यशील
366	राजस्थान	1999–00	टोंक	निवाई	निवाई	कार्यशील
367	राजस्थान	1999–00	उदयपुर	खेरवाडा	खेरवाडा	कार्यशील
368	राजस्थान	2007–08	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	कार्यशील
369	राजस्थान	2010–11	अलवर	राजगढ़	मल्लाना	कार्यशील
370	राजस्थान	2010–11	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	पडोला	कार्यशील
371	राजस्थान	2010–11	डूंगरपुर	सबला	पर्दा चूंडावंत	कार्यशील
372	राजस्थान	2010–11	जयपुर	बस्सी	बिहारीपुरा	कार्यशील
373	राजस्थान	2010–11	करौली	टोडाभीम	रनाली	कार्यशील
374	राजस्थान	2010–11	सवाई माधोपुर	बामनवास	बरनाला	कार्यशील
375	राजस्थान	2011–12	अलवर	कोट कासिम	पाटन	कार्यशील
376	राजस्थान	2013–14	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	सुंदरव	कार्यशील

377	राजस्थान	2013–14	उदयपुर	गोगुंडा	गोगुंडा	कार्यशील
378	राजस्थान	2016–17	जयपुर	लागू नहीं	जामवारामगढ़	कार्यशील
379	राजस्थान	2018–19	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	लागू नहीं	अकार्यशील
380	राजस्थान	2019–20	डुंगरपुर	डुंगरपुर	लागू नहीं	अकार्यशील
381	राजस्थान	2019–20	उदयपुर	सारदा	लागू नहीं	अकार्यशील
382	राजस्थान	2018–19	प्रतापगढ (ईएमडीबीएस)	पीपलखूंट	लागू नहीं	अकार्यशील
383	सिक्किम	1997–98	उत्तर का जिला	मंगन	स्वायम	कार्यशील
384	सिक्किम	2005–06	पश्चिम का जिला	गंगयाप	ताशिडिंग	कार्यशील
385	सिक्किम	2015–16	दक्षिण जिला	सुमबुक	सुंतले	कार्यशील
386	सिक्किम	2016–17	पूर्वी जिला	पकयोंग	पर्खा	कार्यशील
387	तमिलनाडु	1997–98	विल्लुपुरम	चिन्नासेलम	वेल्लीमलई	कार्यशील
388	तमिलनाडु	2005–06	सलेम	पेठानइकेन्पायम	अभिनवम	कार्यशील
389	तमिलनाडु	2016–17	थिरुवन्नमलाई	कालासपक्कम	अथिपेट	कार्यशील
390	तमिलनाडु	2016–17	नीलगिरी	एम. पलाड़ा	नन्जानदु	कार्यशील
391	तमिलनाडु	2016–17	नमक्कल	कोलीमलई	सेनगराई	कार्यशील
392	तमिलनाडु	2016–17	वेल्लोर	तिरुपत्तुर	अथानावुर	कार्यशील
393	तमिलनाडु	2017–18	कांचीपुरम	थिरुपोरुर	पट्टीपुलम	कार्यशील
394	तमिलनाडु	2018–19	सेलम	यरकौड	लागू नहीं	कार्यशील
395	तेलंगाना	1997–98	आदिलाबाद	आदिलाबाद	नारनूर	कार्यशील
396	तेलंगाना	1997–98	महबूबनगर	महबूबनगर	बालानगर	कार्यशील
397	तेलंगाना	1997–98	वारंगल	महबूबाबाद	कुरावी	कार्यशील
398	तेलंगाना	1998–99	करीमनगर	करीमनगर	येल्लारेड्डीपेटा	कार्यशील
399	तेलंगाना	1998–99	निजामाबाद	निजामाबाद	गंधारी	कार्यशील
400	तेलंगाना	2003–04	करीमनगर	करीमनगर	मारिमदला	कार्यशील
401	तेलंगाना	2014–15	महबुबाबाद	कुरावी	सिरोलु	कार्यशील
402	तेलंगाना	2015–16	खम्मम	गंदुगुलापल्ली	दम्मापेटा	कार्यशील
403	तेलंगाना	2015–16	निजामाबाद	इंदलवई	निजामाबाद	कार्यशील
404	तेलंगाना	2017–18	भद्रादि	पलवांछा	पलवांचा	कार्यशील
405	तेलंगाना	2017–18	नगरकुरनूल	कलवाकुरति	कलवाकुर्ती	कार्यशील
406	तेलंगाना	2018–19	भद्राद्री	टेकुलपल्ली	लागू नहीं	कार्यशील
407	तेलंगाना	2018–19	कोमाराम भीम आसिफ़ाबाद	सिरपुर	लागू नहीं	कार्यशील
408	तेलंगाना	2019–20	अदिलाबाद	उतनूर	लागू नहीं	कार्यशील
409	तेलंगाना	2019–20	भद्रादि	गुंदाला	लागू नहीं	कार्यशील
410	तेलंगाना	2019–20	महबूबाबाद	बैयरम	लागू नहीं	कार्यशील

411	त्रिपुरा	1997–98	पश्चिम त्रिपुरा	बेलबारी	खुमुलंग्ग (जिरानिया)	कार्यशील
412	त्रिपुरा	1998–99	दक्षिण त्रिपुरा	बोकफा	बिरचन्द्रा नगर	कार्यशील
413	त्रिपुरा	1997–98	उनाकोटी	कुमारघाट	कुमारघाट (दारछवी)	कार्यशील
414	त्रिपुरा	2010–11	खोवाई	तुलाशिखर	राजनगर	कार्यशील
415	त्रिपुरा	2016–17	गोमती	अमरपुर	पुर्बा दुनहुमा	अकार्यशील
416	त्रिपुरा	2016–17	धलाई	अम्बासा	पूर्वी नलीछार्रा	अकार्यशील
417	त्रिपुरा	2018–19	सेपाहीजाला	जम्पुईजाला		अकार्यशील
418	त्रिपुरा	2018–19	धलाई	छामानु	लागू नहीं	अकार्यशील
419	त्रिपुरा	2019–20	दक्षिण त्रिपुरा	रुपईछारी	लागू नहीं	अकार्यशील
420	त्रिपुरा	2019–20	पश्चिम त्रिपुरा	मुंगियाकुमी	लागू नहीं	अकार्यशील
421	त्रिपुरा	2019–20	पश्चिम त्रिपुरा	हेजामारा	लागू नहीं	अकार्यशील
422	त्रिपुरा	2019–20	दक्षिण त्रिपुरा	कारबुक	लागू नहीं	अकार्यशील
423	त्रिपुरा	2018–19	दक्षिण त्रिपुरा (ईएमडीबीएस)	किल्ला	लागू नहीं	कार्यशील
424	उत्तर प्रदेश	1997–98	लखीमपुरखेरी	चंदन चौकी	सौनाहा	कार्यशील
425	उत्तर प्रदेश	2010–11	बहरीच	बहरीच	बोझिया	कार्यशील
426	उत्तर प्रदेश	2010–11	सोनभद्र	लागू नहीं	सोनभद्र	अकार्यशील
427	उत्तर प्रदेश	2016–17	ललीतपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	अकार्यशील
428	उत्तराखण्ड	2003–04	देहरादून	देहरादून	कलसी (जोगला)	कार्यशील
429	उत्तराखण्ड	2017–18	उमेद सिंह नागर	बजपुर	दियोहारी	अकार्यशील
430	उत्तराखण्ड	2018–19	उधम सिंह नगर	खटीमा		अकार्यशील
431	पश्चिम बंगाल	1997–98	जलपाईगुड़ी	नगराकांटा	नगरकांटा	कार्यशील
432	पश्चिम बंगाल	1997–98	बांकुड़ा	खतरा	मुकुटमोनिपुर	कार्यशील
433	पश्चिम बंगाल	1997–98	पुरुलिया	मनबाजार – II	सुसुनिया	कार्यशील
434	पश्चिम बंगाल	1997–98	पश्चिम बर्धमान	कंकसा	रघुनाथपुर	कार्यशील
435	पश्चिम बंगाल	1997–98	झारग्राम	झारग्राम	सत्याबानापल्ली	कार्यशील
436	पश्चिम बंगाल	2005–06	बीरभूम	बोलपुर श्रीनिकेतन	कानकुटिया (मेहदीपुर)	कार्यशील
437	पश्चिम बंगाल	2005–06	दक्षिण दिनाजपुर	बंशीहारी	कुमारसाई (बुनियादपुर)	कार्यशील
438	पश्चिम बंगाल	2018–19	कलिम्पोंग	कलीमपोंग सदर		अकार्यशील

अनुलग्नक–8 ग

2019–20 के दौरान (31.12.2019 तक) ईएमआरएस के लिए राज्य–वार निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2019–20		
		आवर्ती	गैर आवर्ती	ईएमआरएस के लिए कुल निमुक्तियां
1	आंध्र प्रदेश	3732.16	1466.20	5198.36
2	अरुणाचल प्रदेश	226.72	1050.00	1276.72
3	असम	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	8677.49	875.00	9552.49
7	गुजरात	11070.04	1800.00	12870.04
8	हिमाचल प्रदेश	327.00	2200.00	2527.00
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	2400.00	2400.00
10	झारखंड	3878.22	2542.00	6420.22
11	कर्नाटक	3327.77	1540.00	4867.77
12	केरल	633.29	139.62	772.91
13	मध्य प्रदेश	14111.15	9025.76	23136.90
14	महाराष्ट्र	5523.02	0.00	5523.02
15	मणिपुर	1569.60	366.76	1936.36
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	431.64	3500.00	3931.64
18	नागालैंड	674.71	60.00	734.71
19	ओडिशा	3727.00	0.00	3727.00
20	राजस्थान	4204.95	2800.00	7004.95
21	सिक्किम	1067.11	1900.00	2967.11
22	तमिलनाडु	2382.74	2024.14	4406.88
23	तेलंगाना	4316.40	500.00	4816.40
24	त्रिपुरा	1831.20	590.44	2421.64
25	उत्तर प्रदेश	515.57	631.52	1147.09
26	उत्तराखंड	428.37	700.00	1128.37
27	पश्चिम बंगाल	2983.33	1317.92	4301.25
	कुल	**75639.48**	**37429.36**	**113068.83**

अनुलग्नक – 8घ

अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधि तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017–18		2018–19		2019–20 (31.12.19 तक)
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों (अनंतिम)	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि
1	अंडमान और निकोबार	0.00	353	5.00	222	5.62
2	आंध्र प्रदेश	5282.94	34529	1210.81	0	736.32
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	3794		0	
4	असम	0.00	2740		0	
5	बिहार	0.00	0	0	67115	7131.47
6	छत्तीसगढ़	1805.30	191864	4755.63	194413	3806.96
7	दादर और नगर हवेली	0.00	5226	20.00	4399	
8	दमन और दीव	8.04	468	0	332	5.89
9	गोवा	3.75	3640	80.83	0	
10	गुजरात	3650.84	151113	4482.31	0	5248.34
11	हिमाचल प्रदेश	0.00	1705	38.91	0	83.92
12	जम्मू और कश्मीर	0.00	4979		25920	
13	झारखंड	1704.53	104942	2345.92	119877	
14	कर्नाटक	1364.59	59448	1256.31	0	
15	केरल	0.00	14265	308.73	12121	287.31
16	मध्य प्रदेश	5539.17	362120	5884.33	359092	6401.84
17	महाराष्ट्र	0.00	0		0	
18	मणिपुर	619.09	9189	773	21006	443.33
19	मेघालय	156.69	966		0	
20	मिजोरम	132.25	9783	319.79	14880	481.18
21	नागालैंड	0.00	10715		0	
22	ओडिशा	5134.98	211425	6665.88	204916	3588.67
23	राजस्थान	3284.79	101696	1716.12	136915	4499.81
24	सिक्किम	25.72	212	7.97	247	3.57
25	तमिलनाडु	0.00	19651		0	
26	तेलंगाना	358.02	6196	693.84	354	
27	त्रिपुरा	232.89	11662		12353	100.43
28	उत्तर प्रदेश	0.00	0		0	
29	उत्तराखंड	104.44	6256		2572	
30	पश्चिम बंगाल	0.00	79030	584.62	33448	
	कुल	**29408.03**	**1407967**	**31150.00**	**1210182**	**32824.66**

अनुलग्नक–8 ड.

अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधि तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2017–18		2018–19		2019–20 (31.12.19 तक)
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी (अनंतिम)	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी (अनंतिम)	निर्मुक्त निधि
1	अंडमान और निकोबर द्वीप	0.00	544	10.09	439	11.34
2	आंध्र प्रदेश	8269.11	71687	13945.02	59146	4919.71
3	अरुणाचल प्रदेश	5803.65	18863	1883.82	26000	6113.41
4	असम	2516.48	26867	3248.03	79526	4867.20
5	बिहार	71.25	9950		0	
6	छत्तीसगढ़	3811.26	143320	4609.57	154656	5550.73
7	दादर और नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	
8	दमन और दीव	26.19	196	3.41	192	
9	गोवा	364.80	4442	536.26	0	418.48
10	गुजरात	14609.74	214605	32429.12	0	14004.48
11	हिमाचल प्रदेश	3123.36	10747	278.15	4729	2012.16
12	जम्मू और कश्मीर	2322.56	16905	637.93	27900	1048.29
13	झारखंड	2716.50	73385	5281.32	76782	5925.42
14	कर्नाटक	8873.31	101059	7341.33	111614	10352.79
15	केरल	2745.46	16111	2674.37	16245	1641.52
16	मध्य प्रदेश	10320.50	272714	13405.24	209757	12198.58
17	महाराष्ट्र	10884.91	147262	15238.15	131000	15575.38
18	मणिपुर	6382.55	59661	2026.76	22644	6235.55
19	मेघालय	770.50	35305	2457.52	0	
20	मिजोरम	2434.73	51983	3528.21	58306	3783.69
21	नागालैंड	2515.00	28949	4716.66	38130	1538.14
22	ओडिशा	8784.18	185888	14801.92	196667	16640.15
23	राजस्थान	19912.49	135523	13598.95	269659	20390.38
24	सिक्किम	1247.32	2962	1134.36	4299	566.80
25	तमिलनाडु	2440.39	23815	3933.65	25006	
26	तेलंगाना	18031.25	153845	9921.68	58253	14633.68
27	त्रिपुरा	2756.25	23020	3626.55	22896	2355.78
28	उत्तर प्रदेश	1244.91	2779	1210.54	0	1822.71
29	उत्तराखंड	600.25	8335	0.00	0	
30	पश्चिम बंगाल	2807.89	90395	2219.39	58421	2411.00
	कुल	**146386.79**	**1931117**	**164698.00**	**1652267**	**155017.37**

अनुलग्नक–9 क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रों के नाम	पीवीटीजी का नाम
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	चेंचू
2		बोडो गडाबा
3		गुटोब गडाबा
4		डोंगरिया खोंड
5		कुटियाखोंड
6		कोलम
7		कोंडारेड्डी
8		कोंडोसवारा
9		बोंडो पोरजा
10		खोंड पोरजा
11		पारेंगी पोरोजा
12		थोटी
13	बिहार (झारखंड सहित)	असुर
14		बिरहोर
15		बिरिजिया
16		हिल खारिया
17		कोरवास
18		मल पहारिया
19		परहइया
20		सौरिया पहारिया
21		सावर
22	गुजरात	कोलघा
23		कथोडी
24		कोतवालिया
25		पधार
26		सिद्दी
27	कर्नाटक	जेनू कुरूबा
28		कोरागा
29	केरल	चोलानाइकायन (कट्टूनायकन का एक क्षेत्र)
30		कदार
31		कट्टूनायकन
32		कोरागा

33		कुरूम्बा
34	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अबूझ मारिया
35		बैगा
36		भारिया
37		बिरहोर
38		हिल कोरबा
39		कमार
40		सहरिया
41	महाराष्ट्र	कटकारिया
42		कोलम
43		मारिया गोंड
44	मणिपुर	मारम नागास
45	ओडिशा	चुकटिया भुंजिया
46		बिरहोर
47		बोंडो
48		डिडाई
49		डोंगरिया खोंड
50		जुआंग
51		खारिया
52		कुटिया खोंड
53		लानजिया सौराव
54		लोधा
55		मनकिदा
56		पौडी भूयान
57		साउरा
58	राजस्थान	सहरिया
59	तमिलनाडु	इरूला
60		कट्टूनायकन
61		कोटा
62		कुरुम्बा
63		पानियान
64		टोडा
65	त्रिपुरा	रियांग
66	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	बुकसा
67		राजी

68	पश्चिम बंगाल	बिरहोर
69		लोधा
70		टोटो
71	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ग्रेट अंडमानीज
72		जरावा
73		ओन्गेज
74		सेंटिनिलिज
75		शोमपेन

अनुलग्नक–9ख

वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान विशेष रूप से 'कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास' की स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	2017–18	2018–19	2019–20 (31.12.2019 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2076.00	1837.00	2906.80
2	अंडमान और निकोबार द्वीप	200.00	0.00	0.00
3	बिहार	295.91	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	1089.50	1051.50	671.96
5	गुजरात	390.67	604.00	429.05
6	झारखंड	2043.75	3295.79	847.00
7	कर्नाटक	467.00	460.00	0.00
8	केरल	62.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	8232.46	7998.09	7752.12
10	महाराष्ट्र	1226.25	1230.26	1510.00
11	मणिपुर	195.00	1157.55	0.00
12	ओडिशा	1297.00	3626.00	0.00
13	राजस्थान	1038.00	1008.00	968.10
14	तमिलनाडु	1770.75	0.00	819.48
15	तेलंगाना	778.00	533.00	294.00
16	त्रिपुरा	2305.00	789.53	418.38
17	पश्चिम बंगाल	330.76	843.42	437.47
18	उत्तराखंड	130.00	565.86	489.53
19	उत्तर प्रदेश	17.96	0.00	0.00
	कुल	**23946.01**	**25000.00**	**17543.89**

अनुलग्नक–10 क

"टीआरआई को सहायता" स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का निर्मुक्त निधि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2018–19			2019–20 (31.12.2019 तक)		
		जीआईए	सीसीए	कुल	जीआईए	सीसीए	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	99.00	–	99.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	179.58	570.00	749.58	150.00	350.00	500.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00
4	असम	65.90	132.85	198.75	70.69	164.94	235.63
5	छत्तीसगढ़	39.67	464.82	504.49	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	0.00	0.00	0.00	515.72	1203.34	1719.06
7	हिमाचल प्रदेश	28.00	78.80	106.80	20.41	47.64	68.05
8	जम्मू और कश्मीर	52.16	44.84	97.00	92.65	216.19	308.84
9	झारखंड	115.57	1096.26	1211.83	496.36	1158.14	1654.50
10	कर्नाटक	76.00	30.00	106.00	27.45	64.05	91.50
11	केरल	182.90	218.35	401.25	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	544.71	193.63	738.34	0.00	0.00	0.00
13	महाराष्ट्र	159.00	326.01	485.01	42.30	98.70	141.00
14	मणिपुर	138.99	391.12	530.11	131.48	306.78	438.26
15	मिजोरम	96.58	467.78	564.36	369.00	511.00	880.00
16	नागालैंड	75.00	750.00	825.00	56.25	131.25	187.50
17	ओडिशा	211.60	607.47	819.07	234.01	546.03	780.04
18	राजस्थान	124.00	90.00	214.00	0.00	0.00	0.00
19	सिक्किम	129.50	65.00	194.50	24.75	57.75	82.50
20	तमिलनाडु	115.44	61.81	177.25	0.00	0.00	0.00
21	तेलंगाना	118.00	336.00	454.00	167.17	390.08	557.25
22	त्रिपुरा	89.96	226.18	316.14	76.20	177.80	254.00
23	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	पश्चिम बंगाल	155.15	225.00	380.15	44.77	104.48	149.25
25	मेघालय	203.28	371.07	574.35	0.00	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	121.15	282.67	403.82
	कुल	**3000.00**	**7000.00**	**10000.00**	**2640.36**	**5810.84**	**8451.20**

जीआईए – सहायता अनुदान, सीसीए – पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन

अनुलग्नक – 10 ख

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)

क्र.सं.	पता
1	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, **अंडमान और निकोबार** द्वीप समूह, प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर – 744101
2	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, **आंध्र प्रदेश** सरकार, आदिम जाति कल्याण विभाग, कंधारी होटल रोड, राजस्व कॉलोनी, विजयवाड़ा – 520010
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय, राजीव गांधी स्टेडियम के पीछे, बी–सेक्टर, नाहरलागुन, पिनः 791110, **अरुणाचल प्रदेश**।
4	असम जनजातीय एवं अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, **असम** सरकार, जवाहर नगर, एन.एच.दृ 37, गुवाहाटी–781022
5	जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, **छत्तीसगढ़** सरकार, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर –4, रायपुर
6	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **गुजरात** विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014, गुजरात
7	जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला– 171005, **हिमाचल प्रदेश**
8	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान, **झारखंड** सरकार, मोराबाड़ी रोड, रांची – 834008
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, निदेशालय, जनजातीय कार्य निदेशालय, **जम्मू और कश्मीर** सरकार, नागरिक सचिवालय, जम्मू 180001
10	कर्नाटक जनजातीय अनुसंधान संस्थान, **कर्नाटक** सरकार, सं. 15/40, अनिकेतन रोड कुवेम्पुनगर, मैसूर –570023
11	केरल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अध्ययन, **केरल** सरकार, कोजिकोड–673017
12	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **मध्य प्रदेश** सरकार, 35, श्यामला हिल्स, भोपालदृ 462002
13	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **महाराष्ट्र** सरकार, 28, क्वीन्स गार्डेन, पुणे –411011
14	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, **मणिपुर** सरकार, चिंगमिरांग, इंफाल–795001
15	अ.जा./अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **ओडिशा** सरकार, इकाई–VIII, सीआरपी चौराहा, भुवनेश्वर – 751003
16	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **राजस्थान** सरकार, अशोक नगर, पो. बॉक्स नं. 86, उदयपुर– 313001
17	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और कल्याण विभाग, **सिक्किम** सरकार, सम्य कल्याण भवन, कमरा नंबर 402, 5 वीं माइल, लमसे, तडोंग, गंगटोक –737 101
18	जनजातीय अनुसंधान केन्द्र, **तमिलनाडु** सरकार, एम. पलाडा (पीओ), उधगमंडलम, नीलगिरि जिला, ऊटी – 643004
19	जनजातीय सांस्कृतिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, **तेलंगाना** सरकार, डीएसएस भवन,मसब टैंक, हैदराबाद–500028
20	जनजातीय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संस्थान, **त्रिपुरा** सरकार, लेक चोवेमाहुई, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा– 799001
21	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, **पश्चिम बंगाल** सरकार, पी 6–1/4 सीआईटी योजना, VII–एम, वीआईपी रोड, कांकुरगाछी, कोलकाता–700054
22	अ.जा./अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **उत्तर प्रदेश** सरकार, भागीदारी भवन (अंबेडकर पार्क के पास) विपुल खंड–गोमती नगर, लखनऊ –226010
23	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, चलटंग, आइजोल, **मिजोरम** 796012
24	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, राजभवन के पास, कोहिमा, **नागालैंड**।
25	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण विभाग, **उत्तराखंड** सरकार, सुभाष रोड, सचिवालय, देहरादून – 248 001
26	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, बाबाडम, वेस्ट गारो हिल्स, **मेघालय**

अनुलग्नक– 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थी (31.12.2019 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	छत्तीसगढ़	3262
3.	गुजरात	98
4.	हिमाचल प्रदेश	69
5.	झारखंड	3767
6.	कर्नाटक	1911
7.	केरल	27
8.	मध्य प्रदेश	9956
9.	मेघालय	276
10.	मिजोरम	2691
11.	नागालैंड	48240
12.	ओडिशा	1290
13.	राजस्थान	111
14.	तमिलनाडु	2775
15.	तेलंगाना	6775
16.	त्रिपुरा	24
17.	उत्तराखंड	12
18.	पश्चिम बंगाल	3072
	कुल	**84,369**

अनुलग्नक–12

वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान 31.12.2019 तक एमएफपी के संचालनों के लिए "जनजातीय उत्पाद / उपज के विपणन तथा विकास हेतु संस्थागत समर्थन" की स्कीम जो पूर्व में "राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान" के नाम से जानी जाती थी, के तहत निर्मुक्त सहायता अनुदान के ब्यौरे।

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य / संस्था	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1.	केरल	–	393.52	–	–
2.	राजस्थान	43.43	–	–	562.74
3.	त्रिपुरा	351.10	201.48	–	–
4.	पश्चिम बंगाल	431.47	–	85.00	–
5.	मिज़ोरम	174.00	–	696.00	–
6.	सिक्किम	–	–	219.00	–
7.	महाराष्ट्र	–	–	–	196.98
8.	ट्राइफेड (दिल्ली)	3900.00	3900.00	6250.00	6568.40

वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान 31.12.2019 तक "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" की स्कीम के तहत निर्मुक्त सहायता अनुदान के ब्यौरे।

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य / संस्थान का नाम	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1.	गुजरात	–	–	6.19	–
2.	मध्य प्रदेश	–	–	26.81	–
3.	छत्तीसगढ़	–	0.89	1.97	7.04
4.	आंध्र प्रदेश	–	3.00	7.10	–
5.	मणिपुर	–	0.11	0.90	–
6.	नागालैंड	–	0.19	0.66	2.33
7.	उत्तर प्रदेश	–	2.40	8.21	–
8.	केरल	–	–	4.18	–
9.	पश्चिम बंगाल	–	–	6.57	–
10.	कर्नाटक	–	–	1.25	–
11.	असम	–	–	1.55	5.84
12.	त्रिपुरा	–	–	–	2.01
13.	ट्राइफेड (दिल्ली)	2.00	2.00	31.47	88.00
	कुल	**2.00**	**8.59**	**96.86**	**105.22**

अनुलग्नक—13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 (छ:) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान एवं न्यायधिकार क्षेत्र

क्र.सं.	कार्यालय का स्थान और पता	संपर्क विवरण	अधिकार – क्षेत्र
1	कमरा सं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52—क, पहाड़ी क्षेत्र, भोपाल—462011	अनुसंधान अधिकारी दूरभाष संख्याः 0755 2576530, 0755—2578272 (फैक्स), ईमेलः ro-bhopal@ncst-nic-in	मध्य प्रदेश,, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप।
2	एन—1/297 आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर—751015	सहायक निदेशक दूरभाष संख्याः 0674 2551616, 0674 2551818 (फैक्स), ईमेलः ro-bbsr@ncst-nic-in	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पुदुचेरी—संघ राज्य क्षेत्र
3	कमरा संख्या 101 तथा 102, प्रथम तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर—10, विद्याधर नगर, जयपुर—302023	निदेशक दूरभाष संख्याः 0141 2236462, 0141 2235488 (फैक्स) ईमेलः ro-jaipur@ncst-nic-in	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ और दमन एवं दीव
4	ईएसी कॉलोनी, प्लॉट नं. 3/16, प्रथम तल, जिला न्यायालय के पीछे (पूर्णिमा विद्यालय के समीप) रायपुर—492001	अनुसंधान अधिकारी, दूरभाष संख्याः 0771 2443334 0771 2443335 (फैक्स), ईमेलः ro-raipur@ncst-nic-in	चंडीगढ
5	14, न्यू ए.जी. कोऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची—834002 (झारखंड)	सहायक निदेशक दूरभाष संख्याः 0651 2341677, 0651 2340368 (फैक्स), ईमेलः ro-ranchi@ncst-nic-in	बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश
6	रबेक्का विला, टेम्पल रोड, लोवर लाचुमिरे, शिलांग—793001	सहायक निदेशक, दूरभाष संख्याः 0364 2504202 0364 2221362 (फैक्स), ईमेलः ro-shilong@ncst-nic-in	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा

अनुलग्नक –14क (i)

2017–18 से 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान' की योजना के तहत वित्तपोषित स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
आंध्र प्रदेश	ग्राम अभ्युदय सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट,6 वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला अनंतपुर, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	–	–	25,84,299.00	185	4,97,863.00	100
आंध्र प्रदेश	गुरुकुल आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफ़ेयर आश्रम और आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी (एपीटीडब्ल्यूएआरईआईएस), तेलुगू सन्सकक्षम भवन, द्वितीय तल, मसाब टैंक, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (02 ईकाई)	1,10,37,460.00	1158	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	आर.के.मिशन, कोरुकोंडा रोड, राजमुंदरी, अरुणाचल प्रदेश	सचल औषधालय	18,62,098.00	37619	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	सिंहपुरी विद्या सेवा समिति, सोमशेखर पुरम, नेल्लोर–जिला, आंध्र प्रदेश	10–बिस्तर वाला अस्पताल	14,58,405.00	7330	29,19,920.00	19081	3,78,079.00	8975
आंध्र प्रदेश	एकीकृत रूरल इम्प्रूवमेंट (शिरी) के लिए सोसाइटी, 7/163–ए प्रकाश रोड, जिला–अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	16,08,057.00	100	44,12,710.00	300	–	–
आंध्र प्रदेश	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी.नं.15–155, मयलावरम (वीएंडएम), गड्डामनुगु, कृष्णा जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	17,07,300.00	200	29,59,425.00	400	4,34,393.00	200
आंध्र प्रदेश	वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट और अनुसंधान केंद्र, 16–11–131, पोगाथोटा, नेल्लोर – 524,001, अरुणाचल प्रदेश	10 से अधिक बिस्तर वाला अस्पताल	–	–	–	–	30,84,750.00	8256
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पली विद्यापीठ, चंगखाम, जिला लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	38,07,450.00	3112	4,79,100.00	2393	–	–

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
अरुणाचल प्रदेश	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर समाराक सदन, नई दिल्ली 110055 (हेडक्वार्टर) परियोजना रूप में	छात्रावास	23,03,100.00	200	9,85,163.00	100	–	–
अरुणाचल प्रदेश	बौद्ध सांस्कृतिक संरक्षण सोसायटी, ऊपरी गाम्पा, पीओ /पी.एस बमदिला, जिला वेस्ट कमंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	21,87,327.00	155	67,95,737.00	535	–	–
अरुणाचल प्रदेश	बुद्धिस्ट सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, ग्राम/पोस्टः तवंग, जिला–तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	15,80,895.00	198	15,80,895.00	198	–	–
अरुणाचल प्रदेश	ओजेयू वेलफ़ेयर एसोसिएशन, नाहरलागुन पुलिस स्टेशन के निकट, नाहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस)	59,03,456.00	413	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	आर.के मिशन हॉस्पिटल, पोस्ट–रामकृष्ण मिशन, जिला पमपुमपारे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 791113	60–बिस्तर वाला अस्पताल, सचल औषधालय	69,40,080.00	180456	13,13,337.00	19504	–	–
अरुणाचल प्रदेश	आर.के. मिशन, नरोत्तम नगर, द्वारा देमोली, जिला–तिरप, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20–बिस्तर वाला अस्पताल	92,43,331.00	11036	1,53,05,392.00	16723	39,02,184.00	11364
अरुणाचल प्रदेश	आर.के. मिशन, पोस्टः विवेकानन्दनगर, अलोंग, जिला पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, छात्रावास सचल पुस्तकालय सह ए.वी. इकाई	1,94,59,514.00	96830	1,47,35,580.00	52969	8,88,786.00	12679
अरुणाचल प्रदेश	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोंसा, जिला तिरप, पिन–786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	90,98,820.00	600	75,16,140.00	600	14,04,480.00	300
असम	असम ग्रामीम विकास केन्द्र, इंद्रकांटा भवन, कनकलाता पथ, पीओः उलुबरी, गुवाहाटी –781007, असम	सचल औषधालय	13,70,700.00	5138	–	–	–	–
असम	भारत सेवाश्रम (गुवाहाटी शाखा) असम एटी– ग्राम– गंगनहर, जिला–छाचर, असम	आवासीय विद्यालय	12,45,932.00	100	13,51,107.00	100	–	–

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
असम	सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य विकास समिति असम सदन में न. 35 सिक्स मील जयनगर रोड गुवाहाटी 781022 असम	सचल औषधालय	–	–	–	–	6,07,467.00	4040
असम	दयानन्द सेवाश्रम संघ, एनईआई, बोकजन, कारबी, एंगलोंग, असम(अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई) (मुख्यालय) बोकजन में परियोजना–2 इकाइयां, जपारजन और दिफु	छात्रवास (4 इकाई)	31,24,598.00	475	48,41,831.00	350	1,78,729.00	50
असम	डा. अंबेडकर मिशन, ग्राम धोपातरी, जिला कामरुप, असम	10–बिस्तर वाला अस्पताल और सचल औषधालय	44,52,300.00	43736	47,17,350.00	52486	–	–
असम	ग्राम विकास परिषद, पता:रंगालो, जिला नगाँव, असम	सचल औषधालय	13,70,700.00	7094	11,42,250.00	11072	15,91,950.00	6384
असम	पथारी वोकेशनल इंस्टिट्यूट, पता–टॉप फ्लोर, बार लिब्रोंग, जिला–नगाँव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	6,57,000.00	60	3,23,100.00	30	–	–
असम	आर.के.मिशन आश्रम, उलुबारी, गुवाहाटी,असम	छात्रावास, सचल औषधालय तथा पुस्तकालय	13,17,125.00	16024	23,45,066.00	26416	2,93,684.00	13297
असम	आर.के मिशन सेवाश्रम, आर.के. मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	7,25,691.00	65	12,00,768.00	64	2,23,655.00	64
असम	सदाउ असोम ग्राम्य पुथिभराल संस्था, टेलीपती, चन्यसाई रोड, जिला नगाँव, असम	पुस्तकालय और गैर–आवासीय विद्यालय	21,31,515.00	7357	18,04,078.00	1176	3,05,590.00	345
असम	श्रीमंत शंकर मिशन, पी.ओ. पनिगांव, जिला–नगांव, असम –782001	सचल औषधालय	6,81,809.00	5011	11,51,402.00	5674	–	–
छत्तीसगढ़	कचन दुरवा सेवा और कल्याण समिति ग्रा.+ पी.ओ. –पंडुका, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर–आवासीय विद्यालय	9,23,200.00	200	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, पता/ पी.ओ.: बुधवानी, जिला राजनन्दगांव, छत्तीसगढ़	आवासीय विद्यालय	14,73,660.00	100	42,95,678.00	275	3,67,380.00	91

राज्य	स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
छत्तीसगढ़	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	6 छात्रावास, दिव्यांग एग्री. प्राटी व संबद्ध विषय, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और सीटीसी	43,20,079.00	1594	60,86,303.00	3000	3,07,200.00	1460
छत्तीसगढ़	विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ, कल्याण एवं सेवा (विश्वास), छत्तीसगढ़	3 हेल्थ पोस्ट और 1 फेयर शॉप	8,19,149.00	20538	6,51,330.00	8296	–	–
दिल्ली	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली), श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और छात्रावास	8,19,023.00	60	–	–	–	–
दिल्ली	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली 110055	छात्रावास	8,95,719.00	100	5,40,869.00	50	–	–
गुजरात	भारत सेवाश्रम संघ, पता / पी.ओ. –डेडियापाड़ा, जिला – नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	–	–	19,44,113.00	33495	1,76,737.00	12453
गुजरात	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर(नवासरी), नवासरी, गुजरात	गैर– आवासीय विद्यालय(सह–शिक्षा), सचल औषधालय (4), मोबाइल ए वी यूनिट	43,73,100.00	50348	89,89,380.00	144865	22,92,720.00	67306
गुजरात	भारत यात्रा केंद्र, पता / पी.ओ. –डेडियापाड़ा, जिला–नर्मदा, पिन– 393040, गुजरात	छात्रावास	7,00,500.00	100	16,96,005.00	127	7,24,000.00	48
गुजरात	आईएनआरईसीए, रायपिपला रोड, टिमबापड़ा, डेडियापाड़ा, जिला–नर्मदा, गुजरात	छात्रावास	22,41,306.00	200	20,60,762.00	200	2,98,606.00	100
गुजरात	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, पीओ–सनाली, तालुका–दांता जिला.–बनासकांठा, गुजरात	आवासीय विद्यालय	–	–	–	–	5,21,331.00	83
हिमाचल प्रदेश	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी ऑफ की गोम्पा, पी.ओ.: की गोम्पा, जिला–लाहोल और स्पिती, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	28,90,798.00	300	19,50,362.00	300	2,76,541.00	100

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
हिमाचल प्रदेश	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल ऐसोशिएशन, पी.ओ. बोक्स नं. 98, क्लब हाऊस रोड, मनाली, जिला–कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	62,83,574.00	470	56,64,627.00	470	–	–
हिमाचल प्रदेश	इंस्टिट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी, पता–टबो, जिला–लाहोल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश.	आवासीय विद्यालय	40,43,891.00	280	68,62,813.00	507	5,03,253.00	280
हिमाचल प्रदेश	रामधा बुद्धिस्ट सोसाइटी, गांव/पी.ओ.: सिधपुर, वाया–दरी, नोरबुलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	27,23,828.00	300	18,15,885.00	200	3,11,647.00	100
हिमाचल प्रदेश	रिनचेन जंगपो सोसाइटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील–धर्मशाला, ग्राम काजाताह, जिला–कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय ग्राम कज़ाताह, स्पीति जिला लाहौल स्पीटी (प्राथमिक सह–शिक्षा)	21,31,795.00	200	24,99,525.00	393	10,78,669.00	782
हिमाचल प्रदेश	रिनचेन जंगपो सोसाइटी फॉर स्पीती डेवलपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील– धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुनसेल–लींग–305	आवासीय विद्यालय (पी+एस), मुन्सेल–लिंग –305, रंगरिक, जिला लाहौल और स्पीति	70,35,750.00	800	92,22,500.00	592	63,73,965.00	100
जम्मू और कश्मीर	हिमालयन बुद्धिष्ट कल्चरल सोसाइटी, ग्रा.: गुलाबगढ़, पी.ओ.: अथौली, जिला–डोडा, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	19,68,601.00	140	19,68,822.00	100	–	–
जम्मू और कश्मीर	महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, देवचरण साहू डीएचओ, पी.ओ. 22 लेह लद्दाख 194101 जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	–	–	–	–	15,87,901.00	366
झारखण्ड	आर.के. मिशन विवेकानंद सोसायटी, बिस्तुपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड	छात्रावास, सचल औषधालय, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टंकण और आशुलिपि केंद्र, मोबाइल–लाइब्रेरी–सह–एवी यूनिट	18,28,198.00	9474	28,80,659.00	77817	4,17,510.00	41243

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ (बराजुरी इकाई) घाट सिला, झारखण्ड	कृषि प्रशिक्षण केंद्र, आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र, बुनाई प्रशिक्षण केंद्र और रस्सी बनाना प्रशिक्षण केंद्र बनाना	85,33,766.00	13304	45,46,063.00	10973	8,21,637.00	3896
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ, पता– पथरा, पो.– रानीश्वर, जिला–दुमका, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय (2), 20 – बिस्तर वाला अस्पताल , सचल औषधालय	72,91,998.00	15402	2,00,04,390.00	57058	22,49,262.00	17511
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), पता/पो./जिलाः पाकुर, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	53,90,000.00	7059	1,07,70,657.00	591	37,68,230.00	1219
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ (सोनरी), सोनरी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन–831011, झारखण्ड	सचल औषधालय (3), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, बेंत और बांस, एवी यूनिट, के एंड वीविंग सेंटर (2), 20–बिस्तर वाला अस्पताल (2) तथा आवासीय विद्यालय(2) तथा पीवीटीजी	3,15,59,528.00	126860	8,04,86,996.00	352575	1,39,60,234.00	68760
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ (रांची इकाई) बटियातु इंद्रप्रस्थ कॉलोनी (झारखण्ड), रांची– 834003	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	25,27,093.00	6480	52,35,841.00	13018	19,14,198.00	4647
झारखण्ड	आर.के. मिशन आश्रम, मुरेबाड़ी, रांची, झारखण्ड	दिव्यान इकाई, सचल औषधालय, सचल पुस्तकालय, पुस्तकालय	1,30,01,900.00	145123	26,32,938.00	23988	–	–
झारखण्ड	आर.के.मिशन मठ, पता/ पी. ओ. /जिलाः जामतारा–815351, झारखण्ड	सचल औषधालय	5,64,592.00	3683	9,84,790.00	3950	–	–
झारखण्ड	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड	50–बिस्तर वाला अस्पताल ग्राम ढूंगरी, ब्लॉक–नामकुम	84,99,922.00	34756	54,11,988.00	36399	98,51,663.00	20740
झारखण्ड	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची,झारखण्ड	70–बिस्तर वाला अस्पताल और सचल औषधालय	1,74,31,731.00	34756	99,62,048.00	106505	1,61,84,220.00	130306
झारखण्ड	विकास भारती बिशनुपुर, ब्लॉक बिशनुपुर, जिला–गुमला–835231 झारखण्ड	आवासीय विद्यालय	–	–	–	–	13,41,225.00	120
कर्नाटक	आशीर्वाद रुरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के.एच.बी. कॉलोनी, जिला–गुडीबन्डे, कर्नाटक	10–बिस्तर वाला अस्पताल	15,51,600.00	14813	35,08,739.00	41064	5,31,600.00	11281

राज्य	स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
कर्नाटक	भारती ऐजुकेशनल ट्रस्ट, पता–पथापल्ली तालुक, बगेपल्ली, जिला कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	16,20,270.00	100	28,51,335.00	200	3,75,390.00	100
कर्नाटक	डा. अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी (आर), पता– नालकुडूर गोमाला, नालकुडूर, पिन–577544, चन्नागिरी तालुक, देवेंगेरी जिला, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	15,66,270.00	100	24,24,476.00	174	4,92,739.00	96
कर्नाटक	हरिहरा ग्रामीण वृद्धि संघ, चिक्काबाल्लपुर तालुक, जिला कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	6,83,573.00	11841	12,77,250.00	13561	7,78,800.00	19122
कर्नाटक	कुमुधवाटि रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, मकान नं.32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधुगिरि–572132, तुमकुर जिला कर्नाटक	सचल औषधालय और गैर–आवासीय विद्यालय	16,47,270.00	100	–	–	–	–
कर्नाटक	नवज्योति इंस्टीट्यूट फॉर हेल्प एंड रूरल डेवलेपमेंट, हवेरी, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	–	–	9,68,247.00	90	–	–
कर्नाटक	प्रगति रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पता–गेराहल्ली, चिक्काबाल्लपुर तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	–	–	27,00,450.00	200	5,40,090.00	100
कर्नाटक	संत कबीरदास एजुकेशन सोसाइटी, सेदाम रोड, जगत, जिला–गुलबरगा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	31,32,540.00	200	28,51,223.00	191	4,02,817.00	100
कर्नाटक	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला दावणगेरे, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	30,97,673.00	200	27,31,129.00	184	1,83,270.00	90
कर्नाटक	श्री स्वामी सर्वधर्म शरानायला ट्रस्ट, रंगापुरा, जिला तुमकुर, कर्नाटक	गैर–आवासीय विद्यालय तथा 10 बिस्तर वाला अस्पताल	49,46,580.00	17997	42,31,294.00	32669	7,20,169.00	8723
कर्नाटक	श्री विनायका सेवा ट्रस्ट, पता–काइवारा, चिंतास्वामी– तालुक, जिला–कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	15,32,340.00	100	–	–	–	–

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
कर्नाटक	स्वामी विवेकानन्द यूथ मूवमेंट, कंचनाहल्ली, शान्ति नगर पी.ओ., हेग्गाडादेनाकोटे तालुक, जिला माइसोर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय(2), 10–बिस्तर वाला अस्पताल (2) और सचल औषधालय	–	–	1,77,14,615.00	43446	17,88,798.00	13972
कर्नाटक	विवेकानन्द गिरिजन कल्याण केन्द्र, बी.आर. हिल्लस, यालन्दुर तालुक, जिला चमराजनगर, पिन– 571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10–बिस्तर वाला अस्पताल , गैर–आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय	47,15,753.00	15370	55,13,121.00	47480	7,95,336.00	19681
केरल	रामकृष्ठ मठ (स्वामी निर्मलानंद, मेमोरियल बाला भवन) , पता–कयनाकुलम– 690502, जिला–अलपुपझा, केरल	छात्रावास	7,96,950.00	53	–	–	–	–
केरल	श्री रामकृष्णा अदवैता आश्रम, पी. ओ. कालडी, जिला एनारकुलम, केरल	छात्रावास	–	–	12,88,319.00	102	–	–
केरल	स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर, मुत्तिल, जिला– वयनाद, केरल	सचल औषधालय और 20–बिस्तर वाला अस्पताल	28,74,338.00	84975	22,56,625.00	61847	–	–
केरल	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, पता–पेरिया–34, पी.ओ.: पेरिया, जिला वयनाद, केरल	आवासीय विद्यालय	–	–	12,04,947.00	110	–	–
केरल	वयनाड गिरीजन सेवा ट्रस्ट, मट्टीलयम पोस्ट, वीलामुंडा (द्वारा) वैयनाड जिला, केरल–670731	आवासीय विद्यालय	29,84,400.00	200	29,80,201.00	200	–	–
मध्य प्रदेश	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पी.ओ.–अमरपुर, जिला डिनडोरी, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	17,78,225.00	400	6,16,075.00	100	–	–
मध्य प्रदेश	बंधेवाल शिक्षा समिति, नसरुल्लागंज, जिला–सेहोर, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	9,03,150.00	100	16,34,513.00	200	2,77,627.00	100
मध्य प्रदेश	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्युट, 7–ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय) सतना में परियोजना, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय मझगवां में, सतना जिला, म.प्र (बालिकाएं)	16,17,818.00	120	–	–	13,74,692.00	120

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
मध्य प्रदेश	जन कल्याण आश्रम समिति, ग्रा. – सिद्धपुर(दुभ), पी.ओ. – सेमिरि हरिचंद, तहसील– बबाई, जिला– होसंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	–	–	12,45,861.00	100	–	–
मध्य प्रदेश	म.प्र. अनुसूचित जाति जनजाति एवम पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166–ई, उज्जैन म.प्र.	आवासीय विद्यालय	16,28,707.00	100	28,68,907.00	190	4,62,076.00	90
मध्य प्रदेश	म.प्र. वनवासी सेवा मंडल पता–तिकारिया, जिला– डिनडोरी, म.प्र.	गैर–आवासीय विद्यालय	25,66,000.00	200	21,72,318.00	200	4,65,000.00	100
मध्य प्रदेश	एमपी आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर, शहडोल, एमपी	आवासीय विद्यालय	–	–	51,47,005.00	700	–	–
मध्य प्रदेश	एमपी आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर, शहडोल, एमपी	आवासीय विद्यालय	–	–	49,30,880.00	700	–	–
मध्य प्रदेश	पांडे शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश (नया आरएस)	आवासीय विद्यालय	–	–	55,25,969.00	390	–	–
मध्य प्रदेश	पांडे शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश (नया आरएस)	आवासीय विद्यालय	–	–	23,97,325.00	197	–	–
मध्य प्रदेश	पुष्पा कोनवेंट शिक्षा समिति, सी–537–538, पुष्पा नगर कॉलोनी,भोपाल– 462010 (म.प्र.)	गैर–आवासीय विद्यालय	9,14,490.00	100	16,47,711.00	200	–	–
मध्य प्रदेश	रामा एज्युकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, वरियालखेडा, मलिबाया, ब्लॉक– रहती, जिला– शहोर, भोपाल, एमपी	गैर–आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	–	–	20,00,318.00	269	3,44,479.00	97
मध्य प्रदेश	सेवा भारती (मध्य प्रदेश) मातृछाया (शिशु केन्द्र), स्वामी रामतीर्थ नगर, नया मैदा मिल, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462011, एमपी	आवासीय विद्यालय(2), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (3) तथा छात्रावास (2)	25,12,892.00	126	5,08,397.00	40	–	–
महाराष्ट्र	चंद्राई महिला मंडल, पता/ पी.ओ. –पिम्पलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	36,45,608.00	300	25,92,405.00	300	18,01,057.00	200

राज्य	स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
महाराष्ट्र	जय हिन्द मित्र मंडल, कोल्हा, जिला– फुलवानी, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय (2013–14 से)	16,41,519.00	100	42,98,022.00	288	4,14,990.00	100
महाराष्ट्र	खण्डेराओ एजुकेशन सोसाइटी, बसर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राइमरी विद्यालय (बसर) और आवासीय विद्यालय (वरूड)	72,77,716.00	600	50,20,964.00	400	9,12,780.00	200
महाराष्ट्र	महामानव बाबा आम्टे बहुद्देशीय सामाजिक विकास सेवा संस्था, पता– पोस्ट चिकली, तालुका–श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर पिन 413728	छात्रावास	–	–	7,40,535.00	97	–	–
महाराष्ट्र	राजमाता शिक्षण प्रसारक मण्डल, पता–दाईथान , तालुका– अशति, जिला–बीड़, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	16,04,970.00	100	27,72,669.00	185	2,46,376.00	100
महाराष्ट्र	रेनूका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाने, मालेगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय(2013–14 से)	32,26,734.00	200	29,49,660.00	200	2,66,130.00	100
महाराष्ट्र	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जिला– जलगांव,महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	15,74,730.00	100	–	–	–	–
महाराष्ट्र	श्री महागणपति समाजसेवी संगठन, पी.ओ. –वदनेर बीके, तालुका–पारनेर, जिला अहमदनगर, पिन– 414306	आवासीय विद्यालय	–	–	–	–	10,39,671.00	57
महाराष्ट्र	श्री कोटुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल कोटुल, तालुका–अकोले, जिला–अहमदनगर, पिन 422610(महाराष्ट्र)	आवासीय विद्यालय	–	–	13,48,980.00	100	30,26,764.00	274
महाराष्ट्र	श्री साईनाथ एजुकेशन सोसाइटी, प्रतापपुर, तहसील तलोडा, जिला–नन्दुरवार–425413, महाराष्ट्र	छात्रावास	24,19,830.00	200	21,73,748.00	200	2,46,406.00	100
महाराष्ट्र	श्री स्वामी श्याम सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला– धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	36,39,353.00	300	22,90,216.00	200	11,51,524.00	8918
महाराष्ट्र	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नन्दगांव, तहसील, नन्दगांव, जिला–नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राइमरी विद्यालय	32,40,540.00	200	30,09,038.00	200	3,69,832.00	100

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
महाराष्ट्र	तापी प्रसार एजुकेशनल और कल्चरल ट्रस्ट, पता–नेवाडे, जिला–धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	35,98,358.00	300	23,08,905.00	200	16,31,407.00	200
महाराष्ट्र	उज्ज्वल रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पता/ पी.ओ. नेवाडे, तहसील–सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	27,22,771.00	300	17,26,402.00	180	2,17,980.00	80
महाराष्ट्र	यूथ वेलफेयर एसोशिएशन ऑफ इंडिया, नेयर राधिका अस्पताल, विश्नुवाडी, बुलदाना, जिला–बुलदाना, महाराष्ट्र	10–बिस्तर वाला अस्पताल	31,56,012.00	20494	–	–	–	–
मणिपुर	आदिम जाति शिक्षा आश्रम, चिंग मेरोंग खोंगनांग एनी करक, डी.एम. रोड, इम्फाल प. जिला इम्फाल मणिपुर – 795001 (भारतीय आदिम जाति सेवक संघ थक्कर बापुर स्मारक सदन की यूनिट नई दिल्ली–110055 (इम्फाल, मणिपुर शाखा)	छात्रावास	9,87,142.00	75	9,88,133.00	75	11,85,030.00	100
मणिपुर	चिल चिल एशियन मिशन सोसायटी कांगलातोंगबाई, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	33,39,000.00	400	–	–	46,39,500.00	400
मणिपुर	क्रिस्च्यन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेन्टर), ग्रीन हिल्लस, तमंगलोग, मुख्यालय, पिन–795141,मणिपुर	आवासीय विद्यालय	–	–	50,86,170.00	300	6,08,490.00	100
मणिपुर	कमेटी ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ डेवलेपमेंट असम हाउस सं. 35 छठी मील जयानगर रोड गुवाहाटी 781022 असम	सचल औषधालय	–	–	–	–	6,07,467.00	4040
मणिपुर	इंटेग्रेटेड एजुकेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन, (आईईएसडीओ) इम्फाल ईस्ट, मणिपुर	गैर–आवासीय विद्यालय	23,25,780.00	200	–	–	11,35,890.00	100

राज्य	स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
मणिपुर	इंटेग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट एण्ड एज्युकेशनल ऑर्गनाइजेशन, वंगबाल, पी.ओ. थोबाल,मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	36,24,840.00	440	29,44,214.00	216	29,57,850.00	172
मणिपुर	रुरल एजुकेशनल और सोशियो–इकोनोमिक्स डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, (आरईएयईडीओ) पता–थंगा टोंगब्राम लेकाई, बीपीओ थंगा, जिला बिशनुपुर, मणिपुर	गैर–आवासीय विद्यालय	–	–	9,38,250.00	100	–	–
मणिपुर	सैमसिनपावलपी, (पैटे स्टूडेंटस वेलफेयर एसोशिएशन) एसएसएसपी कॉम्प्लेक्स, बुंगनूल, पी.ओ. बोक्स न.99, जिला–लम्का, पिन–795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	77,34,110.00	961	92,48,164.00	961	18,08,668.00	500
मणिपुर	सोसाइटी फॉर वूमेनस एजुकेशन एक्शन एण्ड रेफलेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर), अथोकपाम खुनाउ, पी.ओ. – थोबाल, मणिपुर	सचल औषधालय	–	–	7,06,950.00	1216	14,13,900.00	2603
मणिपुर	टियर फंड इंडिया कमेटी ऑन टीलिफ एण्ड रेहबिलेशन सर्विस (टीएफआईसीओआरआरएस), चरचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	27,02,520.00	200	–	–	–	–
मणिपुर	टाईप राईटिंग इंस्टीट्यूट एण्ड रुरल डेवलपमेंट सर्विस, थोबाल,, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	31,62,982.00	191	–	–	–	–
मणिपुर	यूनिटेड रुरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस), एचओःहेरोक हेतुपोकपी, जिला–थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	16,20,270.00	100	–	–	15,93,270.00	100
मणिपुर	वोलुनट्रीस फॉर रुरल हेल्थ एण्ड ऐक्शन (वीओआरएचए), लामडिंग, वंग्गिग,, मणिपुर	सचल औषधालय और टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र	9,32,310.00	1331	7,06,950.00	1323	–	–
मेघालय	नोंगक्रेम यूथ डेवलेपमेंट एसोसिएशन, पो–नोंगक्रेम, शिलांग, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	छात्रावास और ग्रामीण रात्रि विद्यालय	–	–	–	–	12,32,460.00	125

राज्य	स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
मेघालय	आर.के. मिशन आश्रम, चेरापुंजी, जिला ईस्ट खासीए हिल्स, मेघालय	62 एलपी / एमई / माध्यमिक–गैर–आवासीय विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, गैर–आवासीय विद्यालय, 2 छात्रावास, 3 सचल औषधालय, सीटीसी पुस्तकालय, एम.ए.वी. इकाई, कताई और बुनाई	6,64,52,049.00	92001	7,95,72,242.00	125118	10,39,36,741.00	57371
मेघालय	आर.के. मिशन, लैथुमखुम, पी.ओ. बोक्स– 9, शिलांग, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय तथा पुस्तकालय (2 इकाई)	33,18,711.00	48868	29,06,138.00	57532	3,89,862.00	28153
मिजोरम	मिशन फाउंडेशन मूवमेंट, नगमा बिल्डिंग बवंगकावन, लुंगलेई रोड आईजोल 796014	सचल औषधालय तथा 10 बिस्तर वाला अस्पताल	–	–	4,94,370.00	80	12,48,300.00	370
मिजोरम	मिजोरम हेमिथाई एसोशिएशन, अपर रिपब्लिक रोड, आईजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	35,54,820.00	200	29,00,250.00	200	5,49,810.00	100
मिजोरम	सोशल गाइडेंश एजेंसी,, टुइकॉल आइजोल–, मिजोरम	सचल औषधालय	7,00,200.00	2350	14,32,180.00	7836	1,28,806.00	2568
मिजोरम	थुतक नुनपुइटु ट्रीम, मुन्ना वेंग जुअनगटुई, मिजोरम	आवासीय विद्यालय	13,34,504.00	100	45,46,456.00	286	2,70,400.00	93
नागालैण्ड	दयानन्द सेवाश्रम संघ, नहारबार, जिला– दिमापुर, नागालैण्ड, (अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, 315, आसिफ अली रोड, नई दिल्ली की 1 इकाई)	छात्रावास	30,79,598.00	475	7,18,015.00	50	–	–
नागालैण्ड	नागालैण्ड चिल्ड्रन होम, दिमापुर, पोस्ट नम्बर–10, पिन–797112, जिला– दीमापुर, नागालैण्ड	छात्रावास	–	–	5,59,994.00	43	–	–
नागालैण्ड	वुमन वेल्फेयर सोसायटी, अटोइजु, दीमापुर, नागालैण्ड	छात्रावास	–	–	5,25,879.00	50	–	–
ओडिशा	आदिवासी सोशल और कल्चरल सोसाइटी पता / पी.ओ. कुचिंदा, जिला सम्बालपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	16,14,870.00	100	16,14,870.00	100	–	–

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
ओडिशा	अरुण इंन्स्टीट्यूट ऑफ रुरल अफेयर, पता– अश्वाखोला, पो.:कारमुल, जिला धेनकानल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	23,84,651.00	260	29,06,743.00	260	6,00,465.00	130
ओडिशा	एसोशिएशन फॉर वोलुनटारी ऐक्शन पता–दिमापुर, जिला–पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	40,36,613.00	300	25,59,397.00	200	7,21,320.00	100
ओडिशा	बनवासी सेवा समिति, पो–बालीगुडा, जिला कंधमाल, पिन–762103, ओडिशा	छात्रावास	–	–	44,28,338.00	400	2,96,122.00	100
ओडिशा	बंकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, बांकी, जिला–कुट्टक, ओडिशा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र (5 इकाई)	23,85,180.00	200	25,79,902.00	250	4,84,785.00	100
ओडिशा	भैरबी क्लब, कुरुमपाडा, जिला खुर्दा, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	15,90,270.00	100	–	–	–	–
ओडिशा	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, जमशेदपुर, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय 'क' तथा 'ख' (2 इकाई), 10–बिस्तर वाला अस्पताल और बुनाई वन अधिकार अधिनियम, 2006 कताई हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र (सुंदरगढ़ में सभी परियोजनाएं) ओडिशा)	65,45,125.00	33861	1,86,32,563.00	122263	11,78,681.00	33956
ओडिशा	कलिंगा इंस्ट्टीट्यूट ऑफ इंड्रस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी, कोल केम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय (प्राइमरी और माध्यमिक)	6,54,27,492.00	5000	14,87,77,436.00	18000	16,32,99,951.00	20000
ओडिशा	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठा, मनसापोले, जिला– जजपुर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	31,75,740.00	200	27,24,750.00	200	5,15,790.00	100
ओडिशा	मा बिन्ध्याबसिनी अनाथ शिक्षाश्रम, जगन्नाथपुर, पी.ओ.–जिल्लिदा, पीएस–नारासिंहपुर, जिला–कुट्टक, ओडिशा पिन–754032	छात्रावास	–	–	7,49,574.00	100	5,17,716.00	100

राज्य	स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
ओडिशा	नेहरु सेवा संघ, पता / पी.ओ. :बानपुर, जिला खुरडा, उड़ीसा	छात्रावास	31,03,209.00	288	18,27,916.00	158	7,07,933.00	136
ओडिशा	निखिला उत्कल हरिजन सेवा संघ, निलादरी विहार, सल्लाश्री विहार, भुवनेश्वर,							
उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	28,06,369.00	300	16,83,821.00	150	–	–	
ओडिशा	ऑरगेनाइजेशन फॉर द रूरल वुमन एंड यूथ डेवलेपमेंट, रघुनाथपुर, पी.ओ. –भोदुआसोले, विया–नालागाजा, जिला–मयूरभंज, पिन–757073	आवासीय विद्यालय	–	–	29,62,290.00	200	7,02,720.00	100
ओडिशा	आर.के. मिशन पुरी, ओडिशा	छात्रावास, सचल औषधालय और टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र	14,01,098.00	140	11,93,782.00	140	3,12,143.00	70
ओडिशा	आर.के.मिशन, विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास तथा पुस्तकालय	20,15,918.00	120	15,86,948.00	120	1,49,872.00	60
ओडिशा	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजुर ओफिस बिल्डिंगस, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय) प्रोजेक्ट पता– पडवा, जिला– कोरापुट, उड़ीसा	ओडिशा में सचल औषधालय	–	–	18,37,005.00	6829	2,08,515.00	2800
ओडिशा	सद्ज्योतिका, कटक, ओडिशा	छात्रावास	–	–	21,69,806.00	212	2,92,590.00	106
ओडिशा	संकल्प,कटक, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	–	–	67,20,711.00	651	–	–
ओडिशा	सेवा समाज, पोस्टः गुनुपुर, जिला– रायगाडा, ओडिशा	छात्रावास	11,81,790.00	100	23,63,580.00	200	–	–
ओडिशा	श्री आर.के.मिशन आश्रम, पी.ओ.– रामपुर, जिला– कालाहांडी, ओडिशा	छात्रावास, कृषि और संबद्ध विषय और मोबाइल और दिव्यांन में प्रशिक्षण	1,35,70,920.00	14637	87,39,420.00	16274	8,62,975.00	13936
ओडिशा	सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता विकास और आर्थिक सेवा (स्वदेशी), गोपालबंधु नगर, फुलबनी, जिला– कालाहांडी, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	–	–	15,79,307.00	100	–	–

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
ओडिशा	विश्वा जीवन सेवा संघ, पता– सारधापुर, जिला खुरदा, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	56,57,724.00	400	46,47,252.00	400	9,00,411.00	200
राजस्थान	बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली, पोस्ट बनस्थली विद्यापीठ, तहसील–नेवाई, जिला टोंक, पिन–304022, राजस्थान	ए और एन सहित एनई एसटी लड़कियों के लिए वजीफा योजना	–	–	67,60,975.00	254	6,22,625.00	85
राजस्थान	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा, पी.ओ. भिंडर, जिला उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	14,49,967.00	85	14,06,862.00	80	–	–
राजस्थान	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम/ पी.ओ.– झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर, राजस्थान	गैर–आवासीय विद्यालय	–	–	44,34,115.00	770	–	–
सिक्किम	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, सिक्किम ऑफ गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	26,02,665.00	190	43,37,775.00	380	8,67,555.00	190
सिक्किम	मुयल लियांग ट्रस्ट, योंग्डा हिल्स, डीपीसीए, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	64,78,537.00	457	41,63,852.00	237	1,93,927.00	111
तमिलनाडु	ग्रामीण मक्कल अबनिरुद्ध ल्याक्कम (जीएमआई), पून्थोट्टम, पी.ओ. कोयमबटूर, तमिलनाडु	20–बिस्तर वाला अस्पताल, सचल औषधालय	52,43,737.00	153584	95,26,951.00	111587	5,75,330.00	41723
तमिलनाडु	मोनफोर्ट कम्यूनिटी ट्रस्ट, सेलम, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	–	–	96,01,451.00	1446	–	–
तमिलनाडु	न्यू लाइफ एजेन्सी फॉर ट्राइबल प्यूपिल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू) जिला वैल्लोर, तमिलनाडु	छात्रावास	51,78,158.00	450	20,78,588.00	150	–	–
तमिलनाडु	नीलगिरी आदिवासी कल्याण एसोसिएशन, कोटागीरि, नीलगिरि, तमिलनाडु	60–बिस्तर वाला अस्पताल, (3) 10 बिस्तर वाला अस्पताल, (3)सचल औषधालय	1,76,27,636.00	115510	1,17,06,003.00	369436	–	–
तमिलनाडु	दक्षिण भारत अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, सईदापेट, पिन कोड– 600017, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	–	–	–	–	15,64,195.00	100
तेलंगाना	बंजारा सेवा समिति 7–1–57–2/ए, एस2, सनमुखा अपार्टमेंट डीके रोड, अमीरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना	छात्रावास	–	–	–	–	10,96,770.00	91

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
तेलंगाना	जीयर एजूकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कॉलोनी, डोमालगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना	आवासीय विद्यालय	–	–	39,96,695.00	300	–	–
तेलंगाना	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 11.10.635/1, बुरहानपुरा, जिला खम्माम, तेलंगाना–507001	आवासीय विद्यालय	–	–	13,67,190.00	100	–	–
तेलंगाना	तेलंगाना ट्राइबल कल्याण आवासीय शिक्षण इंस्टीट्यूट सोसायटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद	आवासीय विद्यालय(16)	76,76,131.00	2353	–	–	–	–
त्रिपुरा	बहुजन हिताय एजुकेशनल ट्रस्ट, पी.ओ., सबरुम, जिला साउथ त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	15,43,254.00	100	27,00,695.00	200	4,08,829.00	100
त्रिपुरा	त्रिपुरा महिला आदिबासी महिला समिति, अगरतला, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	17,18,550.00	100	30,71,070.00	200	5,68,530.00	100
उत्तर प्रदेश	सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन–411001, महाराष्ट्र	छात्रावास (4 इकाई) तथा आवासीय विद्यालय	35,78,246.00	289	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	यूपी वनवासी सेवा संस्था, गांव–गोबरुल्ला, पो.–	आवासीय विद्यालय	31,64,929.00	200	–	–	–	–
उत्तराखण्ड	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, पता– कालसी, जिला– देहरादून, उत्तराखण्ड	2 छात्रावास (जूनियर + प्राइमरी)	–	–	40,87,235.00	311	8,51,220.00	56
उत्तराखण्ड	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पता/ पो.: ग्वालदन, जिला–चमोली, उत्तरांचल	सचल औषधालय	7,06,950.00	1180	–	–	7,06,950.00	1015
उत्तराखण्ड	सरवेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी,, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन – 411001, महाराष्ट्र	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	30,35,739.00	260	12,90,408.00	124	–	–
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (औरंगाबाद), पता/ पो.: औरंगाबाद, जिला– मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	59,39,325.00	300	52,10,809.00	18086	7,05,134.00	9701
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (बलूरघाट), पता– बलूरघाट, जिला–दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	हॉस्टल (6 यूनिट), लाइब्रेरी और मोबाइल लाइब्रेरी–सह–एवी यूनिट	1,06,80,402.00	3500	1,03,69,040.00	1000	25,54,727.00	500

राज्य	स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (बेल्डंगा) बेल्डंगा, जिला– मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (3 इकाई), सचल औषधालय, 10–बिस्तर वाला अस्पताल और टंकण आशुलिपिक केन्द्र	2,81,80,253.00	49419	1,32,96,262.00	32167	32,52,880.00	6222
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (दोकरा) ग्राम+ पी.ओ.:दोकरा, जिला–मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	38,44,674.00	200	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (मूलूक) , वाई बोलपुर, जिला– बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 इकाई) और बुनाई / कपडा और हैंडलूम	93,53,592.00	28120	69,02,805.00	25311	16,36,653.00	12751
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (सूरि), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	36,67,971.00	6160	31,95,180.00	6500	6,20,370.00	3323
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बेरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	7,21,755.00	100	11,89,060.00	435	–	–
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (घाक्सोले), घाक्सोले इकाई, जिला–मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	37,27,080.00	15384	32,70,196.00	16580	4,65,884.00	8191
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (कुनूर), गांव / पीओ–कुनूर, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	11,81,790.00	100	28,99,819.00	300	21,11,940.00	200
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पता / पो. रघुनाथपुर जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल	छात्रावास और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	29,18,103.00	260	24,13,960.00	230	2,32,447.00	100
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	14,13,900.00	21120	11,78,250.00	30993	18,74,820.00	10134
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (रनघाट–पेरादंगा ब्रांच), ग्राम–कूसुरिया, पो.:प्रीतिनगर, जिला– नोडिया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (पी+एस) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और टंकण, सचल औषधालय	34,05,966.00	6313	55,39,478.00	14641	6,12,495.00	160
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर) ताजपुर यूनिट, जिला–मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	37,27,080.00	17718	28,74,398.00	18886	4,09,342.00	9460

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (तेओर), ग्राम + पीओः तेओर, जिला–दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	47,16,900.00	17004	39,59,676.00	22502	7,57,224.00	11251
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ, पीओ–बरहामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	5,14,307.00	50	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	बिकास भारती वेल्फेयर सोसायटी, 20/1बी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता – 700001, पश्चिम बंगाल (हैडक्वार्टर) गोपीबालावपुर–ए में प्रोजेक्ट, जिला– मिदनापुर	सचल औषधालय	6,85,350.00	4568	6,85,350.00	4778	–	–
पश्चिम बंगाल	बिरसा मुंडा एजुकेशन सेंटर, ग्राम क्रांति, पो. क्रांतिहाट, जिला जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	–	–	30,40,469.00	200	–	–
पश्चिम बंगाल	गोहलडीहा जाति उपजाती ब्लू बर्ड महिला वेलफेयर सेंटर, गोहलडीहा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल।	आवासीय विद्यालय	24,59,520.00	200	58,14,585.00	520	8,23,455.00	200
पश्चिम बंगाल	हिमालयी बुद्दिस्ट सांस्कृतिक एसोसिएशन, बुद्ध काल, पता–सलगुरा, जिला–जालपागुरी, पश्चिम बंगाल–734318	गैर–आवासीय विद्यालय	17,55,287.00	188	–	–	13,29,623.00	100
पश्चिम बंगाल	मिदनापुर वेस्ट सिस्टर निवेदिता वेलफ़ेयर सोसाइटी, बेउंछा, सलबोनी, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	–	–	12,97,050.00	2752	–	–
पश्चिम बंगाल	निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट, बैकुण्ठपुर, दसपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	–	–	10,88,250.00	915	–	–
पश्चिम बंगाल	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पेल्ली, पी.ओ.कोरा, चंड़ीगढ, मध्यग्राम, एन.24– परगना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल–743298	छात्रावास	7,21,850.00	50	11,33,365.00	87	–	–
पश्चिम बंगाल	आर.के. मिशन बॉयज हॉम, पी.ओ. –रहारा, जिला–नॉर्थ–24–परगना, कोलकाता–700118, पश्चिम बंगाल	छात्रावास–सह–आवासीय विद्यालय	15,28,470.00	100	27,82,373.00	200	4,28,107.00	100
		कुल	**69,18,80,423.00**	**17,26,391**	**88,37,14,970.00**	**23,78,906**	**42,10,20,840.00**	**8,07,019**

अनुलग्नक –14क (ii)

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत वर्ष 2017–18 से 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 50 लाख रुपये या उससे अधिक निर्मुक्त की गई राशि वाले गैर–सरकार संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों की राज्य–वार सूची

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
आंध्र प्रदेश	गुरुकुल आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफ़ेयर आश्रम और आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी (एपीटीडब्ल्यूएआरईआईएस), तेलुगू सन्सकक्षम भवन, द्वितीय तल, मसाब टैंक, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (02 ईकाई)	1,10,37,460.00	1158	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	बौद्ध सांस्कृतिक संरक्षण सोसायटी, ऊपरी गाम्पा, पीओ / बमदिला, जिला वेस्ट कमंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	–	–	67,95,737.00	535	–	–
अरुणाचल प्रदेश	ओजेयू वेलफ़ेयर एसोसिएशन, नाहरलागुन पुलिस स्टेशन, नाहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस)	59,03,456.00	413	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	आर.के मिशन हॉस्पिटल, पोस्ट–रामकृष्ण मिशन, जिला पमपुमपारे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 791113	60–बिस्तर वाला अस्पताल, सचल औषधालय	69,40,080.00	180456	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	आर.के. मिशन, नरोत्तम नगर, द्वारा देमोली, जिला–तिरप, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20–बिस्तर वाला अस्पताल	92,43,331.00	11036	1,53,05,392.00	16723	–	–
अरुणाचल प्रदेश	आर.के. मिशन, पोस्टः विवेकानन्दनगर, अलोंग, जिला पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, छात्रवास सह सचल पुस्तकालय ए.वी. इकाई	1,94,59,514.00	96830	1,47,35,580.00	52969	–	–
अरुणाचल प्रदेश	रामकृष्ण शारदा मिशन, पी.ओ. खोंसा, जिला तिरप, पिन– 786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	90,98,820.00	600	75,16,140.00	600	–	–
छत्तीसगढ़	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	6 छात्रावास, दिव्यांग एग्री. संबद्ध विषय, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और सीटीसी	–	–	60,86,303.00	3000	–	–

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
गुजरात	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर(नवासरी), नवासरी, गुजरात	गैर– आवासीय विद्यालय(सह–शिक्षा), सचल औषधालय (4), मोबाइल ए वी यूनिट	–	–	89,89,380.00	144865	–	–
हिमाचल प्रदेश	इंस्टिट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी, पता–टबो, जिला–लाहोल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश.	आवासीय विद्यालय	–	–	68,62,813.00	507	–	–
हिमाचल प्रदेश	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल ऐसोशिएशन, पी.ओ. नं.98, क्लब हाऊस रोड, मनाली, जिला–कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	62,83,574.00	470	56,64,627.00	470	–	–
हिमाचल प्रदेश	रिनचेन जंगपो सोसाइटी फॉर स्पीती डेवलेपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील– धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुनसेल–लींग–305	आवासीय विद्यालय (पी+एस), मुन्सेल–लिंग –305, रंगरिक, जिला लाहौल और स्पीति	70,35,750.00	800	92,22,500.00	592	63,73,965.00	100
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची इकाई) एटी बरिअतु, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	–	–	52,35,841.00	13018	–	–
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ (बाराजुरी इकाई) घाटशिला, झारखंड	कृषि प्रशिक्षण केंद्र, आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र, बुनाई प्रशिक्षण केंद्र और रस्सी बनाना प्रशिक्षण केंद्र	85,33,766.00	13304	–	–	–	–
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ, पता– पथरा, पी.ओ. – रानीश्वर, जिला–दुमका, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय (2), 20 – बिस्तर वाला अस्पताल , सचल औषधालय	72,91,998.00	15402	2,00,04,390.00	57058	–	–
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), पता/ पी.ओ. /जिलाः पाकुर, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	53,90,000.00	7059	1,07,70,657.00	591	–	–
झारखण्ड	भारत सेवाश्रम संघ (सोनरी), सोनरी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन– 831011, झारखण्ड	सचल औषधालय (3), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, बेंत और बांस, एवी यूनिट, के एंड वीविंग सेंटर (2), 20–बिस्तर वाला अस्पताल (2) तथा आवासीय विद्यालय(2) तथा पीवीटीजी	3,15,59,528.00	126860	8,04,86,996.00	352575	1,39,60,234.00	68760
झारखण्ड	आर.के. मिशन आश्रम, मुरेबाड़ी, रांची, झारखण्ड	दिव्यान इकाई, सचल औषधालय, सचल पुस्तकालय, पुस्तकालय	1,30,01,900.00	145123	–	–	–	–

राज्य	स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
झारखण्ड	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड	50–बिस्तर वाला अस्पताल ग्राम ढूंगरी, ब्लक–नामकुम	84,99,922.00	34756	54,11,988.00	36399	98,51,663.00	20740
झारखण्ड	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची,झारखण्ड	70–बिस्तर वाला अस्पताल और सचल औषधालय	1,74,31,731.00	34756	99,62,048.00	106505	1,61,84,220.00	130306
कर्नाटक	स्वामी विवेकानन्द यूथ मूवमेंट, कंचनाहल्ली, शान्ति नगर पी.ओ., हेग्गाडादेनाकोटे तालुक, जिला माइसोर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय(2), 10–बिस्तर वाला अस्पताल (2) और सचल औषधालय	–	–	1,77,14,615.00	43446	–	–
कर्नाटक	विवेकानन्द गिरिजन कल्याण केन्द्र, बी.आर. हिल्लस, यालन्दुर तालुक, जिला चमराजनगर, पिन– 571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10–बिस्तर वाला अस्पताल , गैर–आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय	–	–	55,13,121.00	47480	–	–
मध्य प्रदेश	एमपी आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर, शहडोल, एमपी	आवासीय विद्यालय	–	–	51,47,005.00	700	–	–
मध्य प्रदेश	पांडे शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश (नया आरएस)	आवासीय विद्यालय	–	–	55,25,969.00	390	–	–
महाराष्ट्र	खण्डेराओ एजुकेशन सोसाइटी, एटःबसर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राइमरी विद्यालय (बसर) और आवासीय विद्यालय (वरूड)	72,77,716.00	600	50,20,964.00	400	–	–
मणिपुर	क्रिस्च्यन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेन्टर), ग्रीन हिल्लस, तमंगलोग, एचक्यू, पिन–795141, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	–	–	50,86,170.00	300	–	–
मणिपुर	सैमसिनपावलपी, (पैटे स्टूडेंटस वेलफेयर एसोशिएशन) एसएसएसपी कॉम्प्लेक्स, बुंगनूल, पो. बोक्स न.99, जिला–लम्का, पिन–795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	77,34,110.00	961	92,48,164.00	961	–	–
मेघालय	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापुंजी, जिला ईस्ट खासी हिल्ल्स, मेघालय	62 एलपी / एमई / माध्यमिक–गैर–आवासीय विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, गैर–आवासीय विद्यालय, 2 छात्रावास, 3 सचल औषधालय, सीटीसी पुस्तकालय, एम.ए.वी. इकाई, कताई व बुनाई	6,64,52,049.00	92001	7,95,72,242.00	125118	10,39,36,741.00	57371
ओडिशा	संकल्प,कटक, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	–	–	67,20,711.00	651	–	–

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
ओडिशा	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, जमशेदपुर, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय 'क' तथा 'ख' (2 इकाई), 10–बिस्तर वाला अस्पताल और बुनाई और हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र (सुंदरगढ़ में सभी परियोजनाएं) ओडिशा)	65,45,125.00	33861	1,86,32,563.00	122263	–	–
ओडिशा	कलिंगा इंस्टीटयूट ऑफ इंड्रस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी, कोल केम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय (प्राइमरी और माध्यमिक)	6,54,27,492.00	5000	14,87,77,436.00	18000	16,32,99,951.00	20000
ओडिशा	श्री आर.के.मिशन आश्रम, पी.ओ. – रामपुर, जिला– कालाहांडी, ओडिशा	छात्रावास, कृषि और संबद्ध विषय और मोबाइल और दिव्यांगों में प्रशिक्षण	1,35,70,920.00	14637	87,39,420.00	16274	–	–
ओडिशा	विश्वा जीवन सेवा संघ, पता– सारधापुर, जिला खुरदा, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	56,57,724.00	400	–	–	–	–
राजस्थान	बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली, पोस्ट बनस्थली विद्यापीठ, तहसील–नेवाई, जिला टोंक, पिन–304022, राजस्थान	ए और एन सहित एनई एसटी लड़कियों के लिए वजीफा योजना	–	–	67,60,975.00	254	–	–
सिक्किम	मुयल लियांग ट्रस्ट, योंग्डा हिल्स, डीपीसीए, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	64,78,537.00	457	–	–	–	–
तमिलनाडु	मोनफोर्ट कम्यूनिटी ट्रस्ट, सेलम, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	–	–	96,01,451.00	1446	–	–
तमिलनाडु	ग्रामीण मक्कल अबनिरुद्ध ल्याक्कम (जीएमआई), पून्थोट्टम, पी.ओ. कोयमबटूर, तमिलनाडु	20–बिस्तर वाला अस्पताल, सचल औषधालय	52,43,737.00	153584	95,26,951.00	111587	–	–
तमिलनाडु	न्यू लाइफ एजेन्सी फॉर ट्राइबल प्यूपिल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू) जिला वैल्लोर, तमिलनाडु	छात्रावास	51,78,158.00	450	–	–	–	–
तमिलनाडु	नीलगिरी आदिवासी कल्याण एसोसिएशन, कोटागीरि, नीलगिरि, तमिलनाडु	60–बिस्तर वाला अस्पताल, (3) 10 बिस्तर वाला अस्पताल, (3)सचल औषधालय	1,76,27,636.00	115510	1,17,06,003.00	369436	–	–
तेलंगाना	तेलंगाना ट्राइबल कल्याण आवासीय शिक्षण इंस्टीट्यूट सोसायटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद	आवासीय विद्यालय(16)	76,76,131.00	2353	–	–	–	–

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
पश्चिम बंगाल	गोहलडीहा जाति यूपी जाती ब्लू बर्ड महिला वेलफेयर सेंटर, गोहलडीहा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल।	आवासीय विद्यालय	–	–	58,14,585.00	520	–	–
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (मूलूक) , वाई बोलपुर, जिला– बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 इकाई) और बुनाई / कपडा और हैंडलूम	93,53,592.00	28120	69,02,805.00	25311	–	–
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (रनघाट–पेरादंगा ब्रांच), ग्राम–कूसुरिया, पी.ओ. :प्रीतिनगर, जिला– नोडिया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (पी+एस) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और टंकण, सचल औषधालय	–	–	55,39,478.00	14641	–	–
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (औरंगाबाद), पता/ पी.ओ.: औरंगाबाद, जिला– मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	59,39,325.00	300	52,10,809.00	18086	–	–
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (बलूरघाट), पता– बलूरघाट, जिला–दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	हॉस्टल (6 यूनिट), लाइब्रेरी और मोबाइल लाइब्रेरी–कम–एवी यूनिट	1,06,80,402.00	3500	1,03,69,040.00	1000	–	–
पश्चिम बंगाल	भारत सेवाश्रम संघ (बेल्डंगा) बेल्डंगा, जिला– मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (3 इकाई), सचल औषधालय, 10–बिस्तर वाला अस्पताल और टंकण आशुलिपिक केन्द्र	2,81,80,253.00	49419	1,32,96,262.00	32167	–	–
		कुल	**43,57,33,737.00**	**11,70,176**	**61,34,77,131.00**	**17,36,838**	**31,36,06,774.00**	**2,97,277**

अनुलग्नक – 14ख (i)

"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के तहत 2017–18 से 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान वित्त पोषित संगठनों की राज्य वार सूची

क्र.सं.	राज्य	गैर–सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों का नाम व पता	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जनजाति कल्याण आश्रम और आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी, हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश) **(14 इकाइयां)**	111723355	3480	–	–	–	–
2	अरुणाचल प्रदेश	भारत सेवाश्रम संघ, लाखरा रोड, काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी, असम, परियोजना पक्के कसांग में (मुख्यालय), जिला पूर्व कामेंग, अरुणाचल प्रदेश	3764528	200	–	–	–	–
3	छत्तीसगढ़	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा संस्थान, मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा, नारायणपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़ (विश्वास)	3711971	192	6448929	384	1435676	192
4	गुजरात	गुजरात राज्य जनजातीय विकास आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी (जीएसआईटीडीआरआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (43 इकाइयां)	147464614	12182	–	–	–	–
5	गुजरात	लोक निकेतन, एट/पीओ– रतनपुर, तालुक – पालनपुर, जिला – बनासकांठा, पिन – 385001, गुजरात	2076534	150	4757611	150	805973	150
7	गुजरात	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, एट/पीओ–सनाली, तह०–दांता, जिला–बनासकांठा, गुजरात	1706505	83	4563651	249	–	–
8	झारखण्ड	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) परियोजना लुम्बई में	–	–	3613140	150	815494	100
9	मध्य प्रदेश	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिड़ला रोड, ज्ञान मंडी के पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश (2–शैक्षिक परिसर)	7425707	600	9145744	600	2397784	300
10	मध्य प्रदेश	अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86, चन्द्र शेखर आज़ाद मार्ग, राणापुर, पिन –457993, ब्लॉक–राणापुर, जिला–झाबुआ, मध्य प्रदेश। (छात्रावास परियोजनाएं)	2515584	128	2181536	128	516942	66

क्र.सं.	राज्य	गैर–सरकारी / स्वैच्छिक संगठनों का नाम व पता	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
11	मध्य प्रदेश	बंधेवाल शिक्षा समिति, जिला हरदा, 92, पुराना नारियल खेड़ा, भोपाल–462038, भोपाल, मध्यप्रदेश	2791350	200	3297776	86	44246	86
12	मध्य प्रदेश	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम–तिकरिया, जिला–डिण्डोरी, मध्य प्रदेश (2–शैक्षिक परिसर)	5615450	400	6285250	400	1842970	200
14	मध्य प्रदेश	म.प्र. अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166–ई, मुनिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश	2165759	100	3657555	210	866963	100
15	मध्य प्रदेश	पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी, मु.–पटेल नगर, ब्लॉक–गोराडोंगरी, जिला–बैतुल, पिन –462010, पुष्पा नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	–	–	4949794	230	–	–
16	मध्य प्रदेश	पांडे शिक्षा समिति, गांव बामराह, सतना, मध्य प्रदेश	2732500	200	2689995	149	–	–
17	मध्य प्रदेश	पांडे शिक्षा समिति, गांव बामराह, सधा, मध्य प्रदेश (नई ईसी)	–	–	3226400	158	–	–
18	मध्य प्रदेश	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, एटी / पो–काठीवाड़ा, जिला–झाबुआ, मध्य प्रदेश	2510400	120	5079558	300	991216	150
19	मध्य प्रदेश	सव्य सांची शहरी और ग्रामीण विकास केंद्र, एट–अमर निंकुंज, अर्जुन नगर, सीधी, जिला–सीधी, पिन – 486661, मध्य प्रदेश	–	–	14295980	524	3080326	314
20	मध्य प्रदेश	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, पिन 484886, मध्य प्रदेश	1638756	84	2492619	124	514079	70
22	मध्य प्रदेश	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला–शहडोल, मध्य प्रदेश	5125100	400	6199440	290	1246690	193
23	महाराष्ट्र	चंद्राई महिला मंडल, पिम्पलनेर, एट–सकरी, जिला–धुले, महाराष्ट्र (ग्राम–पंखेडा, तालुका–सकरी, जिला–धुले, महाराष्ट्र **(छात्रावास परियोजना)**	4288950	300	3304300	200	50550	100
24	महाराष्ट्र	श्री स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर तालुका–सकरी, पिन –424310, जिला–धुले, महाराष्ट्र **(छात्रावास परियोजना)**	4045577	300	2523770	200	–	–
25	महाराष्ट्र	श्री गणेश फाउंडेशन, जिला– धुले, महाराष्ट्र	–	–	6030205	178	1147485	178

क्र.सं.	राज्य	गैर–सरकारी / स्वैच्छिक संगठनों का नाम व पता	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
26	महाराष्ट्र	नवनिर्माण शिक्षणसंस्था, बीबरटांडा, तह देगलुर, जिला–नादेड, महाराष्ट्र **(छात्रावास परियोजना)** ग्राम मेंडकी, ब्लॉक माहुर, जिला–नादेड।)	1897200	100	4192500	200	656970	100
27	महाराष्ट्र	संदी निकेतन शिक्षण संस्थान, वाडगाँव, जिला नांदेड़, एम.एस.	4754700	211	9409620	529	1672240	264
28	ओडिशा	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, एटः असावाखोला, पीओः करमूल, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	4465634	390	7217030	480	1763376	240
29	ओडिशा	ब्राइट कैरियर एकेडमी, एट–डोलोमंडप, चंदनबाद क्षेत्र, पीओ–जेयपोर, जिला–कोरापुट, पिन – 764001, उड़ीसा	–	–	8860520	300	1285080	150
30	ओडिशा	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट, एट–उत्कल शाखा, पीओ–सत्यभमपुर, जिला.कुटैक, पिन –754200, उड़ीसा	–	–	4798498	260	–	–
31	ओडिशा	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, एटी–लिंगराज नगर, पीओ–जेयपोर, जिला। कोरापुट, उड़ीसा	3689830	180	3711741	180	–	–
32	ओडिशा	लिबरेशन एजुकेशन एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट (एलईएडी), पीओ–जेयपोर, ग्राम सुंदरगढ़, जिला कोरापुर, उड़ीसा	2965080	150	–	–	–	–
33	ओडिशा	मार्र–मुनिंग आश्रम, अरबिंदो नगर, पीओ–जेपोर, जिला–कोरापुट, उड़ीसा	–	–	5820284	300	738316	100
35	ओडिशा	उड़ीसा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी, (ओएमटीईएस) भुवनेश्वर, उड़ीसा (19 परियोजना)	77962332	10848	–	–	–	–
36	ओडिशा	प्राकलपा, पो–ज्योतिपुर, जिला क्योंझर ओडिशा	–	–	14333280	636	2904360	300
38	ओडिशा	सेवासमाज, एटी / पीओ–गुनूपुर, जिला–रायगढ़, पिन 762022, उड़ीसा	–	–	3527602	200	–	–
39	ओडिशा	पर्यावरण और विकास के लिए सामाजिक शिक्षा (एसईईडी),एन–2 / 152, आईआरसी गांव, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा	–	–	2885020	240	–	–

क्र.सं.	राज्य	गैर–सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों का नाम व पता	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
40	ओडिशा	सोसायटी फॉर नेचर एडू। स्वास्थ्य (एसएनईएच), प्लॉट नंबरएनडी 19–20, आईआरसी विलेज, नयापल्ली, वीआईपी क्षेत्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा (2–शैक्षिक परियोजना)	5805753	274	15048235	793	1917060	157
41	ओडिशा	श्री रामकृष्ण आश्रम, एटी–बद्रोहिला, पीओ–कदलिमुंडा, जिला–अंगुल, पिन –759126, उड़ीसा (2–शैक्षिक परियोजना)	6663000	300	11520024	450	2227440	300
42	ओडिशा	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ए–47, रामेश्वर पटना, मौसीमा स्क्वायर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2360971	150	6755346	450	–	–
43	ओडिशा	सर्वोदय समिति, एटी / पीओ–कोरापुट, पिन –764020, जिला– कोरापुट, उड़ीसा	–	–	8829331	300	1235456	180
44	ओडिशा	होली होम एटीः डियानमुंडाचाक, पीओः तनवाट, जिला–नौपाड़ा, उड़ीसा	6305551	442	8049236	221	1350199	221
46	राजस्थान	मेवाड़ सारिक शिक्षा समिति, हिंटा, पीओ–भंडार, उदयपुर, राजस्थान	2513350	140	2513100	140	–	–
47	राजस्थान	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्रामीण / पीओ–झाड़ोल (फलसिया), जिला उदयपुर, राजस्थान	–	–	14304193	494	3420287	385
48	तेलंगाना	तेलंगाना आदिवासी कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद (16 इकाइयाँ)	32190954	3151	–	–	–	–
		कुल	**462876995**	**35255**	**226518813**	**10759**	**34927178**	**4596**

अनुलग्नक–14ख (ii)

'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' स्कीम के तहत 2017–18 से 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 50 से अधिक लाख या उससे अधिक की निर्मुक्त की गई राशि वाले स्वैच्छिक संगठनों/ गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची

क्र.सं.	राज्य	स्वैच्छिक संगठन/ गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जनजाति कल्याण आश्रम और आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी, हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश) (**14 इकाइयां**)	11,17,23,355.00	3480	–	–	–	–
2	छत्तीसगढ़	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा संस्थान, मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा, नारायणपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़ (विश्वास)	–	–	64,48,929.00	384	–	–
3	गुजरात	गुजरात राज्य जनजातीय विकास आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी (जीएसआईटीडीआरआई एस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (43 इकाइयां)	14,74,64,614.00	12182	–	–	–	–
4	मध्य प्रदेश	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिड़ला रोड, ज्ञान मंडी के पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश (2–शैक्षिक परिसर)	74,25,707.00	600	91,45,744.00	600	–	–
5	मध्य प्रदेश	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम–तिकरिया, जिला–डिण्डोरी, मध्य प्रदेश (2–शैक्षिक परिसर)	56,15,450.00	400	62,85,250.00	400	–	–
6	मध्य प्रदेश	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, एटी/पो–काठीवाड़ा, जिला–झाबुआ, मध्य प्रदेश	–	–	50,79,558.00	300	–	–

क्र.सं.	राज्य	स्वैच्छिक संगठन/ गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
7	मध्य प्रदेश	सव्य सांची शहरी और ग्रामीण विकास केंद्र, एट–अमर निंकुंज, अर्जुन नगर, सीधी, जिला–सीधी, पिन – 486661, मध्य प्रदेश	–	–	1,42,95,980.00	524	–	–
8	मध्य प्रदेश	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला–शहडोल, मध्य प्रदेश	51,25,100.00	400	61,99,440.00	290	–	–
9	महाराष्ट्र	श्री गणेश फाउंडेशन, जिला–धुले, महाराष्ट्र	–	–	60,30,205.00	178	–	–
10	महाराष्ट्र	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गॉव, जिला–नांदेड़, महाराष्ट्र	–	–	94,09,620.00	529	–	–
11	ओडिशा	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल अफेयर्स, : अश्वखोला, पोस्ट– करमुल, जिला, धेनकनाल, ओडिशा	–	–	72,17,030.00	480	–	–
12	ओडिशा	ब्राइट कैरियर अकादमी, एट–डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया, पोस्ट–जैपोर, जिला–कोरापुट, पिन –764001, ओडिशा	–	–	88,60,520.00	300	–	–
13	ओडिशा	मर–म्यूनिंग आश्रम, अरबिं नगर, पो–जैपोर, जिला–कोरापुट, ओडिशा	–	–	58,20,284.00	300	–	–
14	ओडिशा	ओडिशा मॉडल जनजाति एजुकेशन सोसाइटी, (ओएमटीईएस) भुवनेश्वर, ओडिशा (19 परियोजनाएं)	7,79,62,332.00	10848	–	–	–	–
15	ओडिशा	प्रकल्प, पीओ–ज्योतिपुर, जिला–क्योंझर, ओडिशा	–	–	1,43,33,280.00	636	–	–

क्र.सं.	राज्य	स्वैच्छिक संगठन/ गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	2017–18 राशि	2017–18 लाभार्थी	2018–19 राशि	2018–19 लाभार्थी	2019–20 राशि	2019–20 लाभार्थी
16	ओडिशा	सोसाइटी फॉर नेचर एजुकेशन एण्ड हेल्थ (स्नेह) प्लॉट संख्या एनडी 19–20, आईआरसी गांव, नया पल्ली, वीआईपी एरिया, भुवनेशवर, उड़ीशा (2–शिक्षा परियोजना)	58,05,753.00	274	1,50,48,235.00	793	–	–
17	ओडिशा	श्री रामकृष्ण आश्रम, बादारोहिला, पीओ–कडालिमुंडा, जिला–आंगुल, पिन–759126, ओडिशा (2–शैक्षिक परियोजनाएं)	66,63,000.00	300	1,15,20,024.00	450	–	–
18	ओडिशा	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ए –47, रामेश्वर पटना, मौसिमा स्क्वेयर, भुवनेश्वर, ओडिशा	–	–	67,55,346.00	450	–	–
19	ओडिशा	सर्वोदय समिति, पीओ–कोरापुट, पिन –764020, जिला–कोरापुट, ओडिशा	–	–	88,29,331.00	300	–	–
20	ओडिशा	होली होम, दियांमुंडा छाक, पीओ– तानवत जिला–नौ पाडा ओडिशा	63,05,551.00	442	80,49,236.00	221	–	–
21	राजस्थान	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम/ पोस्ट–झाडोल (फलासीया), जिला–उदयपुर, राजस्थान	–	–	1,43,04,193.00	494	–	–
22	तेलंगाना	तेलंगाना जनजातीय कल्याण आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद (16 इकाइयां)	3,21,90,954.00	3151	–	–	–	–
		कुल	**40,62,81,816.00**	**32077**	**16,36,32,205.00**	**7629**	–	–

अनुलग्नक–15

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि

(करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीमें	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिज़ोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत स्कीम	65.15	63.27	24.91	24.46	61.58	43.77	29.67	24.22	337.03
2	जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	30.09	27.10	0.00	27.39	16.84	18.88	0.00	13.63	133.93
3	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0.00	4.43	0.00	4.81	0.00	0.04	10.00	19.28
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	61.13	48.67	62.36	0.00	43.17	15.38	5.7	23.56	259.97
5	अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.62	0.32	1.60	10.56	0.22	0.00	0.11	0.10	13.53
6	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	4.18
7	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	2.01	10.18
8	जनजातीय उत्पादों / उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता	0.00	2.36	4.38	0.00	8.80	1.87	0.83	2.54	20.78
	कुल	**156.99**	**147.56**	**97.68**	**62.41**	**135.42**	**82.23**	**36.35**	**80.24**	**798.88**

अनुलग्नक–16

वर्ष 2019–20 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियां

क्र.सं.	स्कीमों / कार्यक्रमों के नाम	उप–स्कीमों के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2019–20 (करोड़ रुपए में)	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य निष्पादन / परिणाम	प्राप्त लक्ष्य
1	अनुच्छेद 275 (1) अनुदान	मंत्रालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए हस्तक्षेपों के लिए प्राथमिकता निर्धारित की है: (i) शिक्षा – (40–50%) (ii) स्वास्थ्य– (10–15%) (iii) कृषि, बागवानी, पशु–पालन, मछली पालन, डेयरी और अन्य प्राथमिक क्षेत्र (10%–15%) (iv) जनजातीय परिवार की आय को बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजनकारी योजनाएं (10–15%) (अ) प्रशासनिक संरचना (कार्य बल सहित) / संस्थागत ढांचा तथा अनुसंधान अध्ययन (5% से 10%)	2662.55	यह लिंग आधारित योजनाएं नहीं हैं तथा लाभ, पुरुष और महिला लाभार्थी दोनों के लिए है। अनुदान, अंतरालों को भरने की प्रकृति के हैं। किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारण के अनुसार की जानी है। वास्तव में लक्ष्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते, न ही कम अवधि में निगरानी योग्य परिणामों को दर्शाना संभव है।	अनुच्छेद 275 (1) के तहत दिनांक 31.12.2019 तक 1987.42 करोड़ रुपए राज्यों को निर्मुक्त किये गए हैं।
2.	टीएसपी को एससीए		1350.00		टीएसएस को एससीए के तहत दिनांक 31.12.2019 तक 954.52 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को निर्मुक्त की जा चुकी है।
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	योजना के अंतर्गत कोई पृथक बजट आवंटन नहीं है। "अ.ज.जा. के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के तहत संयुक्त निधि आवंटित की गई है"।	वित्तपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या	वर्ष 2019–20 के दौरान 7 राज्यों में 4596 अ.ज.जा. बालिका लाभार्थियों को कवर करते हुए 28 शैक्षिक परिसरों के लिए 3.49 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं।
4.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को समर्थन	जनजातियों द्वारा विनिमय यात्रा		जनजातीय अनुसंधान संस्थान राज्य / देश के अन्य भागों के दौरों की व्यवस्था करेंगे। विभिन्न जनजातियों के लोगों द्वारा गठित यात्रा समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।	

5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम– 1.आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) 2. टर्म लोन स्कीम 3. माइक्रो क्रेडिट योजना 4. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना		सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या।	एनएसटीएफडीसी ने वर्ष 2019–20 के लिए 31.12.2019 को 125.48 करोड़ एनएसटीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 84369 लाभार्थियों में से 54788 (64.94%) महिलाएँ थीं।
6.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) और पुस्तक बैंक की योजना	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पीएमएस, पुस्तक बैंक की योजना	1613.50	स्कीम के तहत शामिल (अनुमानित) विद्यार्थियों की संख्या 168069	एसटी लड़कों और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों को 1611.10 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है।
7.	कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की योजना	कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिपूर्व छात्रवृत्ति की योजना	340.00	स्कीम के तहत शामिल (अनुमानित) विद्यार्थियों की संख्या 1248064	अजजा लड़कों और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों को 328.25 करोड़ रु. की अनुदान राशि जारी की गई है।
8.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)	अजजा अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय योजना	2.00	13 स्कीम के तहत शामिल विद्यार्थियों की संख्या	अनु.ज.जा. लड़कों और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए स्कीम के तहत 1.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
9.	अ.ज.जा. विद्यार्थियों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	एम.फिल और पीएच.डी पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु अध्येतावृत्ति के रूप में उच्चतर शिक्षा । पेशेवर क्षेत्रों में उत्कृष्टता के चिह्नित सरकारी तथा निजी संस्थानों में पाठ्यक्रम का अध्ययन।	100.00	3681 स्कीम के तहत शामिल विद्यार्थियों की संख्या	एसटी लड़के और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए स्कीम के तहत 86.79 करोड़ रु की राशि जारी की गई है।

अनुलग्नक–17

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानः

(क) नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ताः

पाठ्यक्रम का स्तर*	वाचक भत्ता (रुपए प्रति माह)
समूह I, II	240
समूह III	200
समूह IV	160

(ख) दिव्यांग विद्यार्थियों का यदि ऐसा दिव्यांग विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है 160 रुपए प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान । दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, सुरक्षा के अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1955 के अनुसार विकलांगता को नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है;

(ग) निम्न अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रूप से दिव्यांग दिवा छात्रों के लिए 160/– रुपए प्रतिमाह की दर से अनुरक्षक भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले, गंभीर रूप से हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के छात्रावास के इच्छुक किसी कर्मचारी को 160/– रुपए प्रतिमाह का विशेष वेतन लागू है;

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240/– रुपए प्रतिमाह भत्ता। (ख) से (ड.) में प्रावधान कुष्ठ रोग से ठीक हुए विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

मान्यता प्राप्त प्राइवेट गैर–सहायता–प्राप्त विद्यालयों में कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी इस स्कीम के तहत भत्तों के लिए पात्र होंगे, जो निम्नानुसार हैः

गैर–सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भत्ते	राशि (रुपए में)
(i) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
(ii) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है, में नहीं रहते हैं।	160
(iii) गंभीर रूप से दिव्यांग (अर्थात 80% या उससे अधिक विकलांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग विकलांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी ।	160
(iv) शैक्षिक संस्थान में रह रहे शारीरिक रूप से गंभीर हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रावास के किसी इच्छुक कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत्य है।	160
(v) मानसिक मंदता तथा मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग भत्ता।	240

टिप्पणीः दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1995) के तहत यथा परिभाषित विकलांगता को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

*विभिन्न समूहों के विवरण निम्नानुसार हैः

समूह	पाठ्यक्रम
समूह I	(i) चिकित्सा (एलोपैथिक, भारतीय और चिकित्सा की अन्य मान्यता प्राप्त पद्धति), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयोजना, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन में एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर अनुसंधान सहित डिग्री व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम। (ii) व्यावसायिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकॉप्टर पायलेट और बहु–इंजन रेटिंग सहित) (iii) प्रबंधन और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सीए/ आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए आदि (v) एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर कार्यक्रम (डि.लिट, डी.एस.सी.आदि) :– क) समूह– II के वर्तमान पाठ्यक्रमों में ख) समूह– III के वर्तमान पाठ्यक्रमों में (ग) एल.एल.एम.
समूह II	(i) फार्मेसी (बी–फार्मा), नर्सिंग (बी–नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस एवं पुनर्वास, जांच आदि जैसे अन्य पैरा मेडिकल शाखाएं, जन–संचार, होटल प्रबंधन और कैटरिंग, यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन, इंटिरियर डेकोरेशन, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, कर आदि) जैसे क्षेत्रों में जहां प्रवेश पात्रता कम–से–कम उच्चतर माध्यमिक (10+2) है, उनमें डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। (ii) स्नातकोतर पाठ्यक्रम जैसे एम.ए/एम.एस.सी/एम.कॉम/एम.एड/एम.फार्मा आदि समूह–I में शामिल नहीं है।
समूह III	अन्य सभी पाठ्यक्रम जो स्नातक डिग्री के हैं जैसे बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम आदि समूह– I तथा II में शामिल नहीं हैं।
समूह IV	मैट्रिक के बाद के सभी गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश पात्रता हाई स्कूल (कक्षा X) है उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक प्रमाण–पत्र (कक्षा XI तथा XII) ; सामान्य और व्यावसायिक दोनों विधाएं, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि।

अनुलग्नक – 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में काम करने वाले अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता
1.	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (एसटीसी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
2.	श्री जीवन कुमार	अवर सचिव (सतर्कता)	कमरा सं. 217 एफ, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
3.	श्री एच. चिनजासोन	अवर सचिव (अनुदान, पीवीटीजी को एससीए)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
4.	श्री एम.के. झा	अवर सचिव (ईएमआरएस/अनुदान)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
5.	श्री अशोक कुमार	अनुभाग अधिकारी (पीसी)	216 – जे, दूसरा तल, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
6.	श्रीमती रीमा शर्मा	अवर सचिव (स्थापना)	कमरा सं. 400, बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
7.	श्रीमती हीरा कटारिया	अनुभाग अधिकारी (एफआरए)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001
8.	श्री वीर विक्रम	अनुभाग अधिकारी (आईएफडी)	कमरा सं. 217 एफ, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
9.	श्री राम नारायण	अनुभाग अधिकारी (एनजीओ)	कमरा सं. 416, बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
10.	श्री कामराज मलिक	अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशासन)	कमरा सं. 400, बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
11.	श्री आर.एस. मीना	अनुभाग अधिकारी (छात्रवृत्ति/डीबीटी)	कमरा सं. 412, बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
12.	श्री आर.के. वर्मा	अनुसंधान अधिकारी (जीविकोपार्जन)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001
13.	श्री सुशील बेदिंग	अनुभाग अधिकारी (बजट एवं रोकड़)	कमरा सं. 217 एफ, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
14.	श्री राजेश कुमार	अनुभाग अधिकारी (एनसीएसटी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
15.	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (पीजी एवं पीए)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
16.	श्री सत्येन्द्र कुमार	उप–निदेशक (सांख्यिकी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
17.	श्री के.सी. मीना	उप–निदेशक (सांख्यिकी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
18.	श्री एस.जी. टिमोथी	अनुभाग अधिकारी (सीएंडएलएम)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001

अनुलग्नक–19

लेखा–परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट की स्थिति जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पण लंबित है

क्रम सं.	वर्ष	पैरा/पीएसी रिपोर्ट की संख्या, जिन पर लेखा–परीक्षा द्वारा विधीक्षा के उपरांत कृत कार्रवाई नोट जमा कर दिया गया है।	लेखा–परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट जिन पर कृत कार्रवाई टिप्पणी लंबित हैं, के ब्यौरे			
			मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजे गये कृत कार्रवाई टिप्पणों की संख्या	भेजी गई किन्तु आपत्तियों के बाद वापस लौटाये गये कृत कार्रवाई टिप्पणों की संख्या एवं जो टिप्पण लेखा–परीक्षा हेतु मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुती के लिए प्रतीक्षित गत है।	भेजे गये एटीएन परन्तु विधीक्षा/आपत्तियों सहित लेखा परीक्षा द्वारा लौटाए नहीं गए।	एटीएन की संख्या जिनकी लेखा परीक्षा द्वारा अन्ततः विधीक्षा हो चुकी है किन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1.	2018	–	शून्य	–	–	6
	कुल	–	–	–	–	**6**